



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
Pension Fund Regulatory & Development Authority

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थान क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

फैक्स / Fax : +91-11-26517507 www.pfrda.org.in

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण के प्रारूप
(रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियमों 2015 के अनुसार है।



हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN



पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण

बी-14/ए, पहली मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26517095
फैक्स : 011-26517507
ई-मेल : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

**PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

B-14/A, 1st Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph : 011-26517095
Fax : 011-26517507
E-mail : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

प्रेषण पत्र

संदर्भ: फा.सं.पीएफआरडीए/09/02/11/0011/2018 वार्षिक रिपोर्ट विभाग

20 दिसंबर 2018

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
संसद मार्ग, जीवनदीप भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय:- वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट ।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक कार्य रिपोर्ट की प्रतियाँ आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय

हेमंत जी. कांट्रेक्टर

(हेमंत जी कांट्रेक्टर)

विषयवस्तु तालिका

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य.....	12
उद्देश्य.....	12
परिकल्पना.....	12
अध्यक्ष का संदेश.....	13
बोर्ड के सदस्य.....	15
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी.....	16
संक्षिप्तियां	17

भाग I

नीतियां और कार्यक्रम	20
1.1 विश्व आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा.....	20
1.1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था.....	20
1.1.2 वैश्विक वस्तुओं की कीमतें.....	21
1.1.3 मुद्रास्फीति	21
1.1.4 आर्थिक स्थिति.....	22
1.1.5 बॉन्ड और इक्विटी बाजार.....	22
1.1.6 वर्ष 2018 के लिए वैश्विक वृद्धि दृष्टिकोण	23
1.1.7 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं.....	24
1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था	24
1.3 वित्तीय बाजार.....	27
1.4 वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा.....	28
1.5 बजट में एनपीएस के लिए प्रमुख घोषणा.....	32
1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा.....	32
1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य.....	32
1.8 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा.....	34

1.9	एनपीएस के तहत मध्यस्थ ईकाईयां	35
1.9.1	राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य इकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं	35
1.9.2	खाते के प्रकार.....	37

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश	39
2.1 पेंशन निधियां.....	39
2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य.....	39
2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् सीजी और एसजी), तथा एपीवाई के लिए पेंशन निधियों (पीएफएस) की सूची	39
2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफएस) की सूची	39
2.2 एनपीएस के तहत योजनाएं	39
2.3 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं का विभिन्न निवेश श्रेणियों में एक्सपोजर	41
2.4 पेंशन निधियों से सम्बंधित विनियम, अधिसूचना, प्रमुख परिपत्र / दिशानिर्देश.....	43

भाग – III

प्राधिकरण के कार्य	44
3.1 मध्यस्थों का पंजीकरण तथा ऐसे पंजीकरण का स्थगन, निरस्तीकरण आदि तथा मध्यस्थ ईकाईयां जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं के साथ संलग्न हो, की गतिविधियों का नियंत्रण	44
3.2 योजनाओं, उनकी नियम और शर्तों का अनुमोदन, जिनमें पेंशन निधियों के कोष के प्रबंधन के सम्बन्ध में नियम है तथा ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश	44
3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	45
3.3.1 एनपीएस के तहत निकास	45
3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण	47
3.4 वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एसपीजी) तथा अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्षिकी योजनाओं का विवरण	47
3.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के	

तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधियाँ	49
3.6 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र तथा ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए किये गए क्रियाकलाप	50
3.7 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रम.....	52
3.8 प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है	52
3.9 अभिदाताओं तथा सामान्य जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर उठाये गए कदम तथा मध्यस्थ ईकाईयों के प्रशिक्षण विवरण	52
3.9.1 वित्तीय साक्षरता.....	52
3.9.2 एनपीएस जागरूकता तथा सोशल मीडिया	54
3.9.3 जनसंपर्क अभिकरण	54
3.9.4 प्रशिक्षण	55
3.10 एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता पटल	58
3.11 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हुए सम्मलेन	60
3.12 पेंशन निधियों का प्रदर्शन	62
3.13 विनियमित आस्तियां	65
3.14 वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार	65
3.15 मध्यस्थ ईकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना, किये गए निरीक्षण, जांच, अन्वेषण तथा पेंशन निधियों से सम्बंधित अन्य ईकाईयां या संगठन	67
3.16 अन्य	67
3.16.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अधीन अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाताओं (श्रेणीवार) की संख्या	67
3.16.2 उपस्थिति अस्तित्व	71
3.16.3 योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति	72
3.16.4 केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण उसकी भूमिका तथा कार्य.....	73
3.16.5 पेंशन निधियां	78
3.16.6 न्यासी बैंक	78

3.16.7 न्यासी बैंक विनियम 2015.....	78
3.16.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	80
3.16.9 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	81
3.16.10 अन्य मध्यस्थ ईकाईयां	81
3.16.11 पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई अन्य गतिविधियाँ	82

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति	86
4.2 विनियम निर्मित और संशोधित	86
4.3 अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन	87
4.4 एनपीएस अभिदाताओं के लिए आवासीय सहायता पर समिति	87

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे	88
5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	88
5.2 प्राधिकरण की बैठकें	88
5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	89
5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना	89
5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति	90
5.6 कर्मचारी कल्याण समिति.....	90
5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण.....	90
5.8 राजभाषा का प्रचार	90
5.9 सूचना का अधिकार.....	90
5.10 पीएफआरडीए के खाते	91

भाग VI

कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है.....	92
6.1 एनपीएस की आंशिक ईईई स्थिति.....	92

6.2	एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा.....	92
6.3	निधि प्रबंधकों और निवेश वर्गों का विकल्प.....	92
6.4	वैधानिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है.....	92
6.4.1	न्यूनतम आश्वासित रिटर्न्स योजना (मार्स).....	92

भाग VII

	अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कोई भी अन्य उपाय	94
7.1	जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य पहल की गई हैं	94

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक I	राज्य अनुसार एपीवाई अभिदाता पंजीकरण	95
अनुलग्नक II	31 मार्च, 2018 तक के अनुसार एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्वों की सूची.....	97
अनुलग्नक III	31 मार्च, 2018 तक के अनुसार संकलनकर्ताओं की सूची.....	100
अनुलग्नक IV	पेंशन परामर्श समिति पीएसी	102
अनुलग्नक V	तुलन पत्र.....	103

लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की नियम 9(2)(C) के तहत रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी नियम), 2015

उद्देश्य

पीएफआरडीए, के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए, अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में शामिल हैं जो कि निम्नलिखित हैं :

ऐसी प्राधिकरण की स्थापना के लिए कार्य करना, जो कि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु, पेंशन निधि की स्थापना, विकास तथा विनियमन करे, पेंशन निधि योजनाओं से अभिदाताओं के हितों की तथा उससे जुड़े एवं प्रासंगिक मामलों की रक्षा करना।

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति हेतु एक संगठित पेंशन प्रणाली का प्रसार एवं विकास करते हुए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना।

अध्यक्ष का संदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर, हम सभी नागरिकों की, वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं को टिकाऊ आधार पर पूरा करने के लिए भारत में एक संगठित और व्यवस्थित पेंशन प्रणाली को बढ़ावा देने और विकसित करने के हमारे आदेश की पूर्ति के लिए अपने प्रयास को नवीनीकृत कर रहे हैं।

विश्व स्तर पर, देश तेजी से बढ़ती उम्र वाली आबादी की दिशा में एक जनसांख्यिकीय बदलाव देख रहे हैं, मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा बढ़ने और प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण। इसने दुनिया भर के कई देशों को अपनी पेंशन प्रणाली पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया है। भारत की बढ़ती उम्र वाली आबादी जो 2001 में सिर्फ 7.5% थी, 2011 तक यह 8.6% हो गई और यह अनुमान लगाया गया है कि यह 2050 तक कुल जनसंख्या का लगभग 19% हो सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने परिभाषित अंशदान पेंशन को पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन से एक आदर्श बदलाव किया, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। यह राजकोषीय समझदारी और टिकाऊ पेंशन प्रणाली के विकास की दिशा में एक व्यवस्थित सुधार था। आखिरकार पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत के सभी राज्यों ने भी एनपीएस को अपनाया। बाद में 2009 में, एनपीएस को निजी क्षेत्र और भारत के सभी नागरिकों के लिए खोला गया ताकि भारत की कामकाजी आबादी की भीड़ एक स्थायी परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली के भीतर अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित कर सके।

असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्वेच्छा से अपनी वृद्धावस्था के लिए बचाने के लिए सक्षम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की थी। एपीवाई, जो सरकार द्वारा गारंटीकृत और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, ने 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार, कुल मिलाकर 96.06 लाख अभिदाताओं और रुपये 3602 करोड़ के कोष को हासिल किया है।

अनबनडल्ड एनपीएस संरचना, विशेष मध्यस्थ ईकाईयों को न्यूनतम संभव लागत पर लाभ प्रदान करती है। ऐसा मंच एक तकनीकी रूप से संचालित, कम लागत वाला पेंशन उत्पाद प्रदान करता है जो भौगोलिक क्षेत्रों और सभी रोजगारों में पोर्टेबल है। एनपीएस पर्याप्त लचीलापन के साथ आती है जहां अभिदाता उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता, निवेश के तरीके – सक्रिय या निष्क्रिय प्रबंधन, आवृत्ति और दूसरों के बीच अंशदान की राशि के सम्बन्ध में अपनी पसंद के विकल्प को चुन सकते हैं।

एनपीएस और एपीवाई तक आसानी से पहुंचने के लिए, पीएफआरडीए ने पूरी मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। ईएनपीएस, मोबाइल एप, ई-केवाईसी इत्यादि की शुरुआत करते हुए प्रक्रियाओं में सुधार कर रहे हैं। हालांकि, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में लगातार सतर्क है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी साइबर खतरों को कम करने के लिए उचित प्रणाली और प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में किए गए अंशदान के संबंध में व्यक्ति की सकल कुल आय के 20% तक कटौती के संबंध में कर्मचारी और स्व-नियोजित के बीच समानता के संबंध में केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई घोषणा द्वारा प्रदान की गई राजकोषीय निजता, सर्व नागरिक मॉडल के तहत ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग के लिए सक्षम होगी।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा निजी क्षेत्र और स्व-रोजगार में उपलब्ध अवसरों के साथ बेहतर स्वास्थ्य स्थिति के कारण, 60 और 70 वर्ष के उत्तरार्ध में अधिक से अधिक लोग सक्रिय जीवन जी रहे हैं। अधिक वृद्धावस्था में उपलब्ध वार्षिकी दरें 60 वर्ष या उससे कम आयु की तुलना में बेहतर वार्षिकी प्राप्त करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, एनपीएस निजी क्षेत्र अर्थात् एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल में तक एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम आयु को वर्तमान की 60 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जो कि दीर्घकालिक जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में है।

अंत में, पेंशन एक दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद है, जिसके लिए संचय चरण में, जो कि व्यक्ति की कार्यशील आयु है, में व्यक्ति के कोष में लगातार अंशदान की आवश्यकता होती है। अभिदाताओं को बाजार में अनिश्चितता के दौरान धैर्य का पालन करना चाहिए क्योंकि सेवानिवृत्ति की ओर उनके निवेश दीर्घकालिक विकास का आश्वासन प्रदान करते हैं और समय के साथ अल्पकालिक बाजार अनिश्चितताएं भी समाप्त होने की उम्मीद रहती है। पीएफआरडीए अभिदाताओं की रुचि को सर्वोपरि रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है और एनपीएस के प्रभावी प्रबंधन को अपनी विवेकपूर्ण विनियमन बनाने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षी भूमिका से सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य

31-03-2017 तक पीएफआरडीए, अधिनियम) 2013 की धारा 4 के अधीन नियुक्त किए गए
(2013 के अधिनियम 23)

(क) अध्यक्ष

श्री हेमंत जी-कांटेक्टर

(ख) पूर्णकालिक सदस्य

1. डॉ बट्टीसिंह भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 16-05-2014 से आज तक
2. श्री प्रदीप चड्ढा, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 30-06-2014 से 26 मार्च 2018 तक
3. श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 12 मार्च) 2018 से आज तक

(ग) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री वंदना शर्मा, अपर सचिव, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग 12 दिसंबर 2014 से 11 अगस्त, 2017 तक
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसंबर 2014 से आज तक
3. श्री सुचिन्द्रा मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा, विभाग, 23 जून 2016 से 3 नवंबर, 2017 तक
4. श्री संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव, डीपीपीडब्ल्यू, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, 11 अगस्त, 2017 से आज तक
5. श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, 3 नवम्बर, 2017 से आज तक

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी

(31.03.2018 तक के अनुसार)

कार्यकारी निदेशक

श्री सत्यरंजन प्रसाद

श्री कमल कुमार चौधरी (एनपीएस न्यास में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री ए.जी दास

मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती सुमीत कौर कपूर

श्री वी.पेरी

श्री राकेश शर्मा

महाप्रबंधक

श्री आशीष कुमार

श्री के. मोहन गाँधी

श्री प्रवेश कुमार

श्री राहुल रविन्द्रन

श्री मोनो मोहन गोगोई फुकोन

श्री अखिलेश कुमार

श्री विकास कुमार सिंह

केंद्रीय सतर्कता अधिकारी

श्री एम.पी.नागपाल

लोकपाल

श्री विनोद कुमार पाण्डे

वार्षिक रिपोर्ट दल

सुश्री सुमीत कौर कपूर, मुख्य महाप्रबंधक

सुश्री मंजू भल्ला, उप महाप्रबंधक

श्री मनीष मनी, प्रबंधक

संक्षिप्तियां

एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एआईएस	सभी भारत सेवा
एएमएल	धन शोधन निवारण
एपीवाइ	अटल पेंशन योजना
एसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाज़ार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीएजीआर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीओ	कॉप्रोरेट ब्रांच ऑफिस
सीबीएलओ	संपार्श्वकीकृत उधार लेन—देन संबंधी दायित्व
सीबीएस	कोरबैंकिंग समाधान
सीएचओ	कॉप्रोरेट हेड ऑफिस
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीएफटी	क्रॉस फाइल स्थानांतरण
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत निगरानी तंत्र
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीआरए—एफसी	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अभिनन्दन केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
डीए	महंगाई भत्ता
डीबी	परिभाषित लाभ
डीसी	परिभाषित अंशदान
डीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सह—कारी बैंक
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	देशी प्रशुल्क क्षेत्र
डीटीओ	जिला खजाना कार्यालय
ईसीबी	यूरोपियन केंद्रीय बैंक

ईईई	छूट, छूट, छूट
ईईटी	छूट, छूट, और कर
ईएमडीई	उभरती बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईटीई	विनिमय व्यापारित निधि
एफसीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी
एफडी	सावधि जमा
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफपीआई	विदेशी संविभाग निवेश
एफआरसी	फण्ड प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
जीआरसी	शिकायत निवारण तंत्र
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीवीए	योजित सकल मूल्य
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीआर	भारतीय निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीद
आईएमएफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन संख्या
टीपिन	ट्रेडिंग पार्टनर आइडेंटिफिकेशन संख्या
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं
आईवीआर	इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्रणाली
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विघ्कास बैंक
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर-बैंकीय वित्तीय कंपनियां
एनआईएसएम	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ सिक्योरिटीज मार्किट
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क

एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनआरई	अनिवासी बाह्य
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनआरओ	अनिवासी साधारण
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	खुले बाजार के परिचालन
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रमुख लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी दृएसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
पीपीएफ	लोक भविष्य निधि
प्राण	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
एसडीएल	राज्य विकास ऋण
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिधि
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
टीबी	न्यासी बैंक
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य
वाईटीएम	परिपक्वता प्रतिफल

भाग I

नीतियां और कार्यक्रम

भारतीय वित्त मंत्री ने 2016 के केंद्रीय बजट के अपने भाषण में पेंशन युक्त समाज की ओर बढ़ने की आकांक्षा व्यक्त की। इसके अलावा, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को निर्धारित करती है। इसके लिए आर्थिक रूप से स्थायी पेंशन प्रणाली की परिकल्पना और उसे लागू करने हेतु एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान प्रणाली में एक आदर्श बदलाव को अंकित किया है, जिसकी सफलता निरंतर बचत, इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में विवेकपूर्ण निवेश, और विसंचयी चरण के दौरान न्यायिक गिरावट पर निर्भर करती है। इसके अलावा, इन तीन चरणों की परिकल्पना वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू विकास से काफी प्रभावित हुई है। एक बड़े समूह तक पहुंचने पर, पेंशन परिसंपत्तियां भी असंख्य तरीकों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं जिनमें सम्मिलित हैं, छोटी बचत को वांछित क्षेत्रों में बांटने जैसे बुनियादी ढांचे, पूंजी बाजारों की परिपक्वता, पूंजी बाजार को खरीद तथा धारण करने सम्बन्धी रणनीति के माध्यम से स्थिर करने आदि।

क्योंकि वैश्विक और घरेलू विकास, विकास दर, वस्तुओं की कीमतों, मुद्रास्फीति आदि के रूप में सभी प्रकार के वित्तीय बाजारों पर प्रभाव डालता है, चाहे इक्विटी बाजार, जी सेक बाजार या बॉन्ड बाजार हों, यह चीजों की उपयुक्तता में है कि वैश्विक और घरेलू पेंशन बाजारों में विकास की समीक्षा करने से पहले वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर सरसरी नज़र रखें।

1.1 विश्व आर्थिक परिदृश्य की सामान्य समीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2018 में यह प्रकाशित किया है कि 2017 में वैश्विक विकास 3.8 प्रतिशत था, 2017 में 3.8 प्रतिशत के साथ वैश्विक विकास 2011 सबसे मजबूत था। दो-तिहाई देशों ने लगभग तीन-चौथाई वैश्विक परिणाम प्रदान किए जिससे पूर्व वर्ष की तुलना में 2017 में तीव्र वृद्धि देखी गई। 2017 में वैश्विक विकास के लिए प्रारंभिक परिणाम,

उन्नत और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पहले के पूर्वानुमानों की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक अधिक थे। साल के दूसरे भाग में आर्थिक गतिविधि अधिक परिणाम वाली रही अर्थात् 4 प्रतिशत से अधिक रही। यूरो क्षेत्र, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, और चीन में परिणाम पूर्वानुमान से अधिक रहे और माल निर्यातकों में सुधार धीरे-धीरे जारी रहा। इक्विटी बाजारों में हालिया अस्थिरता और बांड प्रतिफलों में वृद्धि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के संकेत दे रही हैं, के बावजूद, वित्तीय परिस्थितियां सहायक रही। व्यापक आधार वाली गति और राजकोषीय विस्तार की आशाओं के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़े पैमाने पर इस वर्ष और अगले, 2018-19 के लिए, वैश्विक विकास 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

1.1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था,

2017 की पहली छमाही में वैश्विक गतिविधि में बढ़त, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और चीन में मजबूत घरेलू मांग में वृद्धि और अन्य बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है, डब्ल्यूईओ रिपोर्ट अप्रैल, 2018 बताती है कि अक्टूबर 2017 के बाद उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, 2016 के सापेक्ष 2017 के विकास में 0.6 प्रतिशत अंक की बढ़त को लगभग पूरी तरह निवेश खर्च से समझाया गया है, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, 2017 में 0.4 प्रतिशत पॉइंट का विकास मुख्य रूप से निजी खपत में एक त्वरण से आया था। पिछले साल चीन और भारत में विकास पुनरुत्थान शुद्ध निर्यात और मजबूत निजी खपत, क्रमशः द्वारा समर्थित था, जबकि निवेश में वृद्धि धीमी हुई। वैश्विक व्यापार—जो वैश्विक निवेश अत्यधिक सहसंबंधित होता है, अनुमानित रूप से 2017 में 4.9 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर पर प्राप्त हुआ। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (जहाँ 2016 में व्यापार वृद्धि 2.2 प्रतिशत से बढ़कर है 2017 में 6.4 प्रतिशत हुई है) में उछाल अधिक स्पष्ट था, पूर्व में तनावग्रस्त वस्तु निर्यातकों में बेहतर निवेश वृद्धि दरों को और साथ ही उन्नत अर्थव्यवस्था में वसूली और आम तौर पर अधिक घरेलू मांग को दर्शाता है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, बड़े निर्यातकों, जैसे कि जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड स्टेट्स ने निर्यात में पुनर्लाभ के लिए मजबूती से योगदान दिया, जबकि आयात में पुनर्लाभ, यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर व्यापक आधार पर थे। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से, निर्यात में बढ़त उभरते एशिया में विशेष रूप से मजबूत था, विशेष रूप से चीन में, क्योंकि एनएसई 100 कंपनियों में से लगभग 40% निर्यात उन्मुख हैं, इसे भारत में इक्विटी बाजार के लिए भी एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है, जहां लगभग 13% एनपीएस निधियां निवेशित हैं।

1.1.2 वैश्विक वस्तुओं की कीमतें :

आईएमएफ की प्राथमिक वस्तु मूल्य सूचकांक अगस्त 2017 और फरवरी 2018 के बीच 16.9 प्रतिशत तक बढ़ा अर्थात्—वह अक्टूबर 2017 की संदर्भ अवधि के बीच है। यह वृद्धि बढ़ती तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों से प्रेरित थी। अन्य वस्तुओं में से धातुओं और कृषि उत्पादों की कीमतें भी बढ़ीं, हालांकि वह ऊर्जा की कीमतों की तुलना में कम तेजी से बढ़ी।

तेल की कीमतें, जो हमारे चालू खाते घाटे तथा अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण कारक है। जनवरी में तेल की कीमतों में 65 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा की वृद्धि हुई जो कि 2015 से अब तक का उच्चतम स्तर था। फरवरी, 2018 में कीमतें 63 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, प्राकृतिक गैस मूल्य सूचकांक—यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए औसत रहा, चीन में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मांग के चलते तेजी से बढ़ोतरी हुई, जहां सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे एलएनजी की कीमत तीन वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। उच्चतर तेल की कीमतों ने उन देशों में दबाव बनाया जहाँ तेल से जुड़े बढ़ते मूल्य निर्धारण ज्यादा आम है। धातु की कीमतों और कृषि मूल्य सूचकांक की प्रवृत्ति भी वृद्धिशील रही है।


1.1.3 मुद्रास्फीति :

मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति निर्धारित करता है। इसलिए, पेंशन के लिए परिकल्पनाओं को मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि रिटर्न की वास्तविक दर को लक्षित किया जा सके।

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रास्फीति दरें (जब ईंधन और खाद्य कीमतों को बाहर रखा जाता है) आम तौर पर नरम होती हैं। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, मूल मुद्रास्फीति निम्न लक्ष्य बनी हुई है। अमेरिका में यह था 1.6 प्रतिशत रही। फरवरी महीने में बारह मासिय मुद्रास्फीति यूरो क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत तक पहुंच गयी। जबकि, हाल के महीनों में, जापान में यह एक सरल प्रवृत्ति में ऊपरी दिशा में बना रहा, जो जनवरी में 0.4 प्रतिशत पर पहुँचा। यूनाइटेड किंगडम नीचे लक्षित मुद्रास्फीति के पैटर्न के लिए एक अपवाद है। फरवरी में 2.4 प्रतिशत पर रहते हुए, ब्रिटेन की मूल मुद्रास्फीति, जून 2016 के ब्रेक्सिट जनमत पाउंड मूल्यह्रास परिणाम के बाद 2017 में प्राप्त की गई सीमा से नीचे है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर है।

मूल मुद्रास्फीति ब्राजील और रूस में अत्यधिक कम रही है, जहाँ मांग 2015–16 के गहन संकुचन से ठीक हो रही है जबकि 2017 की दूसरी तिमाही में अत्यधिक गिरावट के बाद एकल आदेश उत्पादन कारक के कारण भारत में यह बढ़ी है। चीन में मूल मुद्रास्फीति 2% के साथ अत्यधिक स्थिर रहा। इसके विपरीत अन्य देशों में उप-सहारा अफ्रीका, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, मध्यपूर्व उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र पूर्व विनिमय दर मूल्यह्रास के साथ अत्यधिक मुद्रास्फीति के साथ बने रहे।

प्रमुख उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वसंत ऋतु के बाद से नियंत्रित हुई है, जो तेल की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। जबकि बेरोज़गारी की दर में गिरावट जारी है, वेतन वृद्धि में गिरावट जारी है।



1.1.4 आर्थिक स्थिति

एक परस्पर संबंधों वाली दुनिया में सापेक्ष मुद्रा में उतार-चढ़ाव कोपता करना महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रमुख मुद्राओं की गतिविधियां घरेलू उद्योगों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से जो वित्तीय क्षेत्र सूचकांक में निर्यात आयात उन्मुख प्रकट होते हैं।

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के मुताबिक, उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय स्थितियां अगस्त माह से, सामान्यतः अधोमुखी प्रवृत्ति को दिखाती रही हैं। मौद्रिक नीति को ब्राजील और रूस में सरल कर दिया गया था, जबकि मेक्सिको में, इसे कड़ा कर दिया गया था। इसीलिए, एल्यूमीनियम और चीनी उत्पादों की एक श्रृंखला पर उद्दिष्ट अमेरिकी टैरिफ कार्यों की घोषणा के साथ-साथ अमेरिका से आयात पर प्रतिशोधपूर्ण टैरिफ पर चीन द्वारा घोषणा, इक्विटी बाजार का मूल्यांकन मजबूत बनाए रखेगा। कॉरपोरेट क्रेडिट फैलाव, ब्याज दर के अंतर को बढ़ाने के बावजूद, अगस्त के सापेक्ष कठोर या थोड़ा बदल गया है, अमेरिकी डॉलर वास्तविक शर्तों में, अगस्त 2017 और मार्च 2018 के अंत के बीच मामूली रूप से, लगभग 1) प्रतिशत से कमजोर हो गया, और 2017 की औसत की तुलना में लगभग 4) प्रतिशत कमजोर है। यूरो ने लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि की है और यह अपने 2017 के औसत से 4 प्रतिशत मजबूत है। अन्य मुद्राओं में से, जापानी येन व्यापक रूप से स्थिर रहा है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरें

बढ़ाए जाने के बाद भी ब्रिटिश पाउंड ने 5) प्रतिशत की वृद्धि की। जेपी मॉर्गन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स में में इक्विटी बाजार मजबूत और विस्तारित हुए हैं जिससे स्थानीय मुद्रा बांड पर दीर्घकालिक ब्याज दरों में गिरावट आई है, जो तेजी से विकसित हो रहे देशों में, जैसे उभरते एशिया और उभरते यूरोप में बढ़ रहे हैं।

1.1.5 बॉन्ड और इक्विटी बाजार

एफआईआई आज भारत में इक्विटी और ऋण बाजारों जैसे वित्तीय सूचकांक के प्रदर्शन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन, विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिशा को प्रभावित करता है – उभरते बाजारों में या उनसे दूर तथा इसलिए उन्हें पता करने की आवश्यकता है।

जुलाई, 2017 की आईएमएफ डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के मुताबिक, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक बॉन्ड प्रतिफल, मार्च के बाद से घट गए थे, पुनः उछाल की संभावना के साथ। अगली रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के नीति दर में और बढ़ोतरी की उम्मीदों के साथ, 10 वर्षीय अमेरिकी राजकोषीय बांड पर, अगस्त से (मार्च 2018 के अंत तक) मामूली प्रतिफल 50 आधारभूत अंकों से बढ़े है। इसी अवधि में, दीर्घकालिक बॉन्ड प्रतिफल जर्मनी में 10 आधार अंकों और


यूनाइटेड किंगडम में 25 आधार अंकों से बढ़े हैं, जबकि वे जापान में शून्य के आसपास रहे हैं। दीर्घकालिक बॉन्ड प्रतिफल इटली और स्पेन में व्यापक रूप से अपरिवर्तित बने हुए हैं, क्योंकि जर्मन बॉन्ड्स में उनके फैलाव ने जर्मन प्रतिफल में वृद्धि के साथ दबा दिया है। कुछ उभरते बाजारों में कॉर्पोरेट ऋण सामान बने हुए हैं।

चीन में गैर बैंक इंटरमीडिएशन के कड़े विनियमन, जहां गैर वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋण अभी भी बढ़ रहे हैं, आवश्यक नीति प्रतिक्रिया की कमियों का संघर्ष करने हेतु एक अच्छी शुरुआत है।

वैश्विक विकास गति मजबूत है और उधार दरें कम हैं, लेकिन

यह मध्यम अवधि के दौरान वित्तीय कोष को उजागर कर सकती है। जोखिमों का एक अंतिम वैश्विक पुनर्मूल्यन को विभिन्न बदलावों से उत्प्रेरित किया जा सकता है, जिसमें मुद्रास्फीति में व्यापक आधारवाली गति शामिल है। जापान और जर्मनी में दीर्घकालिक संप्रभु बॉन्ड प्रतिफल व्यापक रूप से स्थिर रहे हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में कुछ 10 आधार अंकों से बढ़े हैं, और फ्रांस, इटली और स्पेन में 20–30 आधार अंकों की गिरावट आई है, क्योंकि यह तेजी से संकुचित होते जर्मन बॉन्ड प्रतिफल के सापेक्ष अधिक फैलता है, विशेष रूप से फ्रेंच राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बाद से। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में वृद्धि जारी है, बाजार अस्थिरता संकेतक कम रहते हैं।

चित्र 1.2 वैश्विक बॉन्ड मूल प्राप्ति – एक गिरती प्रवृत्ति



1.1.6 2018 के लिए वैश्विक वृद्धि दृष्टिकोण

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक विकास 2018 में 3.9 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, वर्ष 2019 मजबूत गति, अनुकूल बाजार भावना, अनुकूल वित्तीय स्थितियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजकोषीय नीति के विस्तार के प्रभाव से लाभान्वित है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कुल वृद्धि के सौम्य होने का अनुमान है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, विकास 2018–19 के स्तर के करीब रहेगा और यह अनुमान लगाया

गया है कि भारत के विकास में वृद्धि होगी और चीन में धीरे-धीरे होने वाली मंदी में कुछ कमी लाने का कारण बनेगा। उभरते यूरोप की अपनी निम्न प्रवृत्ति वृद्धि दर पर लौटने की उम्मीद है, 40 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रति व्यक्ति आय मामलों में धीरे-धीरे बढ़ने का अनुमान है। यह दृष्टिकोण उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मिश्रित है। उभरते एशिया और यूरोप में संभावनाएं अनुकूल हैं, लेकिन यह लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उप-सहारा अफ्रीका में चुनौतीपूर्ण हैं।

1.1.7 उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एफआईआई के लिए भारतीय बाजारों के विकल्प हैं और इसलिए हमारे साथियों, विशेष रूप से चीन का पता करना महत्वपूर्ण है, जो इसकी विशाल अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार के कारण वैश्विक समष्टि आर्थिक मानकों को प्रभावित करने में सक्षम है।

डब्ल्यूईओ रिपोर्ट के अनुसार, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास 2017 के 4.8 प्रतिशत से 2018 में 4.9 प्रतिशत और 2019 में 5.1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

चीन में, विकास के 2017 में 6.9 प्रतिशत से 2018 में 6.6 प्रतिशत और 2019 में 6.4 प्रतिशत से मध्यम होने का अनुमान है भारत की अर्थव्यवस्था 2018 में 7.4 प्रतिशत और 2019 में 7.8 प्रतिशत पर बढ़ने का अनुमान है, 2017 के 6.7 प्रतिशत से ऊपर। डब्ल्यूईओ के पूर्वानुमान अक्टूबर से अपरिवर्तित है, मुद्रा अंतरण पहल के अस्थायी प्रभावों से रिकवरी द्वारा संचालित विकास की अल्पकालिक फर्मिंग के साथ और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन द्वारा और लैटिन अमेरिका के मजबूत निजी उपभोग विकास प्रतिलाभ द्वारा समर्थित है और कैरीबियाई सुदृढ़ हो रहे हैं, जिसमें क्षेत्र का विकास 2017 के 1.3 प्रतिशत से 2018 में 2.0 प्रतिशत तक बढ़ने और 2019 में 2.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

2015–16 में गहरी मंदी का अनुभव करने के बाद, 2017 में ब्राजील की अर्थव्यवस्था में पुनः वृद्धि हुई (1.0 प्रतिशत) और 2018 में 2.3 प्रतिशत सुधार और 2019 में 2.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। अर्जेंटीना में, विकास की 2017 के 2.9 प्रतिशत से 2018 में 2.0 प्रतिशत तक मध्यम होने की उम्मीद है। वेनेजुएला में, वास्तविक जीडीपी के 2018 में लगभग 15 प्रतिशत और आगे 2019 में 6 प्रतिशत से गिरने का अनुमान है उभरते और विकासशील यूरोप में 2017 के 5.8 प्रतिशत से 2018 में अभी भी मजबूत 4.3 प्रतिशत और आगे 2019 में 3.7 प्रतिशत (अक्टूबर में अनुमानित आंकड़े की तुलना में क्रमशः 0.8 और 0.4 प्रतिशत अंक अधिक) नरम होने का अनुमान है।

2018 में उप-सहारा अफ्रीका में वृद्धि के 3.4 प्रतिशत (2017 के 2.8 प्रतिशत से) होने का अनुमान है और उसके बाद बीच

की अवधि के लिए लगभग 4.0 प्रतिशत का थोड़ा सुधार होने का अनुमान है। मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान क्षेत्र, में विकास के 2017 में 2.6 प्रतिशत से 2018 में 3.4 प्रतिशत होने और 2019 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 5.6 प्रतिशत की मजबूत गति होने की उम्मीद है (2017 के 5.3 से ऊपर), 2019 में 4.7 प्रतिशत तक पहुंचने से पूर्व। सऊदी अरब में, इस वर्ष 2017 के 0.7 प्रतिशत के संकुचन से 1.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तेल के परिणामों में वृद्धि होने के कारण 2019 में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के अनुमानित समापन के कारणवश है।

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

1.2.1 भारत में समष्टि-आर्थिक विकास

पिछले साल के दौरान प्रमुख सुधार किए गए थे। परिवर्तनकारी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का शुभारम्भ किया गया था, लंबे समय से चलने वाली टिवन बैलेंस शीट (टीबीएस) की समस्या का नए भारतीय दिवालियापन संहिता के तहत प्रमुख तनावग्रस्त कंपनियों को समाधान के लिए भेजकर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख पुनः पूंजीकरण विधि को लागू करते हुए, निवारण की कोशिश की गई थी। बैंकों। इन उपायों और पूर्व नीतिगत कार्रवाईयों के प्रभाव के परिणामस्वरूप, वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी आई।

वर्ष 2016–17 के 7.1 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2017–18 के लिए स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि 6.7 प्रतिशत है।



मार्च 2017 में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले मार्च 2018 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 4.4 प्रतिशत बढ़ गया। 2016-17 की 4.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2017-18 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.5 प्रतिशत थी।

पिछले वर्ष में इसी अवधि में दर्ज की गई 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 30 मार्च 2018 तक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि (वर्ष दर वर्ष आधार पर पर), 9.6 प्रतिशत थी।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 ने वित्तीय वर्ष 2019 में 7% और 7.5% के बीच आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है, जबकि कहा जाता है कि बढ़ती कच्चे तेल की कीमत एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है और वित्त वर्ष 2019 में औसत 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्तीय निवेश 2019 में वृद्धि


करने के लिए तैयार है और रोजगार, शिक्षा और कृषि मध्यम अवधि में प्रमुख केंद्रबिंदु बनी रहेगी।

मुद्रास्फीति

पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख सकारात्मक बातों में से एक है मुद्रास्फीति के स्तरों में गिरावट आना।

वित्त वर्ष 2017-18 में मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। अप्रैल, 2016 के महीने की तुलना में डब्ल्यूपीआई 2017 में 3.85% की दर से दर्ज किया गया, यह जून, 2017 के महीने में 0.90% के रूप में नीचे चला गया। सीपीआई मुद्रास्फीति दर, अपने पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर, 2017 महीने में 5.21% अधिक थी। सीपीआई जून, 2017 के महीने में 1.46% से नीचे चला गया।

चार्ट 1.3: सालाना मुद्रास्फीति दर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नीचे दिखाई गई हैं:



स्रोत : सीएसओ, डीआईपीपी और www.data.gov.in

तालिका संख्या 1.1 विभिन्न मूल्य सूचकांक (प्रतिशत) के आधार पर मुद्रास्फीति

विवरण	2016-17*	2017-18*
डब्ल्यूपीआई	1.7	3.0
सीपीआई (मिश्रित)	4.5	3.6

स्रोत: डब्ल्यूपीआई के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पालिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) और सीपीआई (मिश्रित) के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

*वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति है मासिक सूचकांक के औसत से मासिक सूचकांक के औसत में प्रतिशत परिवर्तन

जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में अप्रत्यक्ष कराधान के सुधार के रूप में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है। जुलाई 2017 में जीएसटी शुरू किया गया था ताकि कई केंद्रीय और राज्य करों को एक ही कर में किया जा सके जिससे कैस्केडिंग या दुगुने कराधान को कम किया जा सके। जीएसटी नियामक और व्यवसाय दोनों द्वारा सामंजस्यपूर्ण कर संरचना और समान अनुपालन प्रथाओं को लाता है। दिसंबर 2017 तक देश में अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 मिलियन की अद्वितीय जीएसटी पंजीकर्ताओं के रूप में देखी गई, और मार्च, 2018 तक जीएसटी के तहत 1.05 करोड़ करदाताओं को पंजीकृत किया गया है।

जीएसटी, जिसने अप्रत्यक्ष कर नेट में 20 लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक बिक्री के साथ कारोबार किया है, ने कर पंजीकरण या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बिना कई

छोटी, अनौपचारिक रूप से परिचालन फर्मों को पंजीकृत करदाताओं द्वारा औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया है।


वित्त वर्ष 17-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जीएसटी ने करदाताओं की संख्या 3.4 मिलियन तक बढ़ने में सहायता की है। खाता बहियाँ बनाए रखने और डिजिटल टैक्स रिटर्न प्रसंस्करण प्रणाली का हिस्सा बनने की आवश्यकता के साथ, वे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए संभावित नए अभिदाताओं का सबसे बड़ा समूह बन गया है।

मौद्रिक प्रबंधन

2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति संशोधित वैधानिक ढांचे के तहत आयोजित की गई है, जो 5 अगस्त, 2016 से प्रभावी हो गई। पहली और दूसरी द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत 6.25 प्रतिशत की अपरिवर्तित पॉलिसी रेपो दर रखने का फैसला किया। 2017-18 (अगस्त 2017 में) के लिए, तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, मौद्रिक नीति समिति ने 25 आधार अंकों की नीति रेपो दर को 6.0% से कम करने का फैसला किया। इसने अक्टूबर और दिसंबर 2017 दोनों में दरों को अपरिवर्तित रखा।

वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, रेपो दरों ने 25 आधार बिंदु से गिरावट दर्ज की थी, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यह 6.50% के साथ शुरू हुआ जबकि 6.25% के साथ वित्त वर्ष में समाप्त हुआ, वित्त वर्ष 2017-18 की शुरुआत में, रेपो दर 6.25% थी और अंत में यह 6.00% तक चली गई।

चार्ट संख्या 1.4 वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में रेपो दर में गति नीचे दर्शायी गई हैं :



17 नवंबर, 2017 से पुनः मुद्राीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ अनुकूल आधार प्रभाव के रूप में, सालाना वर्ष (वर्ष दर वर्ष) वृद्धि 'संचलित मुद्रा' और 'आरक्षित धन' (एम 0) दोनों की वृद्धि तेजी से सकारात्मक हो गई है और पिछले वर्ष की उनकी संबंधित वृद्धि दर से अधिक है। नवंबर 2016 में विमुद्राीकरण की शुरुआत के बाद, रिजर्व बैंक ने परंपरागत और अपरंपरागत उपकरणों दोनों के मिश्रण का उपयोग करके अपनी चलनिधि अवशोषण परिचालन को बढ़ा दिया था। चलनिधि की स्थिति अधिशेष मोड में बनी हुई है, भले ही इसके परिमाण प्रगतिशील पुनर्मुद्राीकरण के साथ धीरे-धीरे नियंत्रित हो।

1.3 वित्तीय बाजार

भारत में एक विविध वित्तीय क्षेत्र है जो कि मौजूदा वित्तीय सेवा फर्मों और बाजार में प्रवेश करने वाली नई संस्थाओं के मजबूत विकास दोनों के मामले में तेजी से विस्तारित हो रहा है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी समिति, पेंशन निधियां, म्यूचुअल फंड और अन्य लघु वित्तीय ईकाईयां शामिल हैं।


जी-सेक मार्केट

2017-18 के दौरान (11 जनवरी, 2018 तक), 10 साल की जी-सेक प्रतिफल की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

अप्रैल 2017 में, जी-सेक ने मध्यम कठोर पूर्वाग्रह के साथ व्यापार किया। हालांकि, जी-सेक प्रतिफल 12 मई, 2017 के बाद तेजी से नरम हो गई, मुख्य रूप से अप्रैल 2017 के लिए, एक नई आधारभूत सुरक्षा जो कि अपेक्षित मुद्रास्फीति से कम के साथ थी की नीलामी के कारण। मई 2017 और जुलाई 2017 के बीच, जी-सेक ने, अपेक्षित आर्थिक आंकड़ों से बेहतर आंकड़ों जैसे मुद्रास्फीति, सकारात्मक मॉनसून पूर्वानुमान और जून 2017 में मौद्रिक नीति के घनिष्ठ रुख के कारण नरम पूर्वाग्रह के साथ व्यापार किया। प्रतिफल की नरमता को आगे मजबूत एफपीआई प्रवाह द्वारा समर्थित किया गया था।

बाद में, मध्य जुलाई से 17 नवंबर, 2017 तक, प्रतिफल गति को मुख्य रूप से वैश्विक कारकों द्वारा निर्देशित किया गया था और अमेरिका में सख्त झुकाव को दर्शाता है। इसके अलावा, घरेलू कारकों जैसे उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति, ओएमओ बिक्री के माध्यम से प्रतिभूतियों की अतिरिक्त आपूर्ति, तेल की कीमतों में वृद्धि का उच्च मुद्रास्फीति की चिंताओं का कारण उत्पन्न करना, और उच्च सरकारी उधार, परिणाम पर दबाव को बढ़ाता है। अप्रत्याशित व्यक्तियों द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग बढ़ाई गई, हालांकि, 20 नवंबर, 2017 को 10 वर्षीय जी-सेक परिणाम में 7.10 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन बाद में यह ठीक हो गया। मार्च, 2018 तक जी-सेक परिणाम 7.40 प्रतिशत पर रहा है।

चार्ट संख्या 1.5 : 10 वर्षीय जी-सेक परिणाम (प्रतिशत)



स्रोत : ब्लूमबर्ग

कॉर्पोरेट बांड बाजार

पिछले कुछ वर्षों में भारत के कॉर्पोरेट बांड बाजारों में अधिक वृद्धि हुई है, जो कि अनेकों संरचनागत और चक्रीय कारकों द्वारा समर्थित रही है। बॉन्ड बाजारों को विस्तारित करने के लिए

नियामकों और नीति निर्माताओं द्वारा उठाए गए अनुकूल कदमों की एक श्रृंखला प्रमुख प्रभावों में से एक रही है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को देश में गहन और जीवंत बनाने के एक प्रमुख कदम में, बजट 2018 भाषण में, सरकार ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को बांड के माध्यम से अपनी कम से कम एक चौथाई वित्त पोषण की आवश्यकता को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।


इक्विटी बाजार

वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन और लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर को वापस लाने के कदम ने निवेशकों को भयभीत कर दिया, भारत में अप्रैल 2017 से बारह महीनों तक एक एक व्यस्त घटनाक्रम रहा। भारत के अग्रणी इक्विटी बेंचमार्क, निफ्टी 50 सूचकांक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सेबी के अनुसार, 29 जनवरी, 2018 को सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 36,444 और 11,172 के अपने उच्चतम स्तर पर रहे।

भारत के अग्रणी इक्विटी बेंचमार्क, निफ्टी 50 सूचकांक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ। एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स, बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक, 31 मार्च,

2017 के 29,62 0.50 अंक के समापन से 31 मार्च, 2018 को 32,968.68 अंक पर बंद हुआ, जिससे पूर्व की तुलना में 11.30 की बढ़त देखी गई। इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स 29 जनवरी 2018 को 36283.25 अंक के उच्चतम स्तर और 18 अप्रैल, 2017 को 29,319 अंक के अपने न्यूनतम अंक पर रहा। निफ्टी 50, एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक पर 31 मार्च, 2017 के अपने समापन अंक 9,173.75 की तुलना में 31 मार्च, 2018 को 10,113.70 अंकों पर बंद हुआ और इसने 10.25 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। इस अवधि के दौरान, निफ्टी 50 29 जनवरी 2018 को अपने 11171.55 अंक के उच्चतम स्तर और 19 अप्रैल 2017 को अपने न्यूनतम स्तर 9,075.15 अंक पर रहा।

चार्ट संख्या. 1.6: सेंसेक्स और निफ्टी की गति




स्रोत: बीएसई और एनएसई आंकड़े

1.4 वैश्विक पेंशन बाजार की समीक्षा

ओईसीडी के अनुसार, ओईसीडी में पेंशन व्यवस्थाओं में संपत्ति कई देशों के बीच व्यापक रूप से भिन्न थी, 2017 में यह 43.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर के एक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। पेंशन संपत्तियां, 78% रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में 0.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से कम रही, जबकि 8% अधिकार क्षेत्रों ने 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक रही। पेंशन संपत्तियों की सबसे बड़ी राशि, पेंशन बचत के एक लंबे इतिहास वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रही, सात ओईसीडी देशों में पेंशन संपत्ति 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गई: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।

2017 में ओईसीडी क्षेत्र में 1 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की संपत्ति वाले सात देशों में ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन परिसंपत्तियों की 90% से अधिक संपत्तियां थीं, ओईसीडी देशों के बीच पेंशन परिसंपत्तियों की सबसे बड़ी राशि 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी (कुल परिसंपत्तियों का 64.9% ओईसीडी क्षेत्र में, 28.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति के साथ), इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (6.7%, यूएसडी 2.9 ट्रिलियन), कनाडा (6.1%, यूएसडी 2.6 ट्रिलियन), ऑस्ट्रेलिया (4.1%, यूएसडी 1.8 ट्रिलियन), नीदरलैंड (3.7%, 1.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर), जापान (3.2%, 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर) और स्विट्जरलैंड (2.3%, 1.0 ट्रिलियन अमरीकी डालर)। अन्य 29 ओईसीडी क्षेत्राधिकारों ने शेष 9.0% संपत्तियां साझा की (या 3.9 ट्रिलियन अमरीकी डालर)

चार्ट संख्या 1.7 2017 में, ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन आस्तियों का भौगोलिक वितरण
कुल पेंशन आस्तियों के प्रतिशत के रूप



पेंशन संपत्तियों को असमान रूप से क्षेत्रों के भीतर वितरित किया गया था। 2017 में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका 0.2 ट्रिलियन से अधिक पेंशन संपत्तियों के साथ एकमात्र रिपोर्टिंग देश था।

कुछ तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (जैसे चीन और भारत) में, पेंशन संपत्तियों की राशि अन्य देशों की तुलना में 2017 में अपेक्षाकृत कम रही।

घरेलू अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में पेंशन परिसंपत्तियों की राशि राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित और निजी पेंशन प्रणाली के महत्व का संकेत प्रदान करती है। औसतन, 2017 में, पेंशन परिसंपत्तियां ओईसीडी क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 50.7% और गैर-ओईसीडी क्षेत्राधिकारों में कुल सकल घरेलू उत्पाद का 19.7% है। भारत औसत भी अधिक था: ओईसीडी क्षेत्र में 133.6% और ओईसीडी के बाहर 41.3%।

ओईसीडी देशों में, पेंशन परिसंपत्तियों के 208.4% के जीडीपी के साथ डेनमार्क रैंकिंग के शीर्ष पर है, इसके बाद नीदरलैंड (184.2%) और आइसलैंड (164.5%) है। पेंशन परिसंपत्तियों की राशि 50 से अधिक क्षेत्राधिकारों में सकल घरेलू उत्पाद का 20% से कम थी, और इनमें से 12 में जीडीपी का 2% से नीचे (चीन, भारत और इंडोनेशिया सहित)। हालांकि, इन देशों के आंकड़े अक्सर प्रणाली के एक हिस्से को कवर करते हैं (उदाहरण के लिए, केवल चीन के लिए उद्यम वार्षिकी,


राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजनाएं और भारत के लिए सहायक योजना अटल पेंशन योजना, और इंडोनेशिया में स्वैच्छिक पेंशन योजनाएं)

2017 में अधिकांश देशों में पेंशन संपत्ति बढ़ी। मिस्र, जापान और मलेशिया को छोड़कर, वास्तविक शर्तों में 2017 में सभी देशों ने पेंशन परिसंपत्तियों में वृद्धि का अनुभव किया।

पूर्व ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, स्वचालित नामांकन की शुरुआत ने न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में सफलतापूर्वक उच्च कवरेज दरों को प्राप्त किया है। स्वचालित नामांकन कार्यक्रमों का उद्देश्य पेंशन योजना में व्यक्तियों की भागीदारी में वृद्धि करना है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि जारी रही और न्यूजीलैंड (68%) में वित्त पोषित और निजी पेंशन योजनाओं का कवरेज 2017 में बंद हुआ। यूनाइटेड किंगडम में कार्य और पेंशन विभाग (डीडब्ल्यूपी) ने पाया कि अक्टूबर 2012 में स्वचालित नामांकन की शुरुआत ने पेंशन योजना में कामकाजी उम्र के वयस्कों की भागीदारी दर में सुधार किया।

स्वचालित नामांकन की सफलता इटली में अधिक सीमित थी क्योंकि कामकाजी आयु की केवल 20% आबादी 2017 में पेंशन योजना द्वारा कवर की गई थी। कुछ अन्य देशों ने भी स्वचालित नामांकन कार्यक्रम शुरू किए हैं (उदाहरण के लिए 2018 में जर्मनी ने व्यावसायिक परिभाषित अंशदान पेंशन योजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारी)।

चार्ट संख्या 1.8 पेंशन निधियों के निवेश रिटर्न की वास्तविक दरें
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में



स्रोत : ओईसीडी रिपोर्ट अक्टूबर, 2018

1.4.1 2017 में इक्विटी निवेश प्रमुख प्रदर्शक रहे हैं


अधिकांश देशों में, पेंशन निधियों की परिसंपत्तियां मुख्य रूप से बिल, बॉन्ड और इक्विटी में निवेशित थी। संपत्ति प्रबंधक इन सामग्रियों में सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करता है। 2017 में सभी देशों में, गुयाना, कोसोवो, जापान और यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर, पेंशन निधियों की संपत्तियों में बिल्स, बांड्स और इक्विटीज के निवेश का 50% तक योगदान था। हालांकि, कोसोवो और यूनाइटेड किंगडम में पेंशन निधियों ने अपने पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेशित किया (कुल निवेश का 89.4%, और 28.5%) और इन दोनों के लिए सीआईएस निवेश का लुक थू उपलब्ध नहीं है। इन दो क्षेत्रों

में पेंशन निधि के लिए बिल, बॉन्ड्स और इक्विटी के समग्र एक्सपोजर इसलिए अधिक होने की संभावना है।

इक्विटी में निवेश की गई संपत्ति के उच्चतम अनुपात वाले देश 2017 में भी रिटर्न की उच्चतम वास्तविक निवेश दरों को प्राप्त किया। ओईसीडी देशों में पेंशन निधियों में ऑस्ट्रेलिया (58.2%) ने और पोलैंड ने (85.2%) इक्विटी में सबसे अधिक निवेश किया, गैर-ओईसीडी देशों में, हांगकांग (चीन) (63%), नामीबिया (65.1%) और मॉरिशस (56.0%) ने निवेश किया।

हांगकांग, चीन में अनिवार्य भविष्य निधि, जिन्होंने 2017 में विश्वभर में, सबसे मजबूत वास्तविक नेट निवेश रिटर्न दर प्रदर्शित की, 2017 में अपनी आस्तियों का 70% इक्विटीज में निवेश किया।

चार्ट 1.9: चयनित निवेश श्रेणियों, 2017 में पेंशन परिसंपत्तियों का आवंटन



1.5 बजट 2018 में एनपीएस के लिए प्रमुख घोषणा

एक व्यक्ति जो कर्मचारी हैं और स्व नियोजित व्यक्ति के बीच समानता प्रदान करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि स्वयं-नियोजित व्यक्ति पात्र होगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में किए गए अंशदान के संबंध में अपनी सकल कुल आय के बीस प्रतिशत तक पर छूट के लिए पात्र होगा।

1.6 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा:

भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आबादी बढ़े आकार में हैं, उत्तर प्रदेश, लगभग 19.98 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और सिक्किम लगभग 6.10 लाख आबादी के साथ सबसे छोटा राज्य है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश इसे एक युवा देश बनाता है और अगले कुछ दशकों तक ऐसा रहने की उम्मीद है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 50% आबादी 25 साल से कम थी, लगभग 90% आबादी 60 साल से कम वाली थी और 2015 में कार्यरत आयु वाली जनसंख्या का अनुपात 44% था। लेकिन, प्रत्येक गुजरने वाला दिन के साथ जनसंख्या की भी उम्र बढ़ रही है।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में जन्म पर जीवन प्रत्याशा 72.0 वर्ष थी महिलाओं के लिए 74.2 वर्ष और पुरुषों के लिए 69.8 वर्ष), डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र में 61.2 साल से डब्ल्यूएचओ यूरोपीय क्षेत्र में 77.5 साल तक, जो दोनों क्षेत्रों के बीच 1.3 का अनुपात देता है। पूरी दुनिया में, महिलाएं पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। रिपोर्ट से पता चलता है, भारत की जीवन प्रत्याशा 2000 में 62.5 से बढ़कर 2016 में 68.8 भी बढ़कर हो गई।

भारत में, मूल रूप से, पेंशन ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों और कुछ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध थी। आम जनता को पेंशन के लाभ का विस्तार करने के लिए पेंशन प्रणाली की शुरुआत करने का विचार किया गया जिससे वृद्धावस्था आय सुरक्षित करने के लिए देश में पेंशन के कवरेज की सुविधा प्रदान की जा सके और प्रसारित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, 2050 तक 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति, आबादी के मौजूदा 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो जाएंगे और 80 वर्ष की आयु से अधिक वाले की व्यक्ति आबादी के मौजूदा

0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो जाएंगे।

वृद्ध व्यक्तियों और सरकारी पेंशनरों के अनुपात में वृद्धि ने राजकोष पर दबाव बढ़ा दिया है। पेंशन और वृद्धावस्था सुरक्षा पर उच्च सरकारी खर्च ने अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सामानों और सेवाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि जैसे विकास क्षेत्रों पर व्यय को भी बढ़ा दिया है। कई देशों में जिनमें ग्रीस भी शामिल है, को अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में अस्थिर पेंशन देनदारियों के प्रभाव को सहन करना पड़ा है।

अस्थायी पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं के साथ और इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह प्रारंभ में सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। नयी पेंशन योजना को, अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नाम दिया गया है जो सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 द्वारा शुरू किया गया था और इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) जो 1-1-2004 से सेवाओं में शामिल हुए थे, के लिए अनिवार्य किया गया था। मासिक अंशदान आय और महंगाई का 10% है जिसका कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाएगा और इसी के समान अंशदान सरकार द्वारा भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू में केंद्र सरकार अभिदाताओं के लिए आरम्भ किया गया था, अब इसे, पश्चिम बंगाल को छोड़कर लगभग सभी राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए विस्तारित किया गया है।

1.7 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली के परिदृश्य में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त गैर-योगदान सामाजिक पेंशन योजनाएं सम्मिलित हैं जो कि न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करती हैं जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएएसपी), अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना, जो कि कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा पेंशन योजना, जिन्होंने 2004 से पूर्व सेवाएं आरंभ की तथा कर्मचारी पेंशन निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अन्य सांविधिक भविष्य निधि जैसे कोयला खाने, सीमेंस, असम चाय रोपण आदि योजनाएं, केंद्रीय

कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से या उसके पश्चात् सेवाओं की शुरुआत की अनिवार्य रूप से हैं, उन राज्य सरकारों के कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल हो गए हैं स्वेच्छा आधार पर सभी नागरिकों के लिए एनपीएस जिसके अंतर्गत कर्मचारी तथा स्वनियोजित लोग आते हैं जिसमें असंगठित क्षेत्रों में आने वाले भी सम्मिलित हैं, जन भविष्य निधि सेवानिवृत्ति तथा वृद्धावस्था योजनाएं जो बीमा कंपनियों तथा म्यूच्युअल फंड द्वारा दी जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत तथा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में वित्तीय तनाव, पेंशन सुधार लाने हेतु प्रमुख कारण है। ईपीएफ (मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए) जैसी अनिवार्य योजनाओं के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कवरेज को बढ़ाने से व्यवहारिक तथा वित्तीय परेशानियों के कारण, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजनाओं को भारत में पेंशन प्रावधान बढ़ाने के महत्वपूर्ण योजना उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। पेंशन योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उच्चतर कवरेज प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय (कुल 47.29 करोड़ श्रमिकों के लगभग 88% में से, बिना किसी औपचारिक पेंशन प्रावधान के) एनपीएस को बढ़ाना है, जो कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, कम मूल्य तथा प्रभावपूर्ण तंत्र वाला है।

पूर्व में सरकारी क्षेत्र के लिए शुरु की गई एनपीएस योजना को नए भागों में भी बढ़ाया गया है, जैसे, स्वशासी संस्थाएं, राज्य सरकारें तथा असंगठित क्षेत्र। राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस जोशपूर्ण तरीके से अपनाया गया है। 28 राज्य सरकारों ने तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने नए कर्मचारियों

के लिए एनपीएस के अभिग्रहण को अधिसूचित किया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी वृद्धावस्था स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने सह-योगदान योजना-स्वावलंबन योजना, सितंबर 2010 में आरंभ की, बाद में, प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई तथा असंगठित क्षेत्र पर बल देते हुए योजना 1 जून 2015 से लागू हुई। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता रुपये 1000, रुपये 2000, रुपये 3000, रुपये 4000, रुपये 5000 की सरकारी आश्वस्त पेंशन जो कि उनके योगदान के स्तर पर निर्भर करेगी, प्राप्त कर पाएंगे। अटल पेंशन योजना, जो कि एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, के भीतर 31 मार्च 2018 तक, 96.06 लाख अभिदाता तथा रुपये 184,667 करोड़ का कोष आता है। एपीवाई सेवा प्रदाता के रूप में 399 बैंक पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूची वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, पेमेंट बैंकस तथा डाक विभाग द्वारा डाकघर सम्मिलित थे।

31 मार्च 2018 तक, कुल 211.78 लाख सदस्य/ अभिदाता (एपीवाई सम्मिलित) राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन करा चुके थे। एनपीएस के तहत प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली पूंजी जिसमें कोष पर मिलने वाले प्रतिदान सम्मिलित हैं, 31 मार्च 2017 के 1,74,561 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 को 2,34,579 करोड़ हो गई तथा 34.38% की बढ़त दर्ज की। 31 मार्च 2018 तक, अटल पेंशन योजना, परिभाषित लाभ पेंशन योजना जिसकी शुरुआत जून 2015 में हुई, के भीतर 96.06 लाख अभिदाता तथा रु. 3602 करोड़ रुपये का कोष था। एनपीएस के तहत अभिदाता, कोष तथा प्रबंधन के अधीन

तालिका संख्या 1.2 एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं, कोष और प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति की संख्या (31 मार्च 2018 तक के अनुसार)

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में)	एयूएम (रु.करोड़ में)
केंद्र सरकार	19.22	84954
राज्य सरकार	38.68	115679
कॉर्पोरेट	6.96	21378
असंगठित	6.91	5744
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन	43.95	3006
एपीवाई	96.06	3818
कुल योग	211.78	234579

स्रोत : एनपीएस न्यास

परिसंपत्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:-

इस अवधि के दौरान एनपीएस और एपीवाई दोनों योजनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि, इन योजनाओं के बारे में समाज के विभिन्न भागों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इन योजनाओं के लिए सरकारी समर्थन के रूप में कर लाभ और एपीवाई इन योजनाओं की अपील को बढ़ाती है लेकिन देश की विस्तृत आबादी को देखते हुए भी इन योजनाओं पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों के लिए एनपीएस को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती संभावित अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति सलाहकारों के पंजीकरण की भी अनुमति दी है जिनकी संभावी अभिदाताओं/मौजूदा को सेवानिवृत्ति योजनाओं का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने की और उन्हें वित्तीय रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है।

इसके अतिरिक्त, एनपीएस जागरूकता के प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए द्वारा प्रचार तथा विकासशील क्रियाकलापों के लिए बैंको, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नयाचार कार्यालयों आदि के अफसरो के लिए प्रशिक्षण एवं विकासशील कार्यकलाप में योगदान प्रशिक्षण देने वाली एक समर्पित अभिकरण की शुरुआत की गई हैं।

संभावित अभिदाताओं और प्रदाताओं के लिए एनपीएस की पहुंच को आसान बनाने के लिए पीएफआरडीए ने मूल्य प्रौद्योगिकी को बढ़ाया है और ईएनपीएस मोबाइल एप ई-केवाईसी आदि की शुरुआत की है। ई.एनपीएस के माध्यम से एक व्यक्ति आसानी से पंजीकरण और ऑनलाइन अंशदान कर सकता है। मौजूदा अभिदाताओं के लिए एनपीएस के लिए अंशदान सुविधा भी उपलब्ध है। ईएनपीएस एनपीएस के तहत ऑनलाइन व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टियर I के साथ-साथ टियर II खाते में प्रारंभिक और अनुवर्ती अंशदान की सुविधा प्रदान करता है।

यह सुविधा अभिदाताओं को सत्यापन के पश्चात् उनके पेंशन निधि प्रबंधक, परिसंपत्ति वर्ग, आबंटन अनुपात तथा योजना विकल्प प्रदान करता है। एनपीएस अभिदाता टियर-II खाते से निकासी अनुमति, लॉग इन परिचयपत्रों तथा उनके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी सत्यापन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में सुव्यवस्थित पेंशन प्रणाली को लाने के लिए, पीएफआरडीए विभिन्न सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों का अध्ययन कर रहा है जिसमें ऑटो-नामांकरण जिसे विभिन्न देशों द्वारा अपनाया गया है जैसे, न्यूजीलैंड तथा यूनाईटेड किंगडम। अन्य अवयवों जैसे स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा को पेंशन उत्पादों के साथ जोड़ना भी पेंशन उत्पादों को अधिक आकर्षक बना सकता है।

1.8 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना, प्राधिकरण के लक्ष्यों जैसे अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा, विनियमों, विकास तथा हितों की सुरक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (उसके सभी प्रकारों) तथा अटल पेंशन योजना के प्रचार तथा विकास तथा एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों का विनियमन तथा निरीक्षण तथा वृद्धावस्था आय सुरक्षा के संपूर्ण लक्ष्य के प्रावधान तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा में लगी है। इन क्रियाकलापों में लगे रहने के दौरान, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना तथा सर्वोत्तम वैश्विक अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है:-

- 1) आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना
- 2) सुरक्षा
- 3) प्रभावशीलता
- 4) पर्याप्तता
- 5) स्थिरता

आवृत्ति क्षेत्र बढ़ाना

आबादी के सभी क्षेत्रों में, वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 एनपीएस के विनियमन का आदेश देती है, आबादी के के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को आवृत्त करने के लिए एनपीएस के विभिन्न प्रकारों की शुरुआत की गई जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्पोरेट, सभी नागरिक, एनपीएस लाईट, अटल पेंशन योजना (एक भारत सरकार योजना, पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित एवं विनियमित)। प्राधिकरण आवृत्ति क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोक जागरूकता प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया द्वारा, प्रशिक्षण देने वाले

अभिकरण की नियुक्ति तथा बैंको, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नयाचार कार्यालयों आदि के अफसरो के लिए क्षमतोत्पादन आदि सेवानिवृत्त सलाहाकारों की नियुक्ति आदि, ई—एनपीएस के द्वारा ऑनबोर्डिंग तथा लेन—देन की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, एनपीएस के तहत अभिदाता आधार वित्तीय वर्ष 2017—18 में 154.39 लाख से बढ़कर 211.78 लाख हुआ है जो कि 37% का विकास है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने 2013 के अधिनियम के तहत विनियमों की एक व्यापक रूपरेखा को पेंशन परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि जो कि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रदान करने हेतु संचित होता है के नुकसानों को न्यून करने हेतु प्रस्तुत किया है। इन विनियमों में सभी मध्यस्थों के लिए जिनमें पेंशन निधि शामिल है की नियुक्ति के जोरदार मानदंड, विस्तृत कोर्पोरेट शासन रूपरेखा, योग्य तथा उपयुक्त प्रणाली, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं तथा दायित्व, दंड प्रणाली, संपत्तियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने हेतु सम्मिलित किया है। विनियमों का समय—समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा मज़बूत बनाया जाता है। आईटी निरीक्षण प्रणालियों को आगे मज़बूत करने के लिए, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और यह कवरेज को सुनिश्चित करेगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का यह प्रयास है कि तंत्र में प्रभावशीलता अभिदाताओं के स्वीकार्य जोखिमों पर कुल शुल्क—वापसी को बढ़ाकर लाना है। यह समय—समय पर प्रतिदानों को अनुकूल करके निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा करके किया जा सकता है। दो नए जीवन चक्र निधियों जो एलसी 25 एवं एलसी 75 हैं तथा निजी अभिदाताओं के लिए नई परिसंपत्ति वर्ग “ए” की शुरुआत इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में से है।

प्रभावशीलता श्रमिकों तथा पूंजी बाजारों की प्रभावशीलता साथ ही साथ नौकरी तथा निवेश के लिए अप्रत्यक्ष योगदानों से भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक प्रत्यक्ष योगदानों द्वारा पेंशन प्रणाली के साथ मिलकर कार्य करते हैं (अधिक कार्य जीवन तथा योगदान, पूंजी की न्यून कीमतों, या अधिक वित्तीय समावेशों द्वारा)। पीएफआरडीए एनपीएस तथा एपीवाई द्वारा अभिदाताओं के जागरुकता कार्यक्रम में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

पूंजी बाजारों के लिए, प्रभावशीलता पूंजी बाजार गहराई से

गैर— बैंकों की वित्तीय पूंजी उत्पादन निवेश के निधिकरण हेतु तथा विस्तृत पूंजी बाजार सुधारों के लाभों से संबंधित है। पीएफआरडीए इन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अनेकों अंतर्विनियामक संगठनों तथा समितियों का भाग रहा है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के जीवन चक्र के दौरान खपत को सरल करना अर्थात् संचित सेवानिवृत्ति लाभ पात्रता की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था गरीबी से सुरक्षित करती है। जबकि एनपीएस बिना किसी लाभ की गारंटी के, एक पारिभाषित योगदान योजना है तथापि एक अच्छे प्रयास के उपाय के रूप में सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त पेंशन धन विभिन्न तरीकों के माध्यम से, जिनमें 60 वर्ष की आयु के ऊपर तक एनपीएस योगदान की आयु बढ़ाना, प्रतिदानों को अनुकूल करने के लिए निवेश दिशा निर्देशों की समीक्षा, सरकार के साथ मिलकर कर छूट आदि से योगदान बढ़ाना इत्यादि सुनिश्चित करना प्राधिकरण का प्रयास है। इसी दिशा में आगे जाने पर, स्वैच्छिक क्षेत्र के तहत जैसे सर्व नागरिक मॉडल, कोर्पोरेट मॉडल में 60 वर्ष के बाद भी एनपीएस में ऑनबोर्ड की सुविधा प्रदान की गई है।

1.9 एनपीएस के तहत मध्यस्थ ईकाईयां

1.9.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मध्यस्थ तथा अन्य ईकाईयां तथा अधिनियम के तहत आने वाली पेंशन योजनाएं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक ऐसी असमूहीकृत प्रणाली के तहत कार्य करती है जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र की विशिष्ट ईकाई को दिया गया है। एनपीएस कार्य प्रणाली में सम्मिलित हैं उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, न्यासी बैंक, पेंशन निधि प्रबंधक, एनपीएस न्यास, संरक्षक तथा वार्षिक सेवा प्रदाता।

उपस्थिति अस्तित्व

उपस्थिति अस्तित्व बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि हैं जो कि पीएफआरडीए के साथ एनपीएस हेतु अभिदाताओं के पंजीकरण तथा सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता तथा एनपीएस के बीच पहला वार्तालाप बिंदु है। पंजीकृत पीओपी के पास अधिकृत शाखाएं होती हैं जिन्हें पीओपी सेवा प्रदाता का जाता

है जिनका कार्य संग्रह बिंदु तथा ग्राहकों के लिए सेवाओं को बढ़ाना है। पीओपी के कार्यों में सम्मिलित हैं: अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता योगदानों का प्रसंस्करण, व्यक्तिगत विवरण में बदलाव, निवेश योजनाओं/निधि प्रबंधक में बदलाव, एक प्रतिरूप से दूसरे प्रतिरूप में अभिदाता स्थानांतरण प्रसंस्करण, मुद्रित खाता विवरण को जारी करना, सेवानिवृत्ति पर निकासी बहिरगमन का प्रसंस्करण आदि।

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण

एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा कारवी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। उनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:-

अभिदाता रिकॉर्ड प्रशासन तथा ग्राहक सेवा कार्यों को बनाए रखना।

प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण)जारी करना, सभी प्राण) का डाटाबेस तैयार करना तथा प्रत्येक प्राण से संबंधित लेन देन की रिकॉर्डिंग।

एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। इस में सम्मिलित है प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए योगदानों का निरीक्षण तथा पेंशन निधि हेतु उसके द्वारा दिए गए निर्देश तथा संप्रेषण। समय समय पर वह प्रत्येक सदस्य को प्राण विवरण भेजते हैं।

केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना

निधि प्रबंधकों को समय से निधि स्थांतरित कराना

न्यासी बैंकों को अभिदाता खातों में निकास निधि पर छूट देने हेतु तथा वार्षिकी योजना के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता प्रदान करने हेतु निर्देश समन्वित करना

न्यासी बैंक

एनपीएस के तहत आने वाले विभिन्न मध्यस्थों के निधि प्रवाह को न्यासी बैंक द्वारा संभाला जाता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड वह चयनित बैंक है, जो अभिदाताओं, निधि प्रबंधकों तथा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के लिए निधि स्थानांतरण की सुविधा जो कि सीआरए के माध्यम से अभिदाताओं द्वारा दिए गए निर्देशों पर आधारित हैं उपलब्ध कराता है। न्यासी बैंक नयाचार कार्यालयों/ पीओपी/ एग्रीगेटरों द्वारा निधि

प्राप्त करता है तथा उससे अभिदाता योगदान फाइल के साथ जोड़ देता है। न्यासी बैंक निधियों को एनपीएस न्यास के रूप में रखता है तथा अभिदाता उसके लाभान्वित मालिक बनते हैं।

पेंशन निधियाँ

1. यह पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधियां हैं जिन्हें न्यायसंगत तथा विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने के लिए पेंशन कोष को प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में रखने और प्रबंधन हेतु नियुक्त किया गया है। मौजूदा समय में सर्व नागरिक मॉडल के लिए पेंशन निधि प्रबंधक हैं: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन निधि, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट को लिमिटेड तथा अद्वितीय बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। उनके कार्य हैं:

सीआरए द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर योगदानों को निवेश करना

योजना पोर्टफोलियो का निर्माण

पुस्तिका तथा अभिलेख का रखरखाव प्राधिकरणों को रिपोर्ट करना तथा खुलासे करना

प्रतिभूतियों के संरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कोष द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतिया, प्रतिभूतियों के संरक्षकों द्वारा संचालित की जाती है जोकि प्रतिभूतियों के लेन-देन तथा प्रतिभूतियों के वितरण की स्वीकार्यता की सुविधा भी प्रदान करती है। पीएफआरडीए ने स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को संरक्षक नियुक्त किया है। उसके कार्य इस प्रकार हैं:

एनपीएस न्यास के नाम पर प्रतिभूतियों की सुरक्षा आयोजित करना जिसे एनपीएस कोष द्वारा खरीदा गया

आयोजित प्रतिभूतियों के विवरण का रखरखाव

- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस इत्यादि जैसे लाभ एकत्र करना।
- आयोजित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के कार्यों के बारे में जानकारी देना जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास एक ऐसा न्यास है जो भारतीय न्यास अधिनियम के तहत गठित हुआ है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की परिसंपत्ति धारण करता है। इस न्यास का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, निधियों की देखभाल करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना। एनपीएस न्यास पेंशन निधि प्रबंधकों के कामकाज की निगरानी और निरीक्षण करता है और अन्य मध्यस्थों जैसे केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, संरक्षक और अन्य संस्थाओं के साथ संपर्क करता है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं, जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अभिदाताओं को उनके द्वारा दी गई वार्षिकियों के समूह से वार्षिकी प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में पाँच एएसपी की सूची बनायी गयी है जो —भारतीय जीवन बीमा निगम, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार यूनियन दाई— इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैं।

1.9.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं—

1. टियर-1 खाता: टियर-1 खाता के तहत अभिदाता अपनी बचत को आंशिक निकासी खाते के रूप में सेवानिवृत्ति/ पेंशन निकासी खाते में योगदान के लिए देता है। कुछ शर्तों पर समयपूर्व निकासी की अनुमति है।
2. टियर -2 खाता: यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। जहां अभिदाता, जब वह चाहे तो इस खाते में की बचत और योगदान को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है।

एनपीएस के तहत आने वाली उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को भी प्रशासित और नियंत्रित करता है।

- एनपीएस के तहत आने वाली उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना को प्रशासित और विनियमित करता है।

तालिका: 1.3 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन के मुख्या बिंदु

गणना	2016-17	2017-18	वृद्धि (%)
सरकारी अभिदाता	5121225	5789217	13.04
सर्व नागरिक + कॉर्पोरेट अभिदाता	1024747	1387401	35.39
एपीवाई अभिदाता	4863699	9605713	97.50
पीओपी-एसपीस की संख्या	69005	79640	15.41
एपीवाई-एसपीस की संख्या	397	399	0.05
सीएबीज़ की संख्या	528	545	3.21
एसएबीज़ की संख्या	806	1078	33.74
कोर्पोरेट्स की संख्या	3429	4559	32.95
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	23923	65520	173.88

- सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2017 के अंत में 51.21 लाख से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 57.89 लाख अभिदाता हो गई, 6.68 लाख (13.04%) की वृद्धि दर्ज की।
- निजी क्षेत्र के तहत, कॉर्पोरेट क्षेत्र अभिदाताओं की संख्या 5.86 लाख से बढ़कर 6.96 लाख हो गई, जो कि 1.10 लाख (18.77%) अभिदाताओं की वृद्धि है। असंगठित क्षेत्र/सर्व नागरिक मॉडल के तहत अभिदाता 4.37 लाख से बढ़कर मार्च 2018 में 6.92 लाख हो गई, जो कि 2.55 लाख (58.35%) अभिदाताओं की वृद्धि है।
- एपीवाई अभिदाताओं की संख्या मार्च 2017 के अंत में लगभग 48.63 लाख अभिदाताओं से लगभग दुगुनी होकर मार्च 2018 के अंत में 96.06 लाख हो गई है। प्रतिशत के हिसाब से इसने 97.53% की वृद्धि की है।
- पीओपी-एसपीस की संख्या मार्च 2017 के अंत की 69005 मार्च 2018 में 79640 हो गई है।
- एपीवाई के लिए सेवा प्रदाताओं की संख्या मार्च 2017 की 397 की संख्या से आंशिक रूप से बढ़कर मार्च, 2018 में 399 हो गई है, .05 % की वृद्धि दर्ज की है।
- केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जिनमें सीएबी और एसएबी और राज्य सरकारें सम्मिलित हैं, जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत शामिल किये गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ सीएबीज़ और एसएबीज़ हैं जो एनपीएस के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस वर्ष 17 नए सीएबीज़ और एसएबीज़ को एनपीएस के तहत लाया गया है जिससे सीएबीज़ और एसएबीज़ की कुल संख्या 545 और 1078, क्रमशः हो गई है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस की सुविधा प्रदान करता है। मार्च 2017 के अंत के 3429 कोर्पोरेट्स की तुलना में कुल 4559 कोर्पोरेट्स एनपीएस के तहत पंजीकृत हुए हैं।
- सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति योजना के लिए बचत की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पीएफआरडीए ने पीएफआरडीए द्वारा चुनी गई प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने सहित विभिन्न गतिविधियां की हैं। ये प्रशिक्षण एजेंसियां केंद्रीय और राज्य सरकार, वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) – नोडल अधिकारियों, आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ), उपस्थिति अस्तित्व/बैंक/डाकघर संकलनकर्ता इत्यादि को एनपीएस/एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, प्रक्रिया में शामिल होने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यशालाएं/शिविर सभी क्षेत्रों और स्थानों के अभिदाताओं के लिए व्यापक वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण नीति के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कुल 1688 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए और 65520 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय एनपीएस तथा एनपीएस अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश पर चर्चा करता है तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में विभिन्न निवेश श्रेणियों में जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण प्रतिभूतियां तथा इक्विटीज़ शामिल हैं, पर एक्सपोज़र की सीमा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न, विवरणी) नियम, 2015 के परिशिष्ट II के अनुसार है।

2.1 पेंशन निधियां (पीएफ्स)

एनपीएस तथा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित अन्य किसी योजनाओं के तहत आस्तियों का प्रबंधन, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में शामिल है :

- क. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तथा अभिदाताओं के हित में, निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का व्यावसायिक निवेश।
- ख. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण।
- ग. अपनी संक्रियाओं की पुस्तकों और अभिलेखों का प्रबंधन।
- घ. प्राधिकरण तथा एनपीएसटी को नियत समय के अंतराल पर रिपोर्टिंग।
- ड. लोक प्रकटीकरण

2.1.2 सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (अर्थात् सीजी और एसजी), तथा एपीवाई के लिए पेंशन निधियों (पीएफ्स) की सूची।

- i) एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड
- ii) एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
- iii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले निवेश प्रबंधन शुल्क, प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.0102 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

2.1.3 निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ्स) की सूची

- i) एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कं. लिमिटेड
- ii) आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फण्ड मैनेजमेंट कं. लिमिटेड
- iii) कोटेक महिंद्रा पेंशन फण्ड लिमिटेड
- iv) एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड
- v) रिलायंस कैपिटल पेंशन फण्ड लिमिटेड
- vi) एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- viii) आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड

पेंशन निधियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र पोर्टफोलियो के लिए प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क, प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का 0.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

2.2 योजनाएं

पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाली निम्नलिखित योजनाएं वर्तमान में क्रियाशील हैं :

- (क) केंद्र सरकार कर्मचारियों तथा केंद्र स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू योजना सीजी योजना कहलाती है— जिसमें आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में एक्सपोज़र 15% है, आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड) के लिए 45% तथा आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियों) के लिए 50% है। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास आस्ति आबंटन और पेंशन निधियों का विकल्प नहीं है। प्रबंधन के अधीन

परिसंपत्तियां, पूर्व वर्ष रिटर्न्स के अनुसार प्राधिकरण के निदेशों के तहत तीन पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड में वितरित है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड में 35.00:33.50:31.50 के अनुपात में आबंटित है।

(ख) **राज्य सरकार कर्मचारियों तथा राज्य स्वायत्त निकाय कर्मचारियों के लिए लागू योजनाओं को एसजी योजना कहा जाता है** — यह भी सीजी योजना के समान निवेश प्रारूप तथा पेंशन निधियों का अनुसरण करती है। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास आस्ति आबंटन या पेंशन निधियों का विकल्प नहीं होता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड में 35.00:33.50:31.50 के अनुपात में आबंटित है।

(ग) **व्यक्तिगत अभिदाताओं तथा कॉर्पोरेट्स के लिए लागू योजनाएं:**

निम्नलिखित योजनाएं व्यक्तिगत अभिदाताओं तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के अभिदाताओं पर लागू हैं :-

1. **एनपीएस- लाइट योजना** — यह सीजी योजना के समान निवेश प्रारूप का अनुसरण करती है। जबकि, संकलनकर्ता 8 पेंशन निधियों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
2. **एपीवाई योजना** : यह सीजी योजना के समान निवेश प्रारूप तथा पेंशन निधियों का अनुसरण करती है। प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां तीन पेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड के बीच वितरित है।
3. **कॉर्पोरेट सीजी योजना** — यह सीजी योजना के समान निवेश प्रारूप तथा पेंशन निधियों का अनुसरण करती है। जबकि, नियोक्ता/कर्मचारी तीन

सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों (अर्थात् एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड) में से एक पेंशन निधि का चयन कर सकता है। यह योजना नए कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई है।

4. **टियर I और टियर II के लिए ई-सी-जी-ए प्रारूप** — आस्तियां, इक्विटी, कॉर्पोरेट बांड्स, सरकारी प्रतिभूतियों तथा, वैकल्पिक निवेश निधि, सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम 2012 के तहत परिभाषित सेबी नियंत्रित वैकल्पिक निवेश निधि एआईएफ (श्रेणी I और श्रेणी II में केवल) में निवेशित हैं।

योजना के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

तालिका संख्या 2.1 : प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

(राशि रु.करोड़ में)

योजना	मार्च -17	मार्च -18	% वृद्धि
सीजी	67040	84955	
एसजी	85172	115989	
उपकुल	152212	200944	32.02%
कॉर्पोरेट सीजी	10754	14846	
ई-I	2539	4308	
सी-I	1685	2847	
जी-I	2507	4243	
ए-I	1	7	
ई-II	126	218	
सी-II	101	162	
जी-II	112	181	
एनपीएस लाइट	2639	3006	
एपीवाई	1885	3818	
उप कुल	22349	33635	50.50%
कुल योग	174561	234579	34.38%

स्रोत : एनपीएस न्यास

मार्च 2018 के लिए नोट:

1. दामोदर घाटी निगम 30 9.94 करोड़ एसजी के तहत दिखाया गया है
2. कॉर्पोरेट सीएस में दामोदर घाटी निगम के एयूएम शामिल नहीं हैं

उपरोक्त तालिका यह अंकित करती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के

अधीन परिसंपत्ति 32% से बढ़ी है, जबकि इन दो योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 50% से बढ़ी है। हालांकि, सम्पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र योजनाएं रु.48,731 करोड़ से बढ़ी है जबकि अन्य योजनाएं सम्पूर्ण रूप से रु.11,287 करोड़ तक बढ़ी है।

जैसा कि ऊपर वर्णित है, विभिन्न योजनाएं विभिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, सम्बंधित पेंशन निधियों के तहत प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

तालिका संख्या 2.2 : मार्च 2018 तक के अनुसार पेंशन निधि अनुसार और योजना-अनुसार पेंशन के अधीन परिसंपत्ति

(रु.करोड़ में)

पेंशन निधि योजनाएं	एसबीआई	एलआईसी	यूटीआई	आईसी आईसीआई	रिलायंस	कोटेक	एचडी एफसी	बिरला	कुल
सीजी	30222.90	26379.37	28352.47						84954.74
एसजी	39482.12	38095.12	38411.37						115988.61
कॉर्पोरेट-सीजी	12260.16	2586.14							14846.30
ए-I	1.63	039	0.38	1.36	0.08	0.55	2.03	0.11	6.53
ई -I	1578.49	355.58	225.39	885.47	78.25	175.26	998.13	11.64	4308.21
सी-I	1077.81	231.72	139.80	579.58	52.61	121.28	636.99	6.76	2846.55
जी-I	1912.47	342.59	209.06	696.74	79.45	154.08	841.21	7.49	4243.09
ई-II	72.19	8.98	15.34	61.03	9.42	16.14	33.11	1.58	217.79
सी-II	54.06	6.51	9.87	50.40	4.79	10.02	25.59	0.92	162.16
जी -II	67.07	8.77	11.81	50.91	6.40	12.30	23.28	0.93	181.47
एनपीएस / स्वावलम्बन	1252.15	859.27	847.85			46.55			3005.82
एपीवाई	1302.10	1255.84	1259.93						3817.87
कुल	89283.15	70130.28	69483.28	2325.49	231.00	536.18	2560.34	29.43	234579.14

स्रोत; एनपीएस न्यास

2.3 पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित विभिन्न योजनाओं का विभिन्न निवेश श्रेणियों में एक्सपोजर

क. पीएफआरडीए के सीजी, एसजी, कॉर्पोरेट सीजी

तथा एनपीएस लाइट और विभिन्न निवेश उपकरणों में एपीवाई योजना के तहत पोर्टफोलियो के सन्दर्भ में, अधिकतम निर्धारित एक्सपोजर निम्न तालिका में प्रदान किये गए हैं :-

वर्ग	आस्ति वर्ग / उपकरण	अधिकतम एक्सपोजर
i	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सम्बंधित निवेश राज्य विकास ऋणों सहित	50%
ii	ऋण उपकरण और सम्बंधित निवेश	45%
iii	लघुकालिक ऋण उपकरण सम्बंधित निवेश	5%
iv	इक्विटीज़ और सम्बंधित निवेश	15%
v	आस्ति समर्थित, संरचित न्यास और विविध निवेश	5%

ख. अभिदाता जो सरकारी क्षेत्र योजनाओं (सीजी और एसजी) को छोड़कर अन्य योजनाओं का चयन करते हैं जैसे एनपीएस लाइट, कॉर्पोरेट सीजी तथा एपीवाई, अपनी आस्तियों को आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), सी (कॉर्पोरेट ऋण) तथा आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियाँ) में आबंटित कर सकते हैं। जबकि आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), और आस्ति वर्ग ए के लिए आबंटन प्रतिबंधित है। आस्ति वर्ग ई (इक्विटी), तथा आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियाँ) के लिए सीमा

50 प्रतिशत, तथा 5% क्रमशः है। अभिदाता सम्पूर्ण संपत्ति को, आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट ऋण) और आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियाँ) में भी आबंटित कर सकते हैं। टियर II खातों के मामले में, आस्ति वर्ग ए में कोई निवेश अनुज्ञप्त नहीं है, अन्य विवेकपूर्ण सीमाएं समान रहेंगी।

31 मार्च, 2018 तक के अनुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का मार्च, 2017 की तुलना के साथ आस्ति वर्गवार द्विविभाजन निम्नानुसार है :

तालिका संख्या 2.3 : प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का आस्ति वर्गानुसार द्विशाखन

आस्ति वर्ग	31-मार्च-17		31-मार्च-18	
	राशि (रु. करोड़)	निवेश %	राशि (रु. करोड़)	निवेश %
जी-सेक	83674	47.93%	113230	48.27%
कॉर्पोरेट बांड	61470	35.21%	80572	34.35%
इक्विटी	23557	13.49%	32703	13.94%
मुद्रा बाज़ार	2014	1.15%	2760	1.18%
नकद और कुल मौजूदा आस्ति	3846	2.20%	5,314	2.26%
कुल	174561		234579	



स्रोत: एनपीएस ट्रस्ट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार।

उपरोक्त तालिका और चित्र, आस्ति वर्ग सी से आस्ति वर्ग जी और ई में आस्ति आबंटन के स्थानान्तरण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आस्ति वर्ग जी के 47.93% के एक्सपोजर से बढ़कर 31 मार्च 2018 के अनुसार 48.27% हो गया। वित्त

वर्ष 2016-17 के अंत के 13.49% से बढ़कर, 31 मार्च 2018 तक के अनुसार आस्ति वर्ग ई में एक्सपोजर 13.94% हो गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रतिशत एक्सपोजर मार्च 2017 के अंत के 47.93% से बढ़कर मार्च 2018 तक के अनुसार 48.27% हो गया। 31 मार्च 2018 के अंत तक परिसंपत्ति वर्ग जी में 48.27% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष

2016-17 के अंत में 47.93% थी इसके अलावा, मुद्रा बाजार

और अन्य संपत्ति के प्रतिशत एक्सपोजर ने मामूली गति को दिखाया है।



2.4 पेंशन निधियों से सम्बंधित विनियम, अधिसूचना, प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों का प्रचालन

1. म्यूच्युअल फंड्स योजनाओं में निवेश के सन्दर्भ में सभी पेंशन निधियों तथा अभिरक्षकों की परामर्शिका पर स्पष्टीकरण

बेहतर नकद प्रवाह प्रबंधन के लिए, पेंशन निधियों को निवेशों को भौतिक प्रपत्र में अर्थसुलभ म्यूच्युअल फंड्स योजना में रखने की अनुमति है, अन्य म्यूच्युअल फंड्स के मामले में अन्य डीमेट फॉर्म में जो कि निवेश दिशानिर्देशों में निर्धारित मुद्रा बाजार उपकरण की सम्पूर्ण सीमा के अधीन होगा। यह मौजूदा अर्थसुलभ म्यूच्युअल फंड्स के साथ ही साथ वृद्धिशील निवेशों में भी लागू है।

2. एनपीएस योजनाओं (सरकारी क्षेत्र (सीजी और एसजी), कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अतिरिक्त) के लिए 08.05.2017 से निवेश दिशानिर्देश

इस परिपत्र में कुछ स्पष्टीकरण तथा अनुवर्ती वित्त वर्ष के संशोधन हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह परिपत्र निम्नलिखित लिंक पर जाकर देखा जा सकता है

<https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshhtml?ID=1159>.

सम्बंधित परिपत्र :

एनपीएस योजनाओं के लिए 04.05.2017 (08/05/2017 से प्रभावी) के निवेश दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण [सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त (सीजी और एसजी), कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई]

3. पीएफआरडीए ने पेंशन निधियों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर दिशानिर्देश जारी किये। यह दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत पेंशन निधि द्वारा की जाने वाली प्रमुख तथा गैर-प्रमुख (पेंशन निधि विनियमों के विनियम 12 (I) के तहत वर्णित) गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया।

भाग – III

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्ति तथा कार्य, जो कि इस तंत्र तथा योजनाओं में अभिदाताओं के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में हैं पर चर्चा करता है।

प्राधिकरण के कार्य

3.1 मध्यस्थों का पंजीकरण तथा ऐसे पंजीकरण का स्थगन, निरसन आदि तथा मध्यस्थ ईकाईयां जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजनाओं के साथ संलग्न हो, की गतिविधियों का नियंत्रण

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 में प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य निहित हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के नियंत्रण, प्रचार तथा क्रमिक विकास से तथा जो ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा से सम्बंधित है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अन्य कोई पेंशन योजना किसी अन्य अधिनियमन द्वारा नियंत्रित नहीं होती, पीएफआरडीए द्वारा बड़ी संख्या में ईकाईयों जैसे केंद्र और राज्य सरकार में वेतन और लेखा कार्यालय/राजकोषीय कार्यालय द्वारा परिचालित होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस कैन में आवधिक अंशदानों के अपलोड हेतु उत्तरदायी होते हैं, उपस्थिति अस्तित्व जो कि बैंक, गैर-बैंकीय वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्तीय संस्थान आदि हैं, कोर्पोरेट्स, निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए पंजीकरण तथा एनपीएस अंशदाय अपलोड में सहायता करते हैं, संकलनकर्ता विशेषरूप से अनौपचारिक क्षेत्र के संभावी अभिदाताओं तक पहुँचने में सहायता करती है, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते जिसे प्राण कहा जाता है अभिलेखपालन के लिए उत्तरदायी है तथा एनपीएस संरचना के लिए संयोजक के रूप में कार्य करता है, न्यासी बैंक निधियों के दैनिक प्रवाह तथा बैंकिंग सुविधाओं के लिए उत्तरदायी है, पेंशन निधियां (पीएफएस) पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस के तहत आने वाले अभिदाताओं की पेंशन संपत्तियों को निवेशित तथा प्रबंधित करने के लिए उत्तरदायी है तथा पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता, अभिदाता

को मासिक वार्षिकी पेंशन प्रदान करता है।

सीआरए के अनुसार, 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार 4,704 वेतन और लेखा कार्यालय हैं तथा 433 खजाना और लेखा कार्यालय निदेशालय हैं (डीटीए), 70 पीओपीस, 52 संकलनकर्ता, दो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, 1 न्यासी बैंक, 8 पेंशन निधियां और 5 वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

वित्त वर्ष 17-18 में पीओपी विनियम 2015 एवं उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित पीओपी/पीओपी-एसई/ पीओपी – कॉर्पोरेट को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गए।

- (i) पीओपीज़ – 5
- (i) पीओपी-एसई – 4
- (i) पीओपी – कॉर्पोरेट – 1

वित्त वर्ष 17-18 के दौरान, पीएफआरडीए (संकलनकर्ता) विनियमों 2015 के अनुसार, संकलनकर्ताओं के पुनःपंजीकरण हेतु 10 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गए।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, 32 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार तथा व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकारों से भिन्न, एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत 4 विपंजीकरण भी हुए।

पीएफआरडीए ने एनएसडीएल-सीआरए को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 30 नवम्बर, 2018 के लिए विस्तारण जारी किया है।

11 संकलनकर्ताओं के लिए वि-पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ की गई है जिनमें कुछ ने पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या विपंजीकरण के लिए आवेदन किया है। तथा 3 संकलनकर्ताओं के लिए विपंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

3.2 योजनाओं, उनकी नियम और शर्तों का अनुमोदन, जिनमें पेंशन निधियों के कोष के प्रबंधन के सम्बन्ध में नियम है तथा ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देश हैं।

वर्तमान में, पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निम्नलिखित योजना(एँ) क्रियाशील हैं :

केंद्र सरकार कर्मचारियों और केंद्र स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू योजनाओं – सीजी योजना कहा जाता है – जिसमें, अधिकतम अनुज्ञप्त एक्सपोजर आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में 15% है, आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड) में 45% तथा आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियों) में 50%। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास आस्ति आबंटन या पेंशन निधि का विकल्प नहीं है। प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति तीन पेंशन निधियों में अर्थात् एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड में वितरित है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड तथा एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड में 35.00:33.50:31.50 के अनुपात में आबंटित है।

राज्य सरकार कर्मचारियों तथा राज्य स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू योजनाओं – को एसजी योजना कहा जाता है – यह सीजी योजना के सामान निवेश प्रारूप तथा पेंशन निधियों का अनुसरण करती है। व्यक्तिगत अभिदाताओं के पास आस्ति आबंटन या पेंशन निधियों का विकल्प नहीं होता। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड्स लिमिटेड में 35.00:33.50:31.50 के अनुपात में आबंटित है।

व्यक्तिगत अभिदाताओं तथा कॉर्पोरेट्स के लिए लागू योजनाएं :-

व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू हैं :-

- i) एनपीएस- लाइट योजना- यह सीजी योजना के समान आस्ति आबंटन प्रारूप का अनुसरण करती है। जबकि, संकलनकर्ता 8 पेंशन निधियों में से किसी एक पेंशन निधि का चयन कर सकते हैं।
- ii) कॉर्पोरेट सीजी योजना – यह सीजी योजना के समान आस्ति आबंटन का अनुसरण करती है। जबकि, नियोक्ता/कर्मचारी, तीन सार्वजनिक पेंशन निधियों (अर्थात् एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड) में से किसी एक पेंशन निधि का चयन कर सकता है। यह योजना किसी भी नए कर्मचारी के लिए बंद हो गई है।

- iii) टियर I और टियर II के लिए ई-सी-जी-ए प्रारूप-आस्तियां इक्विटी कॉर्पोरेट बांड्स, सरकारी प्रतिभूतियों तथा वैकल्पिक निवेश निधियों, सेबी नियंत्रित वैकल्पिक निवेश निधियों, एआईएफ (श्रेणी I और श्रेणी II) में सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत निर्धारित है, में निवेशित होंगी।
- iv) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अधिर्वर्षिता निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में राशि का हस्तांतरण। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अधिर्वर्षिता निधि से एनपीएस को स्थानांतरित राशि को वर्तमान वर्ष की आय के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए कर योग्य नहीं होती है। इसके अलावा, हस्तांतरित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अधिर्वर्षिता निधि को कर्मचारी/नियोक्ता द्वारा चालू वर्ष के अंशदान के रूप में नहीं माना जाएगा और तदनुसार अभिदाता अपनी हस्तांतरित राशि के लिए योगदान का आयकर दावा नहीं करेगा।
- v) परिपत्र सं पीएफआरडीए/2017/18/पीएफ/2 दिनांकित 04.05.2017 के माध्यम से निवेश दिशानिर्देशों में संशोधन।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का विकास

3.3.1 पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत निम्नलिखित प्रत्याहरण श्रेणियां अनुज्ञप्त हैं :

- सामान्य अधिर्वर्षिता पर अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40%, अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी की खरीद में उपयोजित किया जाना चाहिए तथा शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त रूप से वापस कर दी जानी चाहिए।
- मृत्यु होने पर – अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80% अभिदाता के साथी को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोजित किया जाना चाहिए तथा शेष राशि नामिती को विधिक वारिस को एकमुश्त राशि के रूप में वापस दी जानी चाहिए।

- समय से पूर्व निकासी – अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम 80% अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोजित किया जाना चाहिए तथा शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त के रूप में प्रदान की जानी चाहिए।

एनपीएस से निकास के लिए, अभिदाता वर्गीकृत और परिभाषित है : (1) सरकारी क्षेत्र, (2) सर्वनागरिक कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित तथा (3) एनपीएस लाइट-स्वावलंबन अभिदाता। निर्धारित निकास विनियम, उस श्रेणी के अनुसार लागू होंगे जिससे अभिदाता सम्बंधित है।

तालिका संख्या 3.1: 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार, रिपोर्ट किये गए, स्वीकृत किये गए और निपटाए गए प्रत्याहरण मामलों की संख्या

क्र.सं.	क्षेत्र	ऑनलाइन प्रत्याहरण			भौतिक प्रत्याहरण		
		रिपोर्ट किये गए	स्वीकृत \$	निपटाए गए	रिपोर्ट किये गए	स्वीकृत***	निपटाए गए
1	केंद्र सरकार	3,497	3,412	3,351	—	83	83
2	राज्य सरकार	10,803	10,237	11,073	—	119	119
3	असंगठित क्षेत्र	2,603	2,349	2,224	—	7	7
4	कॉर्पोरेट	1,041	1,031	919	—	11	11
5	एनपीएस लाइट	16,593	16,805	16,680	—	120	120
	कुल	34,537	33,834	34,247	—	340	340

टिप्पणी:

* ऑनलाइन प्रत्याहरण: रिपोर्टेड से तात्पर्य ऐसे मामलों से है जो नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत हैं तथा नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत होने के लिए लंबित है।

\$ ऑनलाइन प्रत्याहरण : स्वीकृत से तात्पर्य ऐसे मामलों से हैं जिनमें नोडल कार्यालय द्वारा प्रत्याहरण अनुरोध को सीआरए प्रणाली में अधिकृत किया गया है।

भौतिक प्रत्याहरण : रिपोर्टेड से तात्पर्य ऐसे मामलों से है, जिनमें नोडल कार्यालय/अभिदाता से 30 अप्रैल, 2016 तक सीआरए को भौतिक प्रत्याहरण अनुरोध प्राप्त हुआ है।

*** भौतिक प्रत्याहरण: स्वीकृत से तात्पर्य ऐसे मामलों से हैं, जो सीआरए में स्थगित हैं तथा जिनके लिए नोडल कार्यालय/अभिदाता से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।

^ कुछ मामले पिछले वर्षों के स्वीकार्य मामलों से संबंधित हैं।

तालिका 3.2: 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 तक के अनुसार लंबित प्रत्याहरण दावे

(वास्तविक)

क्र.सं.	क्षेत्र	लंबित भौतिक प्रत्याहरण		लंबित ऑनलाइन प्रत्याहरण	
		31 मार्च 2017 तक के अनुसार	31 मार्च 2018 तक के अनुसार	31 मार्च 2017 तक के अनुसार	31 मार्च 2018 तक के अनुसार
1	केंद्र सरकार	884	—	464	464
2	राज्य सरकार	867	—	1,143	1,605
3	असंगठित क्षेत्र	81	66	214	423
4	कॉर्पोरेट क्षेत्र	36	18	77	70
5	एनपीएस लाइट	726	394	367	122
	कुल	2,594	478	2,265	2,684

टिप्पणी:

भौतिक प्रत्याहरण: वर्ष के अंत में लंबित प्रत्याहरण दावे वो मामले हैं जिनमें अभिदाता/नोडल कार्यालय सीआरए प्रणाली में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना शेष है।

ऑनलाइन प्रत्याहरण : वर्ष के अंत में लंबित प्रत्याहरण दावे वो मामले हैं जिनमें नोडल कार्यालय द्वारा प्रत्याहरण अनुरोध को सीआरए प्रणाली में अधिकृत किया जाना शेष है।

यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में प्रत्याहरण आवेदन प्रसंस्करण दस्तावेजों के न होने/ अभिदाता द्वारा नोडल कार्यालयों को अपर्याप्त दस्तावेज़ जमा करने के कारण लंबित है।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक प्रत्याहरण

एनपीएस अभिदाता आंशिक प्रत्याहरण कर सकते हैं, अभिदाता द्वारा उच्च शिक्षा तथा बच्चे के विवाह, घर की खरीद/निर्माण तथा विनिर्दिष्ट बीमारी के इलाज़ पर किये गए अंशदान 25% से अधिक नहीं होने चाहिए, एनपीएस में शामिल होने से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर। अभिदाता को पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के तहत आंशिक प्रत्याहरण करने के लिए, प्रणाली में शामिल होने की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रहने की आवश्यकता होगी।

तालिका 3.3 : 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार, रिपोर्ट किये गए, स्वीकृत किये गए और निपटाए गए प्रत्याहरण मामलों की संख्या

(वास्तविक)

आंशिक प्रत्याहरण				
क्र.सं.	क्षेत्र	रिपोर्ट किये गए*		निपटाए गए **
		नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किये गए #	नोडल कार्यालय द्वारा अनुमोदित	
1	केंद्र सरकार	3,037	1,984	1,978
2	राज्य सरकार	2,591	1,481	1,473
3	असंगठित क्षेत्र	49	8	7
4	कॉर्पोरेट क्षेत्र	396	81	77
	कुल	6,073	3,554	3,535

टिप्पणी :

* रिपोर्टेड मामलों में नोडल कार्यालयों द्वारा अधिकृत तथा नोडल कार्यालयों के लिए द्वारा अधिकृत होने के लिए लंबित मामले शेष हैं।

** निपटाए गए मामले वो मामले हैं जिसमें अभिदाता के बैंक खाते में निधि स्थानांतरित की गयी है।

अभिदाताओं द्वारा शुरू किये गए मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किये गए मामलों को भी जोड़ा गया है।

3.4 वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) तथा अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्षिकी योजनाओं का विवरण

वार्षिकी, जमा की गई एकमुश्त राशि के लिए मासिक पेंशन

का भुगतान करती है। अभिदाता को अनिवार्य रूप से एनपीएस के नियमों के अनुसार पीएफआरडीए के सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी खरीदनी होती है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित बीमा कंपनियां हैं जो भारत में वार्षिकी व्यापार को प्रसारित करती हैं तथा पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने/सेवा प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए में सूचीबद्ध हैं।

एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने वाले 5 वार्षिकी सेवा प्रदाता निम्नलिखित हैं :

- क) भारतीय जीवन बीमा निगम
- ख) एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- ग) आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, अभिदाता के पास वार्षिकी तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता के चयन का विकल्प है।
- घ) एचडीएसी स्टैण्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड अभिदाता के पास सम्बंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली उपलब्ध वार्षिकियों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार वार्षिकी प्रकार/योजना को चयन करने का विकल्प है।
- ड) स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड

तालिका 3.4: 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के अनुसार प्रसंस्कृत ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध।

क्र. सं.	वार्षिकी सेवा प्रदाता/वार्षिकी योजना	मामलों की संख्या	स्थानांतरित राशि (रुपयों में)
एचडीएसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी	221	195,617,940.32
2	जीवन भर के लिए वार्षिकी	112	21,053,869.30
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 100% वार्षिक सन्देश, वार्षिकी की खरीद पर वापसी के साथ	103	54,099,743.25
4	संयुक्त जीवन वार्षिकी 100% वार्षिकी द्वितीय वार्षिकीकर्ता को	85	22,267,983.64
	उप-कुल	521	293,039,536.51
भारतीय जीवन बीमा निगम			
1	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न के साथ 100% वार्षिकी देय	506	181,952,150.84
2	मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी	455	170,537,176.23
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को 100% वार्षिकी देय	679	173,252,617.68
4	जीवन भर के लिए वार्षिकी	539	145,550,646.10
	उप-कुल	2,179	671,292,590.85
एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी देय	66	28,121,890.00
2	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी देय	75	24,645,891.00
3	जीवन भर के लिए वार्षिकी	72	21,122,596.00
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी की खरीद पर, जीवनसाथी को रिटर्न के साथ जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	40	16,361,881.00
5	एनपीएस – कुटुंब आय विकल्प	4	1,884,501.00
	उप-कुल	257	92,136,759.00
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड			
1	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर, क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	9	3,904,570.20

2	जीवनभर के लिए वार्षिकी	10	2,578,814.06
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी की खरीद पर, जीवनसाथी को रिटर्न के साथ जीवनभर के लिए देय 100% वार्षिकी	1	450,446.24
4	एनपीएस – कुटुंब आय	1	236,145.37
5	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी देय	6	1,502,429.74
6	5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि के लिए तथा उसके बाद के जीवन लिए गारंटीड वार्षिकी	—	—
7	गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता या मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के साथ आजीवन वार्षिकी	—	—
8	शेष खरीद मूल्य की वापसी के साथ आजीवन वार्षिकी	—	—
9	क्रय मूल्य की भागों में वापसी के साथ जीवनभर के लिए वार्षिकी	—	—
	उप-कुल	27	8,672,405.61
	कुल योग	3,296	1,192,679,936.63

3.4.1 वार्षिकी की खरीद में चुनौतियाँ जिनका सामना किया गया

- वार्षिकी सेवाप्रदाताओं के पास अभिदाताओं के सही सम्पर्क विवरण की गैर-उपलब्धता।
- अभिदाताओं में वार्षिकी उत्पाद के सम्बंध में, वित्तीय जागरूकता और साक्षरता की कमी होना।

प्राधिकरण सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं तथा उनके नियामक अर्थात् आईआरडीए के साथ निरंतर ही, वार्षिकी की खरीद के समय अभिदाताओं को सुविधा प्रदान करने, अभिदाताओं के बीच वार्षिकी उत्पादों पर जागरूकता निर्माण करने सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करता है तथा साथ ही एक ऑनलाइन मंच लाने पर चर्चा करता है जिससे वार्षिकी खरीद को पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया बनाया जा सके।

3.5 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई गतिविधियाँ।

पीएफआरडीए का एक प्रमुख लक्ष्य अभिदाताओं के हितों की रक्षा है तथा इस प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए बहु-आयामी गतिविधियों में संलग्न है।

अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किये गए उपाय:

- न्यासी बैंक नोडल कार्यालय से पेंशन निधि प्रबंधकों में निधि स्थानान्तरण की सुविधा हेतु नियुक्त किये गए हैं। अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में निम्नलिखित सुधार किये गए हैं :-

आंतरिक प्रेषणों की वापसी : सम्बंधित नोडल कार्यालयों को प्रेषण की वापसी की सूचना ईमेल द्वारा साथ ही साथ भौतिक पत्रों द्वारा दी जाती है। प्रेषण के निरसन के कारणों के अतिरिक्त, नोडल कार्यालयों द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई तथा सावधानियां उन्हें प्रदान की जाती हैं ताकि गलतियों को दोहराया न जाए और वापसी से बचा जा सके। यह अभिदाताओं द्वारा समय से किये जाने वाले अंशदान सुनिश्चित करती है।

निधि वापसी के मामलों को कम करने के लिए, एक व्याख्या पत्र की व्यवस्था की गयी है जो कि एससीएफ के साथ जारी किया जाता है। इस पत्र में पहले से भरी हुई श्रेणियां जैसे संव्यवहार आईडी, राशि आदि है जिसे नोडल कार्यालय को अधिकृत करना होता है तथा प्रमाणित बैंकर को न्यासी बैंक में निधि स्थानान्तरण के लिए जमा करना होता है।

- बैंक इन्टरनेट बैंकिंग चैनल का चयन करके एपीवाई खाते को खोलना तथा साथ ही ईएनपीएस के माध्यम से, जहाँ अभिदाता द्वारा किसी भी प्रकार के

- भौतिक प्रपत्र को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- iii) एनपीएस में प्रवेश को बढ़ाने तथा इसकी पहुँच को विस्तारित करने के लिए आवेदक के लिए मूल्य घटाकर तथा सेवानिवृत्ति सलाहकार के शुल्कों को बढ़ाते हुए एक अनुवर्ती कदम उठाया गया है, अब सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए व्यक्तिगत से भिन्न श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क रु.5000/- से घटाकर रु.1000 कर दिए गए हैं, स्वीकृति पत्र के लिए शुल्क रु. 10000/- से घटाकर रु. 5,000/- कर दिया गया है तथा सुरक्षा जमा राशि को रु. 1,00,000/- से घटाकर रु. 50,000/- कर दिया गया है।
- iv) एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है तथा तदनुसार ऑटो विकल्प के तहत, अधिकतम राशि जी-सेक के तहत आबंटित है (अर्थात् सभी परिस्थितियों में इक्विटीज़ और अन्य में एक्सपोज़र 25% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आबंटन एलसी-75-75%, एलसी 50-50% और एलसी 25-90% से अधिक नहीं होना चाहिए)। प्रणाली में शामिल होने की आयु में वृद्धि ने एनपीएस के तहत कवरेज को बढ़ाया है।
- v) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, एनपीएस (सर्वनागरिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट मॉडल क्षेत्र) के तहत उपस्थिति अस्तित्वों के लिए भी सेवा शुल्कों में वृद्धि हुई थी, सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों के अधिग्रहण पर और इसे बाज़ार में मौजूद अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अर्जन भाग में गति प्रदान करने के लिए शुल्कों में संशोधन किया गया। तदनुसार अभिदाता पंजीकरण शुल्क रु. 125/- से बढ़ाकर रु. 200/- कर दिए गए हैं। साथ ही सर्वनागरिक मॉडल में, निरंतरता शुल्क कि इस उद्देश्य से शुरुआत की गयी कि सेवाप्रदाताओं प्रोत्साहित किया जाए जिससे वह प्रणाली में पहले से ही शामिल अभिदाताओं के साथ बने रहे, तथा एक प्रेरणास्रोत के रूप में रु. 50/- प्रतिवर्ष प्रति खाते के लिए सम्बंधित पीओपी को प्रदान किया जाता है, जो कि कुछ शर्तों के अधीन है। अनुवर्ती
- अंशदान संकलन शुल्कों में वृद्धि हुई है यह अंशदान के 0.05: से बढ़कर 0.10: हुए है, न्यूनतम रु. 5 से रु.10/- से अधिकतम रु. 5000/- से रु.10000/- हुए हैं। सभी उपरोक्त प्रयासों पेंशन के कवरेज को बढ़ाने के लिए किये गए।
- iv) पीएफआरडीए की वेबसाइट, अभिदाताओं तथा संभावी अभिदाताओं को सूचना तथा मार्गदर्शन सामग्री प्रदान करती है, जिनमें अभिदाताओं के अधिकारों और हितों के सन्दर्भ में सूचना विनियमों, परिपत्रों पेंशन योजना उत्पाद, पेंशन निधियों, मध्यस्थों निकास तथा लाभों पर सूचना सम्मिलित है।
- vii) एनपीएस न्यास की वेबसाइट एनपीएस के सन्दर्भ में अभिदाताओं सूचना तुलना प्रदान करती है जो एक समय में उनके लिए उपयोगी होती है। योजनाओं के रिटर्न्स, योजनाओं के पोर्टफोलियो विवरण, अभिदाताओं की सूचना/ तुलना हेतु प्रकटीकृत किये जाते हैं। पोर्टफोलियो विवरण अभिदाताओं को प्रसारित किये जाते हैं ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

3.6 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र तथा ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए किये गए क्रियाकलाप

एनपीएस की बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है जो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण में केंद्रीकृत है, जो कि सुगम्य, सरल, तीव्र, उपयुक्त, प्रतिक्रियात्मक तथा प्रभावी है। अभिदाताओं के पास शिकायत/आरोपों को कॉल सेंटर/संवादात्मक ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली वेब आधारित इंटरफेस भौतिक प्रपत्र द्वारा दर्ज करने का विकल्प है। अभिदाता सीआरए वेबसाइट www.cra&nsdl.co-in पर केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं या टोकन संख्या बताते हुए कॉल सेंटर द्वारा स्थिति जान सकते हैं। अभिदाता उसे जारी किये गए टोकन नंबर को बताते हुए ऊपर वर्णित किसी भी एक माध्यम के द्वारा एक अनुस्मारक भी डाल सकता है। यदि अभिदाता को 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती या मध्यस्थ ईकाई के समाधान द्वारा संतुष्ट नहीं होता। ऐसे मामले में अभिदाता शिकायत को एनपीएस न्यास को बाधा सकता है। समानरूप से यदि अभिदाता को कोई

प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाती या वह समाधान से संतुष्ट नहीं होता अभिदाता शिकायत को निवारण के लिए लोकपाल को बढ़ा सकता है। अभिदाता पीएफआरडीए के पदस्थ सदस्य को भी अर्जी भेज सकता है यदि वह लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है। वर्तमान में श्री विनोद कुमार पाण्डेय

को वैतनिक लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2018 तक के अनुसार सीजीएमएस में प्राप्त की गई शिकायतों की स्थिति तथा उनकी अनुवर्ती स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :-

तालिका 3.5: 1 अप्रैल, 2017 से 31, मार्च 2018 तक के दौरान सीजीएमएस में प्राप्त शिकायतें।

(वास्तविक)

क्र.सं.	क्षेत्र	31मार्च 2017 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2018 तक प्राप्त	31 मार्च 2018 तक समाधान कर लिए गया
1	एनपीएस नियमित	4,075	156,436	154,414
2	एनपीएस लाइट	841	4,487	5,086
3	एपीवाई	6,348	34,183	39,035
	कुल	11,264	195,106	198,535

टिप्पणी : रेफरल्स को सीजीएमएस में ग्राहक द्वारा शिकायत के रूप में चुना गया।

31, मार्च 2018 तक के अनुसार सीजीएमएस में वर्ष के दौरान यह स्थिति निम्न तालिका में प्रदान की गई है : विभिन्न ईकाईयों में प्राप्त की गई शिकायत की स्थिति तथा

तालिका संख्या 3.6: दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31, मार्च 2018 तक के दौरान, सीजीएमएस में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त तथा समाप्त की गयी शिकायतें।

(वास्तविक)

क्र. सं.	प्रश्न उठाये गए के विरुद्ध	31 मार्च 2017 तक के अनुसार लंबित	31 मार्च 2018 तक प्राप्त	31 मार्च 2018 तक समाधान कर लिए गया
1	केंद्र सरकार	1,073	4,212	4,472
2	राज्य सरकार	884	6,145	6,428
3	पीओपी	869	14,073	13,956
4	कॉर्पोरेट	5	25	24
5	न्यासी बैंक	198	31	24
6	एनपीएस लाइट (संकलनकर्ता)	837	2,311	2,973
7	एपीवाई (एपीवाई –एसपी)	6,348	26,205	31,285
8	ई एनपीएस	75	17,964	17,661
9	सीआरए	688	122,519	121,038
10	एनपीएस न्यास	287	1,621	674
	कुल	11,264	195,106	198,535

प्राप्त की गयी शिकायतें मुख्य रूप से खाते में प्रदर्शित होने वाली अंशदान राशि, एसओटी के सम्बन्ध में, अभिदाता विवरण के असत्य प्रसंस्करण, अंशदान राशि के अपलोडिंग में विलम्ब

के विषय में है। शिकायतें अभिदाताओं द्वारा सीजीएमएस में पंजीकृत की जाती हैं तथा सीधे सम्बंधित ईकाईयों में भेजी जाती है। इसलिए, यह मध्यस्थ ईकाई का कार्य है कि वह

सीजीएमएस प्रणाली में शिकायत का समाधान तथा समाप्ति करे, जो उनके विरुद्ध की गयी है। आवधिक अनुस्मारक सम्बंधित मध्यस्थ ईकाईयों को सीजीएमएस प्रणाली में शिकायतों का समाधान करने तथा समाप्ति करने के लिए भेजे जाते हैं।

3.7 सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रम

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, सेवानिवृत्ति सलाहकारों को एनपीएस की कवरेज बढ़ाने तथा अभिदाताओं को आसित आबंटन करने एवं पेंशन निधि प्रबंधकों को चुनने के लिए, परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत कर रहा है। सेवानिवृत्ति सलाहकार का कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्व, पेंशन क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करना है।

वित्त वर्ष 16–17 के दौरान, पीएफआरडीए ने व्यक्ति विशेषों को सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 के अनुसार पंजीकरण प्रदान करना आरम्भ किया जाता है। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन परीक्षा के प्रमाणन हेतु अधिकृत किया है।

मार्च 2018 तक, कुल 251 प्रतिभागी एनआईएसएम श्रेणी ग्टप्स सेवानिवृत्ति सलाहकार परीक्षा में प्रमाणित है। वित्त वर्ष 2017–18 में, पीएफआरडीए द्वारा 32 सेवानिवृत्ति सलाहकार, व्यक्तिगत की श्रेणी में पंजीकृत हैं।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान प्रतिभागी जो नामांकित हुए, प्रस्तुत हुए तथा उत्तीर्ण हुए का तिमाही सार निम्नानुसार है :

(वास्तविक)

एनआईएसएम श्रेणी-XVII: सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन			
महीना	नामांकित	प्रस्तुत हुए	उत्तीर्ण
अप्रैल-जून 2017	96	68	23
जुलाई-सितम्बर 2017	124	97	41
अक्टूबर-दिसम्बर 2017	88	89	37
जनवरी-मार्च 2018	129	120	40
कुल	437	374	141

3.8 प्राधिकरण तथा मध्यस्थों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान तथा परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है।

जनसंख्या सेवानिवृत्ति बचत तथा निवेश विभिन्न वित्तीय उत्पाद/योजनाएं जो विभिन्न संगठनों द्वारा अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, उनसे ज़ारी रिटर्न्स, विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान करने प्रकटीकरण तथा सुरक्षा से सम्बंधित व्यापक आंकड़ों का संकलन और संग्रहण पीएफआरडीए के चालू क्रियाकलाप हैं। इस ओर, पीएफआरडीए विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत शामिल लोगों तथा साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों पर सूचना संकलित कर रहा है। पीएफआरडीए देश में अन्य पेंशन प्रदाताओं से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में संलग्न है। इस सूचना का विश्लेषण, पेंशन क्षेत्र, जो कि संधारणीय आधार पर एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, के नीति नियमन में सहयोग करेगा।

3.9 अभिदाताओं तथा सामान्य जनता को पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाये गए कदम तथा मध्यस्थ ईकाईयों के प्रशिक्षण विवरण

3.9.1 वित्तीय साक्षरता :

पीएफआरडीए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्, इसकी उप समिति, कार्यकारी समूह तथा विभिन्न अंतर-नियामक फोरम्स अर्थात् इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप (आईआर-टीजी), टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंसियल इन्क्लूज़न एंड फाइनेंसियल लिटरेसी (टीजीएफआईएफएल) का सदस्य है तथा सक्रिय रूप से इन समिति के/ समूहों/फोरम्स के लक्ष्यों को पूर्ण करने में योगदान देता है।

वित्तीय साक्षरता वित्तीय उत्पादों के विषय में हमारी जागरूकता बढ़ाने में सक्षम है, सभी उपलब्ध वित्तीय विकल्पों की तुलना करने हेतु क्षमता उत्पन्न करता है तथा हमारी बनी हुई धारणाओं के सम्बन्ध में हमारे वित्तीय व्यवहार को बदलती है, तथा वास्तविक अनुभव कराती है। अनुसंधानकर्ताओं ने ये भी देखा कि वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अधिक कमाता और संचित करता है—तथा इस प्रकार वृद्ध होने से कम चिंतित होता है। इसके अतिरिक्त

वित्तीय साक्षरता लोगों के जोखिम तथा अनिश्चितता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का निर्माण करती है, उन्हें अधिक सक्षम तथा आत्मविश्वासी बनाती है ताकि जीवन में आने वाली वह किसी भी समस्या का सामना कर सके।

क्योंकि पेंशन नियामक पर जनता को पेंशन से सम्बंधित मामलों में वित्तीय साक्षरता के विशाल कार्य को, सेवानिवृत्ति योजना/बचत तथा साथ ही पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के अतिमहत्वपूर्ण आदेश को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होती है, पीएफआरडीए ने अपनी वित्तीय साक्षरता वेबसाइट की शुरुआत करते तथा साथ ही उसके चिह्न को चुनते समय पेंशन संचय नाम का चयन किया है। सेवानिवृत्ति योजना की दृष्टि से, जैसा कि नाम अंकित करता है संचयन की महत्ता इस बात से दिखती है जब व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों जैसे मकान, शादी, बच्चा, बच्चे की शिक्षा तथा साथ ही अपनी सेवानिवृत्ति के लिए संचयन आरम्भ करता है।

माननीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा चौथे पेंशन सम्मलेन के दौरान 28 फरवरी 2018 को आधिकारिक रूप से पेंशन वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया।



वेबसाइट PensionSanchay.org.in विषयों तथा मुद्रा से सम्बंधित मौलिक तत्वों तथा सिद्धांतों, वित्तीय योजना तथा सेवानिवृत्ति योजना पर सन्दर्भ प्रदान करती है। वित्तीय तथा



सेवानिवृत्ति योजना से सम्बंधित विभिन्न विषय-मुद्रा के मौलिक सिद्धांत, बचत तथा निवेश आस्ति तथा उसके गुणों से लेकर उन्नत मुद्रों में जैसे सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता, जोखिम प्रतिलाभ समझौताकारी समन्वय, रियल और नोमिनल रिटर्न्स तथा सेवानिवृत्ति कोष की गणना तक। वेबसाइट केवल वित्तीय और सेवानिवृत्ति योजना के लिए मौलिक सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वह गणना भी प्रदान करती है जिसमें सांख्यिकीय आंकड़े हों जिससे ज्ञात हो कि किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त होने के लिए कितने धन की आवश्यकता है तथा पेंशन कोष का निर्माण करने के लिए कितने धन की बचत तथा निवेश करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त वेबसाइट एक ब्लॉग भाग भी प्रस्तुत करती है जो पेंशन, बचत तथा निवेश सेवानिवृत्ति योजना मुद्रा तथा वित्त के मूल तथा सेवानिवृत्ति योजना के व्यावहारिक पहलू जैसे शीर्षकों पर भी चर्चा करती है।



FUNDAMENTALS OF MONEY & FINANCE

Why understanding Time Value of Money and Purchasing Power important in planning your Retirement?

MARCH 20, 2018 BY ADMIN

By Prodeepto Chatterjee What is Time Value of Money? Here are two options, choose any one. I give you Rs.10000 tomorrow. I give you Rs.10000...

3.9.2 एनपीएस जागरूकता तथा सोशल मीडिया

पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत तथा सम्बंधित मुद्दों पर अभिदाताओं तथा सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए के लिए उठाये जाने वाले कदमों सम्बन्धी पीएफआरडीए के आदेश को पूर्ण करने के लिए पीएफआरडीए ने “एनपीएस-सेव राईट रिटायर ब्राइट” के शीर्षक के तहत एक मीडिया अभियान की शुरुआत की है। शीर्षक न केवल उत्पाद (एनपीएस) के सार को दिखाता है बल्कि यह भी अनुस्मरण कराता है कि खुशहाल तथा सुविधापूर्ण सेवानिवृत्त जीवन के लिए व्यक्ति को पर्याप्त कोष का निर्माण करने के लिए नियमित रूप से बचत करने तथा सही उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता होती है।

“एनपीएस-सेव राईट रिटायर ब्राइट” के तत्वाधान के तहत व्यापक प्रिंट मीडिया अभियान चलाए गए।

यह अभियान प्रिंट मीडिया द्वारा निष्पादित किये गए। पीएफआरडीए के आदेश का ध्यान रखते हुए, देश की जनता

की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भाषा तथा क्षेत्र पर विचार किये बिना, विज्ञापन हिंदी अंग्रेजी तथा 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में देशभर के लिए 130 समाचारपत्रों में मुद्रित कराये गए।

बेहतर रूप से स्मरण कराने के लिए, एनपीएस कर बचत, टियर II खाता, आधार द्वारा ईएनपीएस, ईएनपीएस का प्रयोग करते हुए अंशदान आदि, विषयों पर विभिन्न अभियान चलाये गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मीडिया के बीच बहु आयामी दृश्यता प्रदान करने के लिए टीवी विज्ञापन, रेडियो (एफएम चैनलों), बाहरी मीडिया द्वारा तथा ऑनलाइन मीडिया पर अभियान चलाये गए।

इसके अतिरिक्त और यह भी कि एनपीएस को ऑनलाइन मंच पर डालने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए वेब बैनर रन ऑन साईट तथा बल्क ईमेल के माध्यम से विज्ञापन तथा जागरूकता अभियान चलाये गए।

देशभर में सरकारी अभिकरणों द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाने तथा नागरिकों के साथ अधिक संलग्नता बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग किया जा रहा है। यह मंच सरकार, सरकारी संस्थाओं तथा अन्य ईकाईयों को नागरिकों से संपर्क स्थापित करने तथा सम्प्रेषण करने के लिए विकल्प प्रदान करता है।

इसी पर प्रकाश डालते हुए, पीएफआरडीए के सोशल मीडिया एकाउंट्स ट्वीटर, फेसबुक, यूट्यूब पर सक्रिय हैं। कुछ विशिष्ट सोशल मीडिया हैंडल्स, पीएफआरडीए के वित्तीय साक्षरता पहल पर समर्पित हैं। पीएफआरडीए की सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या एक लाख से अधिक है।

3.9.3 जनसंपर्क अभिकरण

पीएफआरडीए की विनियामक और विकासात्मक भूमिका के विस्तार और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, एक पीआर एजेंसी को चालू लोकसंपर्क सिद्धांतों तथा कार्यक्रम को परिकल्पित तथा निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया है जो उच्चस्तरीय सम्प्रेषण नीति के माध्यम से मीडिया की संलग्नता को सुनिश्चित करेगी।

पीआर नीति का लक्ष्य पीएफआरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न नीतियों, क्रियाकलापों तथा योजनाओं के विषय में जागरूकता तथा सूचना प्रसार करना था ताकि पेंशन निधियों की स्थापना, विकास तथा नियमन के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा का प्रचार किया जाए, पेंशन निधियों

की योजनाओं तथा उनसे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों में अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना, तदनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को वृद्धावस्था आय को सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाना है।

3.9.4 प्रशिक्षण

सेवानिवृत्ति बचत की आवश्यकता तथा सेवानिवृत्ति योजना के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के पीएफआरडीए के आदेश को पूर्ण करने के लिए पीएफआरडीए ने एनपीएस पर अभिदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण अभिकरण के माध्यम से क्रियाकलाप किये हैं तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किये हैं। प्रशिक्षण अभिकरण ने केंद्रीय तथा राज्य सरकार नोडल कार्यालयों-वेतन तथा लेखा

कार्यालयों (पीएओज़), आहरण और संवितरण कार्यालयों, उपस्थिति अस्तित्वों/बैंकों/डाकघरों को प्रशिक्षण प्रदान की जो अभिदाताओं संकलनकर्ताओं आदि के पंजीकरण, एनपीएस/एपीवाई के विशिष्ट गुणों, शामिल होने की प्रक्रिया आदि पर कार्य करने में संलग्न है। इसके अतिरिक्त विस्तृत वित्तीय ग्राहक सुरक्षा नीति के भाग के रूप में कार्यशालाएं/अभियान क्षेत्रों तथा देशभर के अभिदाताओं के लिए आयोजित किये गए हैं।

प्रशिक्षण अभिकरण ने प्रशिक्षण को बेचेस में आयोजित किया जिसमें केवल उत्तर और पश्चिम को शामिल किया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1688 बैच प्रशिक्षित किये गए और राज्यनुसार प्रशिक्षणों की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका संख्या 3.7 एनपीएस/एपीवाई के तहत आयोजित प्रशिक्षण के लिए राज्यानुसार बैचों की संख्या

राज्य	बैच की संख्या
महाराष्ट्र	316
राजस्थान	214
बिहार	201
मध्य प्रदेश	171
गुजरात	141
पंजाब	97
जम्मू और कश्मीर	91
दिल्ली	86
उत्तर प्रदेश	80
झारखंड	78
उत्तराखंड	73
हिमाचल प्रदेश	60
हरियाणा	55
दमन और दियू	11
गोवा	6
छत्तीसगढ़	5
दादरा और नगर हवेली	2
गुजरात	1
कुल योग	1688

एनपीएस और एपीवाई दोनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये गए थे। एनपीएस के लिए सरकारी आहरण और संवितरण कार्यालयों, कोर्पोरेट्स, और उपस्थिति अस्तित्वों को प्रशिक्षण प्रदान किये

गए। एपीवाई के लिए व्यावसायिक प्रतिभागियों (बीसीज), डीसीसीबीज (जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) डाक विभाग, आरआरबीज (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को प्रशिक्षण दिए गए।

तालिका संख्या: 3.8 क्षेत्रवार तथा राज्यवार आयोजित किये गए प्रशिक्षणों का विभाजन निम्नलिखित है :-

राज्य	एपीवाई- बीसीज	एपीवाई- डीसीसीबीज	एपीवाई- डीओपी	एपीवाई आरआरबीज	एनपीएस- डीडीओज	एनपीएस पीओपी- कॉर्पोरेट	पीओपीस	कुल योग
महाराष्ट्र	2	29	10	3	171	32	69	316
राजस्थान	1	2	17	1	177	1	15	214
बिहार	38	4	71	22	41		25	201
मध्यप्रदेश	47	6			109	1	8	171
गुजरात	11	16	28	6	32	3	45	141
पंजाब		1	7		61	2	26	97
जम्मू और कश्मीर				2	88		1	91
दिल्ली		2	9		19	25	31	86
उत्तर प्रदेश	10	7	20	26	5	1	11	80
झारखण्ड	5	17	26		19		11	78
उत्तराखंड	2	2	2		62		5	73
हिमाचल प्रदेश		9	2		46		3	60
हरियाणा		5			42		8	55
दमन और दिउ					11			11
गोवा					6			6
छत्तीसगढ़		2	1				2	5
दादरा और नगर हवेली					2			2
गुजरात	1							1
कुल योग	117	102	193	60	891	65	260	1688

इस अवधि के दौरान 65520 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा राज्यानुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका संख्या 3.9 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यानुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

राज्य	प्रशिक्षित लोगों की संख्या
महाराष्ट्र	11068
राजस्थान	8812
बिहार	8277
मध्य प्रदेश	6871
गुजरात	5422
पंजाब	3277
जम्मू और कश्मीर	3271
उत्तर प्रदेश	3090
उत्तराखंड	2955
दिल्ली	2950
झारखण्ड	2781
हिमाचल प्रदेश	2440
हरियाणा	2063
गोवा	1497
दमन और दियू	487
छत्तीसगढ़	156
दादरा और नगर हवेली	58
गुजरात	45
कुल योग	65520

तालिका संख्या : 3.10 क्षेत्रानुसार तथा राज्यानुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

राज्य	एपीवाई- बीसीज	एपीवाई- डीसीसीबीज	एपीवाई- डीओपी	एपीवाई आरआरबीज	एनपीएस- डीडीओज	एनपीएस पीओपी- कॉर्पोरेट	पीओपीस	कुल योग
महाराष्ट्र	81	650	410	98	6250	862	2717	11068
राजस्थान	7	79	723	26	7498	38	441	8812
बिहार	1702	149	2923	943	1676		884	8277
मध्य प्रदेश	1274	120			5141	15	321	6871
गुजरात	438	660	1207	182	1470	64	1401	5422
पंजाब		36	240		2315	43	643	3277
जम्मू और कश्मीर				71	3170		30	3271
उत्तर प्रदेश	411	144	784	1170	213	32	336	3090
उत्तराखंड	83	59	82		2544		187	2955
दिल्ली		69	333		838	671	1039	2950
झारखण्ड	162	340	1040		760		479	2781
हिमाचल प्रदेश		242	81		2049		68	2440
हरियाणा		160			1725		178	2063
गोवा					1497			1497
दमन और दियू					487			487
छत्तीसगढ़		40	44				72	156
दादरा और नगर हवेली					58			58
गुजरात	45							45
कुल योग	4203	2748	7867	2490	37691	1725	8796	65520

3.10 एनपीएस और एपीवाई सूचना सहायता पटल

सेवानिवृत्ति योजना, वृद्धावस्था आय सुरक्षा तथा एनपीएस के एक उत्पाद के रूप में जागरूकता उत्पन्न करने की पीएफआरडीए की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए पीएफआरडीए एक समर्पित सूचना सहायता पटल संचालित कर रहा है। सूचना सहायतापटल, सूचना प्रदान करने तथा मौजूदा अभिदाताओं और संभावी अभिदाताओं से उत्पाद गुणों, नयी नीतियों, विनियमों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर देने में संलग्न है।

एनपीएस एक ऑन-गोइंग प्रक्रिया है तथा पीएफआरडीए का ऐसा मत है कि एनपीएस पर सूचना का प्रचार करने के लिए एक सहायतापटल होने से, जिसे पूरे देशभर से संचालित

किया जा सके, न केवल एनपीएस में नवीनतम विकास के विषय में लोगों का ज्ञान बढ़ाएगा बल्कि यह पीएफआरडीए को प्रणाली से उसकी अपेक्षाओं को समझने के साथ एनपीएस के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा का प्रचार करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह और है कि पीएफआरडीए एनपीएस पर जागरूकता बढ़ाने तथा भारतीय समाज के विभिन्न भागों के बीच इस प्रणाली की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए कॉल डाटा का भी प्रयोग करेगा।

वर्तमान में दो टोल फ्री नंबरों अर्थात् 1800110708 (एनपीएस के लिए) और 1800110069 (एपीवाई के लिए) को एनपीएस सूचना सहायता पटल के द्वारा प्रचालित किया जा रहा है। एनपीएस टोलफ्री नंबर 2012 से परिचालन में है और एपीवाई

टोलफ्री नंबर मई/जून 2016 में एपीवाई की शुरुआत के एकदम बाद से परिचालित हुआ।


एनपीएस सूचना पटल एक दिन में 8 घंटों (9.30 प्रातः-5.30 सांय) एक सप्ताह में सातों दिनों के लिए, राष्ट्रीय अवकाशों-स्वतंत्रता दिवस-15 अगस्त, गणतंत्र दिवस-26 जनवरी तथा अनिवार्य छुट्टियों (अर्थात् चुनाव दिवस) को छोड़कर, क्रियाशील है।

पीएफआरडीए नियमित आधार पर एनपीएस और एपीवाई का प्रचार कर रहा है और यह प्रचार एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में बने रहने की अपेक्षा है। एनपीएस सूचना सहायता पटल में बढ़ी हुई संख्या में कॉल प्राप्त हुई है। एनपीएस सूचना सहायता पटल द्वारा बढ़ी हुई संख्या में कॉल्स प्राप्त हुई है। यह कॉल्स को आगे एनपीएस और एपीवाई पर सूचना प्रदान करने में सहायता करेगा।


सूचना हेल्पडेस्क पर कॉल्स का आयुवार वितरण निम्नानुसार है। यह देखा गया है कि अधिकांश कॉल्स 26-35 वर्ष की आयुवर्ग के लोगों द्वारा की गयी है।

एनपीएस और एपीवाई के लिए कॉल्स का आयु अनुसार वितरण :-


चार्ट संख्या 3.1 सभी योजनाओं के कॉल्स का आयु अनुसार वितरण



चार्ट संख्या.3.2 (क) एनपीएस के तहत कॉल्स का आयु अनुसार वितरण



चार्ट संख्या.3.2 (ख) एपीवाई के तहत कॉल्स का आयु अनुसार वितरण



3.11 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हुए सम्मलेन

देश में एनपीएस के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पीएफआरडीए ने अनेक सम्मलेन आयोजित किये हैं। सरकारी क्षेत्र जिसके तहत अधिकांश एनपीएस अभिदाता शामिल हैं, में पीएफआरडीए ने सरकारी नोडल कार्यालयों को विभिन्न मुद्दों/मामलों पर

उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए संवेदनशील बनाया। पीएफआरडीए ने विभिन्न उपाय किये तथा केंद्र/राज्य सरकार में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो सम्मलेन आयोजित किये। वर्ष 2017-18 के दौरान पीएफआरडीए ने निम्नलिखित उपाय तथा प्रमुख सम्मलेन और कार्यशालाएं आयोजित की :

क्र.सं	सम्मलेन की तिथि	सम्मलेन विषयवस्तु
1	28.02.2018	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा चौथा पेंशन सम्मलेन आयोजित किया गया।
2	21.12.2017	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन पर सम्मलेन।
3	28.11.2017	सनदी लेखाकारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर सम्मलेन।
4	06.10.2017	केंद्रीय लोक क्षेत्र प्रतिष्ठानों के लिए एनपीएस पर सम्मलेन।
5	18.09.2017	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर कोर्पोरेट्स के लिए फिक्की के समायोजन में, जयपुर में 18 सितम्बर को कार्यशाला।
6	11.09.2017	अधिवर्षिता तथा अधिकृत भविष्य निधि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पोर्टेबिलिटी पर सम्मलेन।
7	18.08.2017	चेन्नई में एपीवाई नीतिगत बैठकें (दक्षिण क्षेत्र)। एपीवाई नीतिगत बैठक अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित हुई (उत्तर, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र)।
8	23.06.2017	पीएफआरडीए ने 23 जून 2017 को फिक्की के समन्वय में कोर्पोरेट्स के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की।
9	09.06.2017	फिक्की के समन्वय में कोर्पोरेट्स के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर 09 जून, 2017 को कार्यशाला।
10	21. 04. 2017	फिक्की के समन्वय में कोर्पोरेट्स के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर विशाखापटनम में कार्यशाला।

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा अन्य समीक्षा बैठकें निम्नानुसार है:

शीर्ष	कुल संख्या	मंत्रालयों / राज्यों / सीएबीज़ / एसएबीज़ के नाम
केंद्र सरकार मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठकें / वीसी	48	रक्षा लेखा महानियंत्रक (3), महालेखा परीक्षक (2), रेलवे बोर्ड (1), गृह मंत्रालय (5), केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (5), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (5), सामान्य वित्त डाक (4), मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (3), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (3), संस्कृति मंत्रालय (3), शहरी विकास मंत्रालय (3), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मंत्रालय (2), जल संसाधन मंत्रालय (2), स्कूल और उच्च शिक्षा (1), दादरा और नगर हवेली (1), दमन और दीव (1) लक्षद्वीप (1), उत्तरी रेलवे (1), पूर्वी केंद्रीय रेलवे (1), उत्तर पूर्वी रेलवे (1), उत्तर मध्य रेलवे (1)
केंद्र सरकार मंत्रालयों के लिए कार्यशालाएं	11	सीमा सुरक्षा बल (7), असम राइफल्स (1), सेवा चयन बोर्ड (1), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (1), शैक्षणिक संचार के लिए सहायता संघ (1)
सीएबीज़ की समीक्षा बैठक	37	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (6), प्रसार भारती (6), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (4), दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका परिषद (3), पूर्वी दिल्ली पालिका परिषद (3), दिल्ली जल बोर्ड (3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (3), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (3), यूनानी चिकित्सा (2), नई दिल्ली नगर पालिकापरिषद (2), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (2)
राज्य जिनमें एसएबीज़ सम्मिलित हैं के लिए समीक्षा बैठकें / वीसी तथा कार्यशालाएं	88	<p>राज्य सरकारें:</p> <p>पंजाब(4), म.प्र(4), कर्नाटक(4), महाराष्ट्र (3), उत्तरप्रदेश (3), छत्तीसगढ़ (3), बिहार (3), गुजरात (3), हिमाचल प्रदेश (3), तेलंगाना (2), जम्मू और कश्मीर (2), आंध्रप्रदेश (2), हरियाणा (2), असम (2), ओडिशा (1), उत्तराखंड (1), झारखण्ड (1), गोवा (1), पुदुचेरी (1), केरल (1), नागालैंड (1), मणिपुर (1), मिज़ोरम (1), सिक्किम (1), मेघालय (1) अरुणाचल प्रदेश (1)</p> <p>एसएबीज़:</p> <p>लोक निर्देश निदेशालय, मध्य प्रदेश (4), जनजातीय विकास विभाग, मध्य प्रदेश (4), शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश (4), लोक शिक्षा निदेशालय, छत्तीसगढ़ (4), शहरी प्रशासन विकास, छत्तीसगढ़ (4)), मूल शिक्षा परिषद (4), उत्तर प्रदेश (4), स्थायित्व और पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश (4), उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (4)</p>

शीर्ष	कुल संख्या	मंत्रालयों/राज्यों/सीएबीज़/एसएबीज़ के नाम
पेंशन निधियों के साथ समीक्षा बैठकें	3	<p>बैठक की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) ने की थी और विभाग के अधिकारियों और पेंशन निधियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।</p> <p>मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा आयोजित की गई थी: आगामी तिमाहियों के लिए निवेश आउटलुक, विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन और रिटर्न में विविधता, तिमाही के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्टों पर बेंचमार्क, अवलोकन/सिफारिशों, प्राधिकरण द्वारा जारी नीतियों के क्रियान्वयन की स्थिति, एनपीए और डाउनग्रेड्स, के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, और समीक्षा के तहत तिमाही के दौरान सामने आए किसी अन्य मुद्दे पर</p>
अभिरक्षक के साथ समीक्षा बैठक	2	<p>बैठक की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) ने की थी और विभाग के अधिकारियों और अभिरक्षकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।</p> <p>मुख्य रूप से चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं पर आयोजित की गई थी: समीक्षाधीन तिमाही के लिए मासिक रिपोर्टों पर अवलोकन/सिफारिश, प्राधिकरण द्वारा जारी नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति, तिमाही के दौरान कॉर्पोरेट कार्यों की प्राप्ति की स्थिति और किसी अन्य एजेंडा/समीक्षाधीन तिमाही के दौरान सामने आये मुद्दे।</p>

प्रमुख सीजी/सीएबीज़/एसजी/एसएबीज़ के साथ मासिक आधार पर समीक्षा बैठकें जिनकी अधिक संख्या में शिकायतें और निकास कार्ड हैं। केंद्र सरकार मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों के लिए एनपीएस पर पुस्तिका पीएफआरडीए द्वारा जारी की जाती है, जिसमें प्रमुख परिपत्र/अधिसूचनाएं/कार्यालय ज्ञापन सम्मिलित हैं जो भारत सरकार पीएफआरडीए एवं सीआरए और एनएसडीएल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर जारी किये जाते हैं।

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एनपीएस पर सार पीएफआरडीए द्वारा जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर भारत सरकार, पीएफआरडीए और सीआरए-एनएसडीएल द्वारा जारी किए गए प्रमुख परिपत्र/अधिसूचनाएं/कार्यालय ज्ञापन शामिल थे।

3.12 पेंशन निधियों के प्रदर्शन तथा प्रदर्शन तथा प्रदर्शन बेंचमार्क

वित्त वर्ष के दौरान, एनपीएस योजनाओं ने एयूएम में सम्पूर्ण 34% की सभी सम्पूर्ण वृद्धि देखी। जैसा कि तालिका 3.11 में दिखाया गया है। सभी योजनाओं में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई। एपीवाई और टियर II योजना ने, एयूएम के मामले में 103% और 73% की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

वर्ष के दौरान केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए योजना सीजी ने अपनी एयूएम में 27% की वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, योजना सीजी की आस्तियां वर्ष के दौरान 36% से बढ़ी।

तालिका 3.11: एनपीएस में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) विभाजन— 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार वृद्धिवार स्थिति

31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के अनुसार एनपीएस-वृद्धि योजनानुसार स्थिति में प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) विभाजन				रुपये करोड़ में			
योजनाएं	31 मार्च तक के अनुसार एयूएम (रु. करोड़ में)			एयूएम में वृद्धि			
				वर्ष दर वर्ष (मार्च-16 की तुलना में मार्च-17)		वर्ष दर वर्ष (मार्च-17 की तुलना में मार्च -18)	
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर I	1,181.46	2,538.98	4,308.22	1,357.53	114.90%	1,769.24	69.68%
इक्विटी टियर II	60.44	125.90	217.78	65.46	108.31%	91.89	72.99%
इक्विटी कुल	1,241.89	2,664.88	4,526.00	1,422.99	114.58%	1,861.13	69.84%
कुल एयूएम में भाग %	1.00%	1.50%	1.90%	2.60%		3.10%	
बांड्स टियर I	887.78	1684.95	2,846.55	797.17	89.79%	1,161.60	68.94%
बांड्स टियर II	55.10	101.33	162.16	46.23	83.91%	60.83	60.03%
कुल बांड्स	942.88	1786.28	3,008.71	843.4	89.45%	1,222.43	68.43%
कुल एयूएम % भाग	0.8%	1.00%	1.30%	1.50%		2.00%	
जी सेक टियर I	1324.79	2506.93	4,243.06	1,182.15	89.23%	1,736.13	69.25%
जी सेक टियर II	54.35	112.43	181.47	58.09	106.88%	69.04	61.41%
जी सेक कुल	1379.13	2619.37	4,424.53	1,240.23	89.93%	1,805.17	68.92%
कुल एयूएम में भाग %	1.2%	1.50%	1.90%	2.20%		3.00%	
एआईएफ टियर I	—	1.04	6.53	1.04	—	5.49	—
एआईएफ टियर II	—	0.10	—	0.10	—	—0.10	—
कुल एआईएफ	—	1.14	6.53	1.14	—	5.39	—
कुल एयूएम में भाग %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
उप कुल टियर I	3,394.02	6,731.91	11,404.37	3,337.89	98.35%	4,672.46	69.41%
उप कुल टियर II	169.88	339.76	561.41	169.88	100.00%	221.66	65.24%
टियर I + टियर II	3,563.90	7,071.67	11,965.78	3,507.77	98.42%	4,894.11	69.21%
एनपीएस लाइट	2,107.55	2,639.21	3,005.82	531.66	25.23%	366.61	13.89%

एपीवाई	506.34	1,885.00	3,817.86	1,378.67	—	1,932.85	102.54%
कॉर्पोरेट सीजी	6,805.05	10,753.47	14,846.33	3,948.43	58.02%	4,092.86	38.06%
कुल योग (निजी क्षेत्र)	12,982.84	22,349.35	33,635.79	9,366.52	72.15%	11,286.43	50.50%
कुल एयूएम में भाग %	10.90%	12.80%	14.30%	16.80%		18.80%	
केंद्र सरकार	48,134.78	67,040.05	84,954.60	18,905.27	39.28%	17,914.54	26.72%
कुल एयूएम में भाग %	40.50%	38.40%	36.20%	33.90%		29.80%	
राज्य सरकार	57,692.50	85,171.43	1,15,988.48	27,478.93	47.63%	30,817.05	36.18%
कुल एयूएम में भाग %	48.60%	48.80%	49.40%	49.30%		51.30%	
उप कुल (सरकार)	1,05,827.28	1,52,211.49	2,00,943.08	46,384.21	43.83%	48,731.59	32.02%
कुल एयूएम में भाग %	89.10%	87.20%	85.70%	83.20%		81.20%	
कुल योग	1,18,810.12	1,74,560.84	2,34,578.86	55,750.72	46.92%	60,018.02	34.38%

स्रोत: एनपीएस न्यास वार्षिक रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या-31)

पेंशन निधि प्रबंधकों का प्रदर्शन

तालिका संख्या 3.12 : पेंशन निधि प्रबंधकों में एयूएम की स्थिति

पीएफएम	एयूएम (राशि रु. करोड़ में)			
	मार्च 2017	मार्च 2018	एयूएम में वृद्धि	
			राशि	%
एसबीआई पेंशन फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	66723	89283	22560	33.80
एलआईसी पेंशन फण्ड लिमिटेड	52709	70130	17421	33.05
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	52043	69483	17440	33.51
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कं. लिमिटेड	1163	2560	1397	120.15
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1442	2326	884	61.33
कोटेक महिंद्रा पेंशन फण्ड लिमिटेड	312	536	224	71.82
रिलायंस कैपिटल पेंशन फण्ड लिमिटेड	169	231	62	36.71
आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	—	30	30	—
कुल	174561	234579	60018	34.38

स्रोत: एनपीएस न्यास की वार्षिक रिपोर्ट

तालिका संख्या 3.13 : 31 मार्च, 2018 तक के अनुसार, आरम्भ से (% में) योजनानुसार पेंशन निधि अनुसार रिटर्न्स।
विभिन्न योजनाओं के लिए आरम्भ की तिथि भिन्न है।

योजना	एसबीआई पीएफ	एलआई सीपीएफ	यूटीआई आरएसएल	कोटेक	आईसीआई सीआई	रिलायंस	एचडीएफसी	बिरला#
सीजी	10.07	9.76	9.73					
एसजी	9.65	9.79	9.72					
एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन	10.45	10.33	10.41	10.46				
एपीवाई	8.49	9.28	9.47					
कॉर्पोरेट सीजी	9.86	9.93						
ई-I	9.66	12.68	11.67	10.79	11.64	10.63	15.49	9.22
सी-I	10.75	10.59	9.52	10.69	10.75	9.44	10.70	9.18
जी I	9.65	11.12	8.38	8.61	8.73	8.38	9.87	4.23
ए-I	8.71	6.33	6.64	6.78	7.82	6.27	8.22	5.86
ई-I	9.31	8.54	9.71	9.95	9.33	9.36	11.98	9.02
सी-I	10.35	9.17	9.61	9.47	10.60	9.23	9.34	6.47
जी-II	9.73	11.19	9.32	8.43	8.85	8.63	10.40	0.71

स्रोत: एनपीएस न्यास की वार्षिक रिपोर्ट। भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए आरम्भिक तिथि भिन्न है।

1 वर्ष की अवधि से अधिक के रिटर्न्स वार्षिकीकृत होते हैं

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (ई -I)

कोटेक के लिए आरम्भिक तिथि 31 जनवरी 2012 है (एनपीएस-लाइट);

यूटीआई योजना कॉर्पोरेट सीजी वित्त वर्ष 2013-14 (कॉर्पोरेट सीजी) में समाप्त हुई

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (ई-II)

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (सी-II)

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (सी-II)

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (जी-I)

* आरम्भिक तिथि : एलआईसी 23 जुलाई 2013; एचडीएफसी 01 अगस्त 2013; बिरला 9 मई 2017 (जी-II)

वार्षिकीकृत नहीं हुए क्योंकि रिटर्न अवधि एक वर्ष से कम है

3.13 विनियमित आस्तियां

“विनियमित आस्तियों” से तात्पर्य है तथा में सम्मिलित है मूल तथा अमूल आस्तियां जो व्यापक रूप से सीआरए के परिचालन हेतु निर्मित हैं में बीस्पोक सॉफ्टवेयर जो उन सभी तत्वों के साथ उपलब्ध है जो किसी अनुप्रयोग को चलाने के लिए आवश्यक है, कोई तृतीय सॉफ्टवेयर तथा तत्व के जो वस्तु के रूप में अनुप्रयोग प्रणाली में विशिष्ट रूप से सम्बंधित हो, सभी उपयुक्त सीआरए परियोजना आंकड़े, समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/डाटा सेंटर के सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क तथा अन्य सभी सुविधाएं सम्मिलित है,

भौतिक ढाँचे को छोड़कर (भवन, एयर कंडीशनर, बिजली आपूर्ति ढाँचा, फर्नीचर)।

पंजीकरण के कार्यकाल के अवसान पर या सीआरए के निरसन के मामले में सीआरए द्वारा प्रबंधित सूचना तथा विनियमित आस्तियां प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अन्य सीआरए को स्थानांतरित कर दी जाएंगी, उस समयावधि में तथा उस प्रारूप में जो पीएफआरडीए अधिनियम नियम या विनियमों के तहत आवश्यक हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित हो।

3.14 वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संकलित किए जाने वाले अन्य शुल्क या प्रभार

एनपीएस के अभिदाताओं पर भिन्न स्तरों पर उन मध्यस्थ ईकाईयों द्वारा जो अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करती है द्वारा शुल्क तथा प्रभार आरोपित किये जाते हैं। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश होने पर, मध्यस्थ ईकाईयां अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात् पीओपीज, प्रभार शुल्क जो कि आगे अभिदाताओं से संकलित किया जाता है। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण शुल्क सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं। अगले स्तर पर, सीआरए, जो अभिलेखपाल अभिकरण है खाता खोलने के लिए शुल्क

लेता है तथा प्राण जारी करने के लिए ईकाईयों के निरसन द्वारा खाता प्रबंधित करता है। इसके पश्चात्, प्रत्येक संव्यवहार के लिए जिसमें अभिदाताओं का अंशदान सम्मिलित है, सीआरए तथा पीओपी दोनों द्वारा शुल्क प्रभारित किया जाता है। पेंशन निधियों द्वारा निवेश प्रबंधन शुल्क, अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए प्रभारित किये जाते हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक उनके तहत आने वाली आस्तियों के लिए प्रभार लेते हैं। और अंत में, एनपीएस न्यास खर्चों की प्रतिपूर्ति अभिदाताओं से की जाती है।

तालिका 3.14 : विभिन्न स्तरों पर अभिदाताओं के लिए शुल्क तथा प्रभार

मध्यस्थ ईकाईयां	शुल्क / प्रभार	निजी	सरकारी*	एनपीएस लाइट / एपीवाई
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	पीआरए आरंभिक शुल्क	एनएसडीएल: रु. 40.00	एनएसडीएल: रु. 40.00	एनएसडीएल: रु. 15.00
		कार्वी : रु. 39.36	कार्वी : रु. 39.36	कार्वी : रु. 15.00
	वार्षिक पीआरए प्रबंधन शुल्क प्रति खाता	एनएसडीएल: रु. 95.00	एनएसडीएल: रु. 95.00	एनएसडीएल: रु. 25.00
		कार्वी : रु. 57.63	कार्वी : रु. 57.63	कार्वी: रु. 14.40
	प्रति अंतरण शुल्क	एनएसडीएल: रु.3.75	एनएसडीएल: रु.3.75	शून्य
		कार्वी : रु. 3.36	कार्वी : रु. 3.36	
उपस्थिति अस्तित्व	आरंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	रु . 200**	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	अन्य अनुवर्ती अंतरण	अंशदान का 0.25%, न्यूनतम.रु 20 अधिकतम रु. 25000	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	निरंतरता शुल्क** झ 6 महीने और न्यूनतम अंशदान रु.1000 प्रतिवर्ष	रु 50 प्रतिवर्ष	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
	ईएनपीएस मंच	अंशदान का 0.10%** न्यूनतम रु 10 अधिकतम रु .10000	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
न्यासी बैंक		शून्य		
अभिरक्षक	आस्ति सेवा शुल्क	0.0032% प्रतिवर्ष		
पेंशन निधियां	निवेश प्रबंधन शुल्क	0.01% प्रतिवर्ष	0.0102% प्रतिवर्ष	0.0102% प्रतिवर्ष
एनपीएस न्यास	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.01% प्रतिवर्ष		

* सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सीआरए शुल्क का सम्बंधित सरकारों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

***15/11/2017 से प्रभावी

#कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 15 फरवरी 2017 से परिचालन आरम्भ किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न मध्यस्थों से प्राप्त शुल्क निम्न तालिका में प्रदान किये गए हैं :
तालिका संख्या. 3.15 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र.सं.	मध्यस्थ ईकाई	प्राप्त शुल्क (रु.लाख में)
1	न्यासी बैंक— एक्सिस बैंक	1963.29
2	पेंशन निधि	908.74
3	सीआरए — एनएसडीएल — ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	664.42
4	अभिरक्षक — एसएचसीआईएल	76.77
5	सेवानिवृत्ति सलाहकार/पीओपी/ संकलनकर्ता/ एएसपी/ईएमडी/ आरएफपी प्रसंस्करण शुल्क	8.61
6	सीआरए— कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड	0.23
	कुल	3622.06
विभिन्न मध्यस्थों से प्राप्त शुल्क को वास्तविकता के आधार पर माना जाता है।		

3.15 मध्यस्थ ईकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना, किये गए निरीक्षण, जांच, अन्वेषण तथा पेंशन निधियों से सम्बंधित अन्य ईकाईयां या संगठन

पूछताछ और जांच

पीएफआरडीए तथा एनपीएस न्यास सीआरए न्यासी बैंक तथा उनके लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट्स की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा स्तर अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ ईकाई नियतकालिक समय का अनुसरण कर रही है

निरीक्षण और लेखापरीक्षा

पीएफआरडीए केंद्र अभिलेखपाल अभिकरण तथा न्यासी बैंक विनियम में भी सीआरए तथा न्यासी बैंक की लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण को आयोजित करने के प्रावधान हैं ताकि अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान

सभी पेंशन निधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा, प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार पेंशन निधियों द्वारा नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से की गई। सम्बंधित पेंशन निधियों द्वारा योजनाओं की भी लेखा परीक्षा की गई। पेंशन निधियां भी सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन होती है।

3.16 अन्य

3.16.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत शामिल अभिदाताओं (श्रेणीवार) की संख्या

क) वर्षों से एनपीएस के तहत अभिदाताओं की संख्या


एनपीएस में अभिदाताओं के नामांकन मार्च 2017 के 154.39 लाख से बढ़कर मार्च 2018 में 211.78 लाख हो गया है। वर्ष 2016-17 में अभिदाताओं की संख्या में 37.17% वृद्धि हुई है। वर्षवार एनपीएस अभिदाताओं की संख्या चार्ट में दी गयी है।

तालिका 3.16: एनपीएस/एपीवाई के तहत क्षेत्रानुसार अभिदाताओं की संख्या

क्षेत्र	मार्च-17 (लाख में)	मार्च -18 (लाख में)	वर्ष के दौरान वृद्धि	
			सम्पूर्ण वृद्धि (संख्या लाख में)	%
केंद्र सरकार	17.89	19.22	1.33	7.43
कुल का %	11.6	9.08		
राज्य सरकार	33.32	38.68	5.36	16.09
कुल का %	21.6	18.26		
कॉर्पोरेट	5.86	6.96	1.10	18.77
कुल का %	3.8	3.29		
असंगठित क्षेत्र (सर्व नागरिक)	4.39	6.91	2.52	57.40
कुल का %	2.8	3.26		
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन*	44.29	43.95	-0.34	—
कुल का %	28.7	20.75		
एपीवाई	48.64	96.06	47.22	97.08
कुल का %	31.5	45.36		
कुल	154.39	211.78	57.39	37.17

*(01 अप्रैल, 2015, के बाद कोई नए पंजीकरण अनुज्ञप्त नहीं है)

चार्ट संख्या 3.3: एनपीएस और एपीवाई के तहत वर्षवार अभिदाता



अभिदाताओं की संख्या – क्षेत्र वार

सरकारी क्षेत्र


- सरकारी अभिदाता मार्च 2017 के अंत के 51.21 लाख से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 57.90 अभिदाता हो गए, इसने 6.69 लाख (13.06%) की वृद्धि दर्ज की। 31-03-2018 तक स्थिति

तालिका 3.17 दिनांक 31.3.2018 तक के अनुसार सरकारी क्षेत्र में अभिदाताओं की संख्या अंशदान तथा एयूएम


क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में)	अंशदान (रु.करोड़ में)	एयूएम (रु.करोड़ में)
केंद्र सरकार	19.22	62351	84954
राज्य सरकार	38.68	92808	115679
कुल	57.90	155159	200633

अभिदाता पंजीकरण पर वर्ष दर वर्ष आंकड़े :

चार्ट संख्या 3.4(क)



चार्ट संख्या 3.4 (ख)



निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र के तहत कॉर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या 5.86 लाख से बढ़कर 6.96 लाख हो गई, जो 1.10 लाख (18.

77%) अभिदाताओं की बढ़त है। यूओएस/सर्व नागरिक के तहत मार्च 2017 के अंत में 4.37 लाख से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 2.54 लाख (58.12%) अभिदाताओं की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.18 दिनांक 31.03.2018 तक के अनुसार निजी क्षेत्र में अभिदाताओं की संख्या अंशदान तथा एयूएम

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (रु.करोड़ में)	एयूएम (रु.करोड़ में)
कॉर्पोरेट क्षेत्र	6.96	17704	21378
असंगठित क्षेत्र/सर्व नागरिक	6.91	5824	5744
कुल	13.87	23528	27122

एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या, मार्च 2017 के 93.12 लाख से बढ़कर मार्च 2018 में 140.01 लाख हुई और 46.89 लाख अभिदाताओं की वृद्धि देखी (50.35%)। मार्च 2018 के अंत में 2.54 लाख (58.12%) अभिदाताओं की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.19 एनपीएस लाइट और एपीवाई में 31.03.2018 तक के अनुसार अभिदाताओं अंशदान तथा एयूएम की संख्या

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (रु.करोड़ में)	एयूएम (रु.करोड़ में)
एनपीएस लाइट /स्वावलंबन	43.95	2378	3006
अटल पेंशन योजना	96.06	3602	3818
कुल	140.01	5980	6824

- 1 अप्रैल, 2017 से स्वावलंबन योजना में नई प्रविष्टियाँ समाप्त हो गई तथा एपीवाई 9 मई 2015 से शुरू हुई और 1 जुलाई 2015 से क्रियाशील हुई। एपीवाई योजना गरीबों तथा भारत के वंचित नागरिकों पर केन्द्रित है, यह 60 वर्ष की आयु के पश्चात् निश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह 60 वर्ष की आयु के पश्चात् निश्चित निश्चित पेंशन प्रदान करेगी।
- एपीवाई के तहत, अभिदाता रु.1000 प्रतिमाह, रु. 2000 प्रतिमाह, रु.3000 प्रतिमाह, रु.4000 प्रतिमाह, रु.5000 प्रतिमाह की न्यूनतम मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त होगी, जो कि उनके अंशदानों पर निर्भर करती है, जो स्वयं ही एपीवाई में शामिल होने की उनकी आयु पर निर्भर करेंगे। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18वर्ष तथा न्यूनतम 40 वर्ष है। अतः किसी अभिदाता द्वारा अंशदान करने की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या अधिक है।
- भी बैंक शाखाओं/ डाकघरों द्वारा संचालित योजना जिनका सीबीएस मंच है, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ पंजीकृत है।
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, एपीवाई के तहत 96.06 लाख अभिदाता एपीवाई के तहत पंजीकृत है, जिसमें से 10.96 लाख अभिदाता सरकारी सह-अंशदान के पात्र हैं।
- एपीवाई अभिदाताओं की संख्या में प्रमुख तीन अंशदानकर्ता उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र है। राज्यानुसार एपीवाई अभिदाताओं की संख्या अनुलग्नक 1 में दी गई है।
- बैंक तथा डाकघर एपीवाई के प्रमुख वितरण चैनल है। एपीवाई अभिदाताओं की संख्या, विभिन्न बैंक श्रेणियों तथा डाकघरों में निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 3.20: विभिन्न वितरण शाखाओं के माध्यम से एपीवाई में पंजीकृत अभिदाता (प्राणजनित)

बैंकों की श्रेणी	(*31, मार्च 2016 तक के अनुसार)	(31, मार्च 2017 तक के अनुसार)	(31 मार्च 2018 के अनुसार)
एसबीआई + प्रमुख बैंक + निजी बैंक	1,693,190	3,047,273	6,553,397
अन्य निजी बैंक	218,086	497,323	873,901
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	476,373	1,115,257	1,987,176
जिला सह-कारी बैंक	21,222	29,791	33,880
राज्य सह-कारी बैंक	354	680	805
शहरी सह-कारी बैंक	327	3,507	10,936
डाक विभाग	75,343	189,998	245,366
कुल	2,484,895	4,883,829	9,705,461

स्रोत :सीआरए-एनएसडीएल

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत 48.22 लाख एपीवाई अभिदाताओं ने रु. 5000/- के लाभ का विकल्प चुना है। अभिदाताओं में से 72.21 % ने रु. 1000/- तथा 16.88%

तालिका 3.21: 31.3.2018 तक पेंशन राशि अनुसार एपीवाई अभिदाताओं की संख्या

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पेंशन राशि अनुसार				
क्रम. संख्या	पेंशन राशि	प्राप्त गणना	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
1	1,000	3,481,777	72.21	72.21
2	2,000	314,674	6.53	78.74
3	3,000	150,751	3.13	81.86
4	4,000	60,566	1.26	83.12
5	5,000	813,864	16.88	100.00
	कुल	4,821,632		

स्रोत :सीआरए-एनएसडीएल

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत 48.22 लाख एपीवाई अभिदाताओं में से 26.61% अभिदाता 21-25 वर्ष के आयु वर्ग में तथा 26.24% एवं 21.77 % अभिदाता 26-30 वर्षों तथा 31-35 वर्षों, क्रमशः के आयु वर्ग में हैं।

तालिका संख्या- 3.22: 31.3.2018 तक के अनुसार आयुवार एपीवाई अभिदाताओं की संख्या

क्र.सं.	वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार			
	आयु वर्ग	पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या	प्रतिशत	संचयी %
1	18 से 20 वर्ष	623,475	12.93	12.93
2	21 से 25 वर्ष	1,283,242	26.61	39.55
3	26 से 30 वर्ष के बीच	1,265,117	26.24	65.78
4	31 से 35 वर्ष के बीच	1,049,800	21.77	87.56
5	35 वर्ष से ऊपर	599,998	12.44	100.00
	कुल	4,821,632	100.00	

3.16.2 उपस्थिति अस्तित्व

मार्च 2018 के अंत तक 70 पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व थे। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मौजूदा पीओपीस तथा 5 नए पीओपीस पंजीकृत हुए तथा इन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी

किया गया। विनियमों के अनुसार, 1 कॉर्पोरेट तथा 4 विशेष ईकाईयां पीओपीस के रूप में पंजीकृत हैं तथा इन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

तालिका 3.23: एनपीएस के तहत पंजीकृत पीओपी-एसपी

	31 मार्च '16 के अनुसार	31 मार्च '17 के अनुसार	31 मार्च '18	पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 (संख्या) के दौरान वृद्धि	पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि	प्रतिशत वित्त वर्ष 2017-18 (संख्या) के दौरान वृद्धि	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि प्रतिशत
उपस्थिति अस्तित्वों की कुल संख्या	71	77	70	6	8.45	—	—
पीओपी-एसपीज की कुल संख्या	55581	69007	79,640	13426	24.16	10633	15.41
जिसमें सक्रिय पीओपी-एसपीज ***	7170	13396	21146	6226	86.83	7750	57.85
सक्रिय पीओपी- एसपी का %	12.9	19.41	26.55	6.51	50.48	7.14	36.79

* कॉर्पोरेट क्षेत्र में सक्रिय पीओपी से अर्थ है पीओपी जिसके साथ न्यूनतम 5 कॉर्पोरेट्स पंजीकृत हैं

** सर्वनागरिक क्षेत्र में सक्रिय पीओपी से अर्थ है पीओपी जिसके साथ न्यूनतम 10 सक्रिय अभिदाता हैं

*** सर्वनागरिक क्षेत्र में सक्रिय पीओपी-एसपीज से अर्थ है कि पीओपी-एसपी जिसका न्यूनतम 1 सक्रिय अभिदाता है
स्रोत :सीआरए-एनएसडीएल

3.16.3 योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का योजनानुसार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 3.24 योजनानुसार प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति

योजना	मार्च -17	मार्च -18	% वृद्धि
सीजी	67040	84955	
एसजी	85172	115989	
उपकुल	152212	200944	32 %
कॉर्पोरेट सीजी	10754	14846	
ई-I	2539	4308	
सी-I	1685	2847	
जी-I	2507	4243	
ए-I	1	6	
ई-II	126	218	
सी-II	101	162	
जी-II	112	181	
एनपीएस लाइट	2639	3006	
एपीवाई	1885	3818	
उपकुल	22349	33635	50 %
कुल योग	174561	234579	34 %

मार्च 2018 के लिए टिप्पणियाँ 2018 :

1. दामोदर घाटी निगम 309.9 4 करोड़ एसजी के तहत दिखाया गया है।
2. कॉर्पोरेट सीजी में दामोदर घाटी निगम के एयूएम शामिल नहीं हैं। स्रोत: एनपीएस ट्रस्ट वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 31

उपरोक्त तालिका यह अंकित करती है कि सरकारी क्षेत्र एनपीएस योजना के तहत (सीजी और एसजी) प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 32% से बढ़ी है, इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त योजनाओं की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति 50% से बढ़ी है। हालांकि सम्पूर्ण मामलों में सरकारी क्षेत्र योजनाएं रु. 48,732 करोड़ से बढ़ी है जबकि अन्य योजनाएं औसत रूप से रु.11,286 करोड़ से बढ़ी है।

3.16.4 केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण उसकी भूमिका तथा कार्य

अ. परिचय

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक अनुबंध 26 नवम्बर 2007 को निष्पादित किया गया है।

पीएफआरडीए (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 की अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2015 के पश्चात्, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 18 दिसम्बर 2015 से केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया जो वास्तविक अनुबंध दिनांक 26 नवम्बर 2007, की शेष अवधि के लिए, जो 1 दिसम्बर 2007 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हुआ था।

सीआरए सभी मध्यस्थ ईकाईयों के लिए परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इस भूमिका में सभी आवश्यक बाहरी अभिकरणों से संपर्क स्थापित करना तथा एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्रशासन तथा ग्राहक सेवा कार्य सम्मिलित हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, प्राधिकरण ने एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को द्वितीय सीआरए के रूप में पंजीकृत तथा एनपीएस न्यास के ई-एनपीएस मोड्यूल द्वारा स्रोत प्रदान खातों की सेवाओं सम्बन्धी परिचालन को अनुज्ञप्त किया, जहाँ अभिदाताओं से एनएसडीएल ई-गवर्नेंस लिमिटेड (प्रथम सीआरए) तथा एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (द्वितीय सीआरए) के बीच में से चुनाव का विकल्प दिया है तथा उसके अन्य वितरण चैनलों में से। एम/एस कार्वी कंप्यूटरशेयर 31 मार्च 2017 तक नए खातों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्त हैं तथा तत्पश्चात् उसे पूर्ण रूप से सीआरए के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी है जो अंतर क्रियाशील गुण के साथ है, जो अप्रैल 2017 के बाद से

एनपीएस के मौजूदा अभिदाताओं को स्थानान्तरण का गुण प्रदान करती है।

सीआरए विनियम 3 के उप विनियम 4 के तहत अभिदाताओं का आबंटन मौजूदा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण तथा अन्य केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या अभिकरणों में यदि नियुक्त की जाएं, पारदर्शी मानदंडों पर आधारित होगा तथा प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हित में समय-समय पर यथासूचित होगी। तदनुसार अभिदाताओं के आबंटन का मानदंड निम्नानुसार वर्णित है :-

यदि किसी मामले में जहाँ कर्मचारी-नियोक्ता सम्बन्ध है, जहाँ कॉर्पोरेट सम्मिलित है, यदि सीआरए शुल्क नियोक्ता द्वारा वहां किये जाते हैं, सीआरए के चयन का निर्णय नियोक्ता के साथ रहेगा जब तक कि वह विशिष्ट रूप से यह विकल्प व्यक्तिगत कर्मचारी को न दिया जाए तथा अन्य सब मामलों में, सीआरए के चुनाव का विकल्प एनपीएस के तहत कर्मचारी/अभिदाता के पास रहेगा, स्वैच्छिक अभिदाताओं के मामले में (बिना किसी कर्मचारी-नियोक्ता सम्बन्ध की मौजूदगी के) सीआरए को चुनने का विकल्प विकल्प सामान्यरूप से अभिदाता के पास रहेगा। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत अभिदाताओं के मामले में, सम्बंधित सरकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सीआरए का चयन करेंगी।

ख. सीआरए की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सीआरए की भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

1. नई क्रियात्मकताओं की निरंतर वृद्धि और विकास

यह सीआरए की भूमिका तथा उत्तरदायित्व है कि वह देशभर में अभिनन्दन केन्द्रों का निर्माण स्थापना करे। उन्हें विभिन्न हिस्सेदारों की बदलती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नई क्रियात्मकताएं/उपयोगिताएं विकसित करने तथा मोड्यूल्स की निरंतर वृद्धि तथा विकास करना होता है

2. सर्वक्षेत्र के अभिदाताओं के लिए सेवाएं

सीआरए की प्राथमिक भूमिका एनपीएस अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्रशासन, ग्राहक सेवा कार्य, विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) तथा आईपिन/टीपिन अभिदाताओं को जारी करना अभिदाताओं को देने वाली विभिन्न सेवाओं में सम्मिलित है एसएमएस अलर्ट भेजना तथा पंजीकरण के समय ईमेल भेजना, ईकाईयों का क्रेडिट/डेबिट, प्रत्याहरण, प्राण में राशि, अभिदाता कार्यक्रम जागरूकता

कार्यक्रम का आयोजन करना तथा सभी एनपीएस हितधारकों को वेब आधारित एक्सेस देना। सीआरए सभी अभिदाताओं तथा नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली तथा कॉल सेंटर की सुविधा भी प्रदान करती है। इन सेवाओं के अतिरिक्त सभी अभिदाता प्रबंधन सेवाएं जैसे योजना परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरण में परिवर्तन, शिकायत प्रबंधन आदि सीआरए द्वारा प्रबंधित होता है।

3. मध्यस्थ ईकाईयों को सेवाएं

क) पेंशन निधि प्रबंधक :

यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीएफएम्स की निधियों को समय से आबंटित करे, समेकित निवेश वरीयता योजना सूचना का निर्माण करे तथा भेजे, पीएफएम्स को न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त निधि स्थानान्तरण रिपोर्ट के पुष्टिकरण के आधार पर नेट फण्ड स्थानान्तरण रिपोर्ट भेजे तथा योजना प्रदर्शन रिपोर्ट का एनएवी द्वारा प्रयोग करते हुए गणना करना जो पीएफएम द्वारा सीआरए को भेजी गई।

ख) न्यासी बैंक :

न्यासी खातों से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्टों को पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट से मिलाना तथा निधि योजना पर त्रुटि/ विभिन्नता रिपोर्ट जारी करना, न्यासी बैंक को निर्देश देना कि अभिदाता खाते में प्रत्याहरण निधि प्रेषित करे तथा वार्षिकी योजना के लिए लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को शेष राशि प्रेषित करे।

ग) वार्षिकी सेवा प्रदाता:

अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र प्राप्त करें तथा उन्हें एसपीज को तथा वार्षिकी स्थानान्तरण विवरण को एसपीज को भेजें तथा अभिदाताओं की वार्षिकी के निधि स्थानान्तरण विवरण को एसपीज को भेजें। इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्थानान्तरण को एसपीज को स्थानांतरित करें जो कि वार्षिकी विवरण से सम्बंधित हो तथा वार्षिकी योजना पर निदेश भेजना।

4 अन्य

पीएफआरडीए को आवधिक तथा एडहोक एमआईएस (शिकायत निवारण सम्मिलित), राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय को प्रदान करना, आवधिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम नोडल कार्यालयों के लिए

आयोजित करना तथा अनंत एवं त्रुटिमुक्त प्रणाली कार्य जिसमें सीआरए प्रणाली, पीएफएम्स, टीबी तथा अन्य एनपीएस ईकाईयां शामिल हों, को प्रदान करना

क. वार्षिक शुल्क

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 के विनियम 22 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शुल्कों का 0.05 गुणा की दर से वार्षिक शुल्क देगा।

ख. विनियम

पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015, 27 अप्रैल 2015 को अधिसूचित हुए। आगे, पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, 25 जून 2018 को अधिसूचित हुआ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण) विनियम 2015, का लक्ष्य, वह ईकाई जो केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहती है कि पात्रता, शासन, संगठन तथा परिचालन आयोजन के लिए मानदंड निर्धारित करना है। विनियम, पीएफआरडीए विनियम के अनुसार निरीक्षण, जांच, निगरानी तथा पुनर्बलन शक्तियों का प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रयोग सुनिश्चित करेगा तथा प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

ईकाई जो इन विनियम के तहत केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के रूप में पंजीकृत है, को एक आंतरिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो आंतरिक संगठन तथा परिचालन आयोजन के लिए स्थापित मानदंडों का एनपीएस अभिदाताओं तथा उनकी आस्तियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अनुपालन करे।

ग. नयी क्रियात्मकताओं का विकास

विभिन्न हिस्सेदारों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मोडयूल्स की निरंतर वृद्धि तथा विकास सीआरए का प्रमुख कार्य है, सीआरए द्वारा विभिन्न क्रियात्मकताएं विकसित की गई हैं ताकि एनपीएस प्रणाली के निर्बाध काम काज को सुनिश्चित किया जा सके, कुछ प्रमुख विकास निम्नानुसार हैं :

एनपीएस के तहत अभिदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं :

- आईपिन/टीपिन के त्वरित जारीकरण की सुविधा अभिदाता सीआरए प्रणाली में अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विशिष्ट सन्दर्भ संख्या प्राप्त करते हुए शीघ्रता से आईपिन जारी कर सकता है टिपिन को अभिदाताओं द्वारा सीआरए टोलफ्री नंबर पर कॉल करके तथा कॉल सेंटर में बात करके जारी किया जा सकता है।
- प्राण कार्ड का पुनर्मुद्रण – अभिदाता अपने खाते में लॉग इन करते हुए प्राण कार्ड के पुनर्मुद्रण का विकल्प चुन सकता है। प्राण कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए शुल्क बिल अंतरण द्वारा संभव है।
- खाते को पीओपी से ई-एनपीएस में स्थानांतरित करना – अभिदाता अपने टियर I/टियर II या दोनों को सीआरए खाते में लॉग इन करते हुए पीओपीज से ईएनपीएस में स्थानांतरित कर सकता है।
- एपीवाई के लिए पंजीकरण को सरल बनाया गया है –अभिदाता ई एनपीएस के मुख्य पृष्ठ पर एपीवाई एप पर क्लिक करते हुए एपीवाई के लिए पंजीकरण कर सकता है। अभिदाता को पंजीकरण तथा एपीवाई एसपी बैंक विवरण जिसके द्वारा एपीवाई प्राण जारी किया जाएगा प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- पीएफएम और निवेश विकल्प को बदलना अभिदाताओं के पास अपने पीएफएम को एक बार बदलने की सुविधा है तथा निवेश विकल्प साथ ही साथ आस्ति आबंटन अनुपात एक वित्त वर्ष में दो बार बदलने का विकल्प होता है बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के।

केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में विकास अभिदाताओं के लिए :

- मानक अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर सहित सम्बंधित प्रश्न श्रेणी में, अब अभिदाता तथा ईकाई के लिए (एनपीएस अभिदाता के लिए शिकायतें

करना) सीजीएमएस में उपलब्ध है। कोई अभिदाता जो सीजीएमएस के माध्यम से प्रश्न उठाता है एफएक्यूज तथा चयनित शिकायत श्रेणी के आधार पर उपयुक्त उत्तर देखने का प्रावधान है।

- मांग के आधार पर अभिदाता के लिए शिकायत का पूर्व विवरण उपलब्ध है।
- शिकायत का प्रकार तथा उप प्रकार का चयन करने पर, अभिदाता को अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके समाधान दिखाए जाएंगे, यदि किसी मामले में जहाँ अभिदाता समाधान से संतुष्ट नहीं होता वो आगे शिकायत कर सकता है

नोडल कार्यालयों के लिए :

- लंबित शिकायतों के लिए पाक्षिक ईमेल अलर्ट्स नोडल कार्यालयों द्वारा भेजे जाते हैं। अब, लंबित शिकायतों के विवरण को प्राप्त करने के लिए इन अलर्ट्स में वृद्धि की गई है।
- एनपीएस लाइट तथा एपीवाई के तहत नोडल कार्यालय को सम्बंधित अभिदाता के लिए लंबित रेफरल्स डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही, एक दिन के दौरान की गई शिकायतों और उनमें से सुलझाई गई शिकायतों के लिए ईमेल अलर्ट्स एनपीएस लाइट और एपीवाई कार्यालय को भी भेजे जाएंगे।
- एनपीएस लाइट तथा एपीवाई के तहत निरीक्षण कार्यालयों को सीजीएमएस के तहत 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए लंबित शिकायतों के सन्दर्भ में पाक्षिक ईमेल अलर्ट्स भेजे जाएंगे।

ईएनपीएस के तहत नए गुण

1. ईएनपीएस वेबसाइट का हिंदी संस्करण

ईएनपीएस अभिदाताओं की सुविधा के लिए ईएनपीएस वेबसाइट का द्विभाषी संस्करण विकसित किया गया है। अभिदाता के पास अब विकल्प है कि वह वांछित भाषा विकल्प (अंग्रेजी या हिंदी) को पंजीकरण तथा/या ईएनपीएस के माध्यम से अंशदान के लिए चुन सकता है।

2. आधार के माध्यम से पंजीकरण के लिए ई-साइन

आधार के माध्यम से पंजीकरण के मामले में, अभिदाता के लिए ईएनपीएस के तहत पंजीकरण पूर्ण होने के 90 दिनों की अवधि के भीतर, भौतिक आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य था। ई एनपीएस सुविधा (आधार ई-केवाईसी) को ई एनपीएस मंच के साथ जोड़ा गया है ताकि अभिदाता अपने प्राण आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर करने में सक्षम हो सके। इस प्रक्रिया ने सीआरए को भौतिक दस्तावेज़ जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

एनपीएस मोबाइल एप में नए गुण

1. टियर II आहरण

अभिदाता अब मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए, एनपीएस के तहत टियर II खाता प्रत्याहरण प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है। अभिदाता अपनी यूज़र आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एप में लॉग इन करेगा। टियर II प्रत्याहरण तथा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को जारी करने का विकल्प मोबाइल एप में उपलब्ध है। सही ओटीपी डालने पर, अभिदाता के पास प्रत्याहरण के प्रकार को चयन करने का विकल्प प्राप्त होगा (i) एकमुश्त (राशि) या (ii) योजनावार ईकाईयां। एक बार अभिदाता द्वारा विकल्प चयन करने तथा उपयुक्त विवरण जमा करने पर, यह सीआरए प्रणाली में निष्पादित हो जाएगा तथा निधियां अभिदाता के बैंक खाते में, जो कि सीआरए में दर्ज है, में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

2. आधार से जोड़ना

अब अभिदाता मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए अपने एनपीएस खाते को आधार से जोड़ सकता/सकती है। अभिदाता एप में लॉग इन करेगा अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ तथा आधार संख्या को ऐड/अपडेट करने का विकल्प चुनेगा। अभिदाता के लिए उसका आधार प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध होगा। एक बार आधार के दर्ज कर दिए जाने पर, एनपीएस के तहत

पंजीकृत अभिदाता विवरण यूआईडीआई के साथ पंजीकृत मोबाइल संख्या में ओटीपी में भेजा जाएगा। अभिदाता ओटीपी दर्ज करेगा तथा सही ओटीपी डालने पर, आधार प्राण के साथ जुड़ जाएगा।

3. ओटीपी का प्रयोग करते हुए पासवर्ड बदलना

अभिदाता मोबाइल एप का प्रयोग करते हुए ओटीपी के माध्यम से अपना पासवर्ड बदल सकता/सकती है। अभिदाता को अपना प्राण जन्मतिथि दर्ज करने तथा नया पासवर्ड डालने और ओटीपी जारी करने की आवश्यकता होगी। उसके मोबाइल (सीआरए के साथ पंजीकृत) पर प्राप्त उचित ओटीपी को दर्ज करने पर पासवर्ड सक्रिय हो जाएगा। गुप्त प्रश्न के प्रयोग द्वारा पासवर्ड बदलने के विकल्प के अतिरिक्त यह विकल्प है।

4. आईओएस और विडोज़ मंच प्रयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल एप

अभिदाता जो आईओएस और विडोज़ मंच का प्रयोग करते हैं के लिए मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है।

5. एनपीएस लाइट और एपीवाई अभिदाताओं के लिए मोबाइल एप उपलब्ध कराया गया है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के नए गुण

1. ईप्राण कार्ड और अंतरण प्रकथन

एपीवाई अभिदाता के ईप्राण कार्ड/तथा संव्यवहार प्रकथन को डाउनलोड/प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एपीवाई अभिदाता ई प्राण कार्ड तथा संव्यवहार प्रकथन तक सीआरए के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तब अभिदाता को न्यूनतम विवरण जैसे प्राण तथा बैंक खाता संख्या या अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या तथा एपीवाई के तहत सीआरए प्रणाली में पंजीकृत जन्मतिथि को भरने की आवश्यकता है।

2. शिकायतों के लिए अलर्ट

एक ईमेल/एसएमएस अलर्ट (टोकन संख्या सहित) एपीवाई अभिदाता को सीआरए प्रणाली में शिकायत

जारी करने तथा समाधान करने के लिए भेजा जाएगा।

3. एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के लिए उपलब्ध ऑनलाइन अंशदान

स्वावलंबन अभिदाता, संकलनकर्ता के माध्यम के पास जाने के बजाय अपने प्राण में ईएनपीएस के प्रमुख पृष्ठ में अंशदान बटन पर क्लिक करते हुए अंशदान कर सकते हैं।

4. एपीवाई-एसपी / एपीवाई-एसपी शाखा

एपीवाई अभिदाता अपनी बैंक / शाखा जो कि एपीवाई खाते से जुड़ी हो को बदल सकते हैं।

5. एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिए ईप्राण

एनपीएस लाइट के अभिदाता अपना ईप्राण कार्ड देख सकते हैं। अपना प्राण कार्ड देखने के लिए अभिदाता को अपनी प्राण संख्या तथा बैंक खाता प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जबकि यदि किसी मामले में अभिदाता को अपनी प्राण संख्या याद नहीं है, ई प्राण कार्ड को अन्य विवरण जैसे बैंक खाता संख्या, नाम तथा जन्मतिथि दर्ज करके प्राप्त किया जा सकता है।

आहरण तथा संवितरण कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन अभिदाता पंजीकरण

ऑनलाइन प्राण जेनरेशन मोड्यूल ओपीजीएम) का प्रयोग करते हुए, सरकारी क्षेत्र के लिए आहरण तथा संवितरण कार्यालय के लिए अभिदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आहरण तथा संवितरण कार्यालयों को अंतर्निहित अभिदाताओं के पंजीकरण विवरणों को एकत्रित करने की आवश्यकता होती है तथा इसे सम्बंधित डीटीओज़ / डीटीएज़ द्वारा सत्यापित करवाने की आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अब ओपीजीएम में कुछ इस प्रकार बदलाव किये गए हैं कि डीटीओ पंजीकरण विवरण को एकत्रित कर सकता है तथा सम्बंधित डीटीए इसे सत्यापित कर सकता है।

पूर्व में नोडल कार्यालयों को 26 अंक के पीओएफआईएन को निधि स्थानांतरित निर्देश में, न्यासी बैंक को निधि स्थानांतरित करते समय प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। इसे अब घटाकर 13 अंक कर दिया गया है ताकि गलत

पीओएफआईएन के कारण होने वाली निधि वापसी की घटनाओं को कम किया जा सके।

ऑनलाइन सशर्त प्रत्याहरण आरम्भ के लिए विकल्प आहरण तथा संवितरण कार्यालयों को प्रदान किया गया है।

त्रुटि आशोधन मोड्यूल (ईआरएम)

नोडल कार्यालयों द्वारा एक ईआरएम अनुरोध प्रसंस्कृत किया जाता है जिनके द्वारा सीआरए प्रणाली में अंशदान अपलोड किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अब राज्य सरकार के मामले में, नोडल कार्यालयों की ओर से एकल ईआरएम संव्यवहार करने की सुविधा निरीक्षण कार्यालय को प्रदान की गई है। यह विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा एकत्रित बहु ईआरएम अनुरोध के लिए प्रयासों तथा समय को बचाएगी।

ऑनलाइन कॉर्पोरेट पंजीकरण

ईएनपीएस मंच के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को कोर्पोरेट्स के लिए सक्षम बनाया गया है। कॉर्पोरेट को उपयुक्त पंजीकरण विवरण प्रदान करने तथा आगे के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त दस्तावेजों को जमा करने हेतु एक पीओपी के समन्वय की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट स्वर एकत्रित पंजीकरण विवरण को सम्बंधित पीओपी द्वारा अधिकृत कराने की आवश्यकता होती है।

सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरएज़) को पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस पर सलाह देते हुए उसकी पहुँच को बढ़ाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए नियुक्त किया गया है। आरएज़ कोई भी व्यक्ति पंजीकृत साझेदारी कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय या कोई पंजीकृत न्यास या संस्था हो सकती है। ऑनलाइन मंच को सीआरए प्रणाली में विकसित तथा जारी किया गया है जिससे एक व्यक्ति / ईकाई को आरए के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

नई सीआरए टोलफ्री हेल्पलाइन

सीआरए को अपनी सामान्य शंकाओं / शिकायतों के सन्दर्भ में संपर्क करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री नंबर (1800222081) को नोडल कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर (1800222080) के अतिरिक्त है।

3.16.5 पेंशन निधियां

एनपीएस तथा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित किसी अन्य योजना की आस्तियों के प्रबंधन व्यावसायिक निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गए हैं।

पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्य में सम्मिलित हैं :

- क. प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तथा अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन के अधीन आस्तियों का व्यावसायिक निवेश।
 - ख. प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुसार योजना पोर्टफोलियो निर्माण
 - ग. इस कार्य की पुस्तकों तथा आलेखों का प्रबंधन
 - घ. प्राधिकरण द्वारा एनपीएसटी को आवधिक अंतराल पर रिपोर्टिंग।
 - ड. लोक प्रकटीकरण
- एनपीएस के तहत 8 पेंशन निधियां हैं। यह तीन निम्नलिखित पेंशन निधियां सरकारी क्षेत्र योजनाओं और एपीवाई योजनाओं को प्रबंधित करती हैं।
- i) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 - ii) एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

सरकारी कर्मचारी एनपीएस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क वर्तमान में प्रबंधन के अधीन आस्तियों का 0.0102 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

निजी क्षेत्र एनपीएस योजनाएं निम्नलिखित पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं :

- i) एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कं लिमिटेड
- ii) आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कं लिमिटेड
- iii) कोटेक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- iv) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

- v) रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड
- vi) एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii) यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- viii) आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड (व्यवसाय आरम्भ करने के लिए प्रमाणपत्र 23 फरवरी 2017 को दिया गया है)

3.16.6 न्यासी बैंक

क) न्यासी बैंक :


एक्सिस बैंक लिमिटेड को एक खुली बोली प्रक्रिया द्वारा 1 जुलाई 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एनपीएस के तहत न्यासी बैंक चुना गया है। पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार।

न्यासी बैंक की भूमिका और उत्तरदायित्व :

- 1) न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न ईकाईयों जैसे नोडल कार्यालय (अपलोडिंग कार्यालय), पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता तथा अभिदाताओं के बीच निधि स्थानांतरित करता है।
- 2) न्यासी बैंक विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा प्राप्त निधि विवरण की फाइल को सीआरए प्रणाली में अपलोड करते हैं। यह विवरण तब उन अंशदान विवरणों से मिलाये जाते हैं जो नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान/उपलब्ध कराये जाते हैं।
- 3) न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली से पेइन् प्रक्रिया के भाग के रूप में विभिन्न ईकाईयों को निधि स्थानान्तरण अर्थात् पीएफएम वार्षिकी सेवा प्रदाता प्रत्याहरण खाते से निधि स्थानान्तरण निर्देश प्राप्त करते हैं तथा पेंशन निधि प्रबंधक(कों) से निधि प्राप्त करते हैं।
- 4) सम्बंधित ईकाईयों को अपरिचित प्रेषणों या अपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध प्रेषणों की वापसी।
- 5) प्रत्येक निपटान दिवस की समाप्ति पर न्यासी बैंक खाते में शेष निधि सीआरए प्रणाली में मिलाई जाती है।

निम्नलिखित चित्र एनपीएस ढाँचे में न्यासी बैंक की भूमिका दर्शाता है :

चार्ट 3.5 : एनपीएस संरचना तथा मध्यस्थ ईकाईयां



ग) न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक के लिए आधिकारिक गतिविधियाँ सीआरए में विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी हैं। अतः बैंक यह सुनिश्चित करता है कि यह गतिविधियाँ निर्दिष्ट समयसीमा में पूर्ण हो। नीचे दिया गया चार्ट प्रमुख गतिविधियों का मूलतत्त्व प्रदान करता है तथा उस समयसीमा को बताता है जिसके बैंक द्वारा यह गतिविधि होनी चाहिए।

तालिका 3.25 : न्यासी बैंक की प्रमुख गतिविधियाँ

गतिविधियों के प्रकार	समयसीमा
अपरिचित निधियों की वापसी	टी+1
निधि प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल अपलोड (एफआरसी)	टी +1 (प्रातः 9:00 बजे तक)
सीआरए से पे इन निर्देश फाइल डाउनलोड करना	प्रतिदिन
पेंशन निधि प्रबंधकों को मिलान तथा बुक की गई निधियों का स्थानान्तरण	टी+1
विवरण अपलोड तथा विभिन्न खातों का अंतिम शेष	प्रतिदिन

टिप्पणी : (परिकल्पना – टीबी में निधि प्राप्ति, दिन टी पर हुई)

1. चुनौतियाँ जिनका सामना किया गया

- (1) लंबित एससीएफस— कई नोडल कार्यालय एससीएफ को दो बार अपलोड करते हैं इन एससीएफ से सम्बंधित निधियों को प्रेषित नहीं करते। पीएफआरडीए इन एससीएफ का निर्दिष्ट समयसीमा में मिलान करने तथा बुक करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है।
- (2) क्रेडिट गैर उपलब्धता – कई बार नोडल कार्यालय अपनी निधियाँ प्रेषित करने में नियमति नहीं होते। पीएफआरडीए निरंतर ही सम्बंधित संगठन पीएओज के साथ अभिदाता के प्राण में क्रेडिट की गैर उपलब्धता के मामले पर चर्चा कर रहा है ताकि अभिदाता विलम्ब के कारण निवेश अवसर को खो न दे।
- (3) अपूर्ण विवरण के साथ प्रेषित निधियाँ – कई नोडल कार्यालय न्यासी बैंक को पूर्ण जानकारी के बिना निधि स्थानान्तरित करते हैं जैसे पीएओ आईडी,

संव्यवहार आईडी आदि। यह प्राप्त निधियाँ मई 2012 से पूर्व की हैं, जो अपरिचित हैं जिनके लिए नोडल कार्यालयों ने न तो निधि स्थानान्तरण विवरण मुहैया करवाया है, न ही एससीएफ अपलोड की है। पीएफआरडीए निरंतर ही इसकी नोडल कार्यालय के साथ समाधान हेतु चर्चा कर रहा है।

- (4) टीबी द्वारा अभिदाताओं को बाहरी प्रेषणों की वापसी – प्रत्याहरण निधियाँ जो टीबी द्वारा अभिदाताओं को प्रेषित की गई थी विभिन्न कारणों से वापस लौट गई, इनमें से प्रमुख थे गलत बैंक विवरण, गलत आईएफसी, लाभार्थी के नाम में परिवर्तन आदि।

3.16.7 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015

पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015, 23 मार्च 2015 को अधिसूचित हुए।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम का कार्य उन ईकाईयों जो न्यासी बैंक के रूप में कार्य करना चाहती हैं के लिए पात्रता, शासन, संगठन तथा परिचालन आयोजित करने हेतु मानदंड निर्धारित करना विनियम निरीक्षण जांच निगरानी तथा पुनर्बलन शक्तियों और पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

3.16.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

अभिरक्षक संव्यवहारों के सुरक्षा पहलू को प्रबंधित करते हैं। एनपीएस न्यास के लिए खरीदी गई प्रतिभूतियों को अभिरक्षक द्वारा रखरखाव किया जाता है जो कि प्रतिभूति संव्यवहारों की सुविधा, प्रतिभूतियों की डिलीवरी करके तथा उनकी स्वीकृति करके प्रदान करता है।

अभिरक्षक के कार्यों में सम्मिलित है :

- धारण प्रतिभूतियों का प्रबंधन
- प्रतिभूतियों पर लाभ प्राप्त करना जैसे लाभांश अधिकार, बोनस आदि।
- धारित प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं की क्रियाओं के विषय में सूचित करना जो कि लाभों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रही है, अभिरक्षक शुल्क

अभिरक्षक के तहत आस्ति का 0.0032% प्रति वर्ष है।

3.16.9 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

एनपीएस न्यास की स्थापना, केंद्र सरकार के पत्र डी.ओ. छव 5(75)/2006-ECB & PR दिनांक 24 अप्रैल 2007 के अनुसार की गई, पीएफआरडीए न्यास का स्थापक है तथा पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस न्यास विलेख 27 फरवरी 2008 को हुआ। पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास के बीच एक समझौता ज्ञापन जो दोनों पक्षों के लिए अधिकारों तथा बाध्यताओं को अंकित करता है 1 जुलाई 2009 को हस्ताक्षरित हुआ।

एनपीएस न्यास की स्थापना तथा गठबंधन एनपीएस के तहत लाभार्थियों (अभिदाताओं) के हितों के लिए आस्तियों तथा हितों को धारण करने के लिए हुई है। न्यासियों के पास न्यास निधि का कानूनी स्वामित्व है तथा सामान्य अधीक्षण दिशा तथा न्यास के कार्यों का प्रबंधन तथा सभी शक्तियों प्राधिकार तथा अनुबध निर्णय या न्यास से सम्बंधित, पूर्ण रूप से न्यासियों के अधिकारों में निहित है जो फिर भी पीएफआरडीए अधिनियम-2013 भारतीय न्यास अधिनियम-1882 एनपीएस न्यास विलेख तथा इसके अतिरिक्त पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों या मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन हैं। जबकि लाभार्थी हित सदेव एनपीएस न्यास के लाभार्थियों के साथ रहेंगे।

प्राधिकरण ने उपयुक्त पृष्ठभूमि तथा अनुभव वाले व्यक्ति को न्यास के मुख्या कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो कि न्यास के रूप में नियुक्त किया है जो कि न्यास के दैनिक प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जो कि अधीक्षण, नियंत्रण तथा बोर्ड की दिशानिर्देश के अधीन होगा। बोर्ड की तीन महीनों में एक बार बैठक होती है। एनपीएस न्यास बोर्ड का 31 मार्च 2018 तक के अनुसार गठन निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका :3.26 दिनांक 31 मार्च 2018 तक के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड का गठन

क्र. सं.	नाम	पद
1	श्री. अश्विन पारेख	अध्यक्ष और न्यासी
2	श्री . संजीव चानना	न्यासी
3	श्री अतानु सेन	न्यासी
4	श्री . दिनेश कुमार मेहरोत्रा	न्यासी
5	श्री राधाकृष्णन नैय्यर	न्यासी

1. एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधियों का प्रबंधन

एनपीएस न्यास के नाम पर अभिदाताओं की एनपीएस निधियां 8 नियुक्त पेंशन निधियों द्वारा न्यासियों की ओर से प्रबंधित की जाती है ताकि अभिदाताओं के हितों, एनपीएस न्यास के लक्ष्यों को समझाया जा सके तथा पूरा किया जा सके। पेंशन निधियों के प्रदर्शन की तिमाही आधार पर एनपीएस न्यास द्वारा समीक्षा की जाती है तथा निर्देश/मार्गदर्शन उन्हें अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्देश/मार्गदर्शन दिए जाते हैं।

2. न्यासियों की बोर्ड की बैठकें हुई तथा अभिदाताओं के हितों के लाभ/सुरक्षा के लिए प्रमुख मुद्दों की चर्चा की गई।

वित्त वर्ष 2017 – 18 के दौरान, एनपीएस न्यासियों के बोर्ड की चार बैठकें हुई, अभिदाताओं के लाभों/हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित मुद्दों की चर्चा की गई,

- एनपीएस के लिए द्वितीय पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर का परिचालन
- पेंशन निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा
- एनपीएस/एपीवाई योजना खातों की लेखापरीक्षा

3.16.10 अन्य मध्यस्थ ईकाईयां जिनमें संकलनकर्ता आदि सम्मिलित हैं

संकलनकर्ता वो मध्यस्थ ईकाईयां हैं जो पीएफआरडीए द्वारा परिचित तथा अनुमोदित है, एनपीएस स्वावलंबन के तहत अभिदाता इंटरफेस कार्य करने के लिए संकलनकर्ता वो ईकाईयां हैं जो वर्तमान में मौजूद है जिनका अभिदाताओं के साथ निरंतर परिचालन सम्बन्ध सामाजिक-आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं के सम्बन्ध में डिलीवरी प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में संकलनकर्ताओं के पुनर-पंजीकरण द्वारा 10 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

संकलनकर्ताओं के कार्य में सम्मिलित है :

- एनपीएस का प्रचार तथा उनके गठित समूह सदस्यों के बीच वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता।
- एएमएल/सीएफटी आवश्यकताओं के तहत यथानिर्देशित 'अपने ग्राहक को जाने' आवश्यकताओं

को संभावी एनपीएस अभिदाताओं के सन्दर्भ में पूरा करना।

- निधि तथा डाटा अपलोड से सम्बंधित उत्तरदायित्वों को निर्धारित समय सीमा के दौरान प्रदान करना।
- अभिदाताओं से अंशदान संकलन तथा इसे न्यासी बैंक में भेजना सुनिश्चित करना।
- एनपीएस लाइट के तहत यथानिर्देशित सेवाओं की उपलब्धता को अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए सुनिश्चित करना।
- अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन और उनका समाधान।
- पीएफआरडीए द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य कोई उत्तरदायित्व सौंपना।

सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार (आरएज) को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि एनपीएस पर सलाह देने को गतिविधियों में संलग्न रहे तदनुसार एनपीएस की पहुँच बढ़ाए। एक ऑनलाइन मंच को सीआरए प्रणाली में विकसित तथा जारी किया गया ताकि वह आरए के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति/संस्था का पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सके।

पेंशन प्रणालियों की परिकल्पना में परिभाषित—लाभ योजनाओं से परिभाषित—अंशदान योजनाओं बदलाव जहाँ व्यक्ति विशेषों को वित्तीय निर्णय लेने तथा बड़े वित्तीय जोखिमों को सहन करना होगा उपयुक्त निवेश विकल्प चयन करना पेंशन योजना प्रतिभागियों के लिए कठिन है। भारत को वित्तीय साक्षरता के मामले में, कमतर समझा जाता है, जो सेवानिवृत्ति निर्णयों के सम्बन्ध में वित्तीय सलाह की मूर्त आवश्यकता को दर्शाता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार मार्गदर्शन में तथा ग्राहकों में निवेश तथा भुगतान विकल्पों की बेहतर समझ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मानव संसाधनों के ऐसे समूह में विकास की ऐसी आवश्यकता को दर्शाता है जिनके पास उचित कौशल हो तथा सेवानिवृत्ति सलाह में विशेषज्ञता हो तथा बाज़ार प्रतिभागियों के लिए सेवानिवृत्ति गुणवत्ता मध्यस्थता के लिए उचित पेंशन / बचत उत्पादों का चयन करता हो।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा भारतीय तंत्र के संगठित और असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति जनसँख्या के हित की रक्षा करने तथा प्रमुख रूप से एनपीएस से रिटर्न्स के लिए विभिन्न विकल्पों की समझ में कमी के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए पीएफआरडीए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) को सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन के रूप नियुक्त किया जाए।

सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए योग्यता, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क आदि के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ तथा पेंशन क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति सलाहकार का कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व निर्माण करने के लिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित किये गए।

3.16.11 पेंशन के क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले अन्य कार्य

एनपीएस निजी क्षेत्र अर्थात् एनपीएस—सर्व नागरिक मॉडल तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल में शामिल होने की आयु वर्तमान की 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई।

एनपीएस निजी क्षेत्र अर्थात् एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल में शामिल होने की आयु वर्तमान की 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई।

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी नागरिक जो 18—60 वर्ष के आयु समूह में हो एनपीएस में स्वैच्छिक आधार पर शामिल होने के लिए पात्र है। सामान्य जनता, कॉर्पोरेट तथा मध्यस्थ ईकाईयों से प्रतिपुष्टि/सुझाव वार्तालाप के दौरान प्राप्त करने के बाद, एनपीएस में शामिल होने की आयु में संशोधन किया गया तथा इसे 65 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। अभिदाता जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात् शामिल होता है, 70 वर्ष की आयु तक प्रणाली में बने रहने के लिए योग्य है तथा इस अवधि के दौरान अभिदाता अंशदान जारी रख सकता है। तदनुसार जीवनचक्र निधि के तहत आसित आबंटन परिकल्पित किया गया, जो कि पीएफआरडीए वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र में देखा जा सकता है।

साइबर सुरक्षा का कार्यान्वयन :

पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थ ईकाईयों के लिए साइबर सुरक्षा नीति का अंतिम निर्धारण और क्रियान्वयन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निपटाने तथा इसे उद्योग के प्रमुख तरीकों से मिलान करने के लिए एक पहल की गई है।

ईएनपीएस ऑनलाइन मंच

आईसीटी मंच (सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी) के व्यापक प्रयोग द्वारा अंतिम स्तरीय संपर्क प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस के प्रचार डिजिटल इंडिया अभियान पर प्रकाश डालते हुए, पीएफआरडीए, एनपीएस के संभावी तथा साथ ही साथ मौजूदा अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन अंतरण सुविधा को विकसित तथा परिचालित कर रहा है। इस ओर अभिदाताओं के पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान की प्राप्ति के लिए, एनपीएस न्यास के माध्यम से दूधचेजतनेज.वतह.पद विकसित किया गया है। इस मंच के द्वारा, संभावी अभिदाता एनपीएस के लिए पंजीकृत हो सकता है, अपने स्थायी खाता संख्या में अंशदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभिदाता जिनका पहले से एनपीएस खाता है सीधे ईएनपीएस के माध्यम से अंशदान कर सकते हैं तथा एनपीएस ऑनलाइन मेन्यू को एनपीएस में पंजीकृत होते समय, अभिदाता अपना नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरण प्रदान कर सकता है जो कि आयकर विभाग के साथ वैधकीकृत होजाएगी। अभिदाता तब तक बैंक (जिसके माध्यम से केवाईसी सत्यापन होना है) का चयन करेगा, व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा, व्यक्तिगत विवरण भरेगा तथा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेगा। विवरण भरने पर, अभिदाता नेट बैंकिंग द्वारा चयनित बैंक के खाते से अंशदान करेगा। एक बार भुगतान हो जाने पर। प्राण अभिदाता को ऑनलाइन प्रदान कर दिया जाएगा। सीआरए प्रणाली के माध्यम से अभिदाता द्वारा जमा विवरण

चयनित बैंक को केवाईसी सत्यापन के पश्चात् प्राण सक्रिय तथा क्रियाशील हो जाएगा। अभिदाता को प्रपत्र प्रिंट करने, फोटो चिपकाने, हस्ताक्षर करने तथा सीआरए को भौतिक प्रपत्र निर्धारित समय सीमा में अंशदान ऑनलाइन ज़ारी रखते हुए जमा करने की आवश्यकता होगी। अभिदाता नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती अंशदान ऑनलाइन करेगा तथा यह अभिदाता के प्राण खाते में टी+2 आधार पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ईएनपीएस पर पूर्ण जानकारी पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है तथा साथ ही एनपीएस न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर उपलब्ध है। सीआरए-एनएसडीएल की वेबसाइट के अनुसार, मौजूदा समय में 26 बैंक इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, तमिलनाडु मरसेंटाइल बैंक लिमिटेड, करूर वैश्या बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक ईएनपीएस मंच के माध्यम से सेवाएं पेश कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 तक के अनुसार 2.75 लाख टियर। खाते तथा 0.86 लाख टियर II खाते ईएनपीएस के माध्यम से खोले गए।

● एपीवाई ऑनलाइन उपकरण

पीएफआरडीए ने अनेक ऑनलाइन गुण पेश किये हैं जो कि अभिदाताओं को एपीवाई गुणों तक पहुँचने के लिए बिना बैंक/डाक शाखा तक जाए हुए सेवा प्रदान करता है जैसे :

संख्या	डिजिटल उपयोगिता	लाभ
1	एपीवाई शिकायत मोड्यूल	यह मोड्यूल अभिदाताओं द्वारा शिकायतों को करने तथा उनकी स्थिति की जांच करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
2	एपीवाई अपग्रेड/एपीवाई डाउनग्रेड व्यू	एपीवाई अभिदाता वर्ष में एक बार पेंशन राशि को बढ़ा सकता है/कम कर सकता है। यह गुण प्रयोगकर्ता को सक्षम बनाता है कि वह भिन्न राशि जो जमा करनी है/प्राप्त करनी है, की जांच कर सकता है। अपग्रेड के मामले में उच्च राशि जमा की जानी होती है तथा डाउनग्रेड करने के मामले में अतिरिक्त अंशदान अभिदाता को वापस कर दिए जाएंगे।
3	ई प्राणकार्ड /ई सोट सुविधा	यह संव्यवहार प्रकथन तथा ई प्राण कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उपयोगी है। इस विकल्प में प्राण के साथ खोजने और प्राण के बिना खोजने की सुविधा सम्मिलित है। अभिदाता वित्तवर्षानुसार संव्यवहार प्रकथन को डाउनलोड कर सकता है।
4	आधार से जोड़ना	यह ओटीपी आधारित गुण है जहाँ एपीवाई खाते में प्राण तथा आधार संख्या को उपलब्ध कराकर आधार से जोड़ा जा सकता है। सफलतापूर्वक जमा होने पर, एक अभिस्वीकृति संख्या को पुष्टिकरण के लिए प्रदान किया जाएगा।
5	एपीवाई/ईएनपीएस (एपीवाई में डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा)	ईएनपीएस के माध्यम से डिजिटल एपी वाई नामांकन विस्तृत पहुँच सुनिश्चित करता है। यह प्रयोक्ता उपयोगी मंच है तथा यह एपीवाई के तहत नामांकन शुरू से अंत तक डिजिटल इंटरफेस, संभावी अभिदाता के लिए बिना भौतिक प्रपत्र के तथा बिना बैंक शाखा पर जाए सुनिश्चित करता है।
6	मोबाइल एप	एपीवाई मोबाइल एप अभिदाता को खाते का प्रकथन तथा एपीवाई खाते का अन्य विवरण देखने के लिए सशक्त बनाता है। स्मार्टफोन के साथ मौजूद एपीवाई अभिदाता गूगलस्टोर से एपीवाई मोबाइल एप डाउनलोड कर सकता है ताकि एपीवाई खाते की जानकारी सम्यक रूप से प्राप्त कर सके।

● ईएपीवाई (बैंक)

31 मार्च 2018 तक के अनुसार, 24 बैंक जिनमें प्रमुख बैंक सम्मिलित हैं ईएनपीएस (ऑनलाइन) पोर्टल के माध्यम से एपीवाई अभिदाता पंजीकरण को सक्षम किया है तथा 791 अभिदाता पंजीकरण अनुरोध प्रसंस्कृत हुए हैं।

लघु बैंक तथा भुगतान बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान बैंक तथा लघु वित्तीय बैंक, बैंकों के नए परिकल्पित मॉडल हैं। 11 भुगतान बैंकों तथा 10 लघु वित्तीय बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग परिचालन आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। लघु

वित्तीय बैंक तथा भुगतान बैंक नई आबदी के बैंक हैं तथा बैंक की दृढ़ता, विशेषज्ञता पहुँच दर्शाते हैं। लघु वित्तीय बैंक तथा भुगतान बैंक एपीवाई के तहत अभिदाताओं की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

एपीवाई वितरण के मौजूदा चैनलों को मजबूत करने के लिए यह महसूस किया गया है कि यह नए भुगतान बैंक तथा लघु वित्तीय बैंक, एपीवाई के तहत अभिदाताओं की पहुँच बढ़ाने में गति प्रदान करेंगे।

31 मार्च 2018 तक के अनुसार, सीआरए प्रणाली में निम्नलिखित लघु वित्तीय बैंक पंजीकृत हैं।

क्र.सं.	एपीवाई सेवा प्रदाता के नाम	राज्य का नाम
1	पेटीएम स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	उत्तर प्रदेश
2	ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	केरल
3	सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	महाराष्ट्र
4	एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	हरियाणा
5	एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	राजस्थान

एपीवाई राज्यानुसार प्रदर्शन तालिका अनुलग्नक I में है।

भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45 पेंशन सलाहकार समिति के गठन की बात करती है जिसमें कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं तथा वाणिज्य तथा उद्योग, मध्यस्थ ईकाईयों तथा पेंशन अनुसंधान में संलग्न संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जो विनियम बनाने सम्बन्धी मामलों पर सलाह दें या जो भी इससे सम्बंधित हो। संदर्भित वर्ष के दौरान पेंशन सलाहकार समिति की बैठक हुई अर्थात् 24 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में हुई।

24 अप्रैल 2017 को संपन्न हुई पीएसी की नौवीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने की आयु मौजूदा 60 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 65 वर्ष, एनपीएस निजी क्षेत्र अर्थात् एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के द्वारा पीओपीज़ का एनपीएस के प्रचार हेतु चयन
- डिफॉल्ट पेंशन निधि के चयन के लिए दिशानिर्देश
- निवेश दिशानिर्देश जो एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं जो पेंशन निधियों जिनकी लघु प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां हैं के लिए साध्यता

26 मार्च 2018 को संपन्न हुई पीएसी की दसवीं बैठक में निम्नलिखित एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई :

एकल यूनिफाइड विनियम के निर्माण का प्रावधान जो सभी वितरण चैनलों को शामिल करे, जो मौजूदा पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 के मौजूदा विनियम को

संशोधित करते हुए, पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित पेंशन योजनाओं को सम्मिलित करे, विनियमों के तहत संकलनकर्ता तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाता सहित।

- सीआरएज़ को निरंतर पंजीकरण देने के लिए विवरण मसौदा
- निकास विनियम को संशोधित करने के लिए सुझाव/प्रतिपुष्टि के प्रस्ताव पर
- पेंशन निधियों द्वारा संरचनागत परियोजनाओं में निवेश के लिए नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के लिए प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए सक्रिय विकल्प में इक्विटी निवेश मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% की सीमा करने पर सिद्धांत टिप्पणी

4.2 विनियम बनाए गए या संशोधित किये गए

मध्यस्थों के पंजीकरण/विपंजीकरण विनियम के निर्माण/संशोधन, नीतियों के निर्माण, सभी विनियामक आवश्यकताओं से सम्बंधित मुद्दे समयबद्ध तरीके से पूर्ण होते हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विनियामक विकास से सम्बंधित सूचना निम्नानुसार है :

1. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अधिसूचित नए विनियम : शून्य
2. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विनियमों में किये गए संशोधन :

तालिका संख्या 4.1 : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किये गए :

क्र.सं.	विनियमों में संशोधन	राजपत्र में अधिसूचना की तिथि
1.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017	28 अप्रैल 2017
2.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017	26 मई 2017
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017	11 सितम्बर 2017
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017	28 दिसम्बर 2017
5.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017	28 अप्रैल 2017
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2017	10 अगस्त 2017
7.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण)(द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017	6 अक्टूबर 2017
8.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण)(तृतीय संशोधन) विनियम, 2018	2 फरवरी 2018

4.3 अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के उपयोगीकरण पर समिति का गठन

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा तथा सुरक्षा निधि) विनियम 2015 की धारा 6 के अनुसार 7 दिसम्बर 2017 को एक समिति गठित की गई जिसके द्वारा अभिदाता शिक्षा जागरूकता एवं सुरक्षा गतिविधियों की सलाह दी जा सके तथा निधियों का उपयोग किया जा सके। समिति शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए निधि के उपयोगीकरण की सिफारिश करेगी जिनमें सम्मिलित है सेमिनार, संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण अनुसंधान तथा प्रकाशन, साहित्य का वितरण आदि है जो उन अभिदाताओं को लक्षित करता है जिनमें विभिन्न भौगोलिक स्थान सम्मिलित है।

(क) जैसे महानगर, गैर-महानगर तथा छोटे कस्बे

(ख) आय समूह, आयु समूह तथा क्षेत्र जिनमें सम्मिलित है।

असंगठित क्षेत्र, कॉर्पोरेट, स्वयं सहायता समूह तथा अन्य, समिति परियोजना जागरूकता कार्यक्रमों की अनुशंसा करता

है जिनमें सम्मिलित है—प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अभिदाता शिक्षा तथा उनके हितों की सुरक्षा को लक्षित करता है।

4.4 एनपीएस अभिदाताओं के लिए आवासीय सहायता पर समिति

एक समिति एनपीएस अभिदाताओं को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सुविधाएं देने हेतु नवम्बर 2016 में एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) की साध्यता का पता लगाने हेतु गठित की गई थी। समिति एनपीएस के मौजूदा प्रावधानों को सुधारने के लिए वांछनीयता तथा साध्यता की जांच करेगी जिससे अपने अभिदाताओं को आवासीय वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर सके। यह इस बात की जांच अनिवार्य अभिदाताओं (केंद्र राज्य तथा अन्य क्षेत्र संगठन कर्मचारी के लिए अनिवार्य) तथा उन अभिदाताओं के लिए जो स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस में शामिल हो रहे हैं। एनपीएस में आवासीय वित्तीय प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए निहितार्थ, अभिदाताओं, सरकार तथा अन्य हिस्सेदारों के लिए समिति द्वारा जांच की गई। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए समिति की बैठक एक बार हुई।

भाग V

5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए संगठनात्मक मुद्दे

5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 प्राधिकरण के गठन को दर्शाता है जिसमें सम्मिलित हैं, पीएफआरडीए अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। 31.03.2018 तक के अनुसार संरचना में शामिल हैं :

(i) अध्यक्ष

श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर 2014 में पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के बाद सांविधिक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का नेतृत्व करने वाले पहले अध्यक्ष हैं। वह 7 अक्टूबर 2014 को पीएफआरडीए में शामिल हुए। पीएफआरडीए में शामिल होने से पहले वह एक करियर बैंकर थे, जो 1974 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे।

(ii) पूर्ण कालिक सदस्य

1. डॉ बीएस भंडारी, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 16.05.2014 से आज तक
2. श्री प्रदीप चड्ढा, पूर्णकालिक सदस्य (विधि) 30.06.2016 से 26.03.2018 तक

3. श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 12.03.2018 से आज तक

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री वंदना शर्मा, अतिरिक्त सचिव, 12 दिसंबर 2014 से 11 अगस्त, 2017 तक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, 12 दिसंबर 2014 से आज तक।
3. श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, 23 जून 2016 से 03 नवंबर, 2017 तक
4. श्री संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव, डीपीपीडब्ल्यू, कार्मिक मंत्रालय, पी जी और पेंशन, 11 अगस्त, 2017 से आज तक अंशकालिक।
5. श्री मदेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, डीएफएस, वित्त मंत्रालय, 03 नवंबर, 2017 से आज तक अंशकालिक सदस्य।

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

सात बैठकें जिसमें प्राधिकरण के परिसंचरण के माध्यम से तय किए गए मामलों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था

5.2 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्राधिकरण की बैठकें :

1.	63 वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	28 अप्रैल 2017 शुक्रवार
2.	64वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	28 जून 2017 बुधवार
3.	65 वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	16 अगस्त 2017 बुधवार
4.	66वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	05 अक्टूबर , 2017 वीरवार
5.	67 वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	07 दिसम्बर 2017 वीरवार
6.	68 वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	24 जनवरी 2018 बुधवार
7.	69 वीं	प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई	ई-संचरण के माध्यम से

पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रमुख निर्णय, बोर्ड बैठकों के दौरान लिए गए, जिनमें सम्मिलित हैं :

- i) पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 के तहत 3 पीओपी, 3 पीओपी-कॉर्पोरेट और 1 पीओपी-उप इकाई को हाल ही में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और पीएफआरडीए (संकलनकर्ता) विनियम 2015 के तहत 10 संकलनकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में बोर्ड को सूचना
- ii) प्रशिक्षण अभिकरण के चयन तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के आईएल और एफएस स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के लिए आरएफपी जारी करना
- iii) सुरक्षा जमा पर स्पष्टता, आरए जोखिम प्रोफाइलिंग और बुनियादी ढांचे के विवरण से संबंधित पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में संशोधन
- iv) एनपीएस संरचना के तहत मध्यस्थों के लिए साइबर सुरक्षा नीति
- v) निवेश पैटर्न में परिवर्तन
- vi) एनपीएस ढाँचे में आरबीएस के कार्यान्वयन
- vii) पेंशन निधि द्वारा गतिविधियों पर दिशानिर्देश
- viii) पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के तहत नामित सदस्य की नियुक्ति
- ix) पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) की जांच और निगरानी प्रभासी के रूप में और पूर्णकालिक सदस्य (विधि) की उस सदस्य के रूप में नियुक्ति जो पीएफआरडीए (न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के साथ पठित उसकी धारा 30 के तहत जुर्माना आरोपित कर सकता है।
- x) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पीएफआरडीए का वार्षिक लेखा।
- xi) वार्षिक रिपोर्ट 2016-17।
- xii) एनपीएस निजी क्षेत्र के तहत उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) को देय सेवा शुल्कों में संशोधन।
- xiii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार और राज्य

सरकार के क्षेत्र के लिए पेंशन निधियों के बीच धन आवंटित करना।

- xiv) एनपीएस के तहत आने वाले अभिदाताओं की अक्षमता के मामले में एनपीएस विनियमों, जो सरल निकास और प्रत्याहरण की सुविधा प्रदान करते हैं, में संशोधन करने का प्रस्ताव।
- xv) पेंशन योजनाओं को कवर करने वाले सभी वितरण चैनलों को कवर करने के लिए एक एकीकृत विनियमन का प्रस्ताव।
- xvi) सक्रिय विकल्प में इक्विटी निवेश को मौजूदा 50% की सीमा से बढ़ाकर 75% तक करने की सिद्धान्तिक टिप्पणी।
- xvii) श्री अश्विन पारेख के न्यासी के रूप में कार्यकाल का विस्तार तथा पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निरंतरता स्थापन
- xviii) श्री एन डी गुप्ता एनपीएस न्यास बोर्ड की ट्रस्टीशिप से इस्तीफा
- xix) पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियम, 2015 के अनुसार एनपीएस न्यास बोर्ड में न्यासी की नियुक्ति
- xx) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोर्ड में न्यासी के रूप में श्री अतानु सेन की नियुक्ति
- xxi) एनपीएस न्यास बोर्ड पर न्यासी के रूप में अतानु सेन की नियुक्ति का पुष्टिकरण/अनुसमर्थन

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2018 तक पीएफआरडीए की कर्मचारियों की ताकत 63 है, जिनमें से 61 अधिकारी संवर्ग 'ए' में हैं। इसके अलावा, पीएफआरडीए में 63 अधिकारियों में से 7 अधिकारी वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीएस न्यास को रिपोर्ट कर रहे हैं जब तक नियमित कर्मचारियों को एनपीएस न्यास में नियुक्त नहीं किया जाता है।

5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ की स्थापना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों

के कल्याण के लिए सरकारी निर्देशों को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायतें, पूछताछ आदि प्राप्त करने के लिए एक समिति को स्थापित किया गया है।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

पीएफआरडीए में कर्मचारियों के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों की पहचान और आयोजन करने के लिए एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है। समिति सभी कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगी। एक उप महाप्रबंधक वर्ग के अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, नए जुड़े अधिकारियों को प्रेरण प्रशिक्षण दिया गया था और पीएफआरडीए द्वारा 4 अधिकारियों को विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे दक्षिण एशिया में वृद्ध व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वयन और आय सुरक्षा पर प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं के लिए नामित किया गया था, जिसे यूनेसकेप द्वारा आयोजित किया गया।

5.8 राजभाषा का प्रचार

पीएफआरडीए ने भारत सरकार की राजभाषा नीति लागू करने, राजभाषा विनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 का पालन सुनिश्चित करने और पीएफआरडीए में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन किया है। राजभाषा में प्राप्त संचार का उत्तर राजभाषा में ही दिया जाता

है। पीएफआरडीए द्वारा तैयार सभी विनियम दो भाषाओं में तैयार किए गए हैं। एनपीएस के वृहद अभिदाता आधार में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं, इसका ध्यान रखते हुए अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री को अभिदाताओं के लाभ के लिए हिंदी में अनुवादित कराया जा रहा है।

5.9 सूचना का अधिकार:

पीएफआरडीए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कार्यान्वित कर रहा है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ है जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के अधीन है। जैसा कि आरटीआई अधिनियम में प्रदान किया गया है, पीएफआरडीए के पास अपील प्रार्थी (एए) के रूप में एक अधिकारी है जिससे सीपीआईओ के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों पर प्रकटीकरण करने के लिए दायित्व रखती है। प्रकटीकरण का केंद्रबिंदु पीएफआरडीए के कामकाज और व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करना है। इस संबंध में, पीएफआरडीए ने अपने अधिकारियों, नियमों, विनियमों, मैनुअल इत्यादि के विभिन्न कार्यों, कर्तव्यों, शक्तियों को स्थापित किया है। सभी प्रासंगिक अधिनियम, विनियम पीएफआरडीए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 31 मार्च, 2018 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान, एनपीएस में, उद्घाटन, स्थानांतरण, निकासी और प्रत्याहरण, एपीवाई योजना आदि के संबंध में योगदान के संबंध में 571 आरटीआई आवेदन और 54 अपील प्राप्त हुईं। सभी आवेदन और अपीलों का उत्तर/ निपटान आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय के भीतर किया गया था।

कोई भी नागरिक, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, छत्रपति शिवाजी भवन, बी-14/ए, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली 110016 को निर्धारित शुल्क के साथ लिखित में उचित आवेदन करके जानकारी के लिए अनुरोध कर सकता है और/ या आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत www.pfrda.org.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं।

2017-18 के दौरान, पीएफआरडीए को भारत सरकार द्वारा

संदर्भित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए, मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय से, वृद्धावस्था आय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर एनपीएस और एपीवाई पर प्रश्न शामिल हैं। पीएफआरडीए ने उत्तर/रों को देने के लिए समय-समय पर सूचना और सामग्री प्रस्तुत की है।

5.10 पीएफआरडीए के खाते

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पीएफआरडीए को भारत सरकार से 15.00 करोड़ रुपये अनुदान मिला। वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में अटल पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। यह पेंशन योजना 18-40 साल के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है, जो असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। 18-40 साल की उम्र के बीच एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन के तहत सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित करने के पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, पीएफआरडीए को सरकारी सह-अंशदान, सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन और अन्य प्रचार

गतिविधियों के लिए योजना के तहत 167.72 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।

रुपये 43.04 करोड़ रुपये की राशि स्वावलंबन योजना सरकारी सह-योगदान और संवर्धन के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राधिकरण के खातों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा और रिकॉर्ड्स के वार्षिक विवरण फॉर्म) के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है। खातों को पीएफआरडीए बोर्ड ने 74 वीं बोर्ड बैठक जो दिनांक 09.10.2018 को आयोजित हुई थी, में अनुमोदित किया था। वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूची के साथ पीएफआरडीए की बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते अनुलग्नक-V में रखे गए हैं। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पीएफआरडीए के खातों को लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजा जाएगा।

भाग VI

कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

6.1 एनपीएस की आंशिक ईईई स्थिति

सेवानिवृत्ति कोष के कर उपाय के संबंध में अब तक अन्य पेंशन/भविष्य निधि योजनाओं जैसे ईपीएफ पीपीएफ, सीपीएफ (योगदान भविष्य निधि) योजनाओं की तुलना में एनपीएस का नुकसान में है। जबकि संचित सेवानिवृत्ति कोष का 40 प्रतिशत अधिवर्षिता पर एकमुश्त राशि के रूप में वापस ले लिया जाता है, वह कर से मुक्त है, यह पूरी तरह कर मुक्त नहीं है जैसे ऊपर वर्णित अन्य योजनाएं हैं, और इसलिए तुलना में नुकसान में हैं। नियोक्ता के अंशदान और अंतिम निकासी के कर उपचार के संबंध में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों के साथ-साथ एनपीएस को एक समान स्तर के खेल का मैदान प्रदान करने की आवश्यकता है।

6.2 एपीवाई में शामिल होने के लिए 40 साल की आयु सीमा

एनपीएस स्वावलंबन जो आम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी, अप्रैल 2015 से निष्क्रिय कर दी गई। स्वावलंबन योजना के स्थान में एपीवाई को शुरू किया गया है जो अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए गारंटी लाभ प्रदान करती है स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं को एपीवाई में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया गया है। हालांकि, एपीवाई योजना 40 साल (18 पूर्ण से चलने वाले 40 वर्ष) तक की उम्र के अभिदाताओं को शामिल होने की अनुमति देती है। इससे 41 वर्ष – 60 वर्ष के आयु वर्ग के प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न होती है, जो किसी व्यक्ति के जीवन चक्र में अधिशेष आय की अवधि भी होती है। इसलिए, इस योजना को अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए, योग्यता की उम्र वर्तमान 40 वर्षों से बढ़ा दी जा सकती है।

6.3 निधि प्रबंधकों और निवेश वर्गों का विकल्प

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन निधि वर्तमान में उनके रिटर्न के अनुपात में तीन सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों (यूटीआई पीएफएम, एसबीआई पीएफएम, एलआईसी पीएफएम) के बीच आवंटित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के

लिए निवेश पैटर्न को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें निश्चित आय सिक्योरिटीज की प्रधानता होती है, जो वर्तमान में 95% तक जा सकती है जबकि इक्विटी में अधिकतम एक्सपोजर 15% तक सीमित है।

पीएफआरडीए अधिनियम, जोखिम वापसी प्रतिमान में अपने रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अभिदाताओं को अवसर प्रदान करता है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20 (2) में कहा गया है कि कई पेंशन निधि और कई योजनाओं का विकल्प होगा। इसलिए, पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना से पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश ढांचे को संरक्षित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों सहित निजी क्षेत्र के तहत अभिदाता पहले से ही पेंशन निधि प्रबंधक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों पीएफ) के चयन में से एक के विकल्प का आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ चार परिसंपत्ति वर्ग इक्विटी (ई), कॉर्पोरेट ऋण (सी), जी (सरकारी प्रतिभूतियां) और ए इक्विटी पर केवल 50% की सीमा और ए पर 5% के साथ, के बीच धन आवंटित करने का विकल्प चुन रहे हैं। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश पैटर्न निश्चित आय प्रतिभूतियों की प्रधानता निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान में 95% तक जा सकते हैं जबकि इक्विटी में अधिकतम एक्सपोजर 15% तक सीमित है, यह प्रभावी रूप से अभिदाता के लिए विकल्प को सीमित कर रहा है।

इस प्रकार, समानता के आधार पर, और योजनाओं की पसंद की अनुमति देने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा निवेश के ढांचे पर फिर से विचार करना आवश्यक है और उन्हें निजी क्षेत्र में उपलब्ध निवेश के विकल्प की अनुमति देना आवश्यक है।

6.4 वैधानिक दायित्वों कि प्राधिकरण ने पालन नहीं किया है

6.4.1 न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (एमएआरएस)

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 (2) (क) (इ) के तहत, कम से कम आश्वासित रिटर्न मांगने वाले अभिदाता के पास ऐसे फंडों में निवेश करने का विकल्प होगा, जो न्यूनतम

आश्वासित रिटर्न प्रदान करते हैं जैसा भी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। हालांकि, धारा 20 (2) (क) (ह) अभिदाताओं द्वारा बाजार से खरीदे जाने वाले बाजार-आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई अव्यक्त या सुव्यक्त आश्वासन नहीं होगा। दो उपखंडों को सुसंगत रूप से समझने पर, यह स्पष्ट है कि न्यूनतम आश्वासन रिटर्न प्रदान करने वाली एक योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि,

यह बाजार आधारित गारंटी तंत्र पर आधारित होना चाहिए। पीएफआरडीए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से कम से कम एक पूंजी संरक्षण योजना को लाने की संभावना की तलाश कर रहा है, जो बाजार आधारित होगी और जो पेंशन निधि की गैर पूंजी गहन संरचना पर दुर्भर शोधन क्षमता सम्बन्धी जिम्मेदारी नहीं डालेगी।

भाग VII

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कोई भी अन्य उपाय

7.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य पहल की गई हैं।

हाल ही में अभिदाता की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

रिटर्न के अनुकूलन के अवसर रखने के लिए निवेश दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

निजी क्षेत्र (सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र) अभिदाता 65 साल की उम्र तक एनपीएस में शामिल हो सकते हैं और 70 वर्षों तक प्रणाली में बने रह सकते हैं और इस अवधि के दौरान अभिदाता अंशदान देना जारी रख सकते हैं। तदनुसार, जीवन चक्र निधि के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण को डिफॉल्ट मोड के तहत ख्याल रखा गया है। ईएनपीएस के माध्यम से डिजिटल एपीवाई नामांकन उपयोगकर्ता सहयोगी मंच है और एपीवाई के तहत नामांकन कोकष्टमुक्त कर देता है। भौतिक रूप से प्रपत्र जमा किए बिना यह शुरू से अंत तक होने वाला एक डिजिटल इंटरफ़ेस है। सदस्यता राशि समय-समय पर ऑटो डेबिट की जाती है।

एपीवाई मोबाइल एप्लिकेशन अभिदाताओं को खाता विवरण और उनके एपीवाई खाते के अन्य विवरण देखने के लिए सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। स्मार्ट फोन वाले एपीवाई अभिदाता एपीवाई मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एपीवाई खातों के वास्तविक जानकारी देखने के लिए अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।

चयनित बैंकों द्वारा उनके इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से एपीवाई की सुविधा दे रहे हैं।

एनपीएस के तहत सीआरए द्वारा विभिन्न क्रियाशीलताएं विकसित की गई, जो सम्बंधित हैं एनपीएस – मोबाइल एप– केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली, एनपीएस नियमित –अभिदाता पंजीकरण और अंशदान में विकास, एनपीएस नियमित–एफएटीसीए सीआरएस प्रमाणन, ओपीजीएम, एनपीएस–लाइट एफएटीसीए, सीआरए प्रमाणन, ईएनपीएस वृद्धि, ई केवाईसी सत्यापन में वृद्धि, मोबाइल एप्लिकेशन– ओटीपी का उपयोग करके पासवर्ड बदलना, इन विकासों का, आवेदन और अंशदान या अभिदाता के किसी भी परिचालन अनुरोध के तेजी से प्रसंस्करण पर प्रभाव पड़ता है।

सेवानिवृत्ति सलाहकारों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया गया है।

खाता लेनदेन के लिए एसएमएस आधारित अलर्ट, योगदान भुगतान आदि के लिए अनुस्मारक समय-समय पर भेजा जाता है।

निकासी प्रक्रिया में सरलीकरण, अब, पीएफआरडीए द्वारा निर्णय लिया गया है कि एपीवाई के अभिदाताओं द्वारा मृत्यु के दावों के मामले में पति/पत्नी या नामिति को मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि एक मृत्यु प्रमाणपत्र सम्बंधित बैंक शाखा/डाक विभाग द्वारा एक विधिवत् सत्यापित प्रति दावो की प्रक्रिया हेतु एक उचित प्रतिलिपि के रूप में प्रयोग हेतु पर्याप्त है।

अनुलग्नक I

राज्य अनुसार एपीवाई अभिदाता पंजीकरण

क्र. सं.	राज्य नाम	31.03.2017 तक कुल अभिदाताओं की संख्या (प्राण जारी किये गए)	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या (प्राण जारी किये गए)	31.03.2018 तक कुल अभिदाताओं की संख्या (प्राण जारी किये गए)
1	अंडमान और निकोबार	1,907	1,687	3,594
2	आंध्र प्रदेश	3,55,433	2,77,656	6,33,089
3	अरुणाचल प्रदेश	4,276	3,301	7,577
4	असम	69,146	1,39,362	2,08,508
5	बिहार	5,31,810	5,03,691	10,35,501
6	चंडीगढ़	8,723	6,545	15,268
7	छत्तीसगढ़	74,616	81,750	1,56,366
8	दादरा और नगर हवेली	4,720	5,876	10,596
9	दमन और दिऊ	6,897	12,980	19,877
10	दिल्ली	93,827	80,057	1,73,884
11	गोवा	13,221	12,408	25,629
12	गुजरात	2,55,133	2,15,423	4,70,556
13	हरियाणा	1,08,993	1,01,856	2,10,849
14	हिमाचल प्रदेश	38,784	30,500	69,284
15	जम्मू और कश्मीर	29,565	11,818	41,383
16	झारखण्ड	96,851	1,22,728	2,19,579
17	कर्नाटक	3,39,084	3,23,761	6,62,845
18	केरल	1,06,919	1,03,929	2,10,848
19	लक्षद्वीप	2,244	1,422	3,666
20	मध्यप्रदेश	2,44,158	2,39,725	4,83,883
21	महाराष्ट्र	4,06,242	3,29,202	7,35,444
22	मणिपुर	7,226	4,047	11,273
23	मेघालय	8,328	2,857	11,185

क्र. सं.	राज्य नाम	31.03.2017 तक कुल अभिदाताओं की संख्या (प्राण ज़ारी किये गए)	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या (प्राण ज़ारी किये गए)	31.03.2018 तक कुल अभिदाताओं की संख्या (प्राण ज़ारी किये गए)
24	मिजोरम	9,065	5,506	14,571
25	नागालैंड	18,329	14,441	32,770
26	उड़ीसा	1,86,161	1,51,818	3,37,979
27	पुदुचेरी	7,948	10,322	18,270
28	पंजाब	1,61,388	1,63,655	3,25,043
29	राजस्थान	2,84,403	2,04,115	4,88,518
30	सिक्किम	6,941	14,815	21,756
31	तमिल नाडू	3,45,162	4,45,320	7,90,482
32	तेलंगाना	1,34,548	1,18,715	2,53,263
33	त्रिपुरा	12,186	12,753	24,939
34	उत्तरप्रदेश	6,38,071	7,24,243	13,62,314
35	उत्तराखंड	40,653	43,186	83,839
36	पश्चिम बंगाल	2,54,539	2,75,593	5,30,132
37	प्रवासी भारतीय / अन्य**	232	669	901
	कुल	49,07,729	47,97,732	97,05,461

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य बनाम प्रदर्शन की तालिका

सेवा प्रदाताओं की श्रेणी	पंजीकृत शाखाओं की संख्या	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य	31.3.2018 तक के अनुसार उपलब्धि	% उपलब्धि
प्रमुख बैंक*	100975	7068250	3836274	54 %
क्षेत्रीय ग्रामिण बैंक	21103	1266180	871919	69 %
अन्य निजी बैंक	9741	292230	46422	16 %
सहकारी बैंक#	9602	192040	11723	6 %
डाक विभाग	19622	1000000	55367	6 %
कुल	161043	9818700	4821705	49 %

*सम्मिलित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सेस बैंक लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर बैंक
#शहरी सरकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और राज्य अपेक्स बैंक

अनुलग्नक II

31 मार्च 2018 तक के अनुसार एनपीएस के तहत उपस्थिति अस्तित्वों की सूची

क्र. सं.	उपस्थिति अस्तित्व का नाम	उपस्थिति अस्तित्व— सेवा प्रदाताओं की संख्या
1	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड	65
2	अलंकृत असाइनमेंट्स लिमिटेड	288
3	अलाहाबाद बैंक	286
4	आन्ध्रा बैंक	1,761
5	असिट सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड	1
6	एक्सिस बैंक लिमिटेड	3,532
7	बजाज कैपिटल लिमिटेड	83
8	बैंक ऑफ बड़ोडा	5
9	बैंक ऑफ लिमिटेड	5
10	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,851
11	केनरा बैंक	3,568
12	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4,647
13	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	227
14	कोर्पोरेशन बैंक	2,291
15	सीएससी ई—गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	1
16	दायको	28
17	डीबीएफएस सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
18	देना बैंक	1,449
19	इलीट वेल्थ एडवाइजरस लिमिटेड	1
20	यूरेका स्टॉक एंड शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	11
21	गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड	1
22	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	3
23	एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
24	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,563

क्र. सं.	उपस्थिति अस्तित्व का नाम	उपस्थिति अस्तित्व— सेवा प्रदाताओं की संख्या
25	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड	34
26	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,890
27	आईएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड	38
28	इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड	1
29	इंडिया पोस्ट एनपीएस नोडल ऑफिस	808
30	इंडियन बैंक	1,834
31	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	3,279
32	इंडसलैंड बैंक लिमिटेड	805
33	इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	103
34	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	775
35	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	8
36	कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	848
37	एलआईसीएचएफएल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	1
38	मारवाड़ी शेयर्स नद फाइनेंस लिमिटेड	79
39	मुथहूट फाइनेंस लिमिटेड	33
40	नरनोलिया सिक्योरिटीज लिमिटेड	1
41	एनजे इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	1
42	ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	984
43	पेटीएम	1
44	प्रूडेंट कॉर्पोरेटरी लिमिटेड	1
45	पंजाब और सिंध बैंक	914
46	पंजाब नेशनल बैंक	6,976
47	आरबीएल बैंक लिमिटेड	201
48	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	140
49	रेलिगैर सिक्योरिटीज लिमिटेड	12
50	एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	1

क्र. सं.	उपस्थिति अस्तित्व का नाम	उपस्थिति अस्तित्व— सेवा प्रदाताओं की संख्या
51	एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड	27
52	भारतीय स्टेट बैंक	22,430
53	स्टील सिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड	47
54	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	213
55	सिंडिकेट बैंक	3,478
56	तमिलनाडू मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	510
57	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	1,073
58	करुर वयस्या बैंक	710
59	द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	507
60	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	871
61	यूको बैंक	1,851
62	यूनिअन बैंक ऑफ़ इंडिया	3,872
63	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	1,098
64	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	152
65	वेंदूरा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	1
66	विजया बैंक	1,247
67	वे टू वेल्थ ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	2
68	यस बैंक लिमिटेड	86
69	जेन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	27
70	ईएनपीएस *	1
	कुल	79,640

* ऑनलाइन पंजीकरण पटल

अनुलग्नक III

31 मार्च, 2018 तक के अनुसार संकलनकर्ताओं की सूची

क्र. सं.	संकलनकर्ता का नाम
1	ए.पी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
2	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड
3	अधिकार माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
4	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
5	इलाहाबाद बैंक
6	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
7	आंध्रा बैंक
8	असम ग्रामीण विकास बैंक
9	बंधन बैंक लिमिटेड
10	बनासकंथा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड
11	बंधन कोननागर
12	बैंक ऑफ बड़ोदा
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14	बड़ोदा गुजरात ग्रामीण बैंक
15	बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16	बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड राजस्थान
17	बीडब्ल्यूडीए फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)
18	केनरा बैंक
19	कैशपोर माइक्रो क्रेडिट हेड ऑफिस
20	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग (सीडॉट)
21	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
22	देना बैंक
23	महिला एवं बाल विकास विभाग
24	ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
25	ग्रामीण कूटा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	गुजरात इन्फोटेक लिमिटेड

क्र. सं.	संकलनकर्ता का नाम
27	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
28	आईएफएमआर रूरल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
29	इंडियन बैंक— बैंकिंग ओपेरेशंस डिपार्टमेंट
30	इंडियन ओवरसीज बैंक
31	इन्दुर इन्तिदीप मैक्स फेडरेशन लिमिटेड
32	जनलक्ष्मी फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
33	झारखण्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रांची
34	कर्नाटक राज्य असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
35	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
36	भारतीय जीवन बीमा निगम
37	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
38	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
39	पंजाब नेशनल बैंक
40	समहिता कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज
41	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
42	श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
43	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड
44	सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी
45	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
46	स्वयाम्श्री माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज
47	सिंडिकेट बैंक
48	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
49	यूको बैंक
50	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
51	विजया बैंक
52	डाक विभाग

अनुलग्नक IV

पेंशन परामर्श समिति (पीएसी) का गठन और पीएसी बैठकों के दौरान चर्चित मुद्दे

1. श्री. डी.वी.एस.एस.वी. प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोशिएशन ऑफ़ इंडिया
2. श्री. पी.के.रथ, पदस्थ प्राध्यापक— लाइफ , नेशनल इन्श्योरेन्स अकैडमी, पुणे
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
4. श्री गगनराय, प्रबंधक निदेशक और सीईओ, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5. श्री लियो पुरी, निदेशक. एसोशिएशन ऑफ़, म्यूच्युअल फण्ड्स इन इंडिया
6. डॉ. एल एच मंजुनाथ, कार्यकारी निदेशक, श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
7. श्री कुलीन पटेल, वरिष्ठ बीमांकिक और निदेशक—क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट, टावर्स वाटसन, गुडगाँव
8. सुश्री मेघना बाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकार,

आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

9. श्री.वी.जी. कानन, मुख्य कार्यकारी, इंडियन बैंक्स' एसोशिएशन
10. श्री. आर. श्रीधरन, प्रबंधक निदेशक, क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
11. श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रबंधक निदेशक और सीईओ, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
12. निदेशक, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट, पुणे
13. उप महानिदेशक (स्थापना), डाक निदेशालय
14. प्रधान सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार
15. सुश्री. रेणुका साने, अतिथि सहायक अध्यक्ष, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली
16. अध्यक्ष, आईसीएआई की बैंकिंग इन्श्योरेन्स और पेंशन पर समिति
17. सुश्री ज्योति विज, सामान्य उप सचिव, फिक्की, नई दिल्ली

अनुलग्नक V

प्रपत्र क
(नियम 3 (क) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र के रूप में

(इकाई—भारतीय रुपया)

देनदारियां	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	संपत्ति	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कोष/पूँजी भंडार	1	2089,66,154	175,681,330	1. अचल संपत्तियां सकल ब्लॉक कम मूल्यहास कुल ब्लॉक	8	211,92,797 129,39,764 82,53,032	18,514,502 12,939,734 5,574,768
2. आरक्षित अधिशेष	2	—	—	2. निर्धारित/ बंदोबस्ती कोष से निवेश	9	170,21,896	16,234,293
3. निर्धारित/धर्मादा निधि	3	18,059,540	16,405,649		10	2700,00,000	—
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	—	—	4. मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	7541,60,564	797,985,352
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	—	—	5. विविध व्यय (कुछ हद तक नहीं लिखे या समायोजित किए गए)			
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	—	—				
7. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	822,409,799	627,707,434				
कुल		1,049,435,493	819,794,413	कुल		10494,35,493	819,794,413
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा—जोखा पर नोट्स	25						

ध्यान दें:— तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

प्रपत्र ख
(नियम 3 (ख) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए आय और व्यय का लेखा—जोखा
(इकाई—भारतीय रुपया)

खर्चा	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	सूची	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्थापना व्यय	20	142,440,735	147,412,591	1. बिक्री / सेवाओं से आय	12	—	—
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	24097,71,405	2,909,823,376	2. अनुदान / अनवृत्ति	13	22575,78,000	541,818,648
3. अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि	22	—	488,262,806	3. शुल्क / सदस्यता	14	3630,29,595	316,992,205
4. ब्याज	23	1,750	1,591	4. निवेशों से आय (निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय)	15	—	—
5. मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल—अनुसूची 8 के तदनुसार)		16,94,998	1,660,958	5. रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
				6. अर्जित ब्याज	17	391,20,774	729,37,833
				7. अन्य आय	18	2,45,759	1,00,939
				8. तैयार माल और काम में प्रगति के शेयर में वृद्धि / (कमी)	19		
कुल		25539,08,888	3,547,161,323	कुल		26599,74,127	931,849,625
शेष खर्च के मुकाबले आय से अधिक (विशेष आरक्षित को स्थानांतरित (प्रत्येक निर्दिष्ट) सामान्य आरक्षित को / से स्थानांतरित शेष का अधिशेष देना / घाटा कोष के लिए आगे भेजा / पूंजी कोष		1060,65,240 — — 1060,65,240	(2,61,53,11,697) — — (2,61,53,11,697)				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा—जोखा पर नोट्स	25						

ध्यान दें:—क. तुलन पत्र में अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

प्रपत्र ग
(नियम 3 (ग) देखें)
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा—जोखा

(इकाई—भारतीय रुपया)

	प्राप्तियां	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष		भुगतान	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष राशि			1.	खर्च		
क.	नकदी	20000	20000	क.	स्थापना पर खर्च	1544,36,867	144,529,065
	बैंक बैलेंस	—	—	ख.	प्रशासनिक व्यय	2729,70,411	302,209,836
	चालू खातों में	—	—	2.	उपयोग किए गए अनुदान		
	समय जमा खातों में	—	—	क.	स्वावलंबन योगदान	348,88,000	1,013,474,906
	बैंक जमा खातों में	7615,72,278	3,309,125,616	ख.	स्वावलंबन पदोन्नति	246,15,900	100,949,940
2.	प्राप्त अनुदान			ग.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	—	—
(i)	भारत सरकार को अनुदान			घ.	एपीवाई अंशदान	11821,19,845	1,051,961,410
क.	सहायता वेतन	1050,00,000	90,000,000	ङ.	एपीवाई संवर्धन एवं विकास	4486,67,343	357,664,832
ख.	अनुदान—सहायता—सामान्य	450,00,000	90,000,000	च.	अनुदान की वापसी	—	488,262,806
ग.	अनुदान सहायता—स्वावलंबन योगदान	4294,81,675	—	छ.	अन्य	—	—
घ.	अनुदान सहायता—स्वावलंबन प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां	8,96,325	—	3.	निवेश और जमा किए गए		
ङ.	अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	8772,00,000	—	क.	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	3,00,000	2,234,293
च.	अनुदान सहायता एपीवाई संवर्धन एवं विकास	8000,00,000	360,000,000	ख.	स्वयं के धन से बाहर (निवेश—अन्य)	2700,00,000	—
छ.	अन्य	—	—	4.	अचल संपत्तियों और काम में		
(ii)	क. राज्य सरकार से			क.	प्रगति पर लगी पूंजी पर व्यय	7,89,671	37,05,586
	अनुदान सहायता वेतन	—	—	ख.	अचल संपत्तियों की खरीद	—	—
ख.	अनुदान—सहायता —सामान्य	—	—	ग.	काम में प्रगति पूंजी पर व्यय	—	—
ग.	अनुदान—सहायता—स्वावलंबन योगदान	—	—	5.	अधिशेष पैसे/ऋणों की वापसी		
घ.	अनुदान सहायता—स्वावलंबन	—	—	क.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	—	—
ङ.	प्रोत्साहन और विकास गतिविधियां अन्य	—	—	ख.	राज्य सरकार को	—	—
(iii)	वित्तीय संस्थाओं से			ग.	धन के अन्य प्रदाताओं को	—	—
3.	निवेश पर आय			6.	वित्त शुल्क (ब्याज)		
क.	निर्धारित/बंदोबस्ती धन	20,868	1,041,100	क.	बैंक शुल्क	592	1,591
ख.	स्वनिवेश (अन्य निवेश)	—	—	ख.	अन्य	—	—
4.	प्राप्त ब्याज			7.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		
क.	बैंक जमा राशियों पर	261,60,198	72,936,445	क.	प्रीपेड	18,11,050	1,858,537
ख.	ऋण, उधार आदि	—	—	ख.	ऋण/उधार कर्मचारियों के लिए	2,44,000	330,000
ग.	अन्य (ऋण पर ब्याज)	—	—	ग.	अग्रिम राशि व्ययों के विरुद्ध	533,48,792	12,049,696
5.	अन्य आय (निर्दिष्ट)			घ.	सुरक्षा जमा	4,78,000	3,389,500
क.	वार्षिक शुल्क	3613,45,095	300,040,705	8.	अंतिम शेष		
ख.	विविध सेवाओं से प्राप्त आय	16,84,500	16,951,500	क.	नकद	20,000	20,000
ग.	विविध आय	5,761	3,329	ख.	बैंक अतिशेष	—	—
6.	उधार ली गई राशि	—	—		चालू खातों में	—	—
7.	कोई भी अन्य रसीद				समय जमा खातों में	—	—
क.	सुरक्षा/ईएमडी रसीद	—	—		बचत बैंक जमा खातों में	6803,96,600	761,572,278
ख.	उधार की वसूली	299,62,218	764,414				
ग.	संपत्ति के हस्तांतरण	50,283	266,479				
घ.	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	2,87,870	1,246,040				
	कुल	34386,87,071	4,244,214,276		कुल	34386,87,071	4,244,214,276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 1
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
कोष/पूँजी भंडार

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
शेष राशि वर्ष के आरंभ में	1756,81,330	204,019,970
जोड़े: अप्रयुक्त कोष निधि की शुरुआती शेष राशि	5889,99,270	3,175,972,328
कम: अप्रयुक्त कोष निधि की समापन शेष राशि	(6617,79,686)	—588,999,270
जोड़े: घटाएं: शुद्ध आय व्यय की शेष राशि जो आय और व्यय खाते से स्थानांतरित की गई है	1060,65,240	—2,615,311,697
जोड़े: सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान/आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	—	—
वर्ष के अंत में शेष राशि के रूप में	2089,66,154	175,681,330

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 2
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
भंडार और अधिशेष

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी कोष		
क. वर्ष के आरंभ में	—	—
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	—	—
ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में जोड़ना	—	—
ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
3. विशेष आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	—	—
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	—	—
ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
4. सामान्य आरक्षित		
क. वर्ष के आरंभ में	—	—
ख. वर्ष के दौरान जोड़ना	—	—
ग. कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
कुल	—	—

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 3
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
एमबार्कड/अक्षय निधि

विवरण	धन आधारित ब्यौरा		अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	
	निधि XX	निधि YY	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. धन की प्रारंभिक शेष राशि			164,05,649	14,118,509
2. धन में जोड़				
(क) दान/अनुदान			—	—
(ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय			13,66,021	1,041,100
(ग) एनपीएस न्यास जुर्माना खाते और एनपीएस न्यास निवेशक जागरुकता खाते में स्थानांतरण			—	—
(घ) वर्ष के दौरान रसीद			2,87,870	1,246,040
(ङ) अन्य जोड़ (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			—	—
कुल (1+2)	—	—	180,59,540	16,405,649
3. निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय				
(क) पूंजीगत व्यय				
a. अचल संपत्तियाँ			—	—
b. अन्य संपत्तियाँ			—	—
कुल	—	—	—	—
ख. राजस्व व्यय				
a. वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि			—	—
b. किराया			—	—
c. अन्य प्रशासनिक खर्चे			—	—
ग. अन्य				
a. स्वावलंबन कोष के लिए स्थानांतरण			—	—
b. गुजरात सरकार को दंड का हस्तांतरण			—	—
कुल			—	—
कुल (3)	—	—	—	—
साल के अंत में शुद्ध बैलेंस (1+2-3)	—	—	180,59,540	16,405,649
नोट				
1. अनुदान के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किए गए।				
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजित धनराशि को अलग से धन के रूप में दिखाया जाना चाहिए और किसी भी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।				

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 4
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
सुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
a. सावधि ऋण	—	—
b. अर्जित ब्याज और देय	—	—
4. बैंक		
a. सावधि ऋण		
—अर्जित ब्याज और देय	—	—
b. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)		
—अर्जित ब्याज और देय	—	—
5. अन्य संस्थान	—	—
6. डिबेंचर और बांड	—	—
7. अन्य	—	—
कुल	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 5
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
4. बैंक		
a. सावधि ऋण	—	—
b. अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	—	—
5. अन्य संस्थान	—	—
6. डिबेंचर और बांड	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 6
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	—	—
2. अन्य	—	—
कुल	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 7

31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

मौजूदा देयताएं और उपबंध

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्वीकृतियां	—	—
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	1215,94,688	17,096,564
3. उधार प्राप्त		
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है:	—	—
क. सुरक्षित ऋण/उधारी		
ख. असुरक्षित ऋण/उधारी		
5. वैधानिक देनदारियां	—	—
क. अतिदेय		
ख. अन्य		282,504
6. अन्य चालू देनदारियां		
क. 31 मार्च को भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान के रूप में	6617,79,686	588,999,270
ख. अन्य : आईआरडीए खाता	31,988	31,988
ग. अन्य : सुरक्षा जमा	66,71,540	71,40,000
कुल	7900,77,902	613,550,326
प्रावधान		
1. कराधान के लिए	27,30,079	—
2. ऐच्छिक दान	183,81,621	13,603,720
3. व्यापार वारंटियां/दावे	—	—
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	—	—
5. पेंशन अंशदान देय	323808	323,808
6. वेतन देय भुगतान	246392	229,579
7. छुट्टी नकदीकरण देय	10648445	—
8. एनपीएस कर्मचारी अंशदान	1552	—
कुल	323,31,897	14,157,107
कुल योग	8224,09,799	627,707,434

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

<p>पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण</p> <p>अनुसूची 8</p> <p>31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना</p> <p>अचल संपत्तियां</p>									
विवरण	कुल संपत्तियां				मूल्यह्रास				(इकाई—भारतीय रुपया)
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन के रुप में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	कुल वर्ष के अंत तक	चालू वर्ष के रुप में	पूर्व वर्ष के रुप में
अचल संपत्तियां									
1. भूमि	10,37,399	—	—	10,37,399	39,055	—	8,16,093	2,21,306	2,60,361
क. फ्रीहोल्ड	33,07,653	7,37,411	—	40,45,064	2,49,760	—	16,59,022	23,86,042	18,98,391
ख. पट्टेदारी	43,16,002	12,19,409	1,00,000	54,35,411	4,19,400	42,765	24,49,106	29,86,305	22,43,531
2. बिल्डिंग	95,29,300	24,68,272	16,63,049	1,03,34,523	9,77,761	16,52,202	77,13,097	26,21,427	11,41,762
क. फ्रीहोल्ड जमीन पर	1,51,908	—	—	1,51,908	4,608	—	1,25,794	26,114	30,722
ख. पट्टेदारी जमीन पर	1,72,239	16,252	—	1,88,491	4,414	—	1,76,653	11,838	—
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर जमीन पर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ. सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. वाहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. फर्नीचर तथा अलमारियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. कार्यालय उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. विद्युत प्रतिष्ठापन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. लाइब्रेरी की किताबें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. अन्य अचल संपत्तियां	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चालू वर्ष का कुल	18,514,502	44,41,344	1,955,548	211,92,797	16,94,998	16,94,967	12,939,764	82,53,032	55,74,768
पिछला वर्ष	16,764,464	37,05,586	2,769,800	185,14,502	16,60,958	17,04,611	129,39,734	55,74,768	37,81,077
पूँजीकार्य में प्रगति									
कुल								82,53,032	55,74,768

नोट: (रुपर शामिल संपत्ति की लागत पर किराया खरीद आधार पर दिया जाएगा।)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.मंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांटेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 9

31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
उद्दिष्ट/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बांड	—	—
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	—	—
6. सावधि जमा	170,21,896	16,234,293
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	170,21,896	16,234,293

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 10

31 मार्च 2018 को तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना
निवेश—अन्य

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बांड	—	—
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	—	—
6. सावधि जमा	2700,00,000	—
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	2700,00,000	—

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11

31.03.2018को तुलन पत्र के भाग के रूप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई—भारतीय रुपये)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वर्तमान संपत्तियां		
1. माल		
• संचित और अतिरिक्त		
• शिथिल उपकरण		
• बिक्री के लिए माल		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर है		
कच्चा माल		
2. विविध देनदार:		
• 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण		
• अन्य	30,585	30,585
3. नकदी	20,000	20,000
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
• चालू खातों पर		—
• समय जमा खातों पर		—
• बचत बैंक जमा खातों पर	6803,96,600	7615,72,278
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
• चालू खातों पर	—	—
• समय जमा खातों पर	—	—
• बचत बैंक जमा खातों पर	—	—
5. डाकघर—बचत खाते	—	—
6. अन्य	—	—
कुल (क)	6804,47,185	761,662,863

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 11

31.03.2018को तुलन पत्र के भाग के रूप में मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और उधार

(इकाई—भारतीय रुपये)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(ख) ऋण, उधार और अन्य परिसंपत्तियां:		
1. ऋण:		
• स्टॉफ	1,48,881	3,46,376
• अन्य संस्था, जो संस्था की तरह के गतिविधियों— उद्देश्यों में संलग्न है:	—	—
• अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में या वसूली जाने वाली कीमत के रूप में प्राप्त हो:		
• पूंजी खाते पर	—	—
• पूर्वभुगतान	18,11,050	17,92,084
• सुरक्षा जमा	36,47,500	36,47,500
• अन्य	542,87,823	305,76,529
3. आय अर्जित		
• उद्दिष्ट और धर्मादा निधि से निवेश पर	8,57,550	—
• अन्य—पर निवेश	—	—
• ऋणों तथा उधारों पर	—	—
• अन्य (इसमें अचेतन देय राशि.....भी शामिल है।)	129,60,576	—
4. प्राप्त दावे	—	—
कुल (ख)	737,13,379	363,62,489
कुल योग (क)(ख)	7541,60,564	7979,85,352

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक तुलन पत्र से जुड़ना और उसका हिस्सा बनना

बिक्री/सेवाओं से आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. <u>बिक्री से आय</u>		
(क) तैयार माल की बिक्री	—	—
(ख) कच्चे माल की बिक्री	—	—
(ग) कबाड़ की बिक्री	—	—
2. <u>सेवाओं से आय</u>		
(क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	—	—
(ख) व्यवसायिक/परामर्श सेवाएं	—	—
(ग) ऐजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	—	—
(घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	—	—
(ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बांड	—	—
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	—	—

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
अनुदान/अनवृत्ति

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	22575,78,000	540,000,000
2. राज्य सरकार	—	—
3. सरकारी अभिकरण	—	—
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	—	1,818,648
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	—	—
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	22575,78,000	541,818,648

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
शुल्क/सदस्यता

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	—	—
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	3613,45,095	300,040,705
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	—	—
4. सलाहकारी संस्था का शुल्क	—	—
5. लाइसेंस शुल्क	—	—
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	16,84,500	16,951,500
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
कुल	3630,29,595	316,992,205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
निवेश से आय

(उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश—अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
ख. अन्य बांड/डिबेंचर्स	—	—	—	—
ग. अन्य	13,66,021	1,041,100		
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	—	—	—	—
ख. म्यूचुअल फंड पर	—	—	—	—
ग. अन्य	—	—	—	—
3. किराया	—	—	—	—
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—	—	—
कुल	13,66,021	1,041,100	—	—
उद्दिष्ट और धर्मादा निधि को हस्तांतरित	13,66,021	1,041,100	—	—

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	—	—
2. प्रकाशन से आय	—	—
3. अन्य (निर्दिष्ट)	—	—
कुल	—	—

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
अर्जित ब्याज

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधि जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	129,60,576	—
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	—	—
ग. संस्थानों के साथ	—	—
घ. अन्य	—	—
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क. अनुसूचित बैंकों के साथ	261,60,198	72,936,445
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	—	—
ग. डाकघरों के साथ	—	—
घ. अन्य	—	—
3. ऋण पर: क. कर्मचारी/स्टॉफ ख. अन्य	—	1,388
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
कुल	391,20,774	72,937,833

ध्यान दें— स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना

अन्य आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली संपत्ति	—	—
(ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	—	—
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	—	—
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	—	—
4. विविध आय	2,45,759	100,939
कुल	2,45,759	100,939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

31 मार्च 2018 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और काम में प्रगति

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) समापन स्टॉक		
— तैयार माल	—	—
— कार्य प्रगति पर	—	—
(ख) कम— शुरुआती स्टॉक		
— तैयार माल	—	—
— कार्य प्रगति पर	—	—
कुल वृद्धि/(कमी) (क—ख)	—	—

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
स्थापना व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. वेतन और मजदूरी	1170,68,575	133,715,315
2. भत्ता और बोनस	—	—
3. भविष्य निधि अंशदान	—	—
4. पेंशन के लिए अंशदान	70,92,499	8,874,430
5. कर्मचारी कल्याण व्यय	—	—
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ पर व्यय	—	—
7. छुट्टी का वेतन	117,01,632	364,143
8. ट्यूशन शुल्क अदायगी	—	—
9. चिकित्सा अदायगी	18,00,128	1,511,566
10. ग्रेच्युटी योगदान	47,77,901	2,947,137
11. अन्य (विशिष्ट)	—	—
कुल	1424,40,735	147,412,591

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

31 मार्च 2018 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. खरीदारियां	—	—
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्च	—	—
3. दुलाई और अंदर की ओर कैरिज	—	—
4. बिजली और पावर	13,20,231	1,399,178
5. जल शुल्क	4,06,722	380,358
6. बीमा	19,71,532	971,420
7. मरम्मत और रखरखाव	73,45,976	7,006,650
8. उत्पाद शुल्क	—	—
9. किराया, दरें और कर	696,52,194	65,366,989
10. चलते वाहन और उनका रखरखाव	95,90,998	8,421,062
11. डाक, टेलीफोन और संचार के शुल्क	72,62,031	6,022,060
12. मुद्रण और स्टेशनरी	6,97,632	1,447,344

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 21

31 मार्च 2018 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
अन्य प्रशासनिक व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
13. यात्रा और वाहन खर्च	78,95,696	6,926,264
14. सेमिनार/कार्यशालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	284,55,685	21,104,722
15. सदस्यता खर्च	—	—
16. फीस और व्यय	—	—
17. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	2,67,872	—
18. आतिथ्य खर्च	—	—
19. पेशेवर शुल्क	168,82,427	10,048,351
20. पुस्तकें और पत्रिकाएं	2,49,489	114,944
21. भर्ती खर्च	18,82,531	32,111
22. आशोध्य और संदिग्ध ऋण/ उधार के लिए प्रावधान	—	—
23. संकलनकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि	246,15,900	100,949,940
24. स्वावलंबन सरकारी अंशदान	3484,88,000	1,013,474,906
25. एपीवाई सरकारी अंशदान	11821,19,845	1,051,961,410
26. उपस्थिति अस्तित्व के मुद्दे पर प्रोत्साहन राशि	—	—
27. अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	—	—
28. पैकिंग खर्च	—	—
29. फ्रेट और अग्रेषण खर्च	—	—
30. वितरण खर्च	—	—
31. विज्ञापन और प्रचार खर्च	2494,84,351	255,037,361
32. सदस्यता शुल्क	17,250	403,415
33. कर्मचारी कल्याण	8,14,511	789,710
34. कंसल्टेंसी खर्च	16,80,780	300,350
35. एपीवाई प्रचार	194,11,083	19,609,592
36. एपीवाई के लिए प्रोत्साहन राशि	4292,56,260	338,055,240
37. बैठक शुल्क	—	—
38. अन्य (विशिष्ट)	2,408	—
कुल	24097,71,405	2,909,823,376

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 22

31 मार्च 2018 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
अनुदान सब्सिडी पर व्यय आदि

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	—	—
2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	—	—
3. अन्य (विशिष्ट)	—	488,262,806
कुल	—	488,262,806

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 23

31 मार्च 2018 के अंत में आय तथा व्यय खाते से जुड़ना तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होना
ब्याज

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
1. निर्धारित ऋणों पर	—	—
2. अन्य ऋणों पर	—	—
3. बैंक के शुल्क	1,750	1,591
4. अन्य (विशिष्ट)	—	—
कुल	1,750	1,591

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी
हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24

31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर खातों के भाग के रूप में

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन और वित्तीय बयान की तैयारी का आधार

प्राधिकरण का वित्तीय लेखा-जोखा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नियम (लेखा और रिकॉर्ड के वार्षिक विवरण के रूप में), 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। भारत सरकार की योजना होने के कारण स्वालंबन योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अलावा वित्तीय लेखा-जोखा ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत प्रोद्भवन के आधार पर भुगतान आधार पर बनाया रखा जाता रहा है

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

3. अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों को उनके करों और अन्य आनुषंगिक अधिग्रहण से संबंधित खर्च सहित मूल लागत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. मूल्यहास

4.1 इसे आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार नीचे लिखे मूल्य विधि पर प्रदान किया जाता है।

4.2 5000/- या उससे कम की कीमतों की प्रत्येक आस्तियों को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

प्राधिकरण योजना के अनुसार परिपक्वता के लिए प्रावधान प्रदान किया जाता है। वर्ष के अंत में परिपक्वता के लिए दायित्व इस कल्पना पर गिनी जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25

31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर खातों से जुड़े होने और भाग के रूप में

आकस्मिक देयताएं और खातों में लेखन

1. आकस्मिक देयताएं
प्राधिकरण की 31.03.2018 पर कोई आकस्मिक देयता नहीं है।
2. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और उधार
मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और उधार का मूल्य कम से तुलनपत्र में दिखाई कुल राशि के बराबर मूल्य का है।
3. कराधान
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 के द भय में, प्राधिकरण अपने धन, आय लाभ या लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, इस तरह का कोई प्रावधान लेखा बहियों में प्रदान नहीं किया गया है।
4. 31.03.2017 को अप्रयुक्त सरकारी अनुदान को प्रमुख मौजूदा देनदारियों और प्रावधान के तहत दर्शाया गया।
5. पिछले वर्ष के लिए संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनःसमूहीकृत/पुनःप्रबंधित किया गया।
6. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2018 के तुलनपत्र के रूप में एकत्रित किया गया और एक अभिन्न अंग और 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा के रूप में लिया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.10.2018

आशीष कुमार भारती
मुख्य लेखा अधिकारी

एस.बंदोपाध्याय
सदस्य

डॉ.बी.एस.भंडारी
सदस्य

हेमंत जी.कांट्रेक्टर
अध्यक्ष

This Report is in conformity with the format as
per the Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.



हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN



पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण

बी-14/ए, पहली मंजिल, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26517095

फैक्स : 011-26517507

ई-मेल : chairman@pfrda.org.in

www.pfrda.org.in

**PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

B-14/A, 1st Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Ph : 011-26517095

Fax : 011-26517507

E-mail : chairman@pfrda.org.in

www.pfrda.org.in

Letter of Transmittal

Ref: PFRDA/09/02/11/0011/2018-ANNUAL RPT Dept

20th December, 2018

To,

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
Parliament Street
Jeevan Deep Building
New Delhi - 110 001

Subject: Annual Report of PFRDA- FY 2017-18.

Sir,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting copies of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority on the working of the Authority during the year ended March 31, 2018.

Yours faithfully


(Hemant G Contractor)

Table of Contents

Statement of Goals and Objectives	10
Objective	10
Vision	10
Chairman's Message	11
Members of the Board	13
Senior Management of the Authority	14
Abbreviations.....	15
Part I	
Policies & Programmes	18
1.1 General Review of the Global Economic Scenario	18
1.1.1 The Global Economy	18
1.1.2 Global Commodities Prices	19
1.1.3 Inflation	19
1.1.4 Financial Condition	20
1.1.5 Bond and equity markets	20
1.1.6 Global Growth outlook for 2018	21
1.1.7 Emerging Market and Developing Economies	22
1.2 Domestic Economy	22
1.3 Financial Markets	25
1.4 Review of Global Pension Market	26
1.5 Major Announcement for NPS in Budget	30
1.6 Indian Demography and Old Age Income Security	30
1.7 Indian Pension Landscape	31
1.8 A Brief on the review of the objectives of PFRDA during the year	32
1.9 Intermediaries under NPS	34
1.9.1 Intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act	34

1.9.2	Types of Account	35
-------	------------------------	----

Part II

Investment of Funds under NPS	37
2.1 Pension Funds (PFs)	37
2.1.1 Functions of Pension Funds	37
2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), and APY	37
2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes	37
2.2 Schemes under NPS	37
2.3 Exposure of various schemes regulated and administered by PFRDA to different categories of investments	39
2.4 Regulations, Notifications, issuance of major circulars/guidelines (Pension Fund)	41

Part- III

Functions of the Authority		42
3.1	Registration of intermediaries and suspension, cancellation etc. of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes	42
3.2	Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes	42
3.3	Exit of subscribers from the National Pension System	43
3.3.1	Exits under NPS.....	43
3.3.2	Partial Withdrawal under NPS.....	45
3.4	Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers	45
3.5	Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act	47
3.6	Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances	48
3.7	Certification Programme for Retirement Advisers	50
3.8	Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects.	50

3.9	Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issued and details of training of intermediaries	50
3.9.1	Financial Literacy:.....	50
3.9.2	NPS awareness and Social Media	52
3.9.3	Public Relations Agency	52
3.9.4	Training	53
3.10	NPS and APY Information Helpdesk	56
3.11	Conferences held during FY 2017-18	58
3.12	Performance of pension Funds	60
3.13	Regulated Assets	63
3.14	Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year.....	63
3.15	Information sought for inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds'	65
3.16	Others	65
3.16.1	Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act	65
3.16.2	Points of presence	69
3.16.3	Asset under Management	70
3.16.4	The Central Recordkeeping Agency	71
3.16.5	The Pension funds.....	75
3.16.6	The Trustee Bank.....	76
3.16.7	Trustee Bank Regulations, 2015	78
3.16.8	The Custodian.....	78
3.16.9	The National Pension System Trust	79
3.16.10	Other intermediaries	79
3.16.11	Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.	80

PART IV

4.1	Pension Advisory Committee	84
4.2	Regulations Made or Amended	84
4.3	Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund	85
4.4	Committee on Housing Assistance for NPS Subscribers	85

PART V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority		86
5.1	Constitution of PFRDA Board	86
5.2	Meetings of the Authority	86
5.3	Staff Strength in PFRDA	87
5.4	Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA	88
5.5	Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace	88
5.6	Staff Welfare Committee	88
5.7	Training of employees in PFRDA	88
5.8	Promotion of Official Language	88
5.9	Right to Information	88
5.10	Accounts of PFRDA	89

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers		90
6.1	Partial EEE status of NPS	90
6.2	Age limit of 40 years for joining APY	90
6.3	Choice of Fund Managers and Investment classes	90
6.4	Statutory obligations that the Authority has not complied	91
6.4.1	Minimum Assured Returns Scheme (MARS)	91

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act		92
---	--	-----------

7.1 Other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers	92
Annexure I State wise APY subscribers registration	93
Annexure II List of Point of Presence under NPS as on 31 st March, 2018	95
Annexure III List of Aggregators under NPS as on 31 st March, 2018	98
Annexure IV Composition of Pension Advisory Committee (PAC)	100
Annexure V Balance Sheet of PFRDA as on 31 st March, 2018	101

STATEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES

Under rule 9(2) (C) of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

OBJECTIVE

The broad objectives of the PFRDA are contained in the Preamble to the PFRDA Act 2013 as under:

"To provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing , developing and regulating pension funds, to protect the interest of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith and incidental thereto."

Vision

To be a model Regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

Chairman's Message

It is my pleasure to present the annual report of PFRDA for the financial year 2017-18. On this occasion, we renew our endeavor to strive for the fulfillment of our mandate to promote and develop an organized and orderly pension system in India to serve the old age income needs of all citizens on sustainable basis.

Globally, the nations are witnessing a demographic shift towards increasingly ageing population, mainly on account of rising life expectancy and declining fertility. This has led many countries across the world to revisit their pension systems. The ageing population of India which was just 7.5% in 2001 increased to 8.6% by 2011 and it is predicted that it could be around 19% of total population by 2050.

In this background, the Government of India made a paradigm shift from the old defined benefit pension to the defined contribution pension, which is now known as the National Pension System (NPS). This was a systemic reform in the direction of fiscal prudence and development of a sustainable pension system. Eventually all the States of India barring West Bengal also adopted the NPS. Later in 2009, the NPS was opened up for private sector and all citizens of India to enable the multitude of India's working population to secure their old age within a sustainable defined contribution pension system.

To enable and encourage people from the unorganized sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the Atal Pension Yojana (APY). APY, a defined benefit pension scheme guaranteed by the Government and administered by PFRDA has garnered a total of about 96.06 lakh subscribers and corpus of Rs. 3602 crore as on 31st March, 2018.

The unbundled NPS architecture leverages the specialized intermediaries at minimum possible cost. Such a platform provides for a technologically driven, low cost pension product which is portable across geographies and employment. NPS comes with ample flexibility where subscribers can exercise their choice regarding the Point of Presence, Central Recordkeeping Agency, Pension Fund Manager, Annuity Service Provider, mode of investment ~ active or passive management, frequency and amount of contribution among others.

To improve ease of access to NPS & APY, PFRDA has leveraged technology across the entire value chain. Launch of eNPS, Mobile apps, e-KYC etc. are improving the processes efficiencies. However, PFRDA is constantly vigilant about the cyber security measures to ensure that proper systems & processes are in place to mitigate any cyber threats.

The fiscal nudge provided by the announcement in the Union Budget 2017-18 regarding parity between an employee and self-employed, in respect of deductions up to 20% of the individual's gross total income in respect of contribution made to National Pension System Trust shall enable the on-boarding of subscribers under All Citizens model.

Due to better healthcare facilities and increased fitness along with opportunities available in private sector and self-employment, more and more people in late 60s and 70s are leading an active life. The annuity rates available in older age fetch better annuities than at the age of 60 or less. Keeping this in view, it has been decided to increase the maximum age of joining the NPS from the present 60 years to 65 years in NPS Private Sector i.e., NPS-All Citizen Model and Corporate Sector Model, as measure to mitigate longevity risk.

Lastly, pension is a long term financial product which requires consistent contribution towards one's corpus in the accumulation phase which is the working age of an individual. Subscribers should observe patience during market turmoil as their investments towards retirement are committed towards long term growth and short term market movements are expected to be evened out over time. PFRDA is steadfast in its commitment to keep subscribers' interest paramount and strives to ensure effective management of the NPS by its prudential regulation making process and supervisory role.

Chairman

Members of the Board

(as on 31.03.2018 appointed under Section 4 of the PFRDA Act, 2013 (Act 23 of 2013))

(a) Chairman

Shri Hemant G. Contractor

(b) Whole-Time Members

1. Dr. B.S. Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16th May, 2014 till date.
2. Shri Pradeep Chaddah, Whole-Time Member (Law) from 30th June, 2016 till 26th March, 2018.
3. Shri Supratim Bandopadhyay, Whole-Time Member (Finance) from 12th March, 2018 till date.

(c) Part-Time Members

1. Ms. Vandana Sharma, Additional Secretary, Department of Pension and Pensioner's Welfare from 12th December, 2014 to 11th August, 2017.
2. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December, 2014 till date.
3. Mr. Suchindra Misra, Joint Secretary, Department of Financial Services from 23rd June, 2016 till 3rd November, 2017.
4. Shri Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary, DPPW, Ministry of Personnel, P G and Pensions from 11th August, 2017 till date.
5. Shri Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, DFS, Ministry of Finance from 3rd November, 2017 till date.

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(as on 31.03.2018)

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Satya Ranjan Prasad

Shri Kamal Kumar Chaudhry (On deputation to NPS trust)

Shri Ananta Gopal Das

CHIEF GENERAL MANAGER

Smt. Sumeet Kaur Kapoor

Shri Venkateswarlu Peri

Shri Rakesh Sharma

GENERAL MANAGER

Shri Ashish Kumar

Shri K.Mohan Gandhi

Shri Pravesh Kumar

Shri Rahul Ravindran

Shri Mono Mohon Gogoi Phukon

Shri Akhilesh Kumar

Shri Vikas Kumar Singh

CHIEF VIGILANCE OFFICER

Shri M. P. Nagpal

OMBUDSMAN

Shri Vinod Kumar Pande

ANNUAL REPORT TEAM

Smt. Sumeet Kaur Kapoor, Chief General Manager

Smt. Manju Bhalla, Deputy General Manager

Shri. Manish Mani, Manager

Abbreviations

AIF	Alternative Investment Fund
AIS	All India Service
AML	Anti-Money Laundering
APY	Atal Pension Yojana
ASP	Annuity Service Provider
AUM	Assets Under Management
BSE	Bombay Stock Exchange
CAB	Central Autonomous Bodies
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CBLO	Collateralised Borrowing and Lending Operation
CBO	Corporate Branch Office
CBS	Core Banking Solution
CHO	Corporate Head Office
CD	Certificates of Deposit
CFT	Cross file Transfer
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Monitoring System
CP	Commercial Paper
CPI	Consumer Price Index
CPIO	Central Public Information Officer
CRA	Central Recordkeeping Agency
CRA- FC	Central Recordkeeping Agency- Facilitation Centre
CSO	Central Statistical Office
DA	Dearness allowance
DB	Defined Benefit
DC	Defined Contribution
DDO	Drawing and Disbursing Officer
DCCB	District Central Co-operative Bank
DFS	Dept. of Financial Services
DTA	Domestic Tariff Area
DTO	District Treasury Office
ECB	European Central Bank
EEE	Exempt Exempt, Exempt
EET	Exempt, Exempt and Tax
EMDE	Emerging market and developing economies

EME	Emerging Market Economies
EPF	Employee Provident Fund
ETF	Exchange Traded Fund
FCNR	Foreign Currency Non-Residential
FD	Fixed Deposit
FII	Foreign Institutional Investor
FPI	Foreign Portfolio Investment
FRC	Fund Receipt Confirmation File
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GPF	General Provident Fund
GRC	Grievance Redressal Cell
GST	Goods and Services Tax
GVA	Gross Value Added
ICT	Information and Communications Technology
IDR	Indian Depository Receipts
IMF	International Monetary Fund
INR	Indian Rupee
IPIN	Internet Personal Identification Number
TPIN	Trading partner identification number
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ITES	Information Technology Enabled Services
IVR	Interactive Voice Response System
KYC	Know Your Customer
LNG	Liquefied Natural Gas
MFI	Micro Finance Institution
MIS	Management Information System
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
NAV	Net Asset Value
NBFC	Non-Bank Financial Companies
NISM	National Institute of Securities Market
NPS	National Pension System
NPSCAN	NPS Contribution Accounting Network
NPST	National Pension System Trust
NRE	Non Resident External
NRI	Non-Resident of India
NRO	Non Resident Ordinary rupee

NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
OBC	Other Backward Caste
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OMO	Open Market Operations
OTP	One Time Password
PMI	Purchasing Managers' Index
RBI	Reserve Bank of India
RRB	Regional Rural Bank
RTI	Right to Information
PAN	Permanent Account Number
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting offices
PF	Pension Fund
PFI	Private Finance Initiative
PFM	Pension Fund Manager
PFRDA	Pension Fund Regulatory and Development Authority
PoP	Point of Presence
PoP-SP	Point of Presence Service Provider
PPF	Public Provident Fund
PRAN	Permanent Retirement Account Number
PSU	Public Sector Undertaking
SC	Scheduled Caste
SCF	Subscribers Contribution File
SDL	State Development Loan
SEBI	Securities and Exchange Board of India
ST	Scheduled Tribe
SG	State Government
SHCIL	Stock Holding Corporation of India Ltd
SLBC	State Level Bankers Committee
SOT	Statement of Transactions
TB	Trustee Bank
WEO	World Economic Outlook
WPI	Wholesale Price Index
WTM	Whole Time Member
YTM	Yield to Maturity

Part I

Policies & Programmes

The Indian Finance Minister, in his 2016 Union Budget speech, articulated an aspiration to move towards a pensioned society. Further the Preamble to PFRDA Act, 2013 sets out the objective of providing age- old income security in India. This needs a systemic approach towards designing and implementing a coherent and financially sustainable pension system. The introduction of the National Pension System in India marked a paradigm shift from Defined benefit to Defined contribution system, success of which depends upon consistent savings , prudential investments into Equity and debt securities, and judicious draw down during the de-accumulation phase. Further, the design of these three phases is greatly impacted by the global and domestic developments in the financial sector. On reaching a critical mass, Pension assets also start impacting the economy through myriad ways including channelizing the small savings into desired sectors like Infrastructure, maturing of capital markets, stabilizing the capital markets through Buy and hold strategy etc.

As the Global and domestic developments like growth rates, commodity prices, inflation etc impact all types of the financial markets , be it Equity market, G sec market or bond markets, it is in fitness of things to first have a bird eye view of the Global and domestic economy before reviewing the developments in the global and domestic pension markets.

1.1 General Review of the Global Economic Scenario

The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook (WEO), April 2018 reveals that global growth was 3.8 percent in 2017, At 3.8 percent, global growth in 2017 was strongest since 2011. Two-third of countries

accounting for about three-fourth of global output experienced faster growth in 2017 than in the previous year. The preliminary outcome for global growth in 2017 was 0.2 percentage point stronger than earlier forecast in advanced as well as emerging market and developing economies. Economic activity in second half of the year ended up on high note i.e. above 4 percent. Outcomes exceeded the outlook forecasts in the euro area, Japan, the United States, and China, and continued to improve gradually in commodity exporters. Financial conditions remain supportive, despite the recent volatility in equity markets and increases in bond yields following signs of firming inflation in advanced economies. With broad-based momentum and expectations of a sizable fiscal expansion in the United States over this year and the next, global growth is now projected at 3.9 percent for 2018-19.

1.1.1 The Global Economy

The pickup in global activity in the first half of 2017, reflecting firmer domestic demand growth in advanced economies and China and improved performance in other large emerging market economies the WEO report April, 2018 updates that after October 2017 the economic outlook both for emerging markets and developing countries have upside trend. Across advanced economies, the 0.6 percentage point pickup in 2017 growth relative to 2016 is explained almost entirely by investment spending, across emerging market and developing economies, the 0.4 percentage point pickup in 2017 growth came primarily from an acceleration in private consumption. Growth in China and India last year was supported by resurgent net exports and strong private consumption, respectively, while investment growth slowed. Global trade - which tends to be highly correlated with global

investment recovered strongly in 2017, to an estimated real growth rate of 4.9 percent. The upsurge was more pronounced in emerging market and developing economies (with trade growth rising from 2.2 percent in 2016 to 6.4 percent in 2017), reflecting improved investment growth rates in formerly stressed commodity exporters as well as the recovery in advanced economy investment and domestic demand more generally.

Among advanced economies, large exporters, such as Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States, contributed strongly to the recovery in exports, while the recovery in imports was broad based, except in the United Kingdom. Among emerging market and developing economies, the rebound in export growth was particularly strong in emerging Asia, especially China. As around 40% of the NSE100 companies are export oriented, this is considered as an important development for the equity market in India as well, where around 13% of NPS funds are invested.

1.1.2 Global Commodities Prices :

The IMF's Primary Commodities Price Index rose 16.9 percent between August 2017 and February 2018 - that is, between the reference periods for the October 2017. The increase was driven primarily by rising oil and natural gas prices. Among the other subindices, metals and agricultural commodity prices also rose, although less rapidly than energy prices.

Oil prices, which constitute an important factor in our current account deficit and hence health of the economy, increased to more than \$65 a barrel in January, the highest level since 2015. Prices moderated to \$63 a barrel in February, 2018. The natural gas price index - an average for Europe, Japan, and the United States - rose sharply due to the strong demand for liquefied natural gas (LNG) in China, where the government has restricted the use of coal to

mitigate air pollution, helped drive the spot LNG price to its highest level in three years. Higher oil prices also added upward pressure in countries where oil linked pricing is more common. There is upward trend in metal prices & agriculture price index.


1.1.3 Inflation:

Inflation is an important factor which determines the purchasing power of an individual. Hence, the designs for pensions invariably need to take into account the inflation rate so as to target the real rate of returns.

As per the WEO report, Core inflation rates (when fuel and food prices are excluded) has been generally soft. In most advanced economies, core inflation remains below target. In US it stood at about 1.6 percent. In euro areas the twelve-month core inflation notched up to 1.1 percent in February, while in Japan it has remained on a gentle upward trajectory in recent months, reaching 0.4 percent in January. The United Kingdom is an exception to the pattern of below-target inflation. At 2.4 percent in February, UK core inflation is below the peak it reached in 2017 in the aftermath of the June 2016 Brexit referendum pound depreciation, but remains above the Bank of England's target of 2 percent.

Core inflation is around historical lows in Brazil and Russia, where demand has been recovering from the deep contractions of 2015-16, while it has picked up in India after falling sharply in the second quarter of 2017 due to one-off factors. In China, core inflation remains broadly stable at about 2 percent. In contrast, other countries - in sub Saharan Africa; the Commonwealth of Independent States; and the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan region - continue to grapple with high inflation stemming from the pass-through of earlier exchange rate depreciations.

Chart 1.1 Global Inflation



Headline consumer price inflation has moderated since the spring, reflecting a decline in oil prices. While unemployment rates have continued to decline, wage growth remains subdued.

(Three-month moving average; annualized percent change, unless noted otherwise)

Source: WEO report April, 2018.

1.1.4 Financial Condition

It is important to track the relative currency fluctuations in an interconnected world, wherein the movements of the major currencies can impact the relative competitiveness of the domestic industries especially which are export import oriented manifesting in the financial sector indices.

As per the WEO report, in emerging market economies, financial conditions since August have generally remained supportive to show upward trend. Monetary policy was eased further in Brazil and Russia, while it was tightened in Mexico. The announcements of intended US tariff actions on steel, aluminium and a range of Chinese products, as well as the announcement by China of retaliatory tariffs on imports from the US leads to equity market valuations remain stronger. Corporate credit spreads are tighter or little changed relative to August. Despite widening interest rate differentials, the US dollar weakened modestly in real effective terms, by about $1\frac{1}{2}$ percent between August 2017 and end - March 2018, and is about $4\frac{1}{2}$ percent weaker than its 2017 average. The euro has appreciated by around 1

percent and stands about 4 percent stronger than its 2017 average. Among other currencies, the Japanese yen has remained broadly stable, while the British pound appreciated $5\frac{1}{2}$ percent after the Bank of England also raised interest rates. Equity markets have strengthened and spreads on the J.P. Morgan Global Emerging Markets Bond Index have declined. Long-term interest rates on local currency bonds have increased in countries growing rapidly, such as in emerging Asia and emerging Europe.

1.1.5 Bond and equity markets.


FII's can play a major role in the performance of financial indices like equity and debt markets in India today. The performance of the financial markets in the Advanced economies like US, impact the direction of the foreign Institutional Investors -towards or away from the emerging markets and therefore need to be tracked.

As per IMF WEO report of July, 2017, the long-term bond yields in advanced economies had declined since March, with an expectation of rebound. The next report reveals, with strengthening economic activity and expectations of more increases in the policy rate in the United States, nominal yields on 10-year

US Treasury bonds have risen by over 50 basis points since August (as of end March 2018). Over the same period, long-term bond yields have risen by some 10 basis points in Germany and 25 basis points in the United Kingdom, while they have remained around zero in Japan. Long term bond yields have remained broadly unchanged in Italy and Spain, as their spreads over German bunds have compressed with the increase in German yields. Corporate debt remains high in some emerging markets. Tighter regulation of nonbank intermediation in China, where nonfinancial corporate sector debt is still rising, is a welcome start of a needed policy response to contain the accumulation of vulnerabilities.

Global growth momentum is strong and borrowing rates are low, but it could come to the fore over the medium term, exposing financial fragility. An eventual global repricing of risk could be triggered by various shifts, including a broad-based pickup in inflation. Long-term sovereign bond yields have remained broadly stable in Japan and Germany, risen by some 10 basis points in the United Kingdom, and declined by 20-30 basis points in France, Italy, and Spain, as spreads relative to German bund yields compressed sharply, particularly in the aftermath of the French presidential election. Equity markets in advanced economies have continued to rise, market volatility indicators remain low.

Chart 1.2 Ten Year Government Bond Yields



1.1.6 Global Growth outlook for 2018

As per the WEO report, Global growth is expected to move up to 3.9 percent in 2018 and 2019 supported by strong momentum, favorable market sentiment, accommodative financial conditions, and due to impact of expansion of fiscal policy in the United States. Aggregate growth in emerging market and developing economies is projected to be firm. In emerging

market and developing economies, the growth will remain close to its 2018-19 level and it is projected that increase in India's growth and will lead to some offset to China's gradual slowdown. Emerging Europe's is expected to return to its lower-trend growth rate, 40 emerging market and developing economies are projected to grow more slowly in per capita terms than advanced economies. The outlook

is mixed across emerging market and developing economies. Prospects remain favourable in emerging Asia and Europe, but are challenging in Latin America, the Middle East and sub-Saharan Africa.

1.1.7 Emerging Market and Developing Economies

Emerging and Developing economies are alternatives to Indian markets for the FIIs and hence it is important to track our peers, especially China, which, due to sheer size of its economy and foreign trade, is able to impact the Global macro economic parameters.

As per the WEO report, growth in emerging market and developing economies is expected to increase from 4.8 percent in 2017 to 4.9 percent in 2018 and 5.1 percent in 2019.

In China, growth is projected to moderate from 6.9 percent in 2017 to 6.6 percent in 2018 and 6.4 percent in 2019. India's economy is projected to grow at 7.4 percent in 2018 and 7.8 percent in 2019, up from 6.7 percent in 2017. The forecast is unchanged from the October WEO, with the short-term firming of growth driven by a recovery from the transitory effects of the currency exchange initiative and implementation of the national goods and services tax, and supported by strong private consumption growth. Recovery in Latin America and the Caribbean is strengthening, with growth for the region projected to increase from 1.3 percent in 2017 to 2.0 percent in 2018 and 2.8 percent in 2019. Following a deep recession in 2015-16, Brazil's economy returned to growth in 2017 (1.0 percent) and is expected to improve to 2.3 percent in 2018 and 2.5 percent in 2019. In Argentina, growth is expected to moderate from 2.9 percent in 2017 to 2.0 percent in 2018. In Venezuela, real GDP is forecast to fall by about 15 percent in 2018 and a further 6 percent in 2019. Growth in emerging and developing Europe is projected to moderate from 5.8 percent in 2017 to a still-robust 4.3

percent in 2018 and soften further to 3.7 percent in 2019 (0.8 and 0.4 percentage point higher, respectively, than projected in the October).

Growth in sub-Saharan Africa is projected to rise to 3.4 percent in 2018 (from 2.8 percent in 2017) and improve slightly thereafter through the medium term to about 4.0 percent. In the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan region, growth is projected to increase from 2.6 percent in 2017 to 3.4 percent in 2018 and 3.7 percent in 2019. Pakistan's economy is expected to expand at a robust pace of 5.6 percent this year (up from 5.3 in 2017), before moderating to 4.7 percent in 2019. In Saudi Arabia, growth is projected to resume this year, rising to 1.7 percent from a contraction of 0.7 percent in 2017. Growth in 2019 is expected to rise slightly to 1.9 percent as oil output increases, with the assumed expiration of the Organization of the Petroleum Exporting Countries.

1.2 Domestic Economy

1.2.1 Macro-Economic Developments in India

Major reforms were undertaken over the past year. The transformational Goods and Services Tax (GST) was launched, the long-festering Twin Balance Sheet (TBS) problem was sought to be addressed by sending the major stressed companies for resolution under the new Indian Bankruptcy Code and implementing a major recapitalization package to strengthen the public sector banks. As a result of these measures and the effects of earlier policy actions, the economy began to accelerate in the second half of the year.

The growth of GDP at constant prices for the year 2017-18 is 6.7 per cent, as compared to 7.1 per cent in 2016-17.



The production of the manufacturing sector grew by 4.4 per cent in March 2018, as compared to the growth of 3.3 per cent in March 2017. The manufacturing sector's growth during 2017-18 was 4.5 per cent, as compared to growth of 4.4 per cent during 2016-17.

Growth of money supply (on year on year basis) as of 30th March 2018 stood at 9.6 per cent, as


compared to a growth of 6.9 per cent recorded in the corresponding period in the previous year.

The Economic Survey report 2017-18 has estimated the economic growth rate in the fiscal year 2019 between 7% and 7.5%, while stating that the rising crude oil price has become a major concern and is expected to grow by average 12% in the FY 2019. Further, the survey said that private investment is poised to rebound in the fiscal year 2019 and employment, education and agriculture will remain the focus in the medium term.

Inflation

The inflation in FY 2017-18 remain under control. In comparison to the month of April, 2016 the WPI recorded at rate of 3.85 % in its next corresponding year, it went as down as 0.90% in the month of June, 2017. CPI inflation rate was high at 5.21% in the month of December, 2017 against its last corresponding year. CPI went as down as 1.46% in the month of June, 2017.

Chart 1.3: The inflation rate CPI & WPI years on year are shown below:



Data source: CSO,DIPP & www.data.gov.in

Table no. 1.1 Inflation based on different price indices (per cent)

Particulars	2016-17*	2017-18*
WPI	1.7	3.0
CPI (combined)	4.5	3.6

Source: Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) for WPI & Central Statistics Office (CSO) for CPI (combined)

*Inflation during years is percentage change in average of monthly index over average of monthly index of last year.

GST and Indian Economy

The introduction of Goods and Service Tax (GST) is a significant step in the reform of indirect taxation in India. GST was launched in July 2017 with the aim to consolidate several Central and State taxes into a single tax to mitigate cascading or double taxation. GST brings a harmonized tax structure and uniform compliance practices both by regulators and businesses. The number of indirect taxpayers in the country witnessed growth of 50 percent to 9.8 million unique GST registrants, as of December, 2017 and as on March, 2018, 10.05 million taxpayers have been registered under GST regime.

GST, which brought businesses with annual sales of Rs20 lakh and above into the indirect tax net, has made many small, informally

operating firms without tax registration or social security schemes, part of the formal economy by becoming registered tax payers.


GST has helped the number of taxpayers go up by 3.4 million, as per the Economic Survey of FY17-18. With the requirement for maintaining books of accounts and being part of the digital tax return processing system, they have now become the biggest pool of potential new customers for the National Pension System (NPS).

Monetary Management

Monetary policy during 2017-18 was conducted under the revised statutory framework, which was effective from August 5, 2016. In the first & second bi monthly meeting the Monetary Policy Committee (MPC) decided to keep the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) unchanged at 6.25 per cent. In third bi-monthly Monetary Policy Statement for 2017-18 (in August 2017), the Monetary Policy Committee decided to reduce the policy Repo Rate by 25 basis points to 6.0 per cent. It kept the rates unchanged in both October and December 2017.

In the FY 2016-17 & FY 2017-18 the repo rates had registered a decline of 25 basis point, during FY 2016-17 it started with 6.50% and closed the FY with 6.25% whereas, at the beginning of FY

Chart 1.4: A movement in the repo rate during FY 2016-17 & FY 2017-18 is presented below:



2017-18 the repo rate was 6.25% and by the end it went down to 6.00%.

In tandem with the re-monetisation process, from November 17, 2017, as a favourable base effect set in, the Year on Year (YoY) growth of both 'Currency in circulation' and 'Reserve money' (M0) turned sharply positive and higher than their respective growth rates in the previous year. After demonetisation in early November 2016, the Reserve Bank had scaled up its liquidity absorption operations using a mix of both conventional and unconventional instruments. Liquidity conditions remain in surplus mode even as its magnitude moderated gradually with progressive remonetisation.

1.3 Financial Markets


India has a diversified financial sector undergoing rapid expansion, both in terms of strong growth of existing financial services firms and new entities entering the market. The sector comprises commercial banks, insurance companies, non-banking financial companies, co-operatives, pension funds, mutual funds and other smaller financial entities.

G-Sec Market

During 2017-18 (up to 11th January, 2018), the direction of movement of the 10-year generic G-sec yield altered significantly. In April 2017, G-secs traded with a moderate hardening bias. However, the G-sec yield softened sharply after May 12, 2017 mainly on account of auction of a new benchmark security coupled with lower than expected inflation for April 2017. Between May 2017 and July 2017, G-secs traded with a softening bias on account of better than expected economic data viz., lower inflation, positive monsoon forecast and dovish stance of monetary policy in June 2017. The softening of yield was further supported by robust FPI inflows.

Later, from mid-July to November 17, 2017, the yield movement was mainly guided by global factors and reflected a hardening bias in the US. Furthermore, domestic factors such as, higher CPI inflation, additional supply of securities through OMO sales, rise in oil prices leading to concerns of higher inflation, and higher government borrowings, exerted upward pressure on yields. India's sovereign rating upgrade by Moody's, however, briefly

Chart 1.5: 10 Year G-Sec Generic Bid Yield (Percent)



Source: Bloomberg

led to a decline of the 10-year G-sec yield to 7.10 per cent on November 20, 2017, but it went back up later. The G-sec yield as on March, 2018 stands at 7.40 per cent.

Corporate Bond Market


India's corporate bond markets have seen a healthy growth in the last few years, supported by several structural and cyclical factors. A series of favourable steps taken by regulators and policy makers to broaden the bond markets has been one of the key influences. In a major

move to make the corporate bond market deep and vibrant in the country, In the budget 2018 Speech, Government proposed the corporate sector to raise at least one-fourth of their funding requirement through bonds.

Equity Market

The implementation of the Goods and Services Tax and the move to bring back long-term capital gains tax that spooked investors, India has witnessed an eventful twelve months starting April 2017.

Chart 1.6: Sensex and Nifty movement



Sources: BSE & NSE data

India's leading equity benchmark, the Nifty 50 Index, touched fresh record levels in financial year 2017-18. As per SEBI, on Jan, 29, 2018 the Sensex and Nifty touched their all-time high of 36,444 and 11,172 respectively. S&P BSE Sensex has recorded a growth of 11.3 per cent from its closing figure of last year and closed at 32,969 on 28th March, 2018. Nifty 50, the benchmark index of NSE, closed at 10,114 points on 28th March, 2018, witnessing a gain of 10.2 per cent from its closing of 9,174 points as on March 31st, 2017.


1.4 Review of Global Pension Market

According to OECD, the amount of assets in pension arrangements in OECD varied widely

across countries, this has reached to a record USD 43.4 trillion in 2017. Pension assets amounted to less than USD 0.2 trillion in 78% of the reporting jurisdictions, while 8% of jurisdictions exceeded USD 1 trillion. The largest amounts of pension assets with the largest economies with a long history of pension savings, assets exceeded USD 1 trillion in seven OECD countries: Australia, Canada, Japan, the Netherlands, Switzerland, the United Kingdom and the United States.

The seven countries with assets in excess of USD 1 trillion, held more than 90% of pension assets in the OECD area in 2017. The largest amount of pension assets among OECD countries was held in the United States in 2017 (64.9% of the

Chart 1.7: Geographical distribution of pension assets in the OECD area, 2017



total assets in the OECD area, with USD 28.2 trillion of assets), followed by the United Kingdom (6.7%, USD 2.9 trillion), Canada (6.1%, USD 2.6 trillion), Australia (4.1%, USD 1.8 trillion), the Netherlands (3.7%, USD 1.6 trillion), Japan (3.2%, USD 1.4 trillion) and Switzerland (2.3%, USD 1.0 trillion). The other 29 OECD jurisdictions shared the remaining 9.0% of assets (or USD 3.9 trillion).

Pension assets were also unevenly distributed within regions. South Africa was the only reporting country in Africa with more than USD 0.2 trillion of pension assets in 2017.

In some fast developing economies (e.g. China and India), the amount of pension assets still remained relatively low in 2017 compared to other countries.

The amount of pension assets compared to the size of the domestic economy provides an indication of the importance of funded and private pension systems at the national level. On average, pension assets accounted for 50.7% of GDP in the OECD area and 19.7% of total GDP in the sample of non-OECD jurisdictions

in 2017. The weighted average was even higher: 133.6% in the OECD area and 41.3% outside the OECD.

Denmark is at the top of the ranking among OECD countries with pension assets worth 208.4% of GDP, followed by the Netherlands (184.2%) and Iceland (164.5%). The amount of pension assets was below 20% of GDP in more than 50 jurisdictions, and even below 2% of GDP in 12 of these (including China, India and Indonesia). However, statistics for these countries often only cover a part of the system (e.g. enterprise annuity only for China, National Pension System schemes and the contributory scheme Atal Pension Yojana for India, and voluntary pension plans in Indonesia).

Pension assets grew in most countries in 2017. All countries experienced an increase of pension assets in 2017 in real terms, except in Egypt, Japan and Malaysia.


As per OECD report, the introduction of automatic enrolment has successfully led to higher coverage rates in New Zealand and the United Kingdom. The objective of automatic

enrolment programmes is to increase the participation of individuals in a pension plan. The number of members has kept increasing and the coverage of funded and private pension plans in New Zealand (68%) was close in 2017. The Department for Work & Pensions (DWP) in the United Kingdom found that the introduction of automatic enrolment in October 2012 improved the participation rate

of working-age adults in a pension plan.

The success of automatic enrolment was more limited in Italy as only 20% of the working age population was covered by a pension plan in 2017. Some other countries have also just introduced automatic enrolment programmes (e.g. Germany in 2018 for occupational defined contribution pension plans for private sector employees).

Chart 1.8: The total assets in funded and private pension arrangements, 2017
As a percentage of GDP



Source: OECD report October, 2018

1.4.1 Equities investments are the performers in 2017


In most of the countries assets of pension funds were mainly invested in bills, bonds and equities. Asset managers invest in these instruments directly or indirectly through collective investment schemes (CIS). Bills, bonds and equities accounted for more than 50% of the investments of assets in pension funds in all countries in 2017, except Guyana, Kosovo, Japan and the United Kingdom. However, pension funds in Kosovo and the United Kingdom invested a significant share of their portfolios in CIS (respectively 89.4% and 28.5% of total investment) and the look-through of CIS investments is not available for these two

jurisdictions. The overall exposure to bills, bonds and equities for pension funds in these two jurisdictions is therefore likely to be higher.

Countries with the highest proportion of assets invested in equities were also those observing some of the highest real investment rates of return in 2017. Pension funds invested the most in equities in Australia (58.2%) and Poland (85.2%) among OECD countries; and Hong Kong (China) (63.4%), Namibia (65.1%) and Mauritius (56.0%) among non-OECD jurisdictions.

Mandatory provident funds in Hong Kong, China that exhibited the strongest real net investment rate of return worldwide in 2017, invested 70% of their assets in equities in 2017.

Chart 1.9: Allocation of pension assets in selected investment categories, 2017
As a percentage of total investment



1.5 Major Announcement for NPS in Budget 2018

In order to provide parity between an individual who is an employee and an individual who is self-employed, it is proposed to provide that the self-employed individual shall be eligible for deduction upto twenty per cent of his gross total income in respect of contribution made to National Pension System Trust.

1.6 Indian Demography and Old Age Income Security:

India is the second most populated country in the world. There are 29 states and 7 union territories in India the populations range massively in size - the largest, Uttar Pradesh, holds the highest population approximately 19.98 crore and the smallest state is Sikkim with approximately population of 6.10 lakh. India's demographic dividend makes it a young country and is expected to remain so for the next couple of decades. About 50% the population was under the age of 25 years. as per Census 2011, almost 90% of the population was below the age of 60 years and the working age population proportion stood at 44% in 2015. But the population is also ageing with each passing day.

As per WHO report, global life expectancy at birth in 2016 was 72.0 years (74.2 years for females and 69.8 years for males), ranging from 61.2 years in the WHO African Region to 77.5 years in the WHO European Region, giving a ratio of 1.3 between the two regions. Women live longer than men all around the world. The report reveals, India's life expectancy has also been on the rise - going from 62.5 in 2000 to 68.8 in 2016.

In India, traditionally, the pension was available mostly for the Government employees and to some organised sector workers. To extend the benefit of pension to the general public it was intended to have a pension system in place

which can facilitate and spread the coverage of Pension in the Country to secure the old age income. The United Nations Population Fund (UNFPA) report has pointed that in India, persons above 60 would increase from existing 8.9 per cent of the population to 19.4 per cent of the population and persons above 80 would increase from the existing 0.9 per cent to 2.8 per cent by 2050.

The rise in proportion of old aged persons and Government pensioners has put increasing pressure on the fiscal. Higher government spending on pensions and old age security has often crowded out expenditure on other important public goods and services and developmental sectors like education, health, infrastructure etc. A number of countries includes Greece have had to bear the impact of unsustainable pension liabilities on their entire economy.

Due to rising and unsustainable pension liabilities, in keeping with the global practices and after deep deliberations on the issue, Government made a conscious move to shift from the defined benefit pension scheme to the defined contribution pension scheme. Initially for the Government employees. The New Pension Scheme, now renamed as National Pension System (NPS) was introduced by the Government through a notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22nd December, 2003 (copy enclosed) and it was made mandatory for Central Government employees (except armed forces) who join service w.e.f. 1-1-2004. The monthly contribution is 10% of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Government.

The National Pension System (NPS), which was introduced initially for the Central government subscribers, has now been adopted by all the state governments except West Bengal, and most of the Central and States autonomous bodies. NPS has also been extended to the

private and unorganized sector on voluntary basis from May 2009.

1.7 Indian Pension Landscape

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme (NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme (EPS) under the EPFO, other Statutory Provident Funds like Coal Mines, Seamen's Assam Tea Plantations etc. schemes, the National Pension System (NPS) for the Central government employees joining on or after 1st January 2004 on mandatory basis, Employees of those State Governments who have joined NPS, NPS for all citizens on voluntary basis covering both employees and self-employed including those in the unorganised sector, Public Provident Fund, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for Government employees and introduction of NPS for Government employees. Owing to the financial and practical difficulties of extending coverage to the unorganised sector through the mandatory scheme like EPF (specially for organized sector workers), voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers under the pension system (about 88% of the total labour force of 47.29 crore workers is without any formal pension provision) is the extension of the

NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system.

NPS introduced earlier for the government sector has also been extended to other segments, such as, autonomous bodies, State Governments and un-organised sector. NPS has been adopted resoundingly by the State Governments. Twenty Eight State Governments and Union Territories have notified adoption of NPS for their new employees. To encourage people from the unorganised sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the co-contribution scheme - Swavalamban Scheme in September, 2010, Subsequently, Atal Pension Yojana (APY) was launched on 9th May, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from 1st June, 2015 with the focus on unorganized sector. The subscribers under APY shall get a Government guaranteed pension of Rs. 1000, Rs. 2000, Rs. 3000, Rs 4000 or Rs. 5000 depending upon the contribution level opted by them. APY, a defined benefit pension scheme has a total of about 96.06 lakh subscribers and corpus of Rs. 3602 crore as on 31st March 2018. As on 31st March, 2018, 399 Banks are registered as APY - Service Providers which include Public Sector Banks, Pvt. Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, District Commercial Banks, Schedule Commercial Banks, Urban Commercial Banks, Payment Banks and Department of Post.

Till 31st March 2018, a total of 211.78 lakh members/ subscribers have been enrolled under the NPS and APY. Assets Under Management which includes the returns on the corpus, under the NPS and APY have witnessed an increase from Rs. 1,74,561 crore as on 31st March 2017 to Rs. 2,34,579 crore as on 31st March, 2018, registering an increase of 34.38 percent. The number of Subscribers, Corpus and Assets Under Management under NPS are given in table below:

Table no 1.2: Number of Subscribers, Corpus and Assets Under Management under NPS/APY.
(As on 31st March 2018)

Sector	No. of subscribers (In Lakh)	AUM (Rs. crore)
Central Government	19.22	84954
State Government	38.68	115679
Corporate	6.96	21378
Unorganized	6.91	5744
NPS Lite/ Swavalamban	43.95	3006
APY	96.06	3818
Grand Total	211.78	234579

Source: NPS Trust

There has been a rapid growth in both NPS and APY schemes over the period. However, awareness of these schemes needs to be spread across the various segments of the society. Government support to these schemes in the form of tax benefits and guarantee for APY increases the appeal of these schemes but the schemes still require traction from the people, considering the vast population of the Country. The major challenge in extending the NPS to all citizens is increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers. PFRDA has been taking several steps to increase the awareness through different mass media and capacity building programmes. PFRDA has also allowed registration of retirement advisors who have a responsibility to help the prospective as well as existing subscribers in deciding retirement plans and guide them toward a financially secure retirement.

Further, to ensure dissemination of NPS awareness, PFRDA has aggressively undertaken promotional and developmental activities by appointing a dedicated agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices etc.

To improve ease of access to NPS for the potential subscribers and providers, PFRDA has leveraged technology across the value chain and launch of eNPS, Mobile apps, e-KYC etc.

are driving the efficiencies. Through e-NPS, a person can conveniently register & contribute online. Contribution facility for NPS is also available for the existing subscribers. eNPS facilitates opening of Individual Pension Account under NPS and making initial and subsequent contribution to the Tier I as well as Tier II account online. This feature also enables the subscribers to change their Pension Fund Managers, Asset Class, Allocation Ratio, and Scheme options after authentication. NPS subscribers can initiate withdrawal request from Tier II account by using their login credentials and OTP authentication on registered mobile number.

Further to have a systematic pension in the country, PFRDA is studying the automatic enrolment system, which has been adopted by various countries like New Zealand and United Kingdom. The bundling of other financial products like health and life insurance can also make the pension product more attractive.

1.8 A Brief on the review of the objectives of PFRDA during the year.

The preamble to the PFRDA Act 2013, lays down the objectives of the Authority as the promotion of old age income security, through regulation and development and protection of the interests of the subscribers.

PFRDA has been actively engaged in the promotion and development of National Pension system (all its variants) and Atal Pension Yojana, regulation and supervision of all intermediaries under NPS towards the overall objective of provision of old age income security and protection of subscriber's interest. While engaged in these activities, in keeping with the Preamble of PFRDA Act 2013 and the best global practices, the PFRDA endeavours to achieve the following broad objectives/ outcomes:

- 1) Increasing Coverage
- 2) Security
- 3) Efficiency
- 4) Adequacy
- 5) Sustainability

Increasing Coverage

Provision of the old age income security to all sections of the population has been one of the important objectives of the Authority. While PFRDA Act 2013 mandates regulation of NPS, a number of variants of NPS have been introduced to cover different sections of the population viz Central Government, State Government, corporate, All citizens, NPS Lite, Atal pension Yojana (a GOI scheme, administered by PFRDA). The Authority has been engaged in expanding coverage through creation of mass awareness through Print, electronic and social media, engaging a training agency for imparting training and capacity building for officials of banks, post offices, POPs, Nodal Offices etc, appointment of retirement advisors etc, facilitating ease of on-boarding and transaction through eNPS etc. Consequently, the subscriber base under NPS has grown from 154.39 lakhs to 211.78 lakhs in FY2017-18 i.e a growth of 37%.

Security

PFRDA has put in place an extensive framework of regulations under the PFRDA Act 2013 to ensure the security of pension assets to minimize the risk to the pension funds that have been accumulated to provide retirement

benefits. These regulations include strenuous eligibility criteria for selection, detailed Corporate Governance frameworks, fit and proper criteria, extensive code of conduct, detailed roles and responsibilities, penalty structures for all intermediaries including pension funds to ensure the security of assets. These regulations have been reviewed and strengthened from time to time. In order to further strengthen the IT supervisory processes, the PFRDA, is focusing on implementation of cyber security, and will ensure the coverage.

Efficiency

It has been the Authority's endeavour to optimize the efficiency in the system through maximizing net-of-fee returns to the subscribers subject to acceptable risks. This has been done through review of the investment guidelines from time to time to optimize the returns. Introduction of two new life cycle funds viz LC 25 and LC 75 and introduction of a new Asset class "A" for private sector subscribers are some of the steps in this direction.

Efficiency also relates to the efficiency of the labor and capital markets, as each interacts with the pension system through direct contributions to pensions (through longer working lives and contributions, lower costs of capital, or greater financial inclusion) as well as through indirect contributions to jobs and investment. PFRDA has been actively engaged in financial inclusion through awareness creation for Swavalamban and APY subscribers in particular & NPS in general.

For capital markets, efficiency relates to capital market depth through the development of non-bank financial capital to fund productive investment and maximize the benefits of wider capital market reforms. PFRDA has been parts of inter regulatory groups and committees in furtherance of these objectives.

Adequacy

One of the important objectives of any pension system is ensuring that consumption smoothening of subscribers during their life cycle

i.e facilitating accumulation of retirement benefit entitlements that protect them from old age income poverty. While NPS is a defined contribution scheme, without guarantee of any benefits, however, as a measure of Good practice, Authority's endeavour has been to work towards ensuring adequate pension wealth on retirement, through various measures including increasing the age of contribution to NPS beyond 60 years, review of investment guidelines for optimizing returns, increasing contributions through engaging with Govt for tax concessions etc. Further going ahead, under voluntary sector viz All Citizen Model, Corporate Model has been allowed to onboard NPS even after 60 years of age.

1.9 Intermediaries under NPS

1.9.1 Intermediaries and other entities associated with National Pension System and other pension schemes covered under the Act

The National Pension System (NPS) works under an unbundled architecture with each function assigned to specialized entities in the field. The NPS architecture consists of Points of Presence (POP), Central Recordkeeping Agency (CRA), Trustee Bank, Pension Fund Managers (PFM's), NPS Trust, Custodian, Annuity Service Providers & Retirement Advisers.

Points of Presence (PoPs)

Points of Presence are banks and non-banking financial companies etc registered with PFRDA for registration and servicing of the subscribers to the NPS. A PoP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS. The registered PoPs have authorized branches called POP-Service providers (PoP-SP) to act as collection points and extend services to customers,. The functions of the PoP include: Subscribers Registration, Processing subscriber contributions, change in personal details, change in investment scheme/fund manager, processing subscriber shifting from one model to the other, issuing printed account statement, processing of withdrawal/ exit request on superannuation etc.

Central Record-keeping Agency (CRA)

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. and Karvy Computer Share Pvt. Ltd. have been designated the CRAs for the NPS. Their main functions include:

- Maintaining subscriber records, administration and customer service functions.
- Issuing Permanent Retirement Account Number (PRAN) for each subscriber, maintaining the database of all PRANs and recording transactions relating to each PRAN.
- Acting as the interface between the various intermediaries of the NPS system. This includes monitoring contributions by each member and instructions and communication of the same to the pension funds. Periodically, they also send PRAN statement to each member.
- Providing a centralized grievance management system.
- Providing timely fund transfer to fund managers.
- Co-ordinate instructions with the trustee bank for remitting withdrawal funds to subscriber's account and to annuity service provider for the annuity scheme.

Trustee Bank

The trustee bank handles the flow of funds between various intermediaries under NPS. Presently, Axis Bank Ltd is the designated bank to facilitate fund transfers across subscribers, fund managers and the annuity service providers based on the instructions received from the CRA. The trustee bank receives funds from the nodal offices / PoPs/ Aggregators and reconciles it with the Subscriber contribution file. The trustee bank holds the funds in the name of the NPS Trust and the subscribers are the beneficial owners.

Pension Funds (PFs)

These are professional pension fund managers

appointed to invest, judiciously and prudently, the pension corpus in a portfolio of securities and manage them. Currently the pension fund managers for the All Citizens Model are - ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd., LIC Pension Fund Ltd, Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., Reliance Capital Pension Fund Ltd., SBI Pension Fund Pvt. Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd, and HDFC Pension Management Co Ltd., Birla Aditya Sun Life Pension Management Limited. Their functions include:

- Investing the contributions as per the instructions provided by CRA.
- Constructing the scheme portfolio.
- Maintenance of books and records, reporting to authorities and making disclosures.

Custodian of Securities

The securities purchased from NPS corpus in the name of the NPS trust are held by the Custodian of Securities, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities. The PFRDA has appointed the Stock Holding Corporation of India Ltd as the Custodian. The functions include:

- Having Custody of the Securities held in the name of NPS Trust, purchased out of NPS Corpus
- Maintaining details of securities held
- Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities
- Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

NPS Trust

NPS Trust is a trust set up under the Indian Trusts Act, which holds the assets of the NPS for the benefit of subscribers. The trust has the fiduciary responsibility of taking care of the funds and protecting the subscriber interests. The NPS trust monitors and supervises the functioning of the Pension Funds and interacts

with other intermediaries like the Central Record Keeping Agency (CRA), Trustee bank, Custodians and other entities.

Annuity Service Providers

Annuity Service Providers (ASPs) are insurance companies regulated by IRDAI, and empanelled by the PFRDA to provide the annuity to the NPS subscribers from the bouquet of annuities offered by them. Presently five ASPs have been empanelled which are Life Insurance Corporation of India, HDFC Life Insurance Co. Ltd, ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., SBI Life Insurance Co. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

1.9.2 Types of Account

Under NPS following two types of accounts are available:

1. Tier-I account: Under Tier-I account the subscriber contributes his savings for retirement/ pension into this partially-withdrawable account. Premature withdrawals are allowed subject to certain conditions.
2. Tier-II account: This is a voluntary savings facility. Where the subscriber is free to withdraw the savings from this account whenever he/she wishes.

Beside the above Schemes under the NPS, PFRDA also administers and regulates the Atal Pension Yojana.

- Government subscribers have increased from 51.21 lakh as end of March 2017 to 57.89 lakh subscribers as end of March 2018, registering an increase of 6.68 lakh (13.04%).
- Under Private sector, number of corporate subscribers has increased from 5.86 lakh to 6.96 lakh, an increase of 1.10 lakh (18.77%) subscribers. The subscribers under UoS/All Citizen have increased from 4.37 lakh as end of March 2017 to 6.92 lakh as end of March 2018, an increase of 2.55 lakh (58.35%) subscribers

**Table: 1.3 Performance Highlights of National Pension System/
Atal Pension Yojana during FY 2017-18.**

(In numbers)

Measures	2016-17	2017-18	Growth (%)
Government Subscribers	51,21,225	57,89,217	13.04
All Citizen + Corporate Subscribers	10,24,747	13,87,401	35.39
APY Subscribers	48,63,699	96,05,713	97.50
No. of POP-SPs	69,005	79,640	15.41
No. of APY-SPs	397	399	0.05
No. of CABs	528	545	3.21
No. of SABs	806	1078	33.74
No. of Corporates	3,429	4,559	32.95
No. of officials trained	23,923	65,520	173.88

- No. of APY subscribers have almost doubled from 48.63 lakh subscribers at end of March 2017 to 96.06 lakh at end of March 2018. In percentage terms, it witnessed a growth of 97.53%.
- PoP-SPs increased from 69005 as end of March 2017 to 79640 as end of March 2018.
- The no. of Service Providers for APY has marginally increased from 397 as end of March 2017 to 399 as end of March 2018, registering a growth of 0.05 %.
- All employees of Central Government along with CABs and SABs and state governments which have adopted NPS are mandatorily covered under NPS. However, there are number of CABs and SABs which have not yet registered in NPS. This year 17 new CABs and 272 SABs have been brought under NPS taking total no. of CABs and SABs to 545 and 1078, respectively.
- Corporate sector offers NPS to their employees on mandatory or voluntary basis. As end of March 2018, total 4559 corporates are registered under NPS against 3429 corporates as end of March 2017.
- To further the cause of fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness about the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes various activities including imparting training through training agencies selected by PFRDA. These training agencies impart training to the Central and State Govt. nodal officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ banks/ Post Offices aggregators, etc. involved in the registration of subscribers, about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/ camps have been organized for subscribers across the sector and geography as a part of a wider financial consumer protection policy. Total 1688 training sessions were conducted and 65520 officials were trained during the year.

Part II

Investment of Funds under NPS

This chapter deals with the investments of funds under NPS and other pension schemes covered under the Act, and the extent of exposure in the National Pension System, in different categories of investments including Government securities, debt securities and equities in accordance with Appendix II of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015.

2.1 Pension Funds (PFs)

The management of the assets under NPS and any other scheme regulated / administered by PFRDA is done by professional fund managers appointed exclusively for this purpose.

2.1.1 Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include:

- a. Professional investment of assets under management as per investment guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.
- b. Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.
- c. Maintenance of books and records of its operations.
- d. Reporting to the Authority and NPS Trust at periodical interval.
- e. Public disclosure.

2.1.2 List of Pension Funds (PFs) for Government Sector NPS Schemes (i.e. CG and SG), and APY.

- i) LIC Pension Fund Limited
- ii) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
- iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees NPS portfolio is presently 0.0102 per

cent per annum of the assets under management.

2.1.3 List of Pension Funds (PFs) for Private Sector NPS schemes

- i) HDFC Pension Management Co. Ltd.
- ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
- iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
- iv) LIC Pension Fund Ltd.
- v) Reliance Capital Pension Fund Ltd.
- vi) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
- vii) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd
- viii) Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

The Investment management fee charged by Pension funds for the non-govt. sector portfolio is 0.01 per cent per annum of the assets under management.

2.2 Schemes

Presently the following Scheme(s) under National Pension System managed by the Pension Funds are operative:

- a) **Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies** - called as the CG scheme- wherein the maximum permitted exposure to Asset class E (Equity) is 15%, to Asset class C (Corporate Bond) is 45% and to Asset class G (Government Securities) is 50%. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The Assets under management are distributed across three pension

funds viz LIC pension Fund LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The Assets under management for the FY 2017-18 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35.00:33.50:31.50

- b) **Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous bodies** - called as the SG scheme- This follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The Assets under management for the FY 2017-18 have been allocated in to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35.00:33.50:31.50

- c) **Schemes applicable to Individuals and Corporates:-**

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers:-

1. NPS- Lite Scheme - This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.
2. APY Scheme: This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. The Assets under management are distributed across three pension funds viz LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd.
3. Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can choose one pension fund from the three public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement

Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.

4. E-C-G-A pattern for Tier I & Tier II - The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012.

The details of the schemes wise asset under management in given in the table below:-

Table 2.1: Details of Asset under Management

(Amt. in Rs. Crores)

Scheme	Mar-17	Mar-18*	% Growth
CG	67040	84955	
SG	85172	115989	
Subtotal	152212	200944	32.02%
Cor.CG	10754	14846	
E-I	2539	4308	
C-I	1685	2847	
G-I	2507	4243	
A-I	1	7	
E-II	126	218	
C-II	101	162	
G-II	112	181	
NPS Lite	2639	3006	
APY	1885	3818	
Subtotal	22349	33635	50.50%
Grand Total	174561	234579	34.38%

*Source NPS-Trust

Note for March 2018:

1. Damodar Valley Corporation 309.94 cr is shown under SG
2. Corporate CG does not include AUM of Damodar Valley Corporation

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 32%, however the asset under management of

the schemes other than these two schemes has grown by around 50%. Though in absolute terms government sector schemes grew by Rs. 48,732 crores whereas other schemes in aggregate grew by Rs. 11,286 crores.

As explained above, the different schemes are managed by different Pension Fund managers, the details of asset under management of various schemes under the respective Pension Funds are given below:-

Table 2.2: Pension Fund wise and scheme-wise Asset under Management as on March 2018

(Amt. in Rs. Crores)

Pension Fund Schemes	SBI	LIC	UTI	ICICI	Reliance	Kotak	HDFC	Birla	Total
CG	30222.90	26379.37	28352.47						84954.74
SG	39482.12	38095.12	38411.37						115988.61
Corporate- CG	12260.16	2586.14							14846.30
A-I	1.63	0.39	0.38	1.36	0.08	0.55	2.03	0.11	6.53
E-I	1578.49	355.58	225.39	885.47	78.25	175.26	998.13	11.64	4308.21
C-I	1077.81	231.72	139.80	579.58	52.61	121.28	636.99	6.76	2846.55
G-I	1912.47	342.59	209.06	696.74	79.45	154.08	841.21	7.49	4243.09
E-II	72.19	8.98	15.34	61.03	9.42	16.14	33.11	1.58	217.79
C-11	54.06	6.51	9.87	50.40	4.79	10.02	25.59	0.92	162.16
G-II	67.07	8.77	11.81	50.91	6.40	12.30	23.28	0.93	181.47
NPS/ Swavlamban	1252.15	859.27	847.85			46.55			3005.82
APY	1302.10	1255.84	1259.93						3817.87
Total	89283.15	70130.28	69483.28	2325.49	231.00	536.18	2560.34	29.43	234579.15

Source: NPS trust

2.3 Exposure of various schemes regulated and administered by PFRDA to different categories of investments

- a) The maximum prescribed exposure , as

per the investment guideline of PFRDA in respect of the portfolio under CG, SG, Corporate CG and NPS Lite and APY scheme in various investment instruments has been provided in the table below:

Category	Asset class / instruments	Maximum exposure
i	Government Securities and Related Investments including State Development loans	50%
ii	Debt Instruments and Related Investments	45%
iii	Short term Debt Instruments and Related Investments	5%
iv	Equities and Related Investments	15%
v	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	5%

- b) Subscribers opting for the schemes other than the Government sector schemes (CG and SG), NPS Lite, corporate CG and APY, can decide the allocation of their assets in Asset class E, (Equity), C (Corporate Debt) & G (Government Securities) and Asset class A (Alternate Assets). However, this allocation is restricted for Asset class E and Asset class A. The ceiling on in Asset Class E (Equity), and Asset class A (Alternate

Assets) is 50 per cent, and 5% respectively. Subscribers can also allocate, entire corpus in Asset class C (Corporate Debt) & Asset class G (Government Securities). In case of Tier II accounts, no investment is permitted in Asset class A, other prudential ceilings remaining the same.

The asset class wise bifurcation of the assets under management as on March, 2018 vis-a-vis March 2017 is given below:-

Table 2.3: Asset Class wise bifurcation of Asset Under Management

Asset Class	31-Mar-17		31-Mar-18	
	Amount (Rs in Crore)	% of Investment	Amount (Rs. in Crore)	% of Investment
G-Sec	83674	47.93%	113230	48.27%
Corporate Bond	61470	35.21%	80572	34.35%
Equity	23557	13.49%	32703	13.94%
Money Market	2014	1.15%	2760	1.18%
Cash & Net Current Assets	3846	2.20%	5,314	2.26%
Total	174561		234579	



Source: As per reports received from NPS Trust.

The above table and figure indicates marginal shifting of the asset allocation from asset class C to asset class G & E. The exposure to asset class E has increased to 13.94% as on 31st March 2018 from 13.49% at the end FY

2016-17. Further, the percentage exposure to Govt. Securities has also increased from 47.93% at the end of March 2017 to 48.27% as on March 2018. The exposure to asset class G has increased to 48.27% as on 31st March 2018 from 47.93%

at the end FY 2016-17. Further, the percentage exposures to money market and other asset have

shown marginal movement.



2.4 Regulations, Notification, issuance of major circulars / Guidelines w.r.t. Pension Fund

1. Clarification with respect to advisory for all the Pension Funds and Custodian regarding investment in mutual Funds schemes.

For the better cash flow management, Pension Funds are allowed to hold the investments in liquid mutual funds scheme in physical form as opposed to Demat form in case of the other mutual funds subject to overall ceiling on money market instrument as stipulated in investment guidelines. This is applicable for existing as well as incremental investments in liquid mutual funds.

2. The Investment guidelines for NPS schemes (other than Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY) w.e.f 08.05.2017.

This circular has some clarification and amendments in subsequent FY which are available on PFRDA's website. The circular can be accessed by visiting the following link <https://www.pfrda.org.in/>

myauth/admin/showimg.cshtml?ID=1159.
Related circular: Clarifications on Investment guidelines dated 04.05.2017 (w.e.f. 08/05/2017) for NPS schemes { other than Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY}.

3. PFRDA had issued guidelines on outsourcing of activities by Pension Funds, these guidelines are issued to clarify the core and non-core activities (mentioned under Regulation 12(I) of the Pension Fund Regulations) in relation to the activities performed by a pension fund registered by the Authority.

Part- III

The chapter deals with duty, power and functions of the Authority for promotion and orderly growth of the National Pension System and pension schemes in accordance with Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

Functions of the Authority

3.1 Registration of intermediaries and suspension, cancellation, etc., of such registration; and regulation of activities of the intermediaries associated with the National Pension System or the pension schemes

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes, and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and any other Pension Scheme not regulated by any other enactment are operationalized by PFRDA through large number of entities such as Pay & Accounts offices / Treasury Offices at the Central and State government which are responsible for the registration and upload of the periodic NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the Point of Presence (PoPs) which are banks, non-banking financial companies (NBFC), micro finance institutions (MFI) etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporates, private sector and unorganised sector employers, the aggregators which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the Central Record Keeping Agency (CRA), which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN of the subscribers and acts as a coordinator for the NPS architecture, Trustee Bank, responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the Pension Funds (PFs), mandated to invest and

manage the pension assets of the subscribers covered under NPS as per the investment guidelines prescribed by PFRDA and annuity service providers (ASPs), empanelled with PFRDA to provide a monthly annuity pension to the subscriber.

As per CRAs, as on 31st March, 2018 there are 4,704 Pay & Account Offices and 433 Directorate of Treasury & Account Offices (DTA), 70 PoPs, 52 Aggregators, two Central Recordkeeping Agency, one Trustee Bank, eight Pension Funds and five Annuity Service Providers.

The Certificate of Registration were issued to followings PoP/PoP-SE/PoP-Corporate as per POP regulations 2015 & its subsequent amendments in FY 17-18:

- (i) PoPs - 5
- (ii) PoP-SEs - 4
- (iii) PoP-Corporate - 1

During FY 17-18, 10 Certificate of registration were issued for re-registration of the Aggregators as per PFRDA (Aggregator) Regulations, 2015.

During the FY 2017-18, 32 Individual Retirement Advisors & 4 other than Individual Retirement Advisors were registered under the NPS architecture. There were 4 deregistration under the Individual category.

PFRDA had issued extension to NSDL-CRA for one year i.e upto 30th November, 2018.

De-registration process initiated against 11 Aggregator which have either not applied for re-registration or applied for de-registration and de-registration of 3 aggregators was completed.

3.2 Approval of schemes, the terms and conditions thereof including norms for the management of corpus of the pension funds and investment guidelines under such schemes

Presently the following Scheme(s) under

National Pension System managed by the Pension Funds are operative:

Scheme applicable to Central Government Employees and employees of Central Autonomous Bodies - called as the CG scheme- wherein the maximum permitted exposure to Asset class E (Equity) is 15%, to Asset class C (Corporate Bond) is 45% and to Asset class G (Government Securities) is 50%. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The Assets under management are distributed across three pension funds *viz* LIC Pension Fund Limited, SBI Pension Funds Pvt. Ltd and UTI Retirement Solutions Ltd as per directions of the Authority in accordance with the last year returns. The Assets under management for the FY 2017-18 have been allocated to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35.00 : 33.50 : 31.50.

Scheme applicable to State Govt. employees and employees of State Autonomous bodies - called as the SG scheme- This follows the same investment pattern and pension funds as the CG scheme. The individual subscribers do not have the choice of asset allocation or pension funds. The Assets under management for the FY 2017-18 have been allocated in to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd. in the ratio 35.00 : 33.50 : 31.50

Schemes applicable to Individuals and Corporates:-

The following schemes are applicable to the individual and corporate subscribers:-

- i) NPS- Lite Scheme - This follows the same asset allocation pattern as the CG scheme. However, the aggregators can choose any one pension fund from the eight pension funds.
- ii) Corporate CG Scheme- This follows the same asset allocation as the CG scheme. However, the employer/ employee can chose one pension fund from the three

public sector Pension Funds (i.e. to SBI Pension Fund Pvt. Ltd, UTI Retirement Solution Ltd. and LIC Pension Fund Ltd.). This scheme has been closed for any fresh employees.

- iii) E-C-G-A pattern for Tier 1 & II - The assets are invested in Equity, Corporate Bonds, Government Securities and Alternative Investment Funds SEBI Regulated 'Alternative Investment Funds' AIF (Category I and Category II only) as defined under the SEBI (Alternative Investment Fund) regulations 2012.
- iv) Transfer of amount from recognized Provident Fund/Superannuation Fund to National Pension System. As per provisions of the Income Tax Act, 1961 the amount so transferred from the recognized provident fund/ Superannuation fund to NPS is not treated as income of the current year and hence not taxable. Further, the transferred recognized provident fund/ superannuation fund will not be treated as contribution of the current year by employee/employer and accordingly the subscriber would not make IT claim of contribution for his transferred amount
- v) Revision in Investment guidelines vide circular no PFRDA/2017/18/PF/2 dated 04.05.2017

3.3 Exit of subscribers from the National Pension System

3.3.1 As per PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015, following Withdrawal categories are allowed:

- **Upon Normal Superannuation** - At least 40% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as lump sum to the Subscriber.

- **Upon Death** - At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing for monthly pension to the Spouse and the balance is paid as lump sum to the nominee/legal heir.
 - **Pre-mature Exit** - At least 80% of the accumulated pension wealth of the Subscriber has to be utilized for purchase of an Annuity providing the monthly pension to the Subscriber and the balance is paid as a lump sum to the Subscriber.
- For the purpose of exit from the NPS, the subscribers are categorized and defined as: (1) Government sector, (2) All citizens including corporate sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban subscribers. The exit regulations specified shall apply accordingly to the category to which the subscribers belong.

Table 3.1: No. of withdrawal reported, accepted & Settled during April 1, 2017 to March 31, 2018

(Actuals)

Sr. No.	Sector	Online Withdrawal			Physical Withdrawal		
		Reported *	Accepted \$	Settled	Reported #	Accepted ***	Settled
1	Central Government	3,497	3,412	3,351	-	83	83
2	State Government	10,803	10,237	11,073	-	119	119
3	UOS	2,603	2,349	2,224	-	7	7
4	Corporate	1,041	1,031	919	-	11	11
5	NPS Lite	16,593	16,805	16,680	-	120	120
	Total	34,537	33,834	34,247^	-	340	340

Note:

* **Online Withdrawal:** Reported implies the cases authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.

\$ **Online Withdrawal:** Accepted implies the cases where Nodal Office has authorized the withdrawal request in CRA system.

Physical Withdrawal: Reported implies the cases where CRA has received the physical

withdrawal requests from Nodal Office/Subscriber till April 30, 2016.

*** **Physical Withdrawal:** Accepted implies the cases which were On Hold at CRA and for which necessary documents received from Nodal Office/Subscriber.

^Some cases pertain to accepted cases of previous years.

Table 3.2: Withdrawal claims outstanding as on March 31, 2017 & March 31, 2018.

(Actuals)

Sr. No.	Sector	Physical Withdrawal Pending		Online Withdrawal Pending	
		As on March 31, 2017	As on March 31, 2018	As on March 31, 2017	As on March 31, 2018
1	Central Government	884	-	464	464
2	State Government	867	-	1,143	1,605
3	UOS	81	66	214	423
4	Corporate	36	18	77	70
5	NPS Lite	726	394	367	122
	Total	2,594	478	2,265	2,684

Note:

Physical Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at the end of the year are the cases where Subscriber/Nodal Office is yet to submit necessary documents to CRA.

Online Withdrawal: Withdrawal claims outstanding at end of the year are the cases where Nodal Office is yet to authorize the withdrawal request in CRA system.

It has been observed that in majority of the cases the withdrawal applications pending for processing is due to missing/ inadequate documents submitted by the subscribers or the Nodal Offices.

3.3.2 Partial Withdrawal under NPS

NPS subscribers can do partial withdrawals, not exceeding 25 percent of the contribution made by the subscriber for higher education and marriage of children, purchase / construction of a house and medical treatment of specified illnesses on completion of 3 years from the date of joining of the NPS. The subscriber ought to be subscribed to the National Pension System, at least for a period of three years from the date of his or her joining to such system, to be eligible to make partial withdrawals, under specific circumstances as specified in PFRDA (Exits & Withdrawals under NPS) Regulations 2015.

Table 3.3 No. of Partial withdrawal cases reported & Settled during the period from April 1, 2017 to March 31, 2018

(Actuals)

Partial Withdrawal				
Sr. No.	Sector	Reported *		Settled**
		Initiated By Nodal Office #	Approved By Nodal Office	
1	Central Government	3,037	1,984	1,978
2	State Government	2,591	1,481	1,473
3	UOS	49	8	7
4	Corporate	396	81	77
	Total	6,073	3,554	3,535

Note:

* Reported cases includes authorized by Nodal Office and pending for authorization by Nodal Office.

**Settled cases are where funds have been transferred to subscriber's bank account

Cases Initiated by Subscriber is also added in Initiated by Nodal Office

3.4 Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes opted by subscribers

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount.

The subscriber has to mandatorily purchase the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empanelled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and these are empanelled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers.

The following 5 ASPs are providing the Annuity services to NPS subscribers.

- Life Insurance Corporation of India

- | | | |
|----|---|--|
| b) | SBI Life Insurance Co. Ltd. | Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the Annuity Service provider. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his requirements from the available schemes offered by the respective ASPs. |
| c) | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | |
| d) | HDFC Standard Life Insurance Co Ltd | |
| e) | Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. | |

Table 3.4: Online Annuity requests processed during April 1, 2017 to March 31, 2018

Sr. No.	Annuity Service Providers/Annuity Schemes	No. of Cases	Amount Transferred (in Rs.)
HDFC Life Insurance Co. Ltd			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	221	195,617,940.32
2	Annuity for life	112	21,053,869.30
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	103	54,099,743.25
4	Joint Life Annuity with 100% annuity to the secondary annuitant	85	22,267,983.64
	Sub-Total	521	293,039,536.51
Life Insurance Corporation of India			
1	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	506	181,952,150.84
2	Annuity for life with return of purchase price on death	455	170,537,176.23
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	679	173,252,617.68
4	Annuity for life	539	145,550,646.10
	Sub-Total	2,179	671,292,590.85
SBI Life Insurance Co. Ltd.			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	66	28,121,890.00
2	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	75	24,645,891.00
3	Annuity for life	72	21,122,596.00
4	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	40	16,361,881.00
5	NPS - Family Income Option	4	1,884,501.00
	Sub-Total	257	92,136,759.00

ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd			
1	Annuity for life with return of purchase price on death	9	3,904,570.20
2	Annuity for life	10	2,578,814.06
3	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with return on purchase of annuity	1	450,446.24
4	NPS - Family Income	1	236,145.37
5	Annuity payable for life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant	6	1,502,429.74
6	Life Annuity guaranteed for a period of 5 years, 10 years or 15 years and thereafter for life	-	-
7	Life Annuity with return of Purchase Price on Critical illness (CI) or Permanent Disability due to accident (PD) or Death	-	-
8	Life Annuity with Return of Balance Purchase Price	-	-
9	Life Annuity with Return of Purchase Price in Parts	-	-
	Sub-Total	27	8,672,405.61
	Grand Total	3,296	1,192,679,936.63

3.4.1 Challenges faced in the purchase of annuity

- Non - availability of correct contact details of subscribers with ASPs.
- Low financial awareness and literacy among the subscribers about annuity product.

The authority is regularly taking up the matter with empanelled annuity service providers and their regulator i.e. IRDAI for facilitating subscribers during the purchase of annuity, creating awareness on annuity products among subscribers and also bringing an online platform for making the annuity purchase process completely online.

3.5 Activities undertaken for protection of interests of subscribers under the National Pension System and of other pension schemes under the Act

One of the major objectives of PFRDA is protection of subscribers interest and PFRDA has been engaged in multifarious activities in

furtherance of this cause.

Measures taken to protect subscriber's interest:

- Trustee Bank is appointed to facilitate transfer of funds from Nodal Offices to Pension Fund Managers. The following measures have been undertaken to improve the system in order to protect the interest of subscribers:-

Return of Inward remittances:

Intimation about return of remittances to the respective Nodal Offices is sent through emails as well as physical letters. Apart from reasons for rejection of the remittances, remedial action and precautions to be taken by the nodal office is provided to them to avoid repetition of the errors and avoid return. This ensures timely investment of the contribution made by subscribers.

To reduce such fund return cases, a covering letter has been devised which is generated along with the SCF. The letter contains pre populated fields such as

- Tran ID, amount etc. which the Nodal Officer is to authorize and submit to its accredited banker for fund transfer to TB.
- ii) Opening of APY account through select bank internet banking channel & also through eNPS where no physical form is required to be submitted by the subscriber.
 - iii) With a view to increase the penetration of NPS and expanding the outreach, a forward step has been taken by reduction in the cost to applicant and increase in Retirement Advisor charges, now application fees for other than individuals for Retirement Advisors have been reduced from Rs. 5,000/- to Rs. 1,000/-, fee for letter of acceptance has been reduced from Rs. 10,000/- to Rs. 5,000/- and requirement of security deposit has been reduced from Rs. 1,00,000/- to Rs. 50,000/-.
 - iv) Increase in maximum age of joining NPS from 60 years to 65 years in NPS - Private sector (All Citizen Model & Corporate Sector Model) and accordingly under auto choice, maximum amount has been allocated under G-Sec (viz under all circumstances exposure to equities and other is not more than 25% and the allocation is as LC 75- 75%, LC 50 -50% & LC 25-90%). Increase in the age of joining will certainly enhance the coverage under NPS.
 - v) During the FY 2017-18, there was also revision in the Service Charges to POP under NPS (All Citizen Model and Corporate Sector Model), the charges were revised keeping in view the impetus on the acquisition of subscribers, by service providers and to make it more competitive vis a vis other financial product in the market. Accordingly, the subscriber registration charges were increased from Rs. 125/- to Rs. 200/-. Also persistence charges were introduced in All Citizen Model with a view to encourage the service provider to pursue with already onboarded subscribers for contribution under NPS account. An incentive of Rs 50/- per annum per account is being offered to the concerned POP subject to certain condition as an incentive of persistence. There is increment in subsequent contribution collection charges, which has been increased from 0.05% to 0.10% of the contribution with min Rs. 5 to Rs. 10/- to Max Rs. 5,000/- to Rs. 10,000/-. All the above efforts have been taken to enhance the coverage of pension.
 - vi) PFRDA's website serves the subscribers and potential subscribers with information and guidance materials including information on the protection of subscribers' rights and interests, regulations, circulars, pension schemes products, pension funds, intermediaries, exit and benefits.
 - vii) The website of the NPS Trust facilitate better dissemination of information regarding NPS that are useful for the subscribers at one place. NAV details, Returns of the schemes, Portfolio details of the schemes are disclosed for subscriber's information/comparison. Disclosure of Portfolio details are disseminated to the subscribers to ensure transparency.

3.6 Mechanism for redressal of grievances of subscribers and activities undertaken for redressal of such grievances

NPS has a multi-layered Grievance Redressal Mechanism centralized at Central Recordkeeping Agency (CRA), which is easily accessible, simple, quick, fair, responsive and effective. The Regulations have provided for four level escalation matrix for resolving subscriber grievance. Subscribers have the option of registering grievance/complaints through Call centre/ Interactive Voice Response System (IVR), web based interface,

physical forms. Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website www.cra-nsdl.co.in for the grievances logged in through Central Grievance Monitoring System (CGMS) maintained by CRA or through the Call Centre by mentioning the token number. Subscriber can also raise a reminder through any one of the modes mentioned above by specifying the original token number issued. If subscriber does not receive any response within Thirty (30) days or is not satisfied with the resolution by intermediary, in such case subscriber can escalate the grievance to NPS Trust. Similarly,

if the subscriber is not satisfied with the response or no response has been received within 30 days, subscriber can escalate the grievance to Ombudsman. The subscriber can also appeal to designated member of PFRDA if they are not satisfied with the order passed by the Ombudsman. Shri Vinod Kumar Pande is currently appointed as Stipendiary Ombudsman.

The position of Grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2018 and its status is furnished in the table below:

Table 3.5: Grievances received and closed in CGMS during April 1, 2017 to March 31, 2018.

(Actuals)

Sr. No	Sector	Pending As on 31 st March 2017	Received Till 31 st March 2018	Resolved Till 31 st March 2018
1	NPS regular	4,075	156,436	154,414
2	NPS Lite	841	4,487	5,086
3	APY	6,348	34,183	39,035
	Total	11,264	195,106	198,535

Notes:*Referrals opted as Grievance by the subscriber in CGMS.

The position of Grievances received to various intermediaries during the year at CGMS as on

March 31, 2018 and its status is furnished in the table below:

Table 3.6: Grievances received and closed in different sectors in CGMS during April 1, 2017 to March 31, 2018.

(Actuals)

Sr. No	Referrals Raised Against	Pending As on 31 st March 2017	Received till 31 st March 2018	Resolved till 31 st March 2018
1	Central Government	1,073	4,212	4,472
2	State Government	884	6,145	6,428
3	POP	869	14,073	13,956
4	Corporate	5	25	24
5	Trustee Bank	198	31	24
6	NPS Lite (Aggregators)	837	2,311	2,973
7	APY (APY-SP)	6,348	26,205	31,285
8	eNPS	75	17,964	17,661
9	CRA	688	122,519	121,038
10	NPS Trust	287	1,621	674
	Total	11,264	195,106	198,535

The major grievances received are related to Contribution amount not reflected in account, SOT Related, PRAN Card Related, Incorrect Processing of Subscriber Details, Delays in Uploading of Contribution Amounts etc. Grievances are registered in CGMS by the subscriber and are directly routed to concerned intermediaries for necessary action. Thus, it is for the concerned intermediaries to resolve and close grievance in CGMS raised against them. The periodic reminders are sent to concerned intermediary for resolving and closing grievances in CGMS.

3.7 Certification Programme for Retirement Advisers

Pension Fund Regulatory and Development Authority is registering Retirement Advisers for widening the coverage of NPS and advisory services to the subscribers for allocating assets under NPS and choosing PFMs. The scope of work and responsibility of the Retirement Adviser is to ensure orderly growth of pension sector.

During FY 16-17, PFRDA started giving registrations to individuals as Retirement Advisers as per PFRDA (Retirement Adviser) Regulations 2016. PFRDA has accredited National Institute of Securities Market (NISM) as institute for certification of Retirement Adviser Certification Examination.

Upto March 2018, total 251 candidates certified with NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification Examination. In FY 2017-18, 32 RAs, in the category of individual, were registered by PFRDA. A quarterly summary of the candidates enrolled and appeared vis a vis passed during the FY 2017-18 is as under:

(Actuals)

NISM Series-XVII: Retirement Adviser Certification			
Month	Enrolled	Appeared	Passed
Apr-June 2017	96	68	23
Jul-Sep 2017	124	97	41
Oct-Dec 2017	88	89	37
Jan-March 2018	129	120	40
Total	437	374	141

3.8 Collection of data by the Authority and the intermediaries including undertaking and commissioning of studies, research and projects.

Collection and compilation of a comprehensive data based on demographics, retirement savings and investments, the different financial products/ schemes issued by the different Organizations to cater to the old age income security of the underlying subscribers, the returns generated thereon, the disclosure and protection provided to the subscribers etc. under different scheme are the on - going activities of PFRDA. Towards this end, PFRDA is compiling information on people covered under various pension schemes and also people receiving pensions under various schemes. PFRDA in the process of gathering information from other pension providers in the country. Analysis of this information would help in policy formulation on the pension sector catering to the wider section on sustainable basis.

3.9 Steps undertaken for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and details of training of intermediaries

3.9.1 Financial Literacy:

PFRDA is a member of Financial Stability and Development Council (FSDC), its sub-committee, working groups and various inter-regulatory forums viz. Inter Regulatory Technical Group (IR-TG), Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy (TGFIFL), and actively contributes to the furtherance of the objectives of these committee's/groups/forums.

Financial literacy enables in increasing our awareness about financial products, builds a capacity to compare all available financial options, and changes our financial behaviour - all which bodes well for our perceptions of, and actual experiences. The researchers have also found that the more financially literate earn and accumulate more during their lifetime - and thus worry less about growing old. Financial literacy

further helps shape people's perception towards risk and uncertainty, making them more capable and confident in tackling whatever problems life throws at them.

As the pension regulator is assigned with the mammoth task of financial literacy of the masses in matters related to pension, retirement planning/savings and also entrusted with the overarching mandate of developing the pension sector, PFRDA has chosen the name Pension Sanchay while launching its financial literacy website and also as its mascot. From a retirement planning perspective the importance of accumulation arises from the fact that, as the name implies, this is the stage in which a person starts to accumulate wealth- for different goals like house, marriage, child, children's education and of course, his/her retirement.

The website was officially launched on 28th February 2018 by the Hon'ble Finance Minister Sh Arun Jaitley during the 4th Pension Conference.

Arun Jaitley Launches 'Pension Sanchay, Financial Literacy & Pension Planning Website!

Prerit Chauhan (Photo/Video) By Lokesh Goswami Ten News Delhi :

By Tennews1 — Last updated Mar 1, 2018

Share

New Delhi: Creating an inclusive and sustainable Pension System in India: Opportunities and Challenges' Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) organised its fourth annual conference on 28th February, 2018 at IHC, New Delhi. The theme of the conference was 'Creating an Inclusive and Sustainable Pension System in India: Opportunities and Challenges'. Deliberations were held during two technical sessions- (i) Ch savings for old age income security and (ii) Pension Payouts : The Road Ahead.



The website **PensionSanchay.org.in** provides references to topics and fundamental elements and concepts related to money, financial planning and retirement planning. Different



topics related to financial and retirement planning- right from the fundamental concepts of Money, Savings & Investments, Assets & their features to advanced topics like Need of Retirement planning, Risk- Return Trade-offs, Real & Nominal Returns and Retirement Corpus calculation. Not only does the website discuss the fundamental concepts behind financial and retirement planning but also present calculators to provide the reader with a numerical estimates of how much one would need to retire and how much he/she would you need to save and invest to create that pension kitty.

The website further features a blog section that discusses topics related to Pension, Saving & Investing, Retirement Planning, Fundamentals of Money & Finance and Behavioural Aspects of Retirement Planning.



FUNDAMENTALS OF MONEY & FINANCE

Why understanding Time Value of Money and Purchasing Power important in planning your Retirement?

MARCH 20, 2018 BY ADMIN

By Prodeepto Chatterjee What is Time Value of Money? Here are two options, choose any one. I give you Rs.10000 tomorrow. I give you Rs.10000...

3.9.2 NPS awareness and Social Media

To fulfill PFRDA's mandate of undertaking steps for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues, PFRDA embarked upon a media campaign under the tagline "NPS- Save Right, Retire Bright". The tagline not only captures the essence of the product (NPS) but also reminds the general public that for a happy and comfortable retired post work life, one needs to save regularly and invest in right instruments to create an adequate corpus.

Extensive print media campaigns under the aegis of the NPS tagline "NPS-Save Right, Retire Bright" were carried out.

The campaigns were executed through print media. In view of the PFRDA's mandate to

cater to the populace of the country irrespective of language and region, advertisements were carried out in Hindi, English and 11 other regional languages in over 130 newspapers pan India per print coverage.

To have a better recall, various campaigns were conceptualized on the topics of NPS Tax Savings, Tier II Account, eNPS, eNPS through Aadhaar, Contribution using eNPS, etc. were carried out. In addition to that, to have a multi-pronged visibility across different media, campaigns were also carried through TV commercials, Radio (FM channels), outdoor media and online media.

Furthermore, to complement the efforts of putting the NPS on an online platform, advertisements and awareness campaigns were carried on the websites through web banners, Run-on-Site ads and bulk emailers.

Government agencies across the country are increasingly looking to leverage various social media platforms to enhance their outreach and engage better with the citizens. These platforms are providing governments, government institutions and other entities with options of connecting and communicating with the citizens.

In light of the same, the social media accounts of PFRDA have been activated on Twitter, Facebook, Youtube. There are specific social media handles dedicated to NPS, APY and Pension Sanchay, the Financial Literacy initiative of PFRDA. The PFRDA social media handles have a cumulative followership of more than 1 lakh followers.

3.9.3 Public Relations Agency

Keeping in mind the spread and scope of the regulatory and developmental role of PFRDA, a PR Agency was appointed to design and execute an ongoing public relations strategy and programme which would ensure media visibility through a high impact communication strategy

The objective of the PR strategy was to enhance awareness and disseminate information

regarding the various policies, activities and schemes within the ambit of PFRDA to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and matters connected therewith or incidental thereto, thereby empowering every citizen of the country to participate in securing their old age income.

3.9.4 Training

To further the cause of fulfilling PFRDA's mandate of creating awareness for the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA undertakes activities for enhancement of consumers' awareness on NPS and provides financial education programmes through the

training agency appointed by PFRDA. The training agency imparted training to the Central and State Govt. nodal officers- Pay & Accounts Offices (PAOs), Drawing & Offices (DDOs), Points of Presence/ banks/ Post Offices involved in the registration of subscribers, aggregators, etc. about the salient features of the NPS / APY, the process of joining etc. Further, training workshops/camps have been organized for subscribers across the sector and the country as a part of a wider financial consumer protection policy.

The training agency conducted training in batches covering North and West region only. Total of 1688 batches were trained during the period and the state-wise distribution of the number of trainings conducted are as follows-

Table: 3.7: State wise no. of batches conducted for training under NPS/APY.

(Actuals)

State	Number of Batches
Maharashtra	316
Rajasthan	214
Bihar	201
Madhya Pradesh	171
Gujarat	141
Punjab	97
J&K	91
Delhi	86
Uttar Pradesh	80
Jharkhand	78
Uttarakhand	73
Himachal Pradesh	60
Haryana	55
Daman & Diu	11
Goa	6
Chhattisgarh	5
Dadra & Nagar Haveli	2
Gujarat	1
Grand Total	1688

Trainings were imparted for both NPS and APY. For NPS, trainings were imparted to Govt. DDOs, Corporates and POPs. For APY,

trainings were imparted to the Business Correspondents (BCs), DCCBs (District Central Cooperative Banks), Dept. of Posts, RRBs (Regional Rural Banks).

Table 3.8: The sector-wise and state-wise breakups of the trainings conducted

(Actuals)

States	APY-BCs	APY-DCCBs	APY-DOP	APY-RRBs	NPS-DDOs	NPS POP-Corporate	POPs	Grand Total
Maharashtra	2	29	10	3	171	32	69	316
Rajasthan	1	2	17	1	177	1	15	214
Bihar	38	4	71	22	41		25	201
Madhya Pradesh	47	6			109	1	8	171
Gujarat	11	16	28	6	32	3	45	141
Punjab		1	7		61	2	26	97
J&K				2	88		1	91
Delhi		2	9		19	25	31	86
Uttar Pradesh	10	7	20	26	5	1	11	80
Jharkhand	5	17	26		19		11	78
Uttarakhand	2	2	2		62		5	73
Himachal Pradesh		9	2		46		3	60
Haryana		5			42		8	55
Daman & Diu					11			11
Goa					6			6
Chhattisgarh		2	1				2	5
Dadra & Nagar Haveli					2			2
Gujarat	1							1
Grand Total	117	102	193	60	891	65	260	1688

Total of 65520 individuals were trained during the period and the state-wise distribution of the number of individuals trained are as follows :-

Table 3.9: State wise no. of individuals trained during FY 2017-18

(Actuals)

State	Number of people trained
Maharashtra	11068
Rajasthan	8812
Bihar	8277
Madhya Pradesh	6871
Gujarat	5422
Punjab	3277
J&K	3271
Uttar Pradesh	3090
Uttarakhand	2955
Delhi	2950
Jharkhand	2781
Himachal Pradesh	2440
Haryana	2063
Goa	1497
Daman & Diu	487
Chhattisgarh	156
Dadra & Nagar Haveli	58
Gujarat	45
Grand Total	65520

Table 3.10: The sector-wise and state-wise breakups of the number of individuals trained during FY 2017-18

(Actuals)

(Actuals) States	APY-BCs	APY-DCCBs	APY-DOP	APY-RRBs	NPS-DDOs	NPS POP-Corporate	POPs	Grand Total
Maharashtra	81	650	410	98	6250	862	2717	11068
Rajasthan	7	79	723	26	7498	38	441	8812
Bihar	1702	149	2923	943	1676		884	8277
Madhya Pradesh	1274	120			5141	15	321	6871
Gujarat	438	660	1207	182	1470	64	1401	5422
Punjab		36	240		2315	43	643	3277
J&K				71	3170		30	3271
Uttar Pradesh	411	144	784	1170	213	32	336	3090
Uttarakhand	83	59	82		2544		187	2955
Delhi		69	333		838	671	1039	2950
Jharkhand	162	340	1040		760		479	2781
Himachal Pradesh		242	81		2049		68	2440
Haryana		160			1725		178	2063
Goa					1497			1497
Daman & Diu					487			487
Chhattisgarh		40	44				72	156
Dadra & Nagar Haveli					58			58
Gujarat	45							45
Grand Total	4203	2748	7867	2490	37691	1725	8796	65520

3.10 NPS and APY Information Helpdesk

In light of PFRDA's overarching responsibility of spreading awareness about retirement planning, old age income security and NPS as a product, PFRDA has been operating dedicated information helpdesk. The information helpdesk is engaged in providing information and responding to the queries from existing as well as potential subscribers in respect of product features, new policies, regulations etc. NPS is an on-going scheme and PFRDA believes that having a dedicated Information Helpdesk for disseminating information on NPS, which is accessible from across the country would not only help enlightening people about the latest

developments in NPS, but it would also help in promoting the concept of old age income security through NPS while helping PFRDA to understand their expectation from the System. Furthermore, PFRDA also makes use of the call data to gauge the awareness of NPS and estimate the popularity of the System across various sections of the Indian society.

Presently two toll free numbers are being operated through the NPS information helpdesk i.e. 1800110708 (for NPS) and 1800110069 (for APY). The NPS Toll free number has been in operation since 2012 and the APY toll was operationalized simultaneously along with the launch of the APY in May/ June 2016.

The NPS Information Desk is operational for 8 hours a day (9.30 a.m.- 5.30 p.m.), 7 days a week (including Sundays) throughout the year excluding National Holiday- Gandhi Jayanti-Oct 2, Independence Day- August 15, Republic Day- January 26 and mandatory holidays (viz. Election day).

PFRDA has been undertaking the promotion of NPS and APY on a regular basis and the promotion of the same is expected to be a continuous process. The NPS Information Helpdesk receives an increased number of calls during the media campaign periods. This helps further in making the callers informed about the NPS and APY.

The age-wise distribution of callers at the information helpdesk is as follows. It is observed that most of the calls are being made by callers in the age group of 26-35 years.

The age-wise distribution of callers for NPS and APY are as follows:-

Chart 3.1: Age wise distribution of callers




Chart 3.2 (a): Age wise distribution of callers under NPS





Chart 3.2 (b): Age wise distribution of callers under APY



3.11 Conferences held during FY 2017-18

For better implementation of NPS in the Country PFRDA had organized several conference during the year. Under Government Sector which comprises of the majority of the of NPS subscribers, PFRDA sensitize the Government Nodal offices on various issues/matters to

improve their performance. PFRDA undertakes various measures and also conducts review meetings/ video conferences with the Government Nodal offices in the Central / State Government sector. During the year 2017-18 PFRDA undertook following measures and major conferences/workshops:

Sl. No.	Date of Conference	Conference Theme
1	28.02.2018	The 4 th Pension Conference was organised by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
2	21.12.2017	Conference on Implementation of National Pension System by Central Government.
3	28.11.2017	Conference on National Pension System (NPS) for Chartered Accountants.
4	06.10.2017	Conference on NPS for Central Public Sector Enterprises.
5	18.09.2017	Workshop on National Pension System (NPS) for Corporates in coordination with FICCI at Jaipur on 18 th September, 2017.
6	11.09.2017	Conference on Portability from Superannuation and Recognized Provident Funds to National Pension System (NPS).
7	18.08.2017	APY Strategy meetings at Chennai (South Zone). APY strategy meets were also conducted in other Zones (North, East & West zones) at different dates.
8	23.06.2017	Workshop on National Pension System (NPS) for Corporates in coordination with FICCI at Bhubaneswar on 23 rd June 2017.
9	09.06.2017	Workshop on National Pension System (NPS) for Corporates in coordination with FICCI at Ahmedabad on 09 th June, 2017.
10	21. 04. 2017	Workshop on National Pension System (NPS) for Corporates in coordination with FICCI at Vishakhapatnam.

Other review meetings conducted by PFRDA during the year 2017-18 are as under:

HEAD	TOTAL NUMBER	NAME OF MINISTRIES/STATES/CABS/SABS
Reivew Meeting/ VC with central Goverment Ministries	48	Controller General & Defense Accounts (3), Controller General of Accounts (2), Railway Board(1), Ministry Of Home Affairs (5), Central Board of Excise and Customs (5), Central Board of Direct Taxes (5), General Finance Postal(4), Ministry National Capital Territory Delhi(3), Ministry of Statistics and Programme Implementation (3), Ministry of Culture (3), Ministry of Urban Development (3), Ministry Of Comptroller And Auditor General (2), Ministry Of Water Resource (2) , School And Higher Education (1), Dadra & Nagar Haveli(1), Daman And Diu(1) Lakshadweep (1), Northern Railway(1), East Central Railway(1), North Eastern Railway (1),North Central Railway (1)
Workshops for Central Government Ministries	11	Border Security Force (7), Assam Rifles(1), Services Selection Board (1), All India Council for Technical Education (1), Consortium for Educational Communication (1)
Review Meeting of CABs	37	Kendriya Vidyalaya Sangathan (6), Prasar BharatI (6), New Delhi Municipal Council (4),South Delhi Municipal Council (3), East Delhi Municipal Council (3), Delhi Jal Board(3) Indian Council of Agricultural Research (3), Council of Scientific and Industrial Research (3), Unani Medicine(2), NEW Delhi Municipal Council (2), All India Institute of Medical Sciences (2)
Reivew meentings / VCs & workshops for States including SABS	88	<u>State Governments:</u> Punjab(4), MP(4), Karnataka(4), Maharashtra (3) , Uttar Pradesh (3), Chhattisgarh (3), Bihar (3), Gujarat (3), Himachal Pradesh (3), Telangana(2), Jammu And Kashmir (2), Andhra Pradesh (2), Haryana (2), Assam (2), Odhisha (1), Uttarakhand (1), Jharkhand (1), Goa (1), Puducherry (1), Kerala (1), Nagaland (1), Manipur (1), Mizoram (1), Sikkim (1), Meghalaya (1) Arunachal Pradesh (1) <u>SABs:</u> Directorate of Public Instruction, Madhya Pradesh (4), Department of Tribal Development Madhya Pradesh (4), Directorate of Urban Administration & Development Madhya Pradesh (4), Directorate of Public Instruction, Chattisgarh (4), Urban Administration Development, Chattisgarh(4), Basic Shiksha Parishad (4), Uttar Pradesh(4),

HEAD	TOTAL NUMBER	NAME OF MINISTRIES/STATES/CABS/SABS
		Department of sustainability and Environment, Uttar Pradesh(4), Directorate of Higher Education, Uttar Pradesh (4)
Review meetings with PFs	3	<p>The meeting was chaired by WTM (E) and attended by the officers of the department and senior management of the Pension Funds.</p> <p>The discussions were mainly held on the following points: investment Outlook for upcoming quarters, performance of various schemes and variation in returns w.r.t. benchmark, observations/recommendations on monthly reports submitted by the Pension Funds for the Quarter, status of implementations of policies issued by the Authority, NPA and downgrades, if any, and any other issue that surfaced during the quarter under review.</p>
Review meeting with Custodian	2	<p>The meeting was chaired by WTM (E) and attended by the officers of the department and senior management of the Custodian.</p> <p>The discussions were mainly held on the following points: Observations/recommendation on monthly reports for the quarter under review, status of implementations of policies issued by the Authority, Status of receipt of corporate actions during the quarter and any other agenda/issue that surfaced during the quarter under review.</p>

Review meetings with top 5 CG/CABs/SG/SAs on monthly basis which have high number of grievances & exit card. Compendium on NPS for Central Ministries/Departments in Central Government sector was issued by PFRDA, which comprised of major circulars/notifications/ Office Memorandums issued by Government of India PFRDA & CRA/NSDL on National Pension System.

Compendium on NPS for Central Ministries/Departments in Central Government sector was issued by PFRDA, which comprised of major circulars/notifications/ Office Memorandums issued by Government of India, PFRDA & CRA-NSDL on National Pension System.

3.12 Performance of pension funds and performance benchmarks

NPS Schemes showed a robust overall growth of 34% in its AUM during the financial year, as shown in Table 3.11. All the schemes witnessed double-digit growth. APY and Tier II scheme recorded high growth of 103% and 73% in terms of AUM.

Scheme CG for central government employees posted 27% growth in its AUM during the year. On the other hand, Scheme SG's assets grew by 36% during the year.

**Table 3.11: Asset Under Management (AUM) Break up in NPS - Growth Scheme Wise
Position as on March 31, 2018**

Asset Under Management (AUM) break up in NPS- Growth Scheme Wise Position as on Quarter ended 31st March 2018				Amt. Rs. In Crore			
Schemes	Actuals-AUM as on 31st March, 2018			Growth in AUM			
	Mar-16	Mar-17	Mar-18	YoY Mar 17 over Mar 16		YoY Mar 18 over Mar 17	
				Amount	%	Amount	%
Equity Tier I	1,181.46	2,538.98	4,308.22	1,357.53	114.90%	1,769.24	69.68%
Equity Tier II	60.44	125.90	217.78	65.46	108.31%	91.89	72.99%
Equity Total	1,241.89	2,664.88	4,526.00	1,422.99	114.58%	1,861.13	69.84%
% Share in Total AUM	1.00%	1.50%	1.90%	2.60%		3.10%	
Bonds Tier I	887.78	1684.95	2,846.55	797.17	89.79%	1,161.60	68.94%
Bonds Tier II	55.10	101.33	162.16	46.23	83.91%	60.83	60.03%
Bonds Total	942.88	1786.28	3,008.71	843.4	89.45%	1,222.43	68.43%
% Share in Total AUM	0.8%	1.00%	1.30%	1.50%		2.00%	
G Sec Tier I	1324.79	2506.93	4,243.06	1,182.15	89.23%	1,736.13	69.25%
G Sec Tier II	54.35	112.43	181.47	58.09	106.88%	69.04	61.41%
G Sec Total	1379.13	2619.37	4,424.53	1,240.23	89.93%	1,805.17	68.92%
% Share in Total AUM	1.2%	1.50%	1.90%	2.20%		3.00%	
AIF Tier I	-	1.04	6.53	1.04	-	5.49	-
AIF Tier II	-	0.10	-	0.10	-	-0.10	-
AIF Total	-	1.14	6.53	1.14	-	5.39	-
% Share in Total AUM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
Sub Total Tier I	3,394.02	6,731.91	11,404.37	3,337.89	98.35%	4,672.46	69.41%
Sub Total Tier II	169.88	339.76	561.41	169.88	100.00%	221.66	65.24%
Tier I + Tier II	3,563.90	7,071.67	11,965.78	3,507.77	98.42%	4,894.11	69.21%
NPS Lite	2,107.55	2,639.21	3,005.82	531.66	25.23%	366.61	13.89%

APY	506.34	1,885.00	3,817.86	1,378.67	-	1,932.85	102.54%
Corporate CG	6,805.05	10,753.47	14,846.33	3,948.43	58.02%	4,092.86	38.06%
Sub Total (Pvt Sector)	12,982.84	22,349.35	33,635.79	9,366.52	72.15%	11,286.43	50.50%
% Share in Total AUM	10.90%	12.80%	14.30%	16.80%		18.80%	
Central Govt	48,134.78	67,040.05	84,954.60	18,905.27	39.28%	17,914.54	26.72%
% Share in Total AUM	40.50%	38.40%	36.20%	33.90%		29.80%	
State Govt	57,692.50	85,171.43	1,15,988.48	27,478.93	47.63%	30,817.05	36.18%
% Share in Total AUM	48.60%	48.80%	49.40%	49.30%		51.30%	
Sub Total (Govt.)	1,05,827.28	1,52,211.49	2,00,943.08	46,384.21	43.83%	48,731.59	32.02%
% Share in Total AUM	89.10%	87.20%	85.70%	83.20%		81.20%	
Grand Total	1,18,810.12	1,74,560.84	2,34,578.86	55,750.72	46.92%	60,018.02	34.38%

Source: NPS Trust Annual Report (Page no.31)

Performance of Pension Funds

Table 3.12: The position of the AUM with the Pension Funds

PFM	AUM (Amt. In Rs. crore)			
	March 2017	March 2018	Increase in AUM	
			Amount	%
SBI Pension Fund Pvt. Ltd.	66723	89283	22560	33.80
LIC Pension Fund Ltd.	52709	70130	17421	33.05
UTI Retirement Solution Ltd.	52043	69483	17440	33.51
HDFC Pension Management Co. Ltd	1163	2560	1397	120.15
ICICI Prudential Pension Funds Management Company Ltd.	1442	2326	884	61.33
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.	312	536	224	71.82
Reliance Capital Pension Fund Ltd.	169	231	62	36.71
Aditya Birla Sunlife Pension Management Ltd	-	30	30	-
Total	174561	234579	60018	34.38

Source: Annual report of NPS Trust

Table 3.13: Scheme wise Pension Fund wise returns as on 31st March 2018

Since inception (in %)

Scheme	SBI	LIC	UTIRSL	Kotak	ICICI	Reliance	HDFC	Birla#
CG	10.07	9.76	9.73					
SG	9.65	9.79	9.72					
NPS-Lite/Swm	10.45	10.33	10.41	10.46				
APY	8.49	9.28	9.47					
Corporate CG	9.86	9.93						
E-I	9.66	12.68	11.67	10.79	11.64	10.63	15.49	9.22
C-I	10.75	10.59	9.52	10.69	10.75	9.44	10.70	9.18
G I	9.65	11.12	8.38	8.61	8.73	8.38	9.87	4.23
A-I	8.71	6.33	6.64	6.78	7.82	6.27	8.22	5.86
E-II	9.31	8.54	9.71	9.95	9.33	9.36	11.98	9.02
C-II	10.35	9.17	9.61	9.47	10.60	9.23	9.34	6.47
G-II	9.73	11.19	9.32	8.43	8.85	8.63	10.40	0.71

Source: NPS Trust Annual report. The date of inception is different for different schemes.

Returns above 1 year periods are annualized

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9 2017 (E-I)

For Kotak inception date is Jan 31, 2012.(NPS-Lite);

UTI Scheme Corporate CG ended in the financial year 2013-14 (corporate CG)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017 (E-II)

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9 2017 (C-I)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017 (C-II)

Inception dates: LIC July 23, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017 (G-I)

Inception dates: LIC August 12, 2013; HDFC August 01, 2013; Birla May, 9, 2017 (G-II);

Not annualized as return period is less than 1 year

3.13 Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.14 Fees and other charges levied or collected by the Authority during the financial year

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the

intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. The charge for registration of Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levy fee for opening account and generation of PRAN,

maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Investment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portfolio of the subscribers. The custodian of the securities charges for the assets under its custody. And finally, reimbursement of NPS Trust expenses are charged from the subscribers.

Table 3.14: Fees and charges to the subscribers at various stages

Intermediary	Fees / Charges	Private	Govt.*	NPS Lite/APY
Central Record keeping Agency	PRA Opening charges	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 40.00	NSDL: Rs. 15.00
		Karvy#: Rs 39.36	Karvy : Rs 39.36	Karvy : Rs. 15.00
	Annual PRA Maintenance cost per account	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 95.00	NSDL: Rs. 25.00
		Karvy : Rs 57.63	Karvy : Rs 57.63	Karvy : Rs 14.40
	Charge per transaction	NSDL: Rs. 3.75	NSDL: Rs. 3.75	NIL
		Karvy : Rs 3.36	Karvy : Rs 3.36	
Point of Presence	Initial subscriber registration and contribution upload	Rs. 200**	NA	NA
	Any Subsequent	0.25% of contribution, Min. Rs 20 Max. Rs 25000	NA	NA
	Persistency Charge** >6 months & Minimum contribution Rs. 1000 p.a	Rs. 50 per annum	NA	NA
	On eNPS platform	0.10% of contribution** Min. Rs 10 Max. Rs.10000	NA	NA
Trustee Bank		NIL		
Custodian	Asset Servicing charges	0.0032% p.a		
Pension Funds	Investment Management Fee	0.01% p.a	0.0102% p.a.	0.0102% p.a
NPS Trust	Reimbursement of expenses	0.01% pa.		

* In case of Government employees, CRA charges are being paid by the respective Governments.

** w.e.f. 15/11/2017

Karvy Computershare Pvt. Ltd has started operation wef 15th Feb, 2017.

The fees received by PFRDA from the various intermediaries during the Financial Year 2017-18 is provided in the table below:

Table 3.15: Fees received during the Financial Year 2017-18

S.No.	Intermediary	Fee receipt (Rs. in Lakh)
1	Trustee Bank- Axis Bank	1963.29
2	Pension Fund	908.74
3	CRA- NSDL- E Governance Infrastructure Ltd	6,64.42
4	Custodian - SHCIL	76.77
4	Retirement Advisor / POP/Aggregator/ASP/ EMD/RFP Processing Fee	8.61
6	CRA- Karvy Computershare Pvt Ltd	0.23
	Total	3622.06
Fee received from various intermediaries are accounted on realization basis.		

3.15 Information sought for, inspections undertaken, inquiries conducted and investigations undertaken including audit of intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds'

Inquiries & Investigation

PFRDA and NPS Trust review the reports submitted by CRA, Trustee Bank and their auditors to ensure that the intermediary is following the turnaround time as defined in service level agreements.

Inspection & Audits

PFRDA Central Recordkeeping Agency and Trustee Bank regulations also have provision to conduct audit and inspection of CRA and

Trustee Bank to protect the interests of the subscribers. During FY 2017-18, internal Audit of all the Pension Funds were undertaken by the Internal Auditors appointed by Pension Funds as per the Guidance Note for the appointment of Internal Auditor issued by the Authority. The audit of the schemes managed by the respective Pension Funds was also done. Pension Funds are also subject to Statutory Audit.

3.16 Others

3.16.1 Subscribers (category wise) covered under the National Pension System and other pension schemes under the Act

a) Number of subscribers under NPS over the years

Enrolment of subscribers in NPS increased from 154.39 lakh in March 2017 to 211.78 lakh in March, 2018. The growth of number of


subscribers during 2016-17 is 37.17 per cent. Year wise number of NPS subscribers is provided in Chart 3.3.

Table 3.16: Sector wise number of Subscribers under NPS/APY

Sectors	Mar-17 (No. In lakh)	Mar-18 (No. In lakh)	Growth over year	
			Absolute increase (No. in lakh)	%
Central Government	17.89	19.22	1.33	7.43
% to total	11.6	9.08		
State Government	33.32	38.68	5.36	16.09
% to total	21.6	18.26		
Corporate	5.86	6.96	1.10	18.77
% to total	3.8	3.29		
UoS (All Citizen)	4.39	6.91	2.52	57.40
% to total	2.8	3.26		
NPS Lite/Swavalamban*	44.29	43.95	-0.34	-
% to total	28.7	20.75		
APY	48.64	96.06	47.42	97.49
% to total	31.5	45.36		
Total	154.39	211.78	57.39	37.17

*(No fresh registration permitted after 01st April, 2015, post launch of APY)

Chart 3.3: Year wise number of subscribers under NPS & APY



b) No. of subscribers - Sector wise



Government Sector

- Government subscribers have increased from 51.21 lakh as end of March 2017 to 57.90 lakh subscribers as end of March 2018, registering an increase of 6.69 lakh (13.06%).

Table 3.17 No. of subscribers, contribution & AUM of Govt. Sector as on 31.03.2018

Sector	No. of subscribers (In Lakh)	Contribution (Rs. crore)	AUM (Rs. crore)
Central Government	19.22	62351	84954
State Government	38.68	92808	115679
Total	57.90	155159	200633

Year on Year data on subscriber registration:



Private Sector

- Under Private sector, number of corporate subscribers have increased from 5.86 lakh as end of March 2017 to 6.96 lakh, as on end of March 2018, an

increase of 1.10 lakh (18.77%) subscribers. The subscribers under UoS/ All Citizen have increased from 4.37 lakh as end of March 2017 to 6.91 lakh as end of March 2018, an increase of 2.54 lakh (58.12%) subscribers.

Table 3.18: No. of subscribers, contribution & AUM of Private Sector as on 31.03.2018

Particulars	Subscribers (In Lakh)	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
Corporate Sector	6.96	17704	21378
UoS/All Citizen	6.91	5824	5744
Total	13.87	23528	27122

- Number of subscribers under NPS Lite and APY, together, has increased from 93.12 lakh in March 2017 to 140.01 lakh in March 2018, increasing by 46.89 lakh subscribers (50.35%).

Table 3.19: No. of subscribers, contribution & AUM of NPS Lite & APY as on 31.03.2018

Particulars	Subscribers (In Lakh)	Contributions (Rs. in Crs)	AUM (Rs. in Crs)
NPS Lite/Swavalamban	43.95	2378	3006
Atal Pension Yojana	96.06	3602	3818
Total	140.01	5980	6824

- New entry into Swavalamban scheme has been discontinued w.e.f April 1, 2015 and APY was launched on 9th May, 2015 and it became operational from 1st July, 2015. APY is focused on the poor and the under-privileged citizen of India; it will provide a defined pension after 60 years of age.
- Under the APY, the subscribers would receive the minimum guaranteed pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month, Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would be based on the age of joining the APY. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by any subscriber under APY would be 20 years or more.
- Scheme operates through all Bank Branches /Post Offices having CBS platform registered with Central Recordkeeping Agency (CRA).
- As end of FY 2017-18, 96.06 lakh subscribers have been registered under APY. During FY 2017-18, 10.96 lakh subscribers are eligible for Government co-contribution.
- Top three contributors to the APY subscribers are Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. The state wise number of APY subscribers is provided at Annexure 1.
- Banks and Post office are the major distribution channels for APY. The no. of APY subscribers through various categories of banks and post offices is depicted in the table below:

Table 3.20: No. of subscribers registered (PRAN Generated) in APY by various distribution channels

Category of Banks	As on date (March 31, 2016)	As on date (March 31, 2017)	As on date (March 31, 2018)
Major Banks (PSBs+HDFC, ICICI, Axis & J&K Bank)	1,693,190	3,047,273	6,553,397
Other Private Banks (except HDFC, ICICI, Axis & J&K)	218,086	497,323	873,901
Regional Rural Banks	476,373	1,115,257	1,987,176
District Co-op Banks	21,222	29,791	33,880
State Co-op Banks	354	680	805
Urban Co-op Banks	327	3,507	10,936
DOP	75,343	189,998	245,366
Total	2,484,895	4,883,829	9,705,461

Source : CRA-NSDL

Of the 48.22 lakh APY subscribers registered during FY 2017-18, 72.21% have opted for benefit of Rs. 1000 /- and 16.88% of the subscribers have opted for benefit of Rs. 5000/- p.m.. The details are provided at Table 3.21.

Table 3.21: Pension amount wise no. of APY subscribers as on 31.03.2018

Sr. No.	Pension Amount	PRAN Count	Percentage	Cumulative Percentage
1	1,000	3,481,777	72.21	72.21
2	2,000	314,674	6.53	78.74
3	3,000	150,751	3.13	81.86
4	4,000	60,566	1.26	83.12
5	5,000	813,864	16.88	100.00
	Total	4,821,632	100.00	

Source: CRA-NSDL

Of 48.22 lakh subscribers registered under APY in FY 2017-18, 26.61% of the subscribers are in the age bracket of 21-25 years and 26.24% and

21.77% are in the age bracket of 26-30 years and 31-35 years, respectively.

Table 3.22: Age wise no. of APY subscribers as on 31.03.2018

Sr. No.	Age Range	PRAN Count	Percentage	Cumulative %
1	Between 18 to 20 Years	623,475	12.93	12.93
2	Between 21 to 25 Years	1,283,242	26.61	39.55
3	Between 26 to 30 Years	1,265,117	26.24	65.78
4	Between 31 to 35 Years	1,049,800	21.77	87.56
5	Above 35 Years	599,998	12.44	100.00
	Total	4,821,632	100.00	

Source-NSDL-CRA

3.16.2 Points of presence

There were 70 registered POPs as end of March 2018. The list of registred POPs are at annexure-II. During FY 2017-18, 5 new POPs

have been registered and issued Certificate of Registration. As per the Regulations, 1 corporates and 4 special entities have been registered as PoPs have been issued Certificate of Registration.

Table 3.23: No. of POP-SPs registered under NPS

	As on 31st March'16	As on 31st March'17	As on 31st March'18	Growth during previous F.Y. 2016-17 (No.)	Growth in % during previous F.Y. 2016-17	Growth during the F.Y. 2017- 18(No.)	Growth in % during the F.Y. 2017-18
Total No. of POPs	71	77	70	6	8.45	-	-
Total No. of POP-SPs	55,581	69,005	79,640	13,426	24.16	10,633	15.41
within which active POP-SPs***	7170	13396	21146	6226	86.83	7750	57.85
% of active POP-SP	12.9	19.41	26.55	6.51	50.48	7.14	36.79

*Active POP in Corporate Sector means POP with at least 5 Corporates Registered

** Active POP in All Citizen Sector means POP with at least 10 Active Subscribers

*** Active POP - SPs in All Citizen Sector means POP -SP with at least 1 Active Subscriber

Source- CRA- NSDL/Karvy

3.16.3 Asset under Management Scheme wise

The details of the scheme wise asset under management in given in the table below:

Table 3.24 Scheme wise Asset under Management (Rs in Crore)

Scheme	Mar-17	Mar-18	% Growth
CG	67040	84955	
SG	85172	115989	
Subtotal	152212	200944	32%
Cor.CG	10754	14846	
E-I	2539	4308	
C-I	1685	2847	
G-I	2507	4243	
A-I	1	6	
E-II	126	218	
C-II	101	162	
G-II	112	181	
NPS Lite	2639	3006	
APY	1885	3818	
Subtotal	22349	33635	50%
Grand Total	174561	234579	34%

Notes for March 2018:

1. Damodar Valley Corporation Rs. 309.94 cr is shown under SG

2. Corporate CG does not include AUM of Damodar Valley Corporation

Source: NPS Trust Annual Reports

The table above indicate that the asset under management for government sector NPS schemes (CG and SG) has grown by around 32%. The asset under management of the schemes other than these two schemes has grown by around 50%. Though in absolute terms government sector schemes grew by Rs. 48,732 crores whereas other schemes in aggregate grew by Rs. 11,286 crores.

3.16.4 The Central Recordkeeping Agency, its role and functions

a) Introduction

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd., was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency and an agreement was executed on November 26, 2007.

After notification of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 with effect from April 27, 2015, NSDL e-Governance Infrastructure Ltd was issued Certificate of Registration to work as Central Recordkeeping Agency effective from December 18, 2015 for the remaining period of the original contract dated November 26, 2007 effective from December 01, 2007 for 10 years.

CRA acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liaising with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

During the FY 2016-17, the Authority had registered M/s Karvy Computershare Private Limited as second CRA and allowed them to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber was provided an option to choose between NSDL e-governance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd (2nd CRA) with effect from February 15, 2017 and other distribution channels thereafter. M/s Karvy Computershare was allowed to service the new accounts till March 31, 2017 and thereafter it was allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality

providing for option to shift for existing subscribers of NPS from 1st April, 2017 onwards.

Under sub regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers' interest. Accordingly, the criterion for allocation of subscribers is mentioned as under:-

In case where there is employee- employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegates the option to individual employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/ subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective government will chose the CRA for rendering the services. In case of NPS-Lite subscribers the aggregator will have the option to choose the CRA.

b) Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i. Continuous Enhancements and developments of new functionalities

It is the responsibility of the CRA to create and establish facilitation centres network across country. They have to develop various new functionalities/utilities and do continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

ii. Services to Subscribers of all sectors

The primary role of CRA is of recordkeeping,

administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber awareness programs and providing web based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and call centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

iii. Services to Intermediaries

a) PFMs:

It is the primary responsibility of CRA to timely allocate the funds to PFMs, prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFMs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to measure the Scheme performance reports using NAVs send by PFMs to CRA.

b) TB:

To reconcile pension fund reports received from Trustee Account with pension fund contribution information report and generate error/discrepancy report on fund reconciliation, sending instruction to Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme.

c) ASPs:

To collect physical application forms from the subscribers and forward them

to ASPs and sending funds transfer details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data transfer to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

iv. Others:

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFMs, TB and other entities in NPS

c) Annual fee

The Central recordkeeping agency will pay an annual fee at the rate of 0.05 times of the service charges as specified in regulation 22 of PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015.

d) Regulations

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on 27th April, 2015. Subsequently, PFRDA (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 have been notified on 25th June 2018.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

e) Development of new functionalities

Continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders is one the main objective of CRA. Various functionalities were developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system. Few of the major developments are as under:

Facilities available under NPS to Subscriber:

- **Facility for instant generation of IPIN /TPIN** Subscribers can generate IPIN instantly in the CRA system by getting a unique reference no. on registered mobile. TPIN can be generated by subscribers by calling on CRA toll free no. and speaking to CRA call center.
- **Reprint of PRAN card** Subscribers can opt for reprint of PRAN card by logging into their account. The charges for the re-print of PRAN card is a billable transaction.
- **Shifting of account from POP to e-NPS** Subscribers can shift their Tier I/ Tier II or both mapped to any POP to e-NPS by logging into their CRA account.
- **Registration for APY made simple** Subscribers can register for APY by clicking on APY Application on e-NPS landing page. Subscriber is required to provide registration and APY-SP bank details through which APY PRAN is to be generated.
- **Change of PFM and Investment Option** Subscribers have the facility to change

their PFM once and Investment option as well as Asset allocation ratio twice in a financial year without any additional cost.

Enhancement in Central Grievance Management System (CGMS)

For subscribers:

- Standard Frequently Asked Questions (FAQs) along with answers against respective query category are now available to Subscriber & Entity (raising grievance on behalf of NPS Subscriber) in CGMS. The Subscriber raising any query through CGMS will have a provision to view the FAQs & relevant answers based on the category of grievance selected.
- The History of the grievances is available to the subscriber on demand basis.
- On selecting the type and sub type of grievance, subscriber will be shown the most often asked queries and the solution to those. In case the subscriber does not feel satisfied with the resolution, he may proceed with lodging the grievance.

For Nodal Offices:

- The fortnightly email alerts are sent to the Nodal Office for pending grievances. Now, these alerts are enhanced to have the details of all pending grievances.
- A facility is provided to Nodal Office under NPS Lite and APY to download the pending referrals for associated Subscriber. Also, email alerts will be sent to NPS Lite and APY Offices for all grievances raised & resolved during the day.
- The fortnightly email alerts will be sent to Oversight Offices under NPS Lite and APY regarding the grievances which are pending for more than 15 days under CGMS.

New features under eNPS

1. Hindi version of eNPS website

The bilingual version of eNPS website has been developed for convenience of NPS Subscriber. The Subscriber now have option to choose the desired language option (either English or Hindi) for Registration and/or Contribution through eNPS.

2. eSign for Aadhaar based Registration

In case of registration through Aadhaar, it was mandatory for Subscriber to submit physical Application Form within 90 days of completion of registration under eNPS. eSign facility (Aadhaar e-KYC services) has been integrated with eNPS platform to enable the Subscriber to sign his/her PRAN Application electronically. This process has eliminated the requirement of submission of physical documents to CRA.

New features in NPS Mobile App

1. Tier II Withdrawal

Subscriber can now initiate Tier II account withdrawal under NPS using Mobile App. The Subscriber will log into the App with their User ID and password. An option to select Tier II withdrawal and generate One Time Password (OTP) is available in Mobile App. On entering the correct OTP, Subscriber will have an option to select mode of Withdrawal - (i) lumpsum (amount), or (ii) scheme wise units. Once the option is selected and relevant details are submitted by the Subscriber, the same will get executed in the CRA system and funds will get transferred to Subscriber's Bank Account registered with CRA.

2. Aadhaar Seeding

The Subscriber can now link his/her Aadhaar to NPS account using Mobile App. The Subscriber will log into the App with his/her User ID & password and select the option of 'Add/Update Aadhaar Number'. The option will be available to the Subscriber to provide his/her Aadhaar. Once Aadhaar is entered, the details of Subscriber registered under NPS will

get authenticated with details available in UIDAI database. Post authentication, an OTP will be sent to the Subscriber's mobile number registered with UIDAI. The Subscriber will enter the OTP and on entering the correct OTP, Aadhaar will get seeded for the PRAN.

3. Reset password using OTP

Subscriber can now reset his/her password using Mobile App through OTP. The Subscriber is required to enter his/her PRAN, Date of Birth and set his/her new password and generate OTP. On entering the correct OTP received on his/her mobile (registered with CRA), the password becomes active. This option is in addition to the option of resetting password using secret question.

4. Mobile app for IOS and Windows platform users

Mobile app has been made available for subscribers using IOS and Windows platform.

5. Mobile app has been made available for NPS Lite and APY subscribers

New features under Atal Pension Yojana (APY):

1. ePRAN Card and Transaction Statement

The facility to download and/or print ePRAN Card and Transaction Statement is made available to APY Subscriber. The APY Subscriber can access their ePRAN Card and Transaction Statement through CRA NPS Lite website (www.npslite-nsdl.com). The Subscriber has an option to search their ePRAN Card and Transaction Statement with/without PRAN details. The Subscriber are then required to provide minimum details like PRAN and Bank Account Number or Subscriber Name, Bank Account Number and Date of birth registered in the CRA system under APY.

2. Alert for Grievances

An Email/SMS alert (along with Token No.) is sent to APY Subscriber on generation and resolution of a grievance in CRA system.

3. Online contribution made available for NPS - Lite Subscribers

Swawlamban Subscribers can contribute in their PRAN by clicking on Contribution button available on e-NPS landing page instead of going through the Aggregator.

4. Shifting of APY-SP/APY-SP Branch

APY subscribers can shift their Bank/Branch mapped to their APY account.

5. ePRAN for NPS Lite Subscribers

Subscribers of NPS Lite can now view their ePRAN card. To view PRAN card subscribers are required to provide their PRAN no. and bank account no. However, in case the subscriber does not remember their PRAN no., ePRAN card can be obtained by inputting other details such as bank account no., name and date of birth.

Online Subscriber Registration by DDOs

The facility to register Subscriber online using Online PRAN Generation Module (OPGM) is made available to Drawing and Disbursing Office (DDOs) for Government Sector. DDOs are allowed to capture the registration details of underlying subscribers and the same are verified by the associated DTOs/DTAs. Now based on requests received from some states, changes have been made in the OPGM such that DTO shall raise capture the registration details and associated DTA shall verify the same.

Earlier the nodal Offices were required to provide 26 digits PAOFIN in fund transfer instruction at the time of transfer of funds to TB. This has now been reduced to 13 digits to reduce instances of fund return due to incorrect PAOFIN.

Option for initiating online conditional withdrawal has been provided to DDOs.

Error Rectification Module (ERM)

An ERM request can be processed by the Nodal Office through whom the contributions were

uploaded in CRA system. In addition, now in case of State Govt., the facility to perform a single ERM transaction on behalf of all the underlying Nodal Offices is provided to the Oversight Office. This will save efforts and time of multiple ERM requests being captured by different Nodal Offices.

Online Corporate Registration

A facility for online registration is enabled for Corporates through eNPS platform. Corporate is required to provide the requisite registration details and select a POP for association and submission of the relevant documents for further processing. The registration details captured by the Corporate are to be authorized by associated POP.

Retirement Adviser

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/entity as RA.

New CRA Toll Free Helpline

Dedicated toll free number (1800222081) is made available to Nodal Offices for contacting CRA regarding their general queries / complaints. This is in addition to an existing toll free number (1800222080) available for NPS Subscribers.

3.16.5 Pension funds

The management of the assets under NPS and any other scheme regulated / administered by PFRDA is done by professional fund managers appointed exclusively for this purpose.

Functions of Pension Funds

The functions of the Pension Funds include:

- a. Professional investment of assets under management as per investment

guidelines prescribed by the Authority and in the best interest of subscribers.

- b. Scheme portfolio construction as per laid out schemes by the Authority.
- c. Maintenance of books and records of its operations.
- d. Reporting to the Authority and NPST at periodical interval.
- e. Public disclosure.

There are eight Pension Funds under NPS. The following three Pension Funds manages Government sector schemes and APY scheme

- i) LIC Pension Fund Limited
- ii) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
- iii) UTI Retirement Solutions Ltd

The investment management fee charged by Pension Funds for managing the Govt. employees NPS portfolio is presently 0.0102 per cent per annum of the assets under management.

The private sector NPS schemes are managed by the following Pension Funds:

- i) HDFC Pension Management Co. Ltd.
- ii) ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
- iii) Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
- iv) LIC Pension Fund Ltd.
- v) Reliance Capital Pension Fund Ltd.
- vi) SBI Pension Funds Pvt. Ltd
- vii) UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd

- vii) Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

3.16.6 The Trustee Bank

a) Trustee Bank:

Axis Bank Ltd. was selected Trustee Bank under NPS through an open bidding process with effect from 1st July 2015 for a period of 5 years, as per the terms of the PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015.


Roles and responsibilities of Trustee Bank:

- 1) Trustee Bank facilitates fund transfers across various entities of CRA system viz. Nodal Offices (uploading offices), Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and subscribers.
- 2) Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various Nodal Offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by Nodal Office(s) to CRA system.
- 3) Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of Pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFMs, Annuity Providers, Withdrawal Account and may also receive funds from Pension Fund Manager(s).
- 4) Return of unidentified remittances or remittances with incomplete information to the concerned entity.
- 5) At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

The following diagram depicts the role of Intermediaries in the NPS architecture:

Chart 3.5: NPS architecture and intermediaries

NPS-Architecture



c) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed within the timelines specified. The chart given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table 3.25: Core activities of the Trustee Bank

Nature of Activity	Timelines
Return of unidentified funds	T+1
Upload of Fund Receipt Confirmation file (FRC)	T+1 (by 9:00 a.m.)
Download Pay- in instruction files from CRA	Daily
Transfer of matched and booked funds to Pension Fund Managers	T+1
Upload of statements and closing balance of various accounts	Daily

Note: (Assumption- Fund realisation at TB on day T)

1. Challenges faced

- i) **Pending SCFs-** Many Nodal Offices have uploaded SCFs twice or have not remitted funds corresponding to these SCFs. PFRDA tries its best to get these SCFs matched and booked within the prescribed timelines.
- ii) **Missing credit-** At times many Nodal Offices are not regular in remitting funds timely. PFRDA has continuously taken up the matter of missing credits in the PRAN of the subscribers with the concerned organisations- PAOs, so that the subscribers do not lose on investment opportunity as a result of the delay.
- iii) **Funds remitted with incomplete details-** Many Nodal Offices remitted funds to the Trustee Bank without

complete details like PAO id, Transaction Id, etc. These funds received by the Trustee Bank prior to May 2012, are lying unidentified for which Nodal Offices have neither provided Fund Transfer Details (FTDs) nor uploaded SCFs. PFRDA is continuously following it up with the Nodal offices for resolution of the same.

- iv) **Return of Outward remittances by TB to Subscribers -** The withdrawal funds remitted by TB to the subscribers gets returned due to various reasons, the most important of these being Incorrect bank details, Incorrect IFSC, mismatch in beneficiary name etc.

3.16.7 Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on 23rd March, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

3.16.8 The Custodian under the National Pension System

The custodian handles the security side of the transactions. The securities bought for the NPS trust are held by the custodian, who also facilitates securities transactions by making and accepting delivery of securities.

The functions of Custodian include:

- Maintaining details of securities held
- Collecting the benefits like dividend, rights, bonus etc. on securities

- Informing about the actions of the issuers of securities held that may impact the benefits.

The Stock Holding Corporation of India is acting as Custodian of Securities. The custodian charges are 0.0032% p.a. of asset under Custody.

3.16.9 The National Pension System Trust

The NPS Trust was established in terms of the Central Government letter D.O. No 5(75)/2006-ECB & PR dated 24th April 2007. PFRDA is the settlor of the Trust and the execution of the NPS Trust Deed by PFRDA took place on 27th February, 2008. A memorandum of Understanding was signed between PFRDA and the NPS Trust highlighting the rights and obligations of both the parties on 1st July 2009.

The NPS Trust has been set up and constituted to hold the assets and funds under the NPS for the benefit of the beneficiaries (subscribers). Trustees have the legal ownership of the Trust Fund and the general superintendence, direction and management of the affairs of the Trust and all powers, authorities and discretions appurtenant to or incidental to the purpose of the trust absolutely vest in the Trustees, subject nevertheless to the provision of the PFRDA Act-2013, Indian Trust Act - 1882, NPS Trust Deed and further subject to such directions or guidelines that may be issued by PFRDA from time to time. However, the beneficial interest shall always vest with the beneficiaries of the NPS Trust.

Authority appoints a person with appropriate background and experience as Chief Executive Officer of the Trust (CEO) who is responsible for day-to-day administration and Management of the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Board of The Board meets at least once in every three calendar months. The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2018 is provided in the table below.

Table 3.26 : The constitution of the NPS Trust Board as on March 31, 2018

Sr. No	Name	Designation
1	Sh. Ashvin Parekh	Chairman & Trustee
2	Sh. Sanjeev Chanana	Trustee
3	Sh. Atanu Sen	Trustee
4	Sh. Dinesh Kumar Mehrotra	Trustee
5	Sh. Radhakrishnan Nair	Trustee

1. Management of NPS Funds by the NPS Trust

The NPS funds of subscribers held in the name of NPS Trust are managed by eight appointed pension funds on behalf of the Board of Trustees to realize and fulfill the objectives of the NPS Trust in the interest of the Subscribers. The Performance of the Pension funds are reviewed on a quarterly basis by NPS Trust and instructions/guidance is being given to them for protecting the interest of the subscribers.

2. Meetings of the Board of Trustees - NPS Trust held and important issues discussed for the benefit/protection of the interest of subscribers

During the financial year 2017 - 18, four meetings of the Board of Trustees - NPS Trust were conducted. The following are the important issues discussed for the benefit/protection of interest of the subscribers.

- Operationalization of 2nd Payment Gateway Service Provider for NPS.
- Monitoring of Performance of Pension fund managers (PFMs)
- Audit of NPS/APY Scheme Accounts.

3.16.10 : Other intermediaries including the Aggregator, etc.

Aggregators are the intermediaries identified and approved by PFRDA, to perform subscriber

interface functions under NPS-Swavalamban in respect of their constituent groups. The aggregators are the entities already in existence having continuous functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods / services. During FY 2017-18 through re-registration of Aggregators, 10 Certificates of registration were issued.

The functions of aggregators include:

- Promotion of NPS and awareness about the need for old age income security among its constituent group members.
- Meeting the 'Know Your Customer' requirements in respect of potential NPS subscribers as mandated under AML/CFT requirements.
- Discharge of responsibilities relating to fund and data upload within prescribed time limits.
- Collection of contributions from subscribers and ensuring its passage to Trustee Bank.
- Ensuring availability of services to its underlying subscribers as mandated under NPS-Lite.
- Handling grievances received from subscribers and their resolution.
- Any other responsibility as assigned to them by PFRDA to ensure protection of subscribers' interest.

Retirement Advisor

The Retirement Advisers (RAs) are appointed by PFRDA to engage in the activity of providing advice on NPS thereby to extend the reach of NPS. The RAs can be an individual, registered partnership firm, body corporate, or any registered Trust or society. The online platform has been developed and released in the CRA system to facilitate registration of an individual/entity as RA.

With shift in the design of pension systems from

defined-benefit plans to defined-contribution plans where individuals need to make financial decisions and bear greater financial risk, selection of an appropriate investment pattern is crucial for the pension plan participants. India, considered to be low in financial literacy, demonstrates a tangible need for financial advice with respect to retirement decisions. Retirement advisors are playing an important role in guiding and helping consumers to have a better understanding of investment and pay-out options. This necessitates development of a pool of human resources having right skills and expertise in retirement advice and choosing appropriate pension/savings product for retirement quality intermediation to market participants.

Taking into account international experience and the needs of the Indian system of organised and unorganised workers, with a view to protecting the interests of retiring population and more importantly, for minimising risks of losses arising out of deficient understanding of the various options in the returns from the NPS, PFRDA has accredited National Institute of Securities Markets (NISM) as the accredited institute for Certification of the Retirement Adviser Certification Examination.

With the objective to provide a framework for eligibility, registration process, fees etc. of Retirement Adviser and to define the scope of work and responsibility of the Retirement Adviser to ensure orderly growth of pension sector, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 were notified by PFRDA.

3.16.11 Other functions carried out by the Authority in the area of pensions.

Increasing the maximum age of joining the NPS from the present 60 years to 65 years in NPS Private Sector i.e., NPS-All Citizen Model and Corporate Sector Model

As per the extant guidelines, any citizen in the age group of 18-60 years is eligible to join NPS on voluntary basis. After receiving feedback/

suggestions, during the interaction with the general public, corporate and intermediaries, there is revision in the joining age of NPS and the same is increased upto 65 years. The subscribers joining after the age of 60 years would be eligible to continue in the system upto the age of 70 years and during this period the subscriber may continue to contribute. Accordingly the asset allocation under the Life Cycle Fund has been designed, which may be referred in the circular available at PFRDA website.

Implementation of Cyber Security:

Finalisation and implementation of Cyber Security Policy for Intermediaries registered with PFRDA, the initiative is taken to tackle the issues aligned with national and international standards and matching it with best practices of the industry.

eNPS Online Platform

In light of "Digital India" campaign on promoting e-governance for providing last mile connectivity through extensive use of ICT (Information and Communications Technology) platforms, PFRDA has been pursuing the development and operationalization of online transaction facilities for the prospective as well as existing subscribers of NPS. Towards this end, an online platform for registration of subscribers and receipt of contribution under National Pension System (eNPS) through NPS Trust at www.npstrust.org.in has been developed. Through this platform, a prospective subscriber can register for NPS; contribute to his/her Permanent Retirement Account. Further, the subscribers who already have an NPS account can make contributions through eNPS directly. A prospective subscriber can visit NPS Trust website www.npstrust.org.in and select NPS Online menu to register and contribute to NPS. While registering, a Subscriber will provide his/her name & Permanent Account Number (PAN) details which will be validated online with the Income Tax Department. Subscriber will then

select the Bank (through which KYC verification to be done), fill up the personal details and upload photograph & signature. After filling up of details, the Subscriber will make contribution through net banking from the account of the selected Bank. Once payment is made, PRAN will be provided online to the Subscriber. The details submitted by the subscriber will be sent through CRA system to the selected Bank for KYC verification. After verification of KYC by the Bank, the PRAN will become active and operational. Subscriber will be required to print the form, paste photograph, affix signature and submit the physical form to CRA within a specified period while continuing contributing online.

Subscriber can make subsequent contribution online through net banking /debit card/credit card at any time and the same will be credited in the subscriber's PRAN account on T+2 basis. The complete information about eNPS is available in PFRDA website www.pfrda.org.in and also on NPS Trust website www.npstrust.org.in. As per CRA-NSDL and Karvy website, presently 26 banks viz Allahabad Bank, Andhra Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Corporation Bank, Dena Bank, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, IDBI Bank Limited, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Kotak Mahindra Bank Limited, Oriental Bank of Commerce, State Bank of India, Syndicate Bank, Tamilnad Mercantile Bank Ltd, The Karur Vysya Bank, The Lakshmi Vilas Bank Limited, The South Indian Bank Limited, UCO Bank, Union Bank of India, United Bank of India & Vijaya Bank are offering services through eNPS platform. As on 31st March 2018, 2.75 lakh Tier I accounts and 0.86 lakh Tier II accounts have been opened through eNPS.

APY Online Tools

PFRDA has offered several online features to facilitate subscribers for access of APY features without visiting the bank/post branch, such as:

No.	Digital Utility	Benefits
1	APY Grievance Module	Module can be used for lodging a grievance and checking the status of grievances raised by the subscribers. The Subscribers can use the facility with or without PRAN.
2	APY Upgrade / APY Downgrade View	APY subscribers can upgrade/downgrade a pension amount once in a year. The feature enables the user to check the differential amount to be deposited/ to be received back as per the new guaranteed pension amount chosen. Higher amount needs to be deposited in case of upgrade and additional contributions would be returned to the subscribers in case of down grade.
3	ePRAN card/ e SoT facility	Useful for downloading of transaction statement and ePRAN card. The option contains a search with PRAN and without PRAN. The subscriber can download Transaction Statement financial year wise.
4	Aadhaar Seeding	The OTP based feature wherein Aadhaar can be seeded in APY account by providing PRAN & aadhaar number. On successful submission, an acknowledgement number will be provided towards confirmation.
5	APY@eNPS (Digital On boarding facility into APY)	Digital APY enrolment through eNPS ensures wider reach. It is a user friendly platform and makes enrolment under APY in a complete end to end digital interface without submission of physical form by the prospective subscribers and without visiting a bank branch.
6	Mobile Application	APY Mobile applications empower the subscribers to view Statement of Account and other details of their APY account. APY subscribers with smart phones can down load APY mobile applications from google store and install in their mobile phones for real time viewing of APY Accounts.

- **eAPY(banks)**

As on Mar/31/2018, 24 Banks including major banks have enabled APY Subscriber Registration through e-NPS (online) portal and 791 subscriber registration request have been processed.

- **Small finance Banks and Payment banks**

Payments banks and Small Finance Banks are a new model of banks conceptualized by the Reserve Bank of India (RBI). 11 Payment Banks and 10 Small Finance Banks have received license from Reserve Bank of India to start

banking operations in India. Small Finance Banks and Payment Banks are new age banks and given the strength of the bank, expertise and out reach, Small Finance Bank and Payment Bank can play a pivotal role in outreach of subscribers under APY.

To strengthen the existing channels of APY distribution, it was felt that these new Payments Banks and Small Finance Banks will provide a boost to the outreach of subscribers under APY.

As on 31st March, 2018, the following Small Finance Banks are registered in CRA system:

Sr. No	Name of the APY Service Provider	State Name
1	Paytm Payments Bank Limited	Uttar Pradesh
2	ESAF Small Finance Bank Limited	Kerala
3	Suryoday Small Finance Bank Limited	Maharashtra
4	Airtel Payments Bank Limited	Haryana
5	AU Small Finance Bank Limited	Rajasthan

APY state wise performance sheet is at Annexure I

PART IV

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organization engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. During the year under reference, the Pension Advisory Committee meetings took place i.e. on April 24, 2017, and March 26, 2018 at New Delhi.

The following agenda items were taken up for discussion in the Ninth Meeting of PAC, 24th April, 2017:

- Increasing the maximum age of joining National Pension System (NPS) from the present 60 years to 65 years in NPS-Private Sector i.e. NPS-All Citizen Model and Corporate Sector Model.
- Selection of POPs for promotion of NPS through competitive bidding process.
- Guidelines for selection of default Pension Fund.
- Feasibility of investment Guidelines applicable to various schemes under NPS for Pension Fund having small Asset Under Management (AUM).

The following agenda items were taken up for discussion in the Tenth Meeting of PAC, March 26, 2018:

- Proposal to have a single unified regulation to cover all the distribution channels covering the pension schemes regulated and administered by PFRDA by amending the existing PFRDA (Point of Presence (PoP)) Regulations, 2015

including, Aggregators and Atal Pension Yojana (APY) service providers under the regulation.

- Exposure draft on granting perpetual registration to CRAs.
- Inputs/ Feedback on Proposal to amend Exit Regulations.
- Proposal on New Credit Rating System (EL) for Investments in Infrastructure Projects by pension funds.
- Concept Note on increasing cap on equity investment in active choice to 75% from current 50% for Private Sector Subscribers.

4.2 Regulations Made or Amended

The information pertaining Regulatory Development during FY 2017-18 is as under:

1. New Regulations notified during FY 2017-18: NIL
2. Amendments in the Regulations during FY 2017-18:

Table 4.1: Following amendments have been notified during Apr 2017 - Mar 2018:

S.N.	Amendments in the Regulations	Date of Gazette Notification
1.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (First Amendment) Regulations, 2017	28 th April 2017
2.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Second Amendment) Regulations, 2017	26 th May 2017
3.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Third Amendment) Regulations, 2017	11 th September 2017
4.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) (Fourth Amendment) Regulations, 2017	28 th December 2017
5.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (Second Amendment) Regulations, 2017	28 th April 2017
6.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017	10 th August 2017
7.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017	6 th October 2017
8.	Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018	2 nd February 2018

4.3 Constitution of Committee for utilization of Subscriber Education and Protection Fund

As per Section 6 of PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund), Regulations, 2015 a committee was constituted on 7th December 2017 for recommending subscriber education, awareness and protection activities and for utilization of the Fund. The Committee shall recommend utilization of fund for educational activities including seminars, symposia, workshops, training, research and publications, distribution of literature, etc. aimed at subscribers across different:

- geographical locations including metros, non-metros and smaller towns,
- income groups, age groups; and sectors including unorganized sectors, corporates, self-help groups and others.

The committee may recommend awareness

programmes through - print, electronic media aimed at subscribers' education and protection of their interest.

4.4 Committee on Housing Assistance for NPS Subscribers

A committee was constituted to explore feasibility of the NPS (National Pension System) subscribers be provided financing facilities for residential housing in November 2016. The Committee examined the desirability and feasibility of refining the existing provisions of the NPS to incorporate housing finance facilities to its subscribers. It examined it from the perspective of both mandatory subscribers (mandated Union, State and other Public Sector Organisations employees), and for those joining the NPS on a voluntary basis. The implications of incorporating housing finance provisions in the NPS for subscribers, government and other stakeholders was examined by the Committee. The Committee met once in FY 2017-18.

PART V

Organizational Matters of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

5.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three whole time members; and three part-time members to be appointed by the Central Govt. As on 31.03.2018 the composition was as under:

(i) Chairman

Shri Hemant G. Contractor is the first Chairman to head the statutory Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) after notification of PFRDA Act in 2014. He joined PFRDA on 7th October 2014. Prior to joining PFRDA he was a career banker, joining State Bank of India (SBI) as Probationary Officer in 1974.

(ii) Whole-Time Members

1. Dr. B.S. Bhandari, Whole-Time Member (Economics) from 16.05.2014 till date.
2. Shri Pradeep Chaddah, Whole-Time Member (Law) from 30.06.2016 till 26.03.2018.
3. Sh. Supratim Bandopadhyay, Whole-Time Member(Finance) from 12.03.2018 till date.

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Vandana Sharma, Additional Secretary, Department of Pension and Pensioner's Welfare from 12th December 2014 to 11th August, 2017.
2. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December 2014 till date.
3. Mr. Suchindra Misra, Joint Secretary, Department of Financial Services from 23rd June 2016 till 03rd November, 2017.
4. Shri Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary, DPPW, Ministry of Personnel, P G and Pensions, Part-Time from 11th August, 2017 till date.
5. Shri Madnesh Kumar Mishra, Joint Secretary, DFS, Ministry of Finance, Part- Time Member from 03rd November, 2017 till date.

5.2 Meetings of the Authority

Seven meetings which includes matters decided through circulation of the Authority were held during financial year 2017-18

Table 5.1: Authority Meeting FY 2017-18:

1.	63 rd	Authority meeting held on	28 th April 2017 Friday
2.	64 th	Authority meeting held on	28 th June 2017 Wednesday
3.	65 th	Authority meeting held on	16 th August 2017 Wednesday
4.	66 th	Authority meeting held on	05 th October, 2017 Thursday
5.	67 th	Authority meeting held on	07 th December 2017 Thursday
6.	68 th	Authority meeting held on	24 th January 2018 Wednesday
7.	69 th	Authority meeting held on	Through e-Circulation

Several important decisions as per the PFRDA Act were taken during the Board meetings including:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> i) Information to the Board regarding recent issuance of Certificate of Registration to 3 PoPs, 3 PoP-Corporate & 1 PoP-Sub Entity under PFRDA(PoP) Regulations 2015 and 10 Aggregators under PFRDA (Aggregator) Regulations 2015. ii) Issuance of RFP for selection of training agency and appointment of IL & FS Skill development Corporation Ltd for North-West zone. iii) Amendments in PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016, related to clarity on Security Deposit, RAs risk profiling & details of infrastructure. iv) Cyber Security policy for intermediaries under NPS architecture. v) Change in investment pattern. vi) Implementation of RBS in NPS architecture. vii) Guidelines on outsourcing of activities by Pension Funds. viii) Appointment of Designated Member under PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015. ix) Designation of WTM(Economics) as Member In-charge of Investigation and surveillance and WTM(Law) as member who shall impose penalty under Section 30 read with PFRDA (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015. x) Annual Accounts of PFRDA for Financial Year 2016-17 . xi) Annual Report 2016-17. xii) Revision of service charges payable to the Points-of-Presence (POPs) under the NPS Private sector. | <ul style="list-style-type: none"> xiii) Re-allocation of funds among PFs for Central Government and State Government Sector for FY2017-18. xiv) Proposal to amend Exit regulations facilitating easy exit & withdrawal in case of disability and incapacitation of the subscriber covered under NPS. xv) Proposal to have a single unified regulation to cover all the distribution channels covering the pension schemes. xvi) Concept Note on increasing cap on equity investment in active choice to 75% from current 50%. xvii) Extension of the tenure of Sh. Ashwin Parekh as a Trustee and continuation as the Chairperson on the Board of National Pension System Trust under PFRDA (NPS Trust) Regulations, 2015. xviii) Resignation of Sh. N. D. Gupta from the trusteeship on the Board of NPS Trust. xix) Appointment of Trustees on the Board of NPS Trust, in terms of PFRDA (NPS Trust) Regulations, 2015. xx) Appointment of Shri Atanu Sen as Trustee on the Board of National Pension System. xxi) Confirmation/ ratification of appointment of Sh. Atanu Sen as Trustee on the Board of NPS Trust. |
|---|---|

5.3 Staff Strength in PFRDA

As on 31st March, 2018 the staff strength of PFRDA is 63 out of which 61 are in officer cadre. Further, out of 63 officers in PFRDA, 7 officers are presently reporting to Chief Executive Officer, NPS Trust till the regular staff is deployed in NPS Trust.

During F.Y. 2017-18, 17 (Nos) officers were appointed in Grade 'A' (Assistant Manager) in the Authority on direct recruitment basis. Internal promotion exercises were undertaken in the Authority thereby promoting 2 officers

in Grade 'F' to Executive Director, 1 officer in Grade 'E' to 'F', 6 officers in Grade 'D' to 'E' and 5 officers in Grade 'C' to 'D'. Shri Supratim Bandopadhyay was appointed as Whole Time Member (Finance) by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, assumed his posts w.e.f 12.03.2018.

5.4 Setting up of SC/ST Cell and OBC Cell in PFRDA

To implement Government instructions on welfare of SC/ST/PWD employees, a cell has been set up in PFRDA. A General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for SCs/STs/PWDs. Also, a separate cell for welfare of OBCs has been set up in PFRDA. A Deputy General Manager grade officer has been nominated as Liaison Officer for OBCs.

5.5 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace

A Committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

5.6 Staff Welfare Committee

A Staff welfare Committee has been constituted in PFRDA to identify and organize various staff welfare activities. The Committee will help evolve measures for securing and preserving good relations amongst the employees and also between employees and the management. A Deputy General Manager grade officer has been nominated as Chairperson of the Staff Welfare Committee.

5.7 Training of employees in PFRDA

During the financial year 2017-18, newly joined officers were given Induction Training and 4 officers were nominated by PFRDA for trainings/workshops on various subject areas like Reservation Policy Implementation and Income Security for Older Persons in South Asia

organized by United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

5.8 Promotion of Official Language

PFRDA has set up an Official Language Cell to implement the official language policy of Government of India and ensure the implementation of Rajbhasha Act, 1963 and Rajbhasha Rules, 1976 and to promote use of Hindi in day to day functioning of PFRDA. Communications received in official language are also replied in official language. All regulations framed by PFRDA are bilingual. Keeping in view the large customer base of NPS consisting of various sections of the society, the contents available in English are being translated into Hindi for the benefit of subscribers.

5.9 Right to Information:

PFRDA is implementing the Right to Information Act, 2005. There is a dedicated cell to process the applications received under the Right to Information Act, 2005 which is under Central Public Information Officer. As provided in the RTI Act, PFRDA has an official as the Appellate Authority (AA) where appeals can be made against an order of the CPIO.

Section 4 of the RTI Act casts obligation on every public authority to make certain disclosures. The focus of the disclosure is transparency in the working and functioning of PFRDA. In this regard, PFRDA has put in place various functions, duties, powers and duties of its officers, rules, regulations, manuals etc. All the relevant acts, regulations are available on PFRDA website.

During the year 2017-18, 571 RTI applications and 54 first appeals were received till 31st March, 2018 interalia regarding contribution under National Pension System (NPS), opening, transfer, withdrawal & exit from NPS, APY scheme etc. All the applications and appeals were replied/disposed within the stipulated time as prescribed under RTI Act, 2005.

Any citizen can request for information under RTI by making an appropriate application in writing with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, First Floor, Chatrapati Shivaji Bhawan, B-14/A, Qutab Institutional Area, New Delhi 110016 and/or can also file an RTI under RTI Act, 2005 on online portal available at www.pfrda.org.in.

During 2017-18, PFRDA received number of Parliamentary Questions, referred by the Government of India, mainly from the Ministry of Finance on various aspects of old age income security comprising queries on NPS and APY. PFRDA has furnished information and material for reply/replies in a time bound manner for facilitating replies to the same.

5.10 Accounts of PFRDA

During the financial year 2017-18 PFRDA received a grant of Rs. 15.00 crore from Government of India. The Atal Pension Yojna was announced in the budget speech for the FY 2015-16. The pension scheme is meant for all citizens in the age group of 18-40 years, with a focus on persons belonging to unorganized

sector. All subscribers under NPS- lite/ Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana.

During the financial year 2017-18, PFRDA has received a grant of Rs. 167.72 crores under the scheme, towards Govt co-contribution, Incentive to service providers and other promotional activities.

An amount of Rs. 43.04 cr was received as Grant from Govt of India for Swavalamban Scheme Govt Co-contribution and Promotion.

The accounts of the authority for the financial year 2017-18 have been finalized as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The accounts were approved by the PFRDA Board in its 74th Board meeting held on 09.10.2018. The Balance Sheet and Income & Expenditure Accounts of PFRDA along with Schedules forming part of the financial statements are placed at Annexure -V. In accordance with the provisions of the PFRDA Act 2013, the accounts of PFRDA for the financial year 2017-18 will be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India for audit.

PART VI

Any critical area adversely affecting the interest of subscribers

6.1 Partial EEE status of NPS

NPS is at a disadvantage compared to other pension/provident fund schemes such as EPF PPF, CPF (Contributory Provident Fund) Schemes in so far as tax treatment of the retirement corpus is concerned. While 40 per cent of the accumulated retirement corpus when withdrawn as lump sum on superannuation is exempt from tax, it is not completely tax free as the other schemes mentioned above are, and therefore suffers in comparison. There is a need to provide a level playing field to NPS vis-à-vis other competing products with respect to employer's contribution and tax treatment of the final withdrawals.

6.2 Age limit of 40 years for joining APY

NPS Swavalamban which was started for unprivileged unorganised sector workers has been discontinued from w.e.f April 2015. In place of Swavalamban scheme APY has been launched which provides guaranteed benefits to the underlying subscribers. Subscribers of Swavalamban scheme have been given option to migrate to APY. However, APY scheme allows entry of subscribers till the age of 40 (from 18 completed to 40 running). This leads to barrier for the entry of the age group of 41 year - 60 years, which is also the period for surplus income in an individual's life cycle. Therefore, to make the scheme available to more people, the age of eligibility may be extended from present 40 years.

6.3 Choice of Fund Managers and Investment classes

The pension funds of the Central Government

employees are currently being allocated amongst the three public sector pension funds (UTI PFM, SBI PFM, LIC PFM) in the ratio of their returns. The investment pattern for the Central Govt. employees is also stipulated by the Government, having a preponderance of fixed income securities, which can currently go upto 95% while the maximum exposure in Equities is restricted to 15%.

PFRDA Act provides for opportunities to the subscriber to maximize his returns in the risk return paradigm. Section 20(2) of PFRDA Act, 2013, states that there shall be a choice of multiple pension funds and multiple schemes. Hence, post the notification of the PFRDA Act there is needed to align the investment framework for the Govt. employees including Central Govt. employees. The subscribers under the private sector are already enjoying a choice in the selection of Pension Fund Manager (both public and private sector PF) as well as the choice to allocate funds amongst the four asset classes Equity (E), Corporate Debt (C) and G (Govt. securities) and A with only ceiling of 50% on equity and 5% on A. On the other hand, the investment pattern for the Central Govt. employees prescribes preponderance of fixed income securities, which can currently go upto 95% while the maximum exposure in equities is restricted to 15%, effectively limiting subscriber choice.

Thus, on the grounds of parity, and keeping in view the spirit of the PFRDA act to allow choice of schemes, it is essential to revisit the framework for investment by the Central Government employees and allow them choice of investment as available to the Private Sector employees.

6.4 Statutory obligations that the Authority has not complied

6.4.1 Minimum Assured Returns Scheme (MARS)

Under Section 20(2) (d)(b) of PFRDA Act, the subscriber, seeking minimum assured returns, shall have an option to invest his funds in such schemes providing minimum assured returns as may be notified by the Authority. However, Section 20(2) (d)(g) states there shall not be any implicit or explicit assurance of benefits except market-based guarantee mechanism to be

purchased by the subscriber. Construing the two sub sections harmoniously, it is evident that a scheme providing minimum assured return has to be made available. However, the same has to be based on a market based guaranteed system. PFRDA in consultation with Department of Financial Services, Ministry of Finance is exploring the possibility of floating at least a Capital Protection Scheme, which would be market based and does not cast an onerous capital solvency responsibility on hitherto non capital intensive structure of pension funds.

PART VII

Any other measure taken by the Authority to protect the interest of subscribers to the National Pension System and other pension schemes under the Act.

7.1 As mentioned previously, apart from that, there are other initiatives taken by the Authority to protect the interest of the subscribers.

The following steps have been taken in recent past for the convenience of the subscriber:

- The investment guidelines have been revised to have opportunities for optimization of returns.
- Private sector (All Citizen Model & Corporate Sector) subscribers can join the NPS upto the age of 65 years and remain in the system till 70 years and during this period the subscriber may continue to contribute. Accordingly, risk minimization has been taken care of under default mode through Life Cycle Fund. Digital APY enrolment through eNPS is a user friendly platform and makes enrolment under APY hassle free. It is a complete end to end digital interface without submission of physical form. The subscription amount auto debited periodically.
- APY Mobile applications were launched to empower the subscribers to view Statement of Account and other details of their APY account. APY subscribers with smart phones can down load APY mobile applications from google store and install in their mobile phones for real time viewing of APY Accounts.
- Select banks are offering the APY through their internet banking channel.
- Various functionality developments have been undertaken by the CRAs under NPS related to NPS- Mobile App- Central Grievance Management System, development in NPS Regular Subscriber registration & contribution, NPS Regular-FATCA CRS Certification, OPGM, NPS Lite- FATCA, CRA Certification, eNPS enhancement, enhancement in eKYC verification, Mobile App - Reset password using OTP these development has impact on fast processing of application and contribution or any operational request of the subscriber.
- Online registration of RAs has also been initiated.
- SMS based alerts for account transactions, reminder for contribution payment etc. is done periodically.
- Simplification in withdrawal process, now, it has been decided by PFRDA that the requirement of submission of original death certificate by spouse or the nominee in case of death claim by subscribers of APY need not be insisted upon. However a copy of death certificate duly verified by the concerned bank branch/DoP as a true copy is suffice to process the claims.

Annexure I

State wise APY Subscribers registration

Sr. No	State Name	Total subscribers as on 31.03.2017 (PRANs Generated)	No. of Registered Subscribers during FY 2017-18 (PRANs Generated)	Total subscribers as on 31.03.2018 (PRANs Generated)
1	Andaman & Nicobar Islands	1,907	1,687	3,594
2	Andhra Pradesh	3,55,433	2,77,656	6,33,089
3	Arunachal Pradesh	4,276	3,301	7,577
4	Assam	69,146	1,39,362	2,08,508
5	Bihar	5,31,810	5,03,691	10,35,501
6	Chandigarh	8,723	6,545	15,268
7	Chhattisgarh	74,616	81,750	1,56,366
8	Dadra and Nagar Haveli	4,720	5,876	10,596
9	Daman & Diu	6,897	12,980	19,877
10	Delhi	93,827	80,057	1,73,884
11	Goa	13,221	12,408	25,629
12	Gujarat	2,55,133	2,15,423	4,70,556
13	Haryana	1,08,993	1,01,856	2,10,849
14	Himachal Pradesh	38,784	30,500	69,284
15	Jammu & Kashmir	29,565	11,818	41,383
16	Jharkhand	96,851	1,22,728	2,19,579
17	Karnataka	3,39,084	3,23,761	6,62,845
18	Kerala	1,06,919	1,03,929	2,10,848
19	Lakshwadeep	2,244	1,422	3,666
20	Madhya Pradesh	2,44,158	2,39,725	4,83,883
21	Maharashtra	4,06,242	3,29,202	7,35,444
22	Manipur	7,226	4,047	11,273
23	Meghalaya	8,328	2,857	11,185

Sr. No	State Name	Total subscribers as on 31.03.2017 (PRANs Generated)	No. of Registered Subscribers during FY 2017-18 (PRANs Generated)	Total subscribers as on 31.03.2018 (PRANs Generated)
24	Mizoram	9,065	5,506	14,571
25	Nagaland	18,329	14,441	32,770
26	Orissa	1,86,161	1,51,818	3,37,979
27	Pondicherry	7,948	10,322	18,270
28	Punjab	1,61,388	1,63,655	3,25,043
29	Rajasthan	2,84,403	2,04,115	4,88,518
30	Sikkim	6,941	14,815	21,756
31	Tamil Nadu	3,45,162	4,45,320	7,90,482
32	Telangana	1,34,548	1,18,715	2,53,263
33	Tripura	12,186	12,753	24,939
34	Uttar Pradesh	6,38,071	7,24,243	13,62,314
35	Uttaranchal	40,653	43,186	83,839
36	West Bengal	2,54,539	2,75,593	5,30,132
37	NRI / Others **	232	669	901
	Total	49,07,729	47,97,732	97,05,461

The snapshot of the Target vs Performance for FY 2017-18 is as:

Category of Service Providers	No. of registered branches	Target for FY 2017-18	Achievement as on 31.03.2018	% of Achievement
Major Banks*	100975	7068250	3836274	54%
Regional Rural Bank	21103	1266180	871919	69%
Other Private Bank	9741	292230	46422	16%
Co-operative Bank#	9602	192040	11723	6%
Dept of Post	19622	1000000	55367	6%
Total	161043	9818700	4821705	49%

* Includes Public Sector Banks, ICICI Bank Ltd, HDFC Bank Ltd, Axis Bank Ltd & J&K Bank

Includes Urban Cooperative Banks, District Central Cooperative Banks & State Apex Banks.

Annexure II

List of Point of Presence under NPS as on 31st March, 2018

Sr. No.	POP Name	No. of POP-SPs Associated
1	Abhipra Capital Limited	65
2	Alankit Assignments Limited	288
3	Allahabad Bank	286
4	Andhra Bank	1,761
5	Asit C Mehta Investment Intermediates Limited	1
6	Axis Bank Limited	3,532
7	Bajaj Capital Limited	83
8	Bank of Baroda	5
9	Bank of India	5
10	Bank of Maharashtra	1,851
11	Canara Bank	3,568
12	Central Bank of India	4,647
13	Computer Age Management Services Private Limited	227
14	Corporation Bank	2,291
15	CSC e-Governance Services India Limited	1
16	Dayco Securities Private Limited	28
17	DBFS Securities Limited	1
18	Dena Bank	1,449
19	Elite Wealth Advisors Limited	1
20	Eureka Stock And Share Broking Services Limited	11
21	Gujarat Infotech Limited	1
22	HDFC Bank Limited	3
23	HDFC Securities Limited	1

Sr. No.	POP Name	No. of POP-SPs Associated
24	ICICI Bank Limited	1,563
25	ICICI Securities Limited	34
26	IDBI Bank Limited	1,890
27	IL&FS Securities Services Limited	38
28	India Infoline Finance Ltd	1
29	India Post NPS Nodal Office	808
30	Indian Bank	1,834
31	Indian Overseas Bank	3,279
32	IndusInd Bank Limited	805
33	Integrated Enterprises (India) Private Limited	103
34	Karnataka Bank Limited	775
35	Karvy Stock Broking Limited	8
36	Kotak Mahindra Bank Limited	848
37	LICHFL Financial Services Limited	1
38	Marwadi Shares and Finance Limited	79
39	Muthoot Finance Limited	33
40	Narnolia Securities Limited	1
41	NJ India Invest Private Limited	1
42	Oriental Bank of Commerce	984
43	PAYTM Payments Bank Limited	1
44	Prudent Corporate Advisory Services Limited	1
45	Punjab and Sind Bank	914
46	Punjab National Bank	6,976
47	RBL Bank Limited	201
48	Reliance Capital Limited	140

Sr. No.	POP Name	No. of POP-SPs Associated
49	Religare Securities Limited	12
50	SBICap Securities Limited	1
51	SMC Global Securities Limited	27
52	State Bank of India	22,430
53	Steel City securities Limited	47
54	Stock Holding Corporation Of India Limited	213
55	Syndicate Bank	3,478
56	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	510
57	The Federal Bank Ltd	1,073
58	The Karur Vysya Bank	710
59	The Lakshmi Vilas Bank Limited	507
60	The South Indian Bank Limited	871
61	UCO Bank	1,851
62	Union Bank Of India	3,872
63	United Bank of India	1,098
64	UTI Asset Management Company Limited	152
65	Ventura Securities Limited	1
66	Vijaya Bank	1,247
67	Way2Wealth Brokers Private Limited	2
68	Yes Bank Limited	86
69	Zen Securities Limited	27
70	eNPS*	1
	Total	79,640

* Online registration platform

Annexure III

List of Aggregators under NPS as on 31st March, 2018

Sr. No.	Aggregator Name
1	A.P. Building and Other Construction Workers Welfare Board
2	Abhipra Capital Ltd.
3	Adhikar Microfinance Private Limited
4	Alankit Assignments Ltd.
5	Allahabad Bank
6	Allahabad UP Gramin Bank
7	Andhra Bank
8	Assam Gramin Vikash Bank
9	Bandhan Bank Ltd.
10	Banaskantha Dist. Co-op Milk Producers Union Limited
11	Bandhan Konnagar
12	Bank of Baroda
13	Bank of Maharashtra
14	Baroda Gujarat Gramin Bank
15	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
16	Building & Other Construction Workers Welfare Board Rajasthan
17	BWDA Finance Ltd. (BFL)
18	Canara Bank
19	Cashpor Micro Credit Head Office
20	Centre For Development Orientation And Training (Cdot)
21	Csc E-Governance Services India Limited
22	Dena Bank
23	Department Of Women & Child Development
24	Esaf Small Finance Bank Ltd.
25	Grameen Koota Financial Services Pvt Ltd.

Sr. No.	Aggregator Name
26	Gujarat Infotech Limited
27	IDBI Bank Ltd.
28	IFMR Rural Finance Services Pvt. Ltd.
29	Indian Bank- Banking Operations Dept.
30	Indian Overseas Bank
31	Indur Intideepam Macs Federation Ltd.
32	Janalakshmi Financial Services Pvt Ltd.
33	Jharkhand Building & Other Construction Workers Welfare Board Ranchi
34	Karnataka State Unorganised Workers Social Security Board Bangalore
35	Lic Housing Finance Ltd.
36	Life Insurance Corporation of India
37	Madhya Bihar Gramin Bank
38	Oriental Bank of Commerce
39	Punjab National Bank
40	Samhita Community Development Services
41	Sarva Haryana Gramin Bank
42	Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project
43	Shri Mahila Sewa Sahakari Bank Limited
44	Society For Elimination of Rural Poverty
45	State Bank of India
46	Swayamshree Micro Credit Services
47	Syndicate Bank
48	The South Indian Bank Ltd.
49	Uco Bank
50	United Bank of India
51	Vijaya Bank
52	Dept. of Post

Annexure IV

Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. D.V.S.S.V. Prasad, Chief Executive Officer, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India 2. Mr. P.K. Rath, Chair Professor- Life, National Insurance Academy, Pune 3. Chairman, National Pension System Trust 4. Mr. Gagan Rai, Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Limited 5. Mr. Leo Puri, Director, The Association of Mutual Funds in India 6. Dr. L H Manjunath, Executive Director, Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project 7. Mr. Kulin Patel, Senior Actuary and Director - Client Account Management, Towers Watson, Gurgaon 8. Ms. Meghana Baji, Chief Executive Officer, ICICI Prudential Pension Funds Management Co. Ltd 9. Mr. V.G. Kannan, Chief Executive, Indian Banks' Association 10. Mr. R. Sridharan, Managing Director, The Clearing Corporation of India Ltd | <ol style="list-style-type: none"> 11. Mr. Shailendra Kumar, Managing Director & CEO, SBI Pension Funds Pvt. Ltd 12. Director, National Institute of Bank Management, Pune 13. Deputy Director General (Establishment), Postal Directorate 14. Principal Secretary, Finance, Government of Rajasthan 15. Ms. Renuka Sane, Visiting Assistant Professor, Indian Statistical Institute, New Delhi 16. The Chairman, Committee on Banking Insurance and Pension of ICAI, New Delhi 17. Ms. Jyoti Vij, Deputy Secretary General, FICCI, New Delhi |
|---|--|

Annexure V

FORM A

[See Rule 3(a)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2018

(Unit-Indian Rupee)

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year	Assets	Schedule	Current year	Previous year
1. Corpus/Capital Fund	1	20,89,66,154	17,56,81,330	1. Fixed Assets Gross block	8	2,11,92,797	1,85,14,502
2. Reserves and Surplus	2	-	-	Less: Depreciation		1,29,39,764	1,29,39,734
3. Earmarked/ Endowment funds	3	1,80,59,540	1,64,05,649	Net Block		82,53,032	55,74,768
4. Secured loans and borrowings	4	-	-	2. Investments from Earmarked/ Endowment Fund	9	1,70,21,896	1,62,34,293
5. Unsecured loans and borrowings	5	-	-	3. Investment- Others	10	27,00,00,000	-
6. Deferred credit liabilities	6	-	-	4. Current assets, Loans, Advances etc.	11	75,41,60,564	79,79,85,352
7. Current liabilities and provisions	7	82,24,09,799	62,77,07,434	5. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
Total		1,04,94,35,493	81,97,94,413	Total		1,04,94,35,493	81,97,94,413
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Note:- All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts OfficerS. Bandyopadhyay
MemberDr. B.S. Bhandari
MemberHemant G. Contractor
Chairperson

FORM B

[See rule 3(b)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018**

(Unit-Indian Rupee)

Expenditure	Schedule	Current year	Previous year	Income	Schedule	Current year	Previous year
1. Establishment Expenses	20	14,24,40,735	14,74,12,591	1. Income from Sales/ Services	12	-	-
2. Other Administrative expenses etc.	21	2,40,97,71,405	2,90,98,23,376	2. Grants/ Subsidies	13	2,25,75,78,000	54,18,18,648
3. Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	48,82,62,806	3. Fee/ Subscription	14	36,30,29,595	31,69,92,205
4. Interest	23	1,750	1,591	4. Income from Investments (Income on investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	15	-	-
5. Depreciation(Net Total at the year end- corresponding to Schedule 8)		16,94,998	16,60,958	5. Income from Royalty, Publications etc.	16	-	-
				6. Interest Earned	17	3,91,20,774	7,29,37,833
				7. Other Income	18	2,45,759	1,00,939
				8. Increase/ (decrease) in stock of Finished goods and Work-in-progress	19	-	-
TOTAL		2,55,39,08,888	3,54,71,61,323	TOTAL		2,65,99,74,127	93,18,49,625
Balance being excess of Income over Expenditure		10,60,65,240	(2,61,53,11,697)				
Transfer to Special Reserve (specify each)		-	-				
Transfer to/from General Reserve		-	-				
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)		10,60,65,240	(2,61,53,11,697)				
CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND							
Significant Accounting Policy	24						
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25						

Notes :- All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of account.

Place: New Delhi

Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati

Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
MemberDr. B.S. Bhandari
MemberHemant G. Contractor
Chairperson

FORM C
[See rule 3(c)]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE PERIOD 01-04-2017 to 31-03-2018

(Unit: Indian Rupee)

S.No	Receipts	Current year	Previous year	S.No	Payments	Current year	Previous year
1.	Opening Balances			1.	Expenses		
(a)	Cash in hand	20,000	20,000	(a)	Establishment Expenses	15,44,36,867	14,45,29,065
(b)	Bank Balances			(b)	Administrative Expenses	27,29,70,411	30,22,09,836
(i)	In Current accounts	-	-	2.	Grants Utilised		
(ii)	In Time Deposit accounts	-	-	(a)	Swavalamban Contribution	34,84,88,000	1,01,34,74,906
(iii)	In Saving Bank deposit accounts	76,15,72,278	3,30,91,25,616	(b)	Swavalamban Promotion	2,46,15,900	10,09,49,940
2.	Grants Received			(c)	Grant to National Pension system Trust	-	-
(i)	From Government of India			(d)	APY Contribution	1,18,21,19,845	1,05,19,61,410
(a)	Grant-in-aid Salaries	10,50,00,000	9,00,00,000	(e)	APY Promotion and Development	44,86,67,343	35,76,64,832
(b)	Grant-in-aid-General	4,50,00,000	9,00,00,000	(f)	Refund of Grant	-	48,82,62,806
(c)	Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	42,94,81,675	-	(g)	Others	-	-
(d)	Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	8,96,325	-	3.	Investments and deposits made		
(e)	Grant-in-aid APY Contribution	87,72,00,000	-	(a)	Out of Earmarked/ Endowment Funds	3,00,000	22,34,293
(f)	Grant-in-aid APY Promotion & Development	80,00,00,000	36,00,00,000	(b)	Out of Own Funds (Investments- Others)	27,00,00,000	-
(g)	Others	-	-	4.	Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-progress		
(ii)	From State Government			(a)	Purchase of Fixed Assets	7,89,671	37,05,586
(a)	Grant-in-aid Salaries	-	-	(b)	Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
(b)	Grant-in-aid-General	-	-	5.	Refund of surplus money/ Loans		
(c)	Grant-in-aid-Swavalamban Contribution	-	-	(a)	Recoverable from National pension system trust	-	-
(d)	Grant-in-aid-Swavalamban Promotional & Development activities	-	-	(b)	To the State Government	-	-
(e)	Others	-	-	(c)	To other providers of funds	-	-
(iii)	From Financial Institutions	-	18,18,648	6.	Finance Charges (Interest)		
3.	Income on Investments			(a)	Bank charges	592	1,591
(a)	Earmarked/ Endowment Funds	20,868	10,41,100	(b)	Others	-	-
(b)	Own Funds (other investment)	-	-	7.	Other Payments (Specify)		
4.	Interest Received			(a)	Prepaid	18,11,050	18,58,537
(a)	On Bank deposits	2,61,60,198	7,29,36,445	(b)	Loan/ Advance to employees	2,44,000	3,30,000
(b)	Loans, Advances etc.	-	-	(c)	Advance against Expenses	5,33,48,792	1,20,49,696
(c)	Others (Interest on Loan)	-	-	(d)	Security Deposits	4,78,000	33,89,500
5.	Other Income (Specify)			8.	Closing Balances		
(a)	Annual Fees	36,13,45,095	30,00,40,705	(a)	Cash in hand	20,000	20,000
(b)	Fees from Miscellaneous Services	16,84,500	1,69,51,500	(b)	Bank Balances		
(c)	Miscellaneous Income	5,761	3,329	(i)	In Current accounts	-	-
6.	Amount Borrowed	-	-	(ii)	In Time Deposit accounts	-	-
7.	Any Other receipts			(iii)	In Saving Bank deposit accounts	68,03,96,600	76,15,72,278
(a)	Security/ EMD receipts	-	-				
(b)	Recovery of Advance	2,99,62,218	7,64,414				
(C)	Transfer of Assets	50,283	2,66,479				
(d)	Subscribers Education and Protection Fund	2,87,870	12,46,040				
	TOTAL	3,43,86,87,071	4,24,42,14,276		TOTAL	3,43,86,87,071	4,24,42,14,276

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 1
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
CORPUS/ CAPITAL FUND

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Balance as at the beginning of the year	17,56,81,330	20,40,19,970
Add : Opening Balance of unutilized corpus fund	58,89,99,270	3,17,59,72,328
Less: Closing Balance of unutilized corpus fund	(66,17,79,686)	(58,89,99,270)
Add/Deduct: Balance of net income/expenditure transferred from the Income and Expenditure	10,60,65,240	(2,61,53,11,697)
Add : Government Grant to be received from government/transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AS AT THE PERIOD END	20,89,66,154	17,56,81,330

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 2
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
RESERVES AND SURPLUS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Capital Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve		
a) At the beginning of the year	-	-
b) Addition during the year	-	-
c) Less: Deductions during the year	-	-
Total	-	-

Place: New Delhi

Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati

Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 3
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Fund wise break up		Subscriber's Education and Protection Fund	
	Fund XX	Fund YY	Current Year	Previous Year
1. Opening balance of the funds			1,64,05,649	1,41,18,509
2. Additions to the funds				
a) Donations / grants			-	-
b) Income on Investments made on account of funds			13,66,021	10,41,100
c) Transfer from NPS Trust Penalty A/c and NPS Trust Investor Awareness Fund A/c			-	-
d) Receipts during the year			2,87,870	12,46,040
e) Other Additions (Specify nature)				-
TOTAL (1+2)	-	-	1,80,59,540	1,64,05,649
3. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
a) Capital Expenditure				
i) Fixed assets			-	-
ii) Others			-	-
Total	-	-	-	-
b) Revenue Expenditure				
i) Salaries, wages and allowances, etc.	-	-		
ii) Rent			-	-
iii) Other Administrative expenses			-	-
c) Others			-	-
Total			-	-
TOTAL (3)	-	-	-	-
NET BALANCE AT THE PERIOD END (1+2-3)	-	-	1,80,59,540	1,64,05,649
Notes				
1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.				
2) Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.				

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 4
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
-Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)	-	-
-Interest accrued and due		
5. Other Institutions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others	-	-
TOTAL	-	-

Note:- Amount due within one year

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 5
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note:- Amount due within one year

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 6
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2. Others	-	-
TOTAL	-	-

Note:- Amount due within one year

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 7
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
<u>Current Liabilities</u>		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors & Payables	12,15,94,688	1,70,96,564
3. Advances Received	-	-
4. Interest Accrued but not due on:		
a) Secured Loans / Borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/ Borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a) Overdue	-	-
b) Others	-	2,82,504
6. Other Current Liabilities		
a) Unutilised grant payable to GOI	66,17,79,686	58,89,99,270
b) Others: IRDA A/C	31,988	31,988
c) Others: Security Deposits	66,71,540	71,40,000
TOTAL	79,00,77,902	61,35,50,326
<u>Provisions</u>		
1. For Taxation	27,30,079	-
2. Gratuity	1,83,81,621	1,36,03,720
3. Trade Warranties/ Claims	-	-
4. Accumulated Leave encashment	-	-
5. Pension Contribution Payable	3,23,808	3,23,808
6. Leave salary payable	2,46,392	2,29,579
7. Leave Encashment Payable	1,06,48,445	
8. NPS Employees Contribution	1,552	
TOTAL	3,23,31,897	1,41,57,107
GRAND TOTAL	82,24,09,799	62,77,07,434

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY										
SCHEDULE 8										
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018										
FIXED ASSETS										
(Unit-Indian Rupee)										
Description	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	Cost/Valuation as at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation as at the year end	As at beginning of the year	For the year	On Deductions during the year	Total upto the year	As at the Current year	As at the previous year
Fixed Assets										
1. Land:										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Buildings:										
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership flats/premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery and Equipment										
4. Vehicle	10,37,399	-	-	10,37,399	7,77,038	39,055	-	8,16,093	2,21,306	2,60,361
5. Furniture & Fixtures	33,07,653	7,37,411	-	40,45,064	14,09,262	2,49,760	-	16,59,022	23,86,042	18,98,391
6. Office Equipments	43,16,002	12,19,409	1,00,000	54,35,411	20,72,471	4,19,400	42,765	24,49,106	29,86,305	22,43,531
7. Computer/ Peripherals	95,29,300	24,68,272	16,63,049	1,03,34,523	83,87,538	9,77,761	16,52,202	77,13,097	26,21,427	11,41,762
8. Electrical Installations	1,51,908	-	-	1,51,908	1,21,186	4,608	-	1,25,794	26,114	30,722
9. Library Books	1,72,239	16,252	-	1,88,491	1,72,239	4,414	-	1,76,653	11,838	-
10. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Of Current Year	1,85,14,502	44,41,344	17,63,049	2,11,92,797	1,29,39,734	16,94,998	16,94,967	1,29,39,764	82,53,032	55,74,768
Previous Year	1,67,64,464	37,05,586	19,55,548	1,85,14,502	1,29,83,387	16,60,958	17,04,611	1,29,39,734	55,74,768	37,81,077
Capital work-in-progress									-	-
Total									82,53,032	55,74,768

Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 9
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	1,70,21,896	1,62,34,293
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	1,70,21,896	1,62,34,293

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 10
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
INVESTMENT- OTHERS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Government securities	-	-
2. Other approved securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint ventures	-	-
6. Fixed Deposits	27,00,00,000	-
7. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	27,00,00,000	-

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
<u>(A) Current Assets</u>		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors :		
a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others: Recoverable from IFCO TOKYO	30,585	30,585
3. Cash in hand	20,000	20,000
4. Bank Balances :		
a) with Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	68,03,96,600	76,15,72,278
b) with Non- Scheduled Banks:		
i) On Current Accounts	-	-
ii) On Time Deposit Accounts	-	-
iii) On Savings Bank Deposit A/c	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Others	-	-
TOTAL (A)	68,04,47,185	76,16,22,863

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 11
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2018
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
(B) Loans, Advances And Other Assets :		
1. Loans:		
a) Staff	1,48,881	3,46,376
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Others (specify)	-	-
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	18,11,050	17,92,084
c) Security Deposits	36,47,500	36,47,500
d) Others:	5,42,87,823	3,05,76,529
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment funds	8,57,550	-
b) On Investments- Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized)	1,29,60,576	-
4. Claims Receivable	-	-
Total (B)	7,37,13,379	3,63,62,489
Grand Total (A)+(B)	75,41,60,564	79,79,85,352

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 12

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018

INCOME FROM SALES/SERVICES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Sales		
a) Sale of Finished goods	-	-
b) Sale of Raw Materials	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/ Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services(Equipment/Property)	-	-
e) Others(specify)	-	-
TOTAL	-	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 13

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018

GRANT/ SUBSIDIES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
Irrevocable Grants and Subsidies Received		
1. Central Government	2,25,75,78,000	54,00,00,000
2. State Government	-	-
3. Government agencies	-	-
4. Institution / Welfares bodies	-	18,18,648
5. International Organisations	-	-
6. Others : Govt. Contribution APY Scheme	-	-
Total	2,25,75,78,000	54,18,18,648

Place: New Delhi

Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 14
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
FEES / SUBSCRIPTIONS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Entrance Fees	-	-
2. Annual Fees/ Subscription	36,13,45,095	30,00,40,705
3. Seminar/ Program Fee	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Licence Fees	-	-
6. Fees from Miscellaneous Services	16,84,500	1,69,51,500
7. Others (Specify)	-	-
Total	36,30,29,595	31,69,92,205

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 15
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018 01-04-2017 TO 30-11-2017
INCOME FROM INVESTMENTS

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Investment From Earmarked Fund		Investment- Others	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1. Interest				
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
c) Others	13,66,021	10,41,100	-	-
2. Dividend				
a) On Shares	-	-	-	-
b) On Mutual Funds	-	-	-	-
c) Others	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (specify)	-	-	-	-
Total	13,66,021	10,41,100	-	-
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	13,66,021	10,41,100	-	-

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 16

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Income from Royalty	-	-
2. Income from Publications	-	-
3. Others (specify)	-	-
Total	-	-

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 17

ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
INTEREST EARNED

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Term Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	1,29,60,576	-
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) with Institutions	-	-
d) Others	-	-
2. On Savings Bank Deposits Accounts		
a) with Scheduled Banks	2,61,60,198	7,29,36,445
b) with Non-Scheduled Bank	-	-
c) Post Office Savings Accounts	-	-
d) Others:	-	-
3. On Loans:		
a) Employee/ Staff	-	1,388
b) Others	-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables		
Total	3,91,20,774	7,29,37,833
Tax deducted at source to be indicated	-	-

Place: New Delhi

Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 18
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
OTHER INCOME
(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Profit on Sale/ Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2. Export Incentives Realized	-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	2,45,759	1,00,939
Total	2,45,759	1,00,939

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 19
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS
(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
A) Closing Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
B) Less: Opening Stock		
1. Finished Goods	-	-
2. Work-in-progress	-	-
Net Increase/(Decrease) (A-B)	-	-

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 20
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
ESTABLISHMENT EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Salaries and Wages	11,70,68,575	13,37,15,315
2. Allowances and Bonus	-	-
3. Contribution to Provident Fund	-	-
4. Contribution to Pension	70,92,499	88,74,430
5. Staff Welfare Expenses	-	-
6. Expense on Employee Retirement and Terminal Benefits	-	-
7. Leave Salary	1,17,01,632	3,64,143
8. Tution Fees reiumbursement	-	-
9. Medical reiumbursement	18,00,128	15,11,566
10. Gratuity Contribution	47,77,901	29,47,137
11. Others(specify)	-	-
Total	14,24,40,735	14,74,12,591

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 21
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
OTHER ADMINISTRATION EXPENSES

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Purchases	-	-
2. Labour and Processing Expenses	-	-
3. Cartage and Carriage Inwards	-	-
4. Electricity and Power	13,20,231	13,99,178
5. Water Charges	4,06,722	3,80,358
6. Insurance	19,71,532	9,71,420
7. Repair and Maintenance	73,45,976	70,06,650
8. Excise Duty	-	-
9. Rent, Rates and Taxes	6,96,52,194	6,53,66,989
10. Vehicles Running and Maintenance	95,90,998	84,21,062
11. Postage, Telephone and Communication Charges	72,62,031	60,22,060
12. Printing and Stationary	6,97,632	14,47,344
13. Travelling and Conveyance Expenses	78,95,696	69,26,264
14. Expenses on Seminar/ Workshops/ Meetings and conferences	2,84,55,685	2,11,04,722
15. Subscription Expenses	-	-
16. Expenses on Fees	-	-
17. Auditors Remuneration	2,67,872	-
18. Hospitality Expenses	-	-
19. Professional Charges	1,68,82,427	1,00,48,351
20. Books and Periodicals	2,49,489	1,14,944
21. Recruitment Expenses	18,82,531	32,111
22. Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
23. Incentive to Aggregator	2,46,15,900	10,09,49,940
24. Swavalamban Government Contribution	34,84,88,000	1,01,34,74,906
25. APY Government Contribution	1,18,21,19,845	1,05,19,61,410
26. Incentive to Point of presence	-	-
27. Irrevocable balances Written off	-	-
28. Packing charges	-	-
29. Freight and Forwarding Expenses	-	-
30. Distribution Expenses	-	-
31. Advertisement and Publicity Expenses	24,94,84,351	25,50,37,361
32. Membership fees	17,250	4,03,415
33. Staff Welfare expenses	8,14,511	7,89,710
34. Consultancy expenses	16,80,780	3,00,350
35. APY Promotion	1,94,11,083	1,96,09,592
36. Incentive under APY	42,92,56,260	33,80,55,240
37. Sitting Fees	-	-
38. Others (Website fee expense)	2,408	-
Total	2,40,97,71,405	2,90,98,23,376

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 22
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
EXPENDITURE ON GRANT SUBSIDIES ETC.

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. Grants given to Institutions/ Organisations/National Pension System Trust	-	-
2. Subsidies given to Institutions/ Organisations	-	-
3. Others : (Refund of Grants)	-	48,82,62,806
Total	-	48,82,62,806

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 23
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018
INTEREST

(Unit-Indian Rupee)

Particulars	Current year	Previous year
1. On Fixed Loans	-	-
2. On Other Loans	-	-
3. Bank charges	1,750	1,591
4. Other(specify)	-	-
Total	1,750	1,591

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE 24
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of accounting and preparation of financial statements

The financial statements of the Authority have been prepared in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for Swavlamban scheme and Atal Pension Yojna (APY) maintained on payment basis, being the scheme of Government of India .

2. Government Grants

Government grants are accounted on realisation basis.

3. Fixed Assets

Fixed assets are stated at their original cost including taxes and other incidental expenses related to acquisition.

4. Retirement benefits

Provision for gratuity is provided as per Authority scheme. The liability for gratuity at the year end is computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

5. Depreciation

5.1 Depreciation is provided on the written down value method as per rates specified in The Income tax Act 1961.

5.2 Assets costing Rs. 5,000/- or less each are fully provided.

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE 25

**ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01-04-2017 TO 31-03-2018**

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. **Contingent Liabilities**

There is no contingent liability of the Authority as at 31.03.2018.

2. **Current Assets, Loans & Advances**

The Current assets, Loans and advances have a value on realisation equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

3. **Taxation**

In view of the section 34 of The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, the Authority shall not be liable to pay wealth-tax, income-tax or any other tax in respect of its wealth, income, profits or gains derived. Accordingly, no provision for the same has been provided in the books of accounts.

4. The unutilised Government grants as on 31.03.2018 has been shown under the head Current Liabilities and Provisions.

5. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged, wherever necessary.

6. The schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance sheet as at 31-03-2018 and the Income and Expenditure account for the period 01-04-2017 to 31-03-2018.

Place: New Delhi
Date: 04.10.2018

Ashish Kumar Bharati
Chief Accounts Officer

S. Bandyopadhyay
Member

Dr. B.S. Bhandari
Member

Hemant G. Contractor
Chairperson



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

बी-14 / ए, छत्तरपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Fax/ फेक्स : 91-11-26517507 www.pfrda.org.in